खण्ड-360, अंक-6
शुक्रवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(25 फरवरी, 1983 ई0)

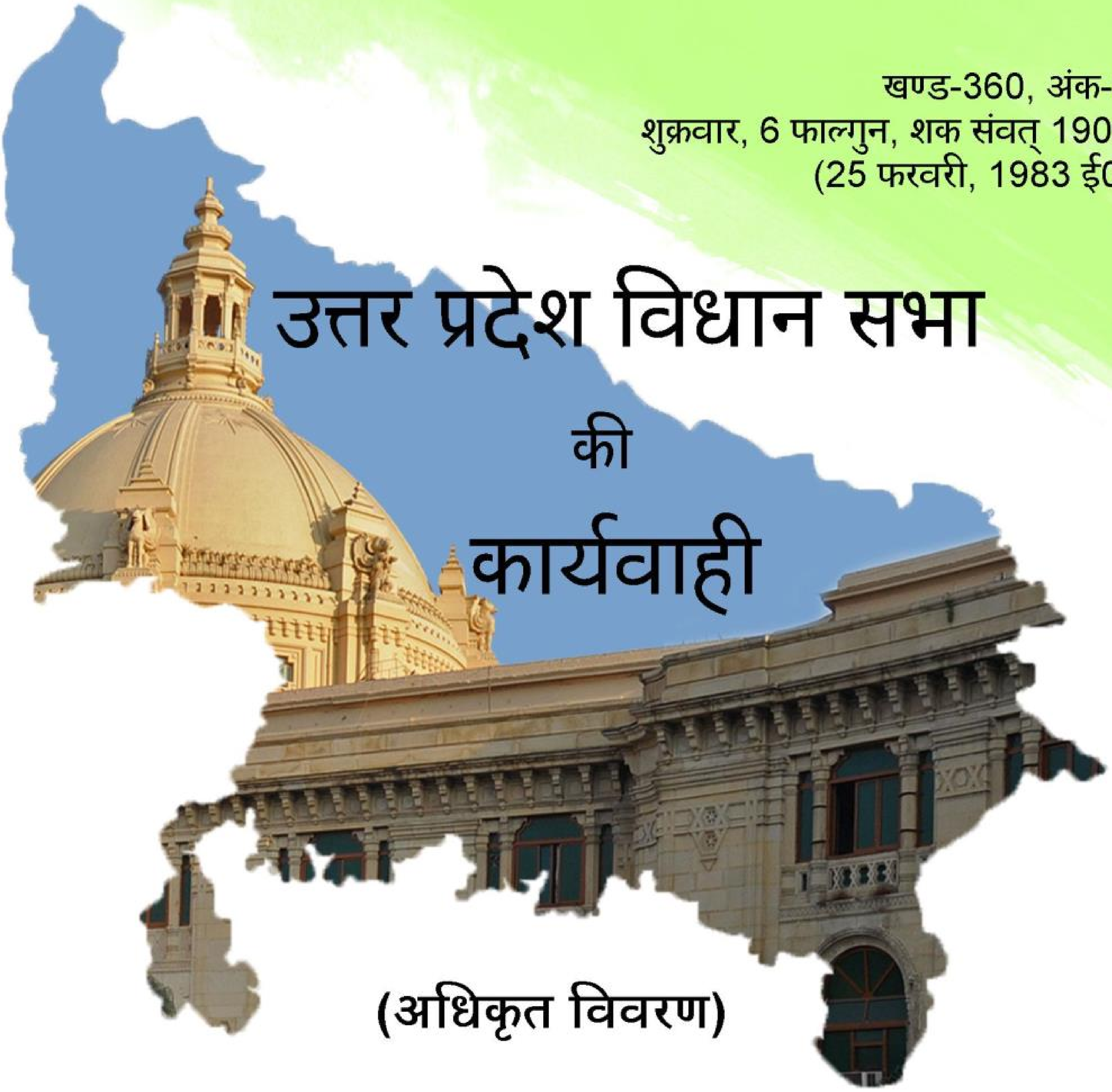

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 360 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय- सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1005–1009
प्रश्नोत्तर	1011–1099
तारांकित प्रश्न संख्या 14 को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1099–1100
भारत के भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति, श्री गोपाल स्वरूप पाठक के निधन पर शोकोद्गार	1100–1103
लोक सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, श्री गौड़े मुराहरि के निधन पर शोकोद्गार	1104–1106
कानपुर जनपद के बिल्हौर निर्वाचन क्षेत्र के अरोल क्षेत्र में 75 प्रतिशत नलकूपों के बन्द रहने से फसलों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1106–1107
आगरा जनपद के बाईपुर वन के निकट बसे ग्रामों की फसल को नील गायों द्वारा क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1107
मथुरा जनपद में यमुना नदी का जल प्रदूषित होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1107–1108
जनपद नैनीताल की किच्छा की पुलिस द्वारा सेना के एक लेफ्टीनेन्ट श्री दीपपाल सिंह की गिरफ्तारी एवं पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1108
श्री दुर्गा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आजमगढ़ के छात्र संघ के पदाधिकारियों द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1109
बिक्रीकर समाप्त कर उसके स्थान पर राजस्व प्राप्ति हेतु कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में याचिका ..	1109
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	1109–1110
दिनांक 26 नवम्बर, 1982 को सचिवालय एनेक्सी में पुलिस तथा कौंसिल हाउस गार्ड्स के बीच हुई मारपीट के सम्बन्ध में वक्तव्य	1110–1117
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1117–1122
अध्यापकों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जानकारी	1122

विषय	पृष्ठ-संख्या
1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 1--आबकारी विभाग (स्वीकृत) ..	1123-1147
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 (पारित) ..	1147-1158
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 (पारित)	1158-1169
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1169-1170
श्री मोहन सिंह द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 14 के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	1170
नत्थियां	1171-1178

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 25 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बज कर 1 मिनट अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 351

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ मुन्ना भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैयालाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरगत, श्री (वाराणसी)
खान गफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुशहाल सिंह रागड, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)

गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा,, प्रो० (बांदा)
चन्द्रवली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह, नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)

बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकन्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह श्री, (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोण्डा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल श्री, (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे बर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनक सिंह, श्री (वाराणसी)
राम जी राम श्री, (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)

राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवता रमण सिंह, (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
बासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह डाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नारायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकटा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री, (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीता राम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)

सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमवंश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह, वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेम चन्द्र निमेष, श्री (मेरठ)

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 25 फरवरी, 1983

तारांकित प्रश्न

घुघली चीनी मिल के श्रमिकों की मांगों को लेकर विधायक श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा अनशन

*1--श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्रीमती गौरी देवी तथा श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर के एक विधायक ने इस जिले की चीनी मिल घुघली के रिसीवर के विरुद्ध आगामी 2 अक्तूबर, 1982 से अनशन करने की सूचना हाल ही में दी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

घुघली चीनी मिल के श्रमिकों की मांगों आदि को लेकर सदस्य, विधान सभा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा 2-10-82 से अनशन करने की सूचना उसके कुछ दिन पूर्व प्राप्त हुई थी। जिलाधिकारी, गोरखपुर ने प्रयास किया था कि श्री ओझा अनशन न करें और श्रमिकों की मांगों आदि पर विचार करके यथोचित कार्यवाही की जायेगी। श्री ओझा ने इसे स्वीकार नहीं किया और दिनांक 2-10-82 से अनशन प्रारम्भ किया था जो आपसी समझौते पर 6-10-82 को समाप्त कर दिया गया था।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि श्री ओझा जी की मांगें क्या थीं और समझौते का फैसला क्या रहा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, इनकी कई मांगें समय-समय पर हुई। दो-दो मांग-पत्र हैं, लम्बी-चौड़ी लिस्ट है, कहिये तो पढ़ दूं, भ्रष्टाचार आदि की, रिसीवर का स्थानान्तरण, इसी तरह की 6 मांगें थीं, तो आपसी समझौता था वह हो गया था और उसी के आधार पर अनशन समाप्त हो गया था।

श्री रियासत हुसैन--

आपसी समझौते के ऊपर अनशन समाप्त किया था। तो जो 6 मांगें थीं, उनमें क्या-क्या समझौता हुआ था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

उसमें विशेषकर यह था कि 3 कर्मचारी थे जिनको नौकरी पर लेना था, वे ले लिए गए थे। रिसीवर ने उनकी पोस्टिंग की लेकिन कर्मचारियों में बड़ा रोष था, झगड़ा खड़ा हो गया, इसलिए व्यवस्था के लिए उनको हटना पड़ा। पंच मण्डल की एक नियुक्ति की थी 4 सदस्यों की उसमें कुछ लोगों के लेने की बात थी लेकिन उसका फैसला कर नहीं सके हैं।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, प्रश्न में है गोरखपुर के विधायक इस जिले की चीनी मिल घुघली के रिसीवर के विरुद्ध, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ओझा जी ने जो पत्र लिखा है उसमें रिसीवर के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं ? उसकी जांच की बात की गई है ? यदि हां, तो जांच कब की गई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

कोई स्पेसिफिक आरोप नहीं हैं । आप कहें तो पढ़ दूं--बड़ा भ्रष्टाचार है, आदि, कोई स्पेसिफिक आरोप नहीं है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेजा गया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि चरित्र अच्छा है, कार्य अच्छा है, फैक्ट्री ठीक से चल रही है ।

श्री मारकण्डेय चन्द--

क्या रिसीवर ने बिना विज्ञापन कराये बिना साक्षात्कार के लगभग 80 लोगों की नियुक्तियां कर दीं जिनमें से आधे से अधिक नियुक्तियां अपनी जाति विशेष के लोगों की कीं ? लोगों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने उन नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश दिया किन्तु उसका आज तक परिपालन नहीं हुआ ? यदि ऐसी बात है, तो क्या कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, उस मिल के रिसीवर के खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं । ओझा जी ने एक बात उठाई है, उसने नियुक्तियों में बहुत भ्रष्टाचार किया । मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान रिसीवर जब से वहां गए तब से कितनी नियुक्तियां हुईं और उनमें कितने उनकी जाति के थे तथा यह नियुक्तियां किस आधार पर की गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में, मा0 मन्त्री जी का उत्तर सत्य से परे है । जिलाधिकारी, गोरखपुर से मेरी कोई बात नहीं हुई । मेरे स्पष्ट आरोप हैं । जो मांग पत्र है उसको मा0 मन्त्री जी कंपिल कर रहे हैं । जिलाधीश के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि तीन लोगों की नियुक्ति कर दी गई, रोष के कारण उन्हें हटाना पड़ा । क्या नियुक्तियां मजदूरों के चाहने पर होंगी । उस रिसीवर चतुर्वेदी ने 80 लोगों की नियुक्ति की ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी को सूचना की आवश्यकता है, इन्हें सूचना दे रहा हूं । 80 लोगों को नियुक्त किया । अल्पसंख्यक नहीं हुये, अनुसूचित जाति के नहीं हुये, आधे से अधिक लोग उसकी बिरादरी के हैं । जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि यह नियुक्तियां निरस्त कर दी जाय । निरस्त नहीं किया । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट रिसीवर को, जिसके खिलाफ सौ शिकायतें

भ्रष्टाचार की, 25 लाख रुपये से ज्यादा हड़प लिया है उसने, एक भी माइनारिटी एवं हरिजन को नियुक्त नहीं किया, क्यों नहीं हटाया गया ? क्या इतने बड़े भ्रष्ट रिसीवर को तत्काल निलम्बित करने का आश्वासन देंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मैं पुनः कह रहा हूं कि ओझा जी या अन्य कोई माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक शिकायत करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, एक प्रश्न और ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो नियम 49 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए नोटिस दे दें ।

*2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित कृषकों पर सरकारी देयों की वसूली हेतु उत्पीड़क कार्यवाही करने पर रोक

*3--श्री हुकम सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अगस्त एवं सितम्बर, 1982 में प्रदेश में सूखे एवं बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए कृषकों पर वाजिब सरकारी देयों की वसूली हेतु उत्पीड़क कार्यवाही करने पर रोक लगाने हेतु जनपदों को निर्देश दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

जी हां ।

शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हुकम सिंह--

आपके माध्यम से यह जो मंत्रियों की युगल जोड़ी है, इनसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि यह निर्देश कब निर्गत किये गये और किन-किन सरकारी देयों की वसूली के लिए उत्पीड़क कार्यवाही को बन्द किये जाने के आदेश कर दिए गए हैं ।

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, 27 अगस्त को समस्त जिलाधिकारियों को टेलेक्स जारी किया गया, था जिसमें यह कहा गया था कि जिन क्षेत्रों में फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंचा है, उन क्षेत्रों में कृषि देय की वसूली स्थगित रखी जाय। जिन क्षेत्रों में हानि 50 प्रतिशत से कम हुई है वहां के कृषकों से वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही न की जाये। 7 सितम्बर, 1982 को एक और टेलेक्स जारी हुआ "समस्त जिलाधिकारियों को यह स्पष्ट करते हुए कि उपरोक्त आदेश बाढ़, सूखे तथा ओले से प्रभावित सभी क्षेत्रों के लिए अनुमन्य होंगे"।

श्री हुकम सिंह--

प्रश्न तो यह है, मान्यवर, दो चीजें हैं। एक तो रोकने के लिए बात कही अपने कि सरकारी देयों की वसूली रोक दी जहां 50 प्रतिशत हानि हुई। और जहां 50 प्रतिशत से कम हानि हुई थी, वहां उत्पीड़न की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आपने 7 सितम्बर को टेलेक्स दिया है जिसमें ओला-वृष्टि और फला-फला वृष्टि का जिक्र है तो क्या इसके बाद भी जहां 50 प्रतिशत से कम हानि हुई है, उत्पीड़न की कार्यवाही पर रोक लगाई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यही तो मैंने कहा था कि वास्तव में जहां 50 प्रतिशत से कम हानि हुई है वहां वसूली होगी लेकिन उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होगी।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, किसानों के जो लड़के पढ़ते थे उनकी फीस भी किसान द्वारा दी जा रही है। जिन किसानों की 50 प्रतिशत से अधिक की हानि हुई है उनके पढ़ने वाले बच्चों के शुल्क को वसूल न किये जाने या समाप्त करने का आपने कोई आदेश जारी किया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, उसी वक्त मैंने माननीय शिक्षा मन्त्री जी को लिखा था और उनकी तरफ से यह आदेश हो गया था कि, जहां पर 50 फीसदी से अधिक की हानि हुई है वहां के छात्रों को तीन महीने तक फीस नहीं देनी होगी।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, 27 अगस्त को टेलेक्स जाने के बाद भी, टेलेक्स के अनुसार आपने उत्पीड़न की कार्यवाही पर रोक लगा दी, सितम्बर के महीने में, अक्तूबर के महीने में और नवम्बर के महीने में तमाम किसानों की उत्पीड़न की कार्यवाही करके, वारन्ट जारी करके उनको हवालात में बन्द किया गया। क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि आपके टेलेक्स जाने के बावजूद भी जिन-जिन नगरों में और जिन-जिन जिलों में उत्पीड़न की कार्यवाही की गई है और आपके आदेश की अवहेलना जिन-जिन अधिकारियों ने की है, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, समय-समय पर इसकी जांच होती रही है और जो कृषि देय है उस पर उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, एक-दो बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं, 31/8 एकड़ भूमि पर उनसे लगान नहीं ली जाती है और इस प्रकार के खातेदार लगभग 70 फीसदी हैं, 30 फीसदी जो शेष रह जाते हैं इस पर शुद्ध देय जैसे लगान आदि हैं, पर कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होती है लेकिन अगर कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है, वहां हो सकता है और जो दूसरे देय हैं, बैंकों के, कोआपरेटिव बैंक के हैं उसमें तो हो सकता है पर कृषि देयों पर नहीं हुआ है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मालगुजारी और उत्पीड़न पर रोक लगायी, जो किसान हर तरह से बरबाद हो गया है वह अपनी मालगुजारी नहीं दे सकता है तो वह बैंकों का ऋण कैसे अदा कर सकता है, तो माननीय मंत्री जी, जो बैंकों की उनकी देनदारी है, उसको भी मुलतबी करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, बैंकों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि जो वह आदेश देते हैं, जिलाधिकारियों से जो नुकसान की रिपोर्ट आती है, के आदेश केवल जिलाधिकारी के पास जाकर ठप हो जाती है उन पर कोई अमल नहीं किया जाता है। तहसीलदार अपना रिकार्ड बनाने के लिए वह वसूलियाबी जारी रखते हैं बाद में भले ही वह ऐपिसल आ जाय? यह देखते हुए यह सुनिश्चित भी करेंगे कि जो भी रिलीफ के आदेश यहां से जायें, पर रिकार्ड में कर लिया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जहां पर कोई दैवी आपदा आती है तो जिलाधिकारियों को पहले से ही यह स्टैन्डिंग आर्डर्स होते हैं कि जहां 50 फीसदी से अधिक का नुकसान है, वहां के शुद्ध देय जो हैं, कृषि देय हैं, उनकी वसूली को स्थगित कर दिया जाय और उसकी रिपोर्ट भेजें। शासन द्वारा जब तक उसकी स्वीकृति न की जाय, रिमीसन के लिये वह स्थगित रखें और उसकी वसूली नहीं होगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, यह देखते हुए कि आजकल किसानों के सबसे अधिक गरीबी के दिन होते हैं और कोई भी फसल इस वक्त नहीं आती है और गन्ना किसान का भी पैसा उसे नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत में क्या मंत्री जी मई-जून तक इन बकाया देयों की वसूली रोकने के आदेश करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जो आदेश उस वक्त हुए थे, वह अभी हटाये नहीं हैं, उत्पीड़न न करने के लिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैंने मई-जून तक वसूली रोकने की बात कही थी...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । इसका उत्तर उन्होंने दे दिया ।

श्री भीखा लाल--

माननीय मंत्री जी ने जिन आदेशों का उल्लेख किया, उनमें यह कहा कि कृषि देयों से सम्बन्धित हैं । मैं जानना चाहता हूं कि भूमि विकास बैंक से दिया हुआ कर्जा, जो भूमि और कृषि के विकास के लिये है, उसे भी वे कृषि देय में समझते हैं या नहीं ? अगर समझा जाता है तो उसमें जो कार्यवाही हो रही है, क्या उसे रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

भूमि विकास बैंक का सम्बन्ध हमारे देयों से नहीं है, वह बिल्कुल अलग है । उसका अलग ऐक्ट है और उसी के अन्तर्गत वे वसूली करते हैं ।

श्री जमुना प्रसाद--

24-3-82 को जरवल, बाराबंकी में भीषण ओलावृष्टि हुई और भीषण बाढ़ आयी कल्यानी नदी में । वहां का किसान परेशान है । माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बैंकों का ऋण उनके जिम्मे सौंप दिया है, तो वसूली रोकने और उत्पीड़न रोकने के लिये आदेश करेंगे ?

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

जहां तक बैंकों के ऋण का सवाल है, उसकी वसूली की व्यवस्था दूसरे कानून के अन्तर्गत होती है । हमने हर जिलाधिकारी को आदेश दिये हैं कि जहां लोग देने की स्थिति में नहीं हैं, वहां उनकी किस्तों को रि-शेड्यूल्ड कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन के आदेश जाने के बाद भी कि प्रताड़ना की कार्यवाही न हो, उसके बाद भी ऐसी कार्यवाही होती रहती है । इसको ध्यान में रखते हुए कि जो औपचारिक और अनौपचारिक बैठकें होती हैं उसमें रेवेन्यू वसूलने के डायरेक्टिव भी तय होते हैं, जो कि एस0 डी0 एम0, डी0 एम0 के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है । इसलिये आदेश के बाद भी, उनका रिकार्ड खराब न हो, वे प्रताड़न की कार्यवाही करते रहते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक ओर तो प्रताड़न की कार्यवाही रोकने के आदेश हैं और दूसरी ओर जो कोटा आरोपित किया जाता है, उसको भी शिथिल नहीं किया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जब स्थगन आदेश हो जाते हैं, जो देय स्थगित हो जाते हैं, वे जमा में शामिल नहीं होते हैं । यह जो उनका कोटा है, उसमें शामिल नहीं है । इसलिये प्रश्न नहीं उठता

श्री मोती लाल देहलवी---

माननीय राजस्व मंत्री मेरे क्षेत्र बिल्हौर में गये थे । हमने दिखाया था कि यहां पर 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है और हमने मंत्री जी से आग्रह किया कि आपके पास गाड़ी है, कृपा करके अन्य गांवों में भी हमारे साथ चलें और देखें कि 75 प्रतिशत से कम नुकसान कहीं नहीं हुआ है, कहने लगे मेरा आज व्रत का दिन है...

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

नुकसान 100 प्रतिशत हुआ और मंत्री जी ने वहां भाषण दिया । माननीय मंत्री जी वहां पर दुकानें देने, अनुदान आदि देने के न जाने क्या-क्या वायदे कर आये थे, उन मीटिंगों में जो राष्ट्रीय झंडा आदि लगाकर हुयी थी, जिस पर माननीय मंत्री जी ने कोई एतराज भी नहीं किया था ।

श्री अध्यक्ष--

आप केवल प्रश्न करें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की यह छूट की घोषणा के बावजूद और इन बड़े-बड़े वायदों के बावजूद, वहां पर उत्पीड़न की कार्यवाही होती रही और तहसीलों में लोग बन्द किये जाते रहे तो माननीय मंत्री जी क्या जिन क्षेत्रों में उत्पीड़न की कार्यवाही हुयी है, वहां पर जांच कराने एवं दोषी लोगों को दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

कई प्रकार के देयों का मामला है, कहीं कोआपरेटिव व कहीं अन्य देय हैं और जहां पर छूट की घोषणा नहीं होगी वहां पर ही उत्पीड़न की कार्यवाही हुयी होगी, फिर भी यदि कोई विशेष मामला बताया जायगा, तो उस की छानबीन हम करवा लेंगे, जहां पर जो लोग दोषी पाये जायेंगे, कार्यवाही अवश्य की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, जिन क्षेत्रों में क्षति हुयी, वहां पर 50 फीसदी की छूट घोषित की गयी है, लेकिन मान्यवर, इसमें बड़ी एक धांधली है, वह कि मान लीजिए किसी के पास 100 एकड़ भूमि है, और उसने पूरी 100 एकड़ पर खेती न करके केवल 50 एकड़ पर खेती की है और इस 50 एकड़ में यदि 30 एकड़ की फसल नष्ट हो गयी है तो उसे छूट दी जानी चाहिए, परन्तु यह ऐसा न करके इनके लेखपाल जब निरीक्षण को जाते हैं तो पूरे 100 एकड़ को मानते हैं, जबकि बोया गया है केवल 50 ही एकड़ ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष --

श्री रुद्र प्रताप सिंह जी, आप बैठ जाइये, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठिए ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

तो मान्यवर, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी केवल यह स्पष्ट कर दें कि जो खेत बोए जाएं, उसी को 50 प्रतिशत मानकर छूट दी जाए,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत हो जाइये, मैं अब किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं । प्रश्न संख्या 4, श्री नन्द किशोर सिंह ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, यदि मेरी सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं तो इस सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री रुद्र प्रताप सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राकेश कुमार, तत्कालीन कोषाधिकारी, हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*4--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतलायेंगे कि श्री राकेश कुमार, कोषाधिकारी, हरदोई के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं कार्यालय में व्याप्त असंतोष के संबंध में उनके अधीनस्थ कर्मचारियों तथा जनता के कितने ज्ञापन तथा प्रार्थना-पत्र सितम्बर, 1981 से सितम्बर, 1982 के मध्य विभागीय अधिकारियों एवं शासन में प्राप्त हुये हैं तथा दिनांक 14-6-82 को कार्यालय कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल की सूचना जिलाधिकारी, हरदोई एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ, निदेशक, कोषागार लखनऊ तथा वित्त मंत्री को तार द्वारा भेजी गयी है ? यदि हां, तो सरकार संबंधित अधिकारी को स्थानान्तरित करके उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

श्री राकेश कुमार, तत्कालीन कोषाधिकारी, हरदोई के विरुद्ध नत्थू खां, भभूति सिंह आदि के लगभग 19 शिकायती-पत्र प्राप्त हुये थे तथा कोषागार कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल की भी सूचना प्राप्त हुई थी । श्री राकेश कुमार के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी हरदोई द्वारा कराई गयी जांच की रिपोर्ट के आधार पर श्री राकेश कुमार को 30 दिसम्बर, 1982 के आदेशों द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तत्कालीन कोषाधिकारी के विरुद्ध जो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे और उनके ऊपर जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई गयी, जिस कारण उनका स्थानान्तरण किया गया तो जांच रिपोर्ट क्या है ? और जांच किस अधिकारी ने की ? उसका नाम व पद क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जांच मान्यवर, निदेशक उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण एवं भू लेखे प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराई गयी है, उनका नाम श्री हीरा लाल है और मान्यवर, जांच रिपोर्ट बहुत लम्बी है, यदि आप इजाजत दें तो पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष--

इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मेरा कहना है कि जब आरोप इनके विरुद्ध सिद्ध हुए तभी उनका स्थानान्तरण किया गया है, तो यह तो निश्चित है कि वह दोषी पाये गये तो उनके दोष क्या है ? इसको बताने की कृपा करेंगे क्या माननीय मंत्री जी और क्या जहां उनका स्थानान्तरण हुआ है, वहां पर चले गये ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, जैसा कि अभी मैंने कहा कि तथ्यों की जानकारी के अनुसार उनका स्थानान्तरण हो गया है और रिपोर्ट बहुत लम्बी है यदि आप इजाजत दें तो उसे पढ़ दूं । दूसरे मान्यवर, जांच में उनके विरुद्ध सिद्ध हुए आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है, स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यवर, आप देखें कि प्रश्न इतना ही है कि संबंधित अधिकारी को स्थानान्तरित करके उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ? तो जांच तो हो गई और स्थानान्तरण भी हो गया ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है परन्तु यह मेरी जानकारी है कि स्थानान्तरण होने के बाद भी वे अभी वहां गये नहीं हैं और सचिवालय के चक्कर लगा रहे हैं कि स्थानान्तरण रुक जाय और उन्होंने अभी अपना पद ग्रहण नहीं किया है, तो यदि उनका स्थानान्तरण रोक दिया गया तो फिर क्या लाभ होगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जब उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है तो कम से कम इस समय उनके स्थानान्तरण को रोका नहीं जायेगा ।

*5-- श्री रियासत --

दिनांक 5-4-82 को तारांकित प्रश्न सं0 5 द्वारा उत्तरित]।

लखनऊ जनपद की मोहन लाल गंज तहसील के विकास के लिये कथित योजनायें

*6--श्री संत बक्स रावत--

क्या नियोजन मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद की मोहन लाल गंज, तहसील विकास की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन ने उसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसके विकास के लिये कौन-कौन सी योजनायें लागू की गयी हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिये सबसे छोटी इकाई 'जिला' मानी गयी है। जिला लखनऊ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं है।

जनपद लखनऊ औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र नहीं है। अतः किसी विशेष कार्यक्रम/योजना की आवश्यकता नहीं है।

श्री सन्त बक्स रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि केन्द्रीय योजना आयोग के द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिये सबसे छोटी ईकाई 'जिला' मानी गयी है। तो इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि लखनऊ जनपद में हर जगह पर कोई न कोई उद्योग है परन्तु मोहनलाल गंज में कोई उद्योग नहीं है। तो इस बात को दृष्टि में रखकर क्या मंत्री जी मोहनलाल गंज को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके जिले को सबसे छोटी इकाई मान कर इसकी घोषणा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिये केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा जिला योजना आयोग खोले गये हैं और जो पिछड़ा क्षेत्र है उसे वे देखते हैं। आप तो स्वयं विधायक हैं, आप उनके साथ मिल कर के यह कराने में स्वयं सक्षम हैं कि जब उनकी मीटिंग हों तो उनमें यह बात आप रखें, हम कहां पर आते हैं ?

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी को सारा जिला केवल हजरतगंज और विधान सभा मार्ग पर ही दिखायी देता है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मोहनलालगंज में कोई उद्योग नहीं है। जिले की ओर से तो वे इसे प्रस्तावित करा देंगे लेकिन मान्यवर, फन्ड तो आपको ही देना है, तो क्या आप उसके लिये फन्ड भी दे देंगे यदि वह पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया जाय ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मैंने फन्ड तो दे दिया है। माननीय विधायक वहां के लिये जो बतायेंगे वह किया जायेगा, यदि वह पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के योग्य होगा तो उसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया जायेगा।

श्री मित्र सेन--

अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जो पिछड़ा क्षेत्र होगा तो सरकार की नीति है कि उसका ध्यान रखा जायेगा। तो क्या अमेठी और रायबरेली को भी आप इसी दृष्टि से देख कर समान रूप से उसको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां, सभी को एक ही दृष्टि से देखा जा रहा है।

पडरौना तहसील के भूतपूर्व जमींदार, स्व0 सम्पत कुमार सिंह एवं उनके सुपुत्र स्व0 शैल कुमार सिंह की चकबन्दी से प्रभावित अतिरिक्त भूमि एवं आराजियत पर दर्ज नाम

*7—श्री मोहन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के पडरौना तहसील के भूतपूर्व जमींदार स्व0 सम्पत कुमार सिंह एवं उनके सुपुत्र स्व0 शैल कुमार सिंह, स्टेट कुडवा उर्फ विलीपनगर की कितनी भूमि मौजा रजवावर व बुधवलिया तप्पा झनकौल, परगना सिपजा योजना, तहसील पडरौना, जिला देवरिया में सीलिंग में प्रस्तावित है और उन आराजियात पर आधार वर्ष में किनके-किनके नाम किन-किन सक्षम न्यायालय के आदेश के द्वारा दर्ज कराये गये हैं ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

स्व0 सम्पत कुमार सिंह व उनके पुत्र स्व0 शैल कुमार सिंह की ग्राम रजवावर व धुधवलिया में क्रमशः 40.01 तथा 37.76 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित होने के लिये प्रस्तावित है।

ग्राम रजवावर में 16.55 एकड़ भूमि पर जित्तन, इन्दर, विक्रमा, राजेश कुमार, ओम प्रकाश, चन्द्रिका, राम आधार व गोरखनाथ के नाम परगनाधिकारी, असिस्टेन्ट कलेक्टर व जुडीशियल आफिसर तथा ग्राम धुधवलिया में 9.33 एकड़ भूमि पर शिवपूजन व प्रसादी, हीरा प्रसाद, कंचन व हंसराज के नाम असिस्टेण्ट कलेक्टर के आदेशों के द्वारा संशोधित सीलिंग अधिनियम, 1972 के प्रभावी होने के पूर्व के वर्षों में दर्ज कराये गये हैं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह जिला प्रशासन और जमींदारों की सांठ-गांठ से सीलिंग की भूमि जिस तरह से चोरी की जा रही है। एक स्वर्गीय सम्पत कुमार सिंह थे, जो बहुत बड़े जमींदार थे 40 एकड़ जमीन एक गांव में और 37 एकड़ जमीन एक गांव में थी जो भूमिहीनों में बांटी जानी चाहिए थी लेकिन उन्होंने अपने आदमियों और नौकरों के नाम फर्जी तरह से इन्दराज करा दिया है जिसके कारण भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल पा रही है। क्या इस बात की जानकारी की गयी है कि यह लोग कौन हैं और जो जमीन है वह किस के स्वामित्व और नियंत्रण में है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह जो संशोधित सीलिंग ऐक्ट, 1972 है उसके पहले ट्रान्सफर हुए थे। पहले वाले गांव में 7 आदमी और दूसरे वाले गांव में 5 आदमियों को यह दी गयी है, इसका इन्दराज विधिवत हुआ है। कलेक्टर और जुडीशियल आफीसर के यहां से यह ट्रान्सफर हुआ है। जित्तन को सन् 1961 में, इन्दर को सन् 1960 में, विक्रम को सन् 1970 में, राजेश कुमार को 1970 में, ओम प्रकाश को 1970 में, राम अधार के नाम 1970 में, ज्यादातर 1970 में हुआ है। तो यह वाकायदा हुआ है और असिस्टेंट कलेक्टर और एस0 डी0 ओ0 के आदेश से हुआ है।

श्री मोहन सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जमीन जिन लोगों के नाम इन्दराज है, वह व्यक्ति उस पर काबिज हैं या नहीं ? कौन काबिज है ? इसके अतिरिक्त जो बची हुई जमीन है उसके बटवारे के बारे मे आपके विभाग ने कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ये वहां पर वास्तविक रूप से काबिज हैं या नहीं, यदि माननीय सदस्य कहते हैं, यदि यह काबिज नहीं हैं तो उसकी जांच करवा लेंगे कि काबिज हैं या नहीं ? यदि फर्जी इन्दराज है तो इसको मैं दिखवा लूंगा ।

गोरखपुर नगर महापालिका क्षेत्र में राज्य कर्मचारियों तथा शिक्षकों को अनुमन्य मकान किराया भत्ता

*8.--श्री पंचानन राय--

क्या वित्त मंत्री यह बतायेंगे कि गोरखपुर नगर महापालिका के क्षेत्र में रहने वाले राज्य कर्मचारियों तथा शिक्षकों को उसी दर पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य है जिस दर पर मेरठ और बरेली महानगरों के कर्मचारियों को इस समय दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी नहीं ।

मकान किराये भत्तों की दरों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ जनसंख्या के आधार पर नगरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है । कवाल नगर, अर्थात् कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है । कुछ ऐसे भी नगर हैं जो इन कवाल नगरों की कोटि में नहीं आते हैं किन्तु कतिपय परिस्थितियों में जैसे, आबादी बढ़ने के फलस्वरूप, रहने के लिए मकान की कमी, प्रशासनिक दृष्टि से इस नगरों का महत्व, औद्योगिक प्रसार जिसमें रक्षा अधिष्ठान (डिफेंस स्टेबिलशमेंट) भी सम्मिलित है, वाणिज्यिक और शैक्षिक महत्व के कारण इन नगरों में भी मकान का किराया उतना ही अधिक है जितना कि कवाल नगरों में है । अतः कवाल नगरों के साथ मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता हेतु गाजियाबाद, नैनीताल, मेरठ तथा बरेली को भी प्रथम श्रेणी के नगरों में सम्मिलित किया गया है । गोरखपुर इस श्रेणी में नहीं आता है । इसी कारण बरेली तथा मेरठ नगरों के राज्य कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को गोरखपुर नगर में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की तुलना में अधिक दर से मकान किराया भत्ता दिया जाता है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसकी मैं 2-3 लाइने पढ़ें देता हूं, आबादी बढ़ने के फलस्वरूप रहने के लिए मकान की कमी, प्रशासनिक दृष्टि से इन नगरों का महत्व, औद्योगिक प्रसार जिसमें रक्षा अधिष्ठान (डिफेन्स स्टेबिलशमेंट) भी सम्मिलित हैं, वाणिज्यिक और शैक्षिक महत्व, तो मान्यवर गोरखपुर में रहने की कमी है, सभी को मकान नहीं मिलते हैं, औद्योगिक प्रसार है यहां पर फर्टीलाइजर की बहुत बड़ी फैक्टरी है, रक्षा अधिष्ठान है, एअर बेस

भी है, एन० ई० आर० का हैडक्वार्टर भी है, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी भी है। तो जो आधार माननीय मंत्री जी ने बताये हैं वह सभी गोरखपुर में हैं, फिर भी गोरखपुर के साथ दूसरी श्रेणी का व्यवहार करने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, ऐसी चीजों का हम समय-समय पर परीक्षण करते रहते हैं। जैसे ही फैक्ट्स हमारे सामने आ जायेंगे उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, प्रदेश में जिनको इन्होंने महापालिका घोषित किया वे सब 'ए' में ही गये और गोरखपुर को द्वितीय श्रेणी में कर दिया जब कि वहां पर वे सभी नार्म्स फुलफिल करते हैं जो कि 'ए' श्रेणी के लिये निर्धारित हैं। वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, फर्टिलाइजर कारखाना औद्योगिक दृष्टि से, गोरखपुर रेजीमेंट का हेडक्वार्टर, एअर बेस आदि सभी शर्तें गोरखपुर पूरी करता है जो कि बरेली, मेरठ, नैनीताल और गाजियाबाद से किसी भी चीज में पीछे नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी पुनः इस बात पर विचार करेंगे कि गोरखपुर को भी अन्य जिलों के समकक्ष उसके कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने की सुविधा प्रदान करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, गोरखपुर से हमें कोई शिकायत नहीं है। हम इसका परीक्षण कर रहे हैं और उसके हिसाब से जब सारे फैक्ट्स सामने आ जायेंगे तो इस बात पर भी हम विचार कर लेंगे।

श्री मारकण्डेय चन्द--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मानक मेरठ, बरेली, गाजियाबाद तथा नैनीताल के लिये बनाकर आपने उन्हें 'ए' श्रेणी में रखा है और उनको मकान किराया वहां देते हैं तो यदि वही मानक गोरखपुर के लिये भी लागू हो जाय तो क्या आप आज से पूर्व जिन जिलों को मकान किराया भत्ता आपने दिया है, क्या सर्वे कराकर पिछली तारीख से वही सुविधा वहां देने पर आप विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, कोई सुविधा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं दी जाती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जिन आधार पर कवाल टाउन्स को मकान किराया भत्ता देने की सुविधा दी गई है वे कहते हैं कि गोरखपुर का परीक्षण भी करवा लेंगे और उसके अनुसार यदि वह पूरी शर्तें फुलफिल कर लेंगे तो वहां भी वह सुविधा दी जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि गोरखपुर पहले से ही इन सारी शर्तों को पूरी करता है तो आप क्या परीक्षण करायेंगे ? यह स्वयं सिद्ध बात है कि गोरखपुर में यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कालेज है, इंजीनियरिंग कालेज है, एअर बेस है, गोरखा रेजीमेन्ट का हेड क्वार्टर है। तो हम माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से आश्वासन चाहेंगे कि दूसरे जो टाउन्स हैं जिनमें अभी यह सुविधा नहीं दी है, उनको निर्धारित शर्तें पूरा करने के बावजूद भी मकान किराया भत्ता कर्मचारियों को न देने में क्या कठिनाई है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

ऐसा नहीं है । जिन नगरों को इस श्रेणी में रखा गया है वहां ये नार्म्स पूरे होते हैं । मकान किराये का स्तर और मकान की कमी, इसका परीक्षण निरन्तर होता रहता है । जो हमने जी० ओ० इश्यू किया था वह सभी टाउन्स के लिये किया था । गोरखपुर के बारे में भी जब सारे फैक्ट्स सामने आ जायेंगे तो वहां भी कर देंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

कब तक हो जायेगा ?

[उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया]

*9--श्री नरेन्द्र सिंह--

[5वें बधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सिवरही चीनी मिल का कथित अधिग्रहण तथा बकाया गन्ना मूल्य की वसूली

*10--श्री चेतराम गंगवार--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1982 में प्रदेश की सिवरही चीनी मिल को सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? किसी भी चीनी मिल को अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से नार्म्स तय किए हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सिवरही चीनी मिल का अधिग्रहण नहीं किया गया था, किन्तु उस मिल पर बकाया गन्ना मूल्य की वसूली हेतु गन्ना आयुक्त द्वारा जारी किए गये रिकवरी सर्टीफिकेट के कार्यान्वयन में जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्राविधानों के अन्तर्गत रिसीवर की नियुक्ति 21-6-1982 को की गई थी । चीनी मिलों का अधिग्रहण करने की शासन की नीति नहीं है, अतः उसके लिए नार्म्स निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चेतराम गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे उस फैक्ट्री पर केन प्राईस का और मजदूरों का कितना बाकी था और किन-किन वर्षों का था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, यह तात्कालिक व्यवस्था थी । शासन के स्पष्ट आदेश थे कि गन्ने को पूरा क्रश करना होगा लेकिन उन्होंने बीच में ही फैक्ट्री को बंद कर दिया । फैक्ट्रीवालों को तुरन्त चलाने और बकाया का भुगतान करने को कहा लेकिन फैक्ट्री नहीं चलाई जिसकी वजह से गन्ना दूसरी जगह डायवर्ट करना पड़ा । इसीलिए अधिग्रहण करना पड़ा ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मंत्री जी ने मूल उत्तर में कहा है कि मिल पर बकाया गन्ना मूल्य की वसूली हेतु गन्ना आयुक्त द्वारा रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गये। इससे जाहिर होता है कि मिल पर गन्ने की प्राइस का रुपया बकाया था। मेरी जानकारी है कि कोई बकाया नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि केन प्राइस के रुपये पर ही रिसीवर नियुक्त किया जाता है तो दूसरी फैक्ट्री जैसे पीलीभीत की जो फैक्ट्री है उस पर सबसे ज्यादा बकाया है। कितना एमाउन्ट बकाया हो जाय जिस पर सरकार रिसीवर नियुक्त करती है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

ऐसा नहीं है कि बकाया नहीं था उस फैक्ट्री पर 73 लाख 56 हजार गन्ने का बकाया था तथा एक लाख 64 हजार कमीशन का बकाया था। उन्होंने पैसा नहीं दिया और दूसरा बिना शासन की स्वीकृति के उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी।

श्री मोहन सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अधिग्रहण के दो कारण बताये एक तो गन्ने के मूल्य का भुगतान और कमीशन का बकाया दूसरा कारण बिना सरकार की इजाजत के फैक्ट्री बन्द कर दी जिसकी वजह से सरकार के सामने कठिनाई आई और गन्ना दूसरी फैक्ट्रीज को डायवर्ट करना पड़ा, लेकिन ठीक दो महीने बाद जिस फैक्ट्री के मालिक ने सरकार को इतनी तबाही में डाला उसे पुनः वापस कर देने का क्या कारण था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, जब मालिक ने कहा कि जो हमारा देय है उसका भुगतान करने के लिए वह तैयार है और जो पैसा बकाया था गन्ने के मूल्य का 73 लाख 56 हजार तथा कमीशन का एक लाख 64 हजार उसमें से तत्काल 40 लाख रुपया दे दिया शेष पैसा अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर में दे दिया। यह भी तय हुआ था कि जो गन्ना बाकी है उसकी पेराई पुराने रेट पर क्रश करेंगे उसके अलावा एक रुपया प्रति क्विंटल किसानों को सद्भावना के रूप में दे दिया।

श्री भीखा लाल--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि चीनी मिलों को अधिग्रहण करने की सरकार की नीति नहीं है लेकिन जो चीनी मिल जर्जर हो जाती हैं ऋण का पैसा नहीं दे पाती हैं तथा किसानों का भुगतान नहीं कर पाती तथा पेराई पूरी क्षमता से नहीं कर पाती हैं उन पर सरकार रिसीवर बैठा देती है। लेकिन जब यह सब चीजें साफ हो जाय रिसीवर एपाइंट होने के बाद तो उसके बाद मिल मालिक को वापस दे देने की नीति सरकार की है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, ऐसा कुछ नहीं है कभी-कभी परिस्थितियां शासन को बाध्य कर देती हैं। जब फैक्ट्री बंद हो जाती है, श्रमिक बेकार हो जाते हैं, उनकी रोटी रोजी का जरिया बंद हो जाता है, किसानों का गन्ना क्रश नहीं हो पाता है तो बाध्य होकर उस फैक्ट्री को रिसीवरशिप में लेना पड़ता है। बाकी ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती है, तो लेना पड़ता है। इस सेवरही फैक्ट्री ने सारा गन्ना जो समितियों को दूसरी फैक्ट्री में भेजना पड़ा वह भी पैसा मालिक ने दे दिया।

बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों के सरकारी देयों को ऋण मुक्त करने का विचार

*11--श्री माता प्रसाद पाण्डेय (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त बुन्देलखण्ड प्रदेश के ग्रामों के कृषकों के सरकारी देयों को ऋण मुक्त करने का विचार किया है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या होगा और इसे कब तक लागू कर दिया जायगा ?

श्री बंजनाथ कुरील--

जी नहीं ।

वर्ष 1982 की बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित क्षेत्रों, जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई, को भू-राजस्व एवं बकाया वसूली स्थगित करने तथा उत्पीड़न की कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में शासकीय रेडियोग्राम संख्या 5142/1-10-82, दिनांक 27-8-82 तथा सं0 5336/1-10-82, दिनांक 7-9-82 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए थे । राजस्व विभाग द्वारा किसी अन्य विभाग के ऋणों के मुक्त करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया । राजस्व विभाग द्वारा केवल तकावी ऋण दिया जाता है, जिसके मुक्त करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया ।

ग्राम रामपुर, जिला देवरिया में चकबन्दी में हुई कथित धांधली एवं अनियमिततायें

*1[illegible]--श्री श्याम नारायण तिवारी (अनुपस्थित) तथा श्री कुबेर भंडारी (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर बगहा, तहसील हाटा जिला देवरिया में चकबन्दी में हुई बड़े पैमाने पर धांधली, जालसाजी रिश्वतखोरी एवं गंभीर अनियमितताओं की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने एवं गांव की दुबारा चकबन्दी कराने हेतु इस गांव के 150 किसानों ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 11-9-81 जो प्रधान मंत्री को सम्बोधित होकर उत्तर प्रदेश शासन (मु0 मं0) को भी पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंजनाथ कुरील--

जी हां । उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच की जा चुकी है इस ग्राम के अभिलेखों में इस प्रकार की त्रुटियां नहीं पाई गई हैं जिनके कारण इस ग्राम के धारा 52 के प्रकाशन की कार्यवाही रोक दी जाये तथा ग्राम में दोबारा चकबन्दी कराई जाय । इस ग्राम के चकों की पैमाइश हो चुकी है तथा कृषक अपने अपने चकों को जोत बो रहे हैं । इस गांव का अन्तिम अभिलेख (जिल्द बन्दोबस्त) तैयार कराया जा रहा है । इस ग्राम का आकार पत्र 41 (खसरा फर्द मुताबिक) तैयार कर लिया गया है ।

ग्राम मिश्रौलिया में लेखपाल श्री जगदीश मिश्र द्वारा अभिलेखों में गलत इन्द्राज के सम्बन्ध में जांच

*13--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती के सम्बन्धित सहायक चकबन्दी अधिकारी, श्री राम चन्द्र सिंह ने कई ग्रामों में तहसील लेखपाल श्री जगदीश मिश्र द्वारा खसरा और खतौनी में काटकर गलत इन्द्राज करने, धोखाधड़ी करने तथा ग्राम मिश्रौलिया में सड़क जिला परिषद्, जिसका नम्बर 195 है, उसके दो बीघे रकबे को फर्जी तौर पर सफीउल्लाह तहसील अमीन संग्रह तथा उनके परिवार के लोगों के नाम दर्ज कर देने के मामले पकड़े हैं और सम्बन्धित खसरा खतौनी सील करके उस पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश कर दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त लेखपाल के विरुद्ध इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम मिश्रौलिया के अभिलेखों में गाटा संख्या 195/2-8-0 के बजाय 1-8-0 व गाटा संख्या 204/2-16--5 के बजाय 3-16-5 लेखपाल के पास उपलब्ध जिल्द बन्दोबस्त में व खतौनी में संदिग्ध किया हुआ पाया गया जिसे सहायक चकबन्दी अधिकारी ने वादों के निस्तारण के समय ठीक कर दिया है ।

अभिलेखों में इन्द्राज के सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

*14--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[34वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर द्वारा गन्ने की नयी किस्मों तथा फसल के बारे में अनुसन्धान कार्य

*15--श्री किरनपाल सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि पिछले 6 वर्षों से गन्ना अनुसंधान केन्द्र, शाहजहांपुर ने गन्ने की कोई नयी किस्म नहीं निकाली है तथा न ही गन्ने की फसल के बारे में कोई अनुसंधान किया है ? यदि हां, तो अनुसंधान केन्द्र पर करोड़ों रुपये खर्च करने का क्या औचित्य है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर ने स्थापना (1977) से अब तक गन्ने की नई किस्में भी निकाली हैं तथा गन्ने की फसल के बारे में अनुसंधान कार्य भी किया है । संक्षेप में, अनुसंधान के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रथम बार इस संस्था द्वारा यू0 पी0-1 तथा यू0 पी0-3 गन्ने की अपनी किस्में विकसित की गयी हैं, जिसमें से यू0 पी0-1 को वर्ष 1980-81 से एवं यू0 पी0 3 को वर्ष 1981-82 से निर्बन्धित खेती हेतु स्वीकृत किया गया है । इसके अतिरिक्त विभिन्न नई किस्में अनुसंधान के आधार पर विकसित की गयी जैसे को0 शा0 687, 758, 767, 770, 771, 776, 786, 788, 797, 802 एवं को0 62399 और इन्हें सामान्य खेती हेतु प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्वीकृत

किया गया । इसमें को0 शा0 687 जल्द पकने वाली किस्म है तथा को0 शा0 767 एवं 802 अत्यधिक लोकप्रिय हैं । वर्ष 1982-83 में नई किस्में को0 शा0 7918 (पूर्वी, मध्य एवं तराई क्षेत्रों के लिए) एवं बी0 उ0 91 (पूर्वी क्षेत्र के लिए) सामान्य खेती हेतु दी गयी ।

अतः व्यय का पूरा औचित्य है ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि अनेकों किस्में 1977 के बाद इस शोध संस्थान ने निकाली हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यू0 पी0 1 और 3 में गन्ने की किस्म किसानों तक पहुंच गयी हैं ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में कितनी भूमि में यह नई किस्में बोई गयी हैं और यह नई किस्में खेती में गन्ना पैदा होने के बाद गन्ना मिलों को गया तो मिलों ने इन किस्मों के बारे में क्या परिणाम भेजे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

दूसरे प्रश्न की मैं आज्ञा नहीं देता हूं और मन्त्री जी पहले प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, सिवाय भोजन लोगों को देने के और कुछ शोध संस्थान नहीं कर रहा है, इनकी किस्मों को कोई नहीं खरीद रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आपको मैं इजाजत नहीं देता हूं, आप बैठ जायं ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, यू0 पी0 1 और 3 यह किस्में अभी ट्रायल में हैं, किसानों तक पूरी तौर से नहीं पहुंची हैं ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मन्त्री जी के इस उत्तर से स्पष्ट है कि गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर में कुछ नहीं हो रहा है । इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि वहां के डाइरेक्टर, एच0 एन0 सिंह, की नियुक्ति कब हुई, क्या आज भी वह तदर्थ नियुक्ति पर चल रहे हैं, क्या उनकी आम शिकायतों के कारण संस्थान का वातावरण दूषित है और वहां के जो नतीजे आने चाहिये वह नहीं आ पा रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा --

मान्यवर, नतीजे तो संतोषजनक हमारे यहां हैं । दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि डाइरेक्टर की नियुक्ति के लिये लोक सेवा आयोग के यहां से दो बार कार्यक्रम निश्चित किये गये लेकिन उसमें कोई उपयुक्त कैन्डीडेट नहीं मिला ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, यह शोध संस्थान हमारे जनपद में है, यह महत्वपूर्ण है, तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब से इस शोध संस्थान के निदेशक, एच0 एन0 सिंह हुए हैं।

तब से वहां पर काम कर रहे वैज्ञानिकों और डा0 एच0 एन0 सिंह के बीच में इतना विवाद चल रहा है कि वहां का सारा कामकाज ही ठप हो गया है, जिसके बारे में वहां के वैज्ञानिकों ने और मैंने भी 20 बार बताया होगा, तो उन डायरेक्टर या निदेशक को हटाने के लिए और उनका स्थान भरने के लिए अपने अबतक क्या कार्यवाही की है, जिससे वहां का गतिरोध दूर हो सके और इस संस्थान द्वारा अच्छे-अच्छे परिणाम सामने आ सकें ? क्या वह आपके रिश्तेदार हैं, इसलिए नहीं हटा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

इस तरह से तो हमारे सभी रिश्तेदार हैं । यह जो भी आरोप है सर्वथा निराधार और बेबुनियाद है । मैं कहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, माननीय सदस्य वहां चलें और वहां की प्रगति स्वयं देख लें । नियुक्ति के बारे में लोक सेवा आयोग द्वारा दो बार एडवर्टाईजमेंट हो चुका है, लेकिन वहां पर इसके लिए कोई उपयुक्त कैन्डिडेट नहीं मिला ।

श्री चेतराम गंगवार--

मन्त्री जी ने बताया है कि वह इस शोध संस्थान के नतीजों से सन्तुष्ट हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गन्ना शोध संस्थान, शाहजहांपुर ने कोई और कौन ऐसी दवा इजाद की है, जिससे आज गन्ने में जो रोग लगता है, उसमें लाभ हुआ हो और उससे कितने एकड़ को उन्होंने लाभान्वित किया है और कितने किस्म को गन्ना उन्होंने किसानों को बांटा और कौन-कौन से इस संस्थान के पास उपलब्ध हैं, जिसको वह किसानों को बांटेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

वहां बहुत सारी किस्में ईजाद हुई हैं । उसका काम बीज बांटने का नहीं है, नई किस्में ईजाद करने का है और वह उसे कर रहा है ।

श्री हुकम सिंह--

जितने भी गन्ने के अनुसंधान केन्द्र हैं और खासकर के शाहजहांपुर का, आपने कम से कम 10 किस्में गिनाई हैं, तो क्या कोई भी किस्म वहां की अबतक ऐसी ईजाद हुई है, जो किसानों तक पहुंची है ? और कौन किसान उसको कहां बो रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

यह तो लिस्ट दी गई है, 11, 12 किस्मों की, जो किसानों तक पहुंची है । जैसे 767, 802, 7918 और बी0 उ0-91 हैं ।

श्री धम्मन सिंह गहलौत--

उत्तर प्रदेश का जितना शोध कार्य है, वह सब एक विचारधारा में जकड़ा हुआ है । जो गन्ने अधिक प्रतिशत चीनी नहीं देते हैं, उनकी प्रति एकड़ उपज अधिक होते हुए भी विभाग उनको अस्वीकृत कर देता है । किसानों तक पहुंचने से पहले कह देता है कि उनमें रोग लगा है, यह खराब है । इसलिए बहुत सी किस्में

किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो क्या कभी उन्होंने पंजाब की उस किस्म का नाम सुना है सी0 ओ0-64 जो एक विशेष किस्म है, जिसकी बहुत अच्छी उपज हो रही है, उसकी चीनी भी अच्छी है ? क्या उस विशेष किस्म को मंत्री जी उत्तर प्रदेश में विकसित करने और किसानों तक पहुंचाने का गम्भीर प्रयत्न करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

इस सम्बन्ध में हमारे यहां के विशेषज्ञ और अधिकारी पंजाब गये थे, लेकिन उसे उन्होंने अपने प्रदेश की स्थिति में उपयुक्त नहीं पाया।

श्री धम्मन सिंह गहलौत--

मैं मंत्री जी को चुनौती देता हूं। मेरी इस बारे में इसके अखिल भारतीय विशेषज्ञ, डाक्टर किशन सिंह से व्यक्तिगत बातचीत हुई है, वह उसके प्रशंसक हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपको मैं इसके लिए आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठिये।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि कोई भी गन्ने की नई किस्म किसानों तक नहीं पहुंचाई है। लेकिन माननीय हुकम सिंह के उत्तर में बताया है कि गन्ने की नई किस्म किसानों तक पहुंचाई गयी है। मान्यवर, वहां के जो डायरेक्टर हैं, श्री एच0 एन0 सिंह उनके वहां पर रहने से तमाम शोध संस्थान का वातावरण दूषित है, कई वैज्ञानिकों को जो बहुत काबिल थे, उनको प्रताड़ना दी गयी और उनको निकाल दिया गया और जो नाकाबिल लोग होते हैं, उनको वह रखने की कोशिश करते हैं। मान्यवर, शोध संस्थान के सम्बन्ध में जो भी उनके कार्य-कलाप हैं, डायरेक्टर साहब के, यदि जांच में यह बात आती है, तो उनको तुरन्त हटा कर प्रदेश का कोई काबिल व्यक्ति नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, माननीय सदस्य को भ्रम हुआ है। यू0 पी0 (1) और (3) के लिए मैंने कहा है, बाकी पहुंचे हैं। दूसरे जो आरोप के बारे में आप देंगे, उसमें हम फुल जांच करायेंगे। मान्यवर, मैंने आपसे पुनः अर्ज किया कि हमारे यहां डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग में दो बार एडवर्टाइज हुआ, आवेदन-पत्र मांगे गये थे, लेकिन लोक सेवा आयोग के समक्ष कोई भी उपयुक्त कैंडीडेट नहीं आया।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर चूंकि लोक सेवा आयोग एक उपयुक्त को चुन नहीं सका, तो एक अनुपयुक्त व्यक्ति को बैठाये रहने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, यह तो इनका व्यक्तिगत विचार है। विभाग के दृष्टिकोण से वह उपयुक्त आदमी हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, गन्ने की किस्म जो लुधियाना यूनिवर्सिटी ने पी0 ओ0 वे0 64 निकाली है, उसमें गन्ने का औसत 11 परसेंट मिलों को मिला है और वह गन्ना रोग प्रतिरोधी और अधिक उत्पादन देने वाली है । तो क्या उसे यहां लाकर जांच करके किसानों को देने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, हमारे उच्च अधिकारी, वैज्ञानिक गये थे, उस पर अभी विचार हो रहा है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, जो लोक सेवा आयोग को आपने उपयुक्त कंडीडेट के चुनाव के लिए भेजा और उन्होंने किसी को उपयुक्त नहीं पाया , तो जो आपके डायरेक्टर, जिनको आपने उपयुक्त पाया है, क्या वह लोक सेवा आयोग में गये थे कि नहीं गये थे ? यदि नहीं गये थे, तो आप ही अपने आप उनको उपयुक्त समझे हुए हैं, यदि लोक सेवा आयोग ने उपयुक्त नहीं पाया, तो उनको रखने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, ये डायरेक्टर लोक सेवा आयोग में गये नहीं थे, जहां तक मुझे जानकारी है, पिछले कई वर्षों से सेवारत हैं ।

श्री अध्यक्ष--

सदन की भावनाओं को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले को पुनः खासतौर से देख लें । यह स्थगित नहीं किया गया, इसे पुनः देख लें ,

*16--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[16वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सरकारी सेवा में पेन्शन की शर्तें

*17--श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि पेन्शन की शर्तें निर्धारण में कुल सेवा-काल उस समय के सरकारी सेवा में नियुक्ति एवं सेवा निवृत्ति की अधिकतम आयु क्रमशः 25 वर्ष एवं 58 वर्ष के अन्तर को आधार मान कर किया गया था ? यदि हां, तो क्या वर्तमान समय में इसी आधार पर सेवा अन्तराल 30 वर्ष पर पेन्शन का पूरा लाभ सेवा निवृत्ति के समय देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

जनपद कानपुर देहात में स्वामी विरक्तानन्द के विरुद्ध अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही

*18—श्री हरीकिशन श्रीवास्तव (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात, ग्राम शोभन की ग्राम सभा की भूमि पर सूर्यभान उर्फ विरक्तानन्द एवं विनोद कुमार शर्मा द्वारा बनाए गये अवैध निर्माण को हटाने के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

स्वामी विरक्तानन्द के विरुद्ध धारा 122 बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली का वाद तहसीलदार, अकबरपुर के न्यायालय में विचाराधीन है ।

*19—श्री सूबेदार सिंह—

[6ठे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राजकीय गन्ना संघ व गन्ना समिति के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

*20—श्री केदारनाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना समिति एवं चीनी मिल, सिसवा बाजार, गोरखपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई आमरण अनशन की नोटिस जिला अधिकारी, गोरखपुर को दि0 20-9-82 को गन्ना किसान संघर्ष समिति, सिसवा बाजार, गोरखपुर द्वारा दी गई है जिसकी प्रतिलिपि रजिस्टर्ड डाक द्वारा दि0 21-9-82 को गन्ना आयुक्त एवं सचिव, गन्ना विभाग व मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 शासन को प्रेषित की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां । इस सम्बन्ध में विभागीय जांच की गई और जांच में अनियमित कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी राजकीय गन्ना संघ व गन्ना समिति के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । मुख्य शिकायत गन्ना मूल्य के अनियमित भुगतान की थी । सिसवा बाजार सहकारी गन्ना विकास समिति से सम्बद्ध कुछ कृषकों ने अन्य मिलों को जो गन्ना आपूर्ति किया था, उन मिलों से प्राप्त धनराशि का भुगतान उन कृषकों को न करके समिति द्वारा सिसवा बाजार चीनी मिल को आपूर्ति किये गये गन्ने के लिये कर दिया गया था । यह व्यवस्था कर दी गई है कि जैसे-जैसे सिसवा बाजार चीनी मिल से गन्ना मूल्य प्राप्त हो उसका आंशिक उपयोग उन किसानों के बकाया मूल्य के भुगतान हेतु किया जाय ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के गल्ला व्यापारियों की मांगें

**1—श्री हरिवंश सहाय (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के गल्ला व्यापारी इस समय हड़ताल पर हैं जिससे खाद्यान्न का भाव ऊंचा होता जा रहा है ? यदि

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1, श्री नन्द किशोर सिंह की रुचि पर लिया गया ।

हां, तो उनकी मांगे क्या हैं और शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

1--जी नहीं । इस समय प्रदेश के गल्ला व्यापारी हड़ताल पर नहीं हैं । लखनऊ जनपद की कुछ मण्डियों के गल्ला व्यापारियों ने अपनी हड़ताल दिनांक 12 फरवरी, 1983 को बिना शर्त समाप्त कर दी । अतः इस हड़ताल के कारण खाद्यान्न का भाव ऊंचा होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

2--लखनऊ जनपद के व्यापारियों की निम्नलिखित मांगें थीं--

(1) सचल दस्ते से निरीक्षण का कार्य बन्द किया जाना ।

(2) श्री तुलाराम आर्य, उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी के विरुद्ध गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराना ।

क्रम संख्या (1) की मांग पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है । क्रम संख्या (2) की मांग पर क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक से आख्या प्राप्त की जा रही है ।

(श्री हरिवंश सहाय का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, इसमें मेरी रुचि है ।

(आज्ञा मिलने पर)

आपकी आज्ञा से मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जांच दल है क्या उस जांच दल में एक सब-इन्सपेक्टर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, मैं प्रश्न समझ नहीं पाया । प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य उपस्थित भी नहीं हैं । व्यापारी और माननीय सदस्य दोनों सन्तुष्ट लगते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं जानना चाहता हूं कि जो खाद्य निरीक्षक आर्य हैं, उनके खिलाफ आख्या मांगी गई है । मैं स्मरण दिलाता हूं कि जिस समय व्यापारियों ने तुलाराम आर्य के खिलाफ शिकायत की थी तो उसमें यह भी था कि आर० एफ० सी० का इसमें इन्वाल्वमेंट है । उनका कहना था कि आर० एफ० सी० के दफ्तर में दुर्व्यवहार किया गया है, उनकी शिकायत यह भी है कि वहां पैसा मांगा जाता है और आर० एफ० सी० उसमें हिस्सा लेते हैं तथा वह पैसा ऊपर तक आता है । तो श्री आर्य के बारे में जांच आर० एफ० सी० से कराने का क्या कारण है ? सी० आई० डी० से जांच न कराने का क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, व्यापारी हमसे अगर यह आग्रह करेंगे कि आपका जांच करने का अधिकार नहीं है तो जो संविधान है और जो नियम हैं । यहां विधान सभा ने जो अधिनियम पारित किया है उन नियमों के तहत चेक किया जाता है । अगर वह चेक नहीं करने देना चाहते हैं तो हम कोई जांच नहीं करेंगे ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी ने अभी यह घोषणा की कि विधान सभा में जो नियम और विधान बनाये हैं उनका पालन कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मैं इसके लिए खाद्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। उनकी शिकायत थी कि सचल दस्ता जांच न करे। सचल दस्ते ने जांच की और व्यापारियों का चालान किया। व्यापारी चाहते थे कि हम अनियमितता करें, भाव बढ़ाते रहें, जनता को लूटते रहें। माननीय मंत्री जी अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं मैं एक दूसरे कर्तव्य की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस कांग्रेस पार्टी ने 1959 में यह प्रस्ताव पास किया था कि गल्ले के थोक व्यापार का हम राष्ट्रीयकरण करेंगे। तो, क्या हमारे समाजवादी विचार के खाद्य मंत्री जी अपने कार्यकाल में उस प्रस्ताव पर अमल करने का प्रयास करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, समाजवादी विचार और उन विचारों वाले शासन के सदस्य, यह दोनों बातें अलग हैं। अब सवाल यह है कि हम और माननीय भीखालाल जी प्रचार करें कि चीनी एक रुपया सेर बिकनी चाहिए, लेकिन जब तक चीनी एक रुपया सेर नहीं बिकेगी, हम चीनी नहीं खायेंगे, तो इस बात को मैं बुद्धिमता नहीं समझता हूं। लेकिन इस निश्चय पर मैं जरूर पहुंच गया हूं कि बिना समाजवादी व्यवस्था को लाये हुये देश की समस्याओं का समाधान असम्भव है। लेकिन जैसा सिद्धान्त को मूर्त रूप देने का इशारा है, (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, उसके लिए भी लोकतंत्र में और समाजवाद की व्यवस्था में निरन्तर प्रचार किया जाता है। लेकिन अगर मेरी नीति को भारत सरकार और यह शासन मान ले, तो मैं गल्ले के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दूंगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, जो मूल प्रश्न की मंशा दर्शाती है, उसके अनुसार माननीय मंत्री जी ने कहा कि 12-2-83 तक लखनऊ के कुछ गल्ला व्यापारियों ने यह हड़ताल की। क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की जानकारी कराई है कि जिस समय यह हड़ताल हो रही थी, उस समय गल्ले के दाम ऊंचे हो गये थे, गल्ला ऊंचे दामों में बिक रहा था ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि हड़ताल के समय खुले बाजार में दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के रेट क्या थे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, सचल दस्ते के जरिये से हमने हर जगह लखनऊ शहर में गल्ला बिकवाया और जैसा मैंने कल भी बताया था कि उस माध्यम से 19 लाख का सामान बांटा, वह अलग प्रश्न है। लेकिन यह जो प्रश्न है वह व्यापारियों का प्रश्न है। राजेन्द्र गुप्त जी की भावना को मैं समझता हूं, व्यापारियों के साथ की, उनका आशय मैं जानता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी का आग्रह है, दक्षिण का आग्रह बताया तो इसमें एक रास्ता है और वह कांग्रेस का रास्ता है जो दोनों छोरों को मिलाता है।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, यह प्रश्न प्रदेश व्यापी समस्या को लेकर पूछा गया है। चाहे हड़ताल लखनऊ शहर में रही, लेकिन यह पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है। यह बात सही है कि आज हमारे प्रदेश में गल्ला बहुत मंहगा हो रहा है, गेहूं के दाम आज ढाई सौ तीन सौ रुपए क्विंटल तक पहुंच गये हैं और यह हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति में बिक रहा है, जबकि बहुत से लोग भुखमरी के कगार पर हैं और इसके दाम आगे बढ़ने की भी संभावना है। आज व्यापारियों के हाथ में गल्ला आने के बाद महंगा हो जाता है, जब किसान देता है तो बेचारे को सस्ते में देना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, इसी वजह से किसान में आज रोश है, क्षोभ है। आगामी फसल की जहां तक मेरी जानकारी है मान्यवर, किसानों ने इस स्थिति को देखते हुए तय किया है कि वे इस वर्ष गल्ला-गेहूं सरकार को नहीं देंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस विकट स्थिति से निपटने के लिए और गल्ले को सस्ता रखने के लिए, गेहूं के दाम क्या तय करने जा रहे हैं, कितना बढ़ाने जा रहे हैं, ताकि किसानों को उससे प्रोत्साहन मिल सके ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, उनके उस भाव से मुझको झगड़ा नहीं है। मूल्य निर्धारित करने का विषय केन्द्र सरकार का है। मैं इस मत का हूं कि खेतिहर चीजों का दाम लागत खर्च का सवाया और कारखाने द्वारा बनायी गयी चीज का दाम लागत का ड्योढ़ा से अधिक नहीं होना चाहिये। यह मेरा विचार है और इसके लिये मैं पहल कर सकता हूं, लेकिन निश्चय तो केन्द्र को ही करना है। हम यह आग्रह केन्द्र से करेंगे कि किसान को उसकी उपज का दाम जीवन को पुसाने लायक दिया जाये।

श्री अकबाल हुसैन--

यह देखते हुये कि पिछले दो माह में खाद्यान्न के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं, लखनऊ में तो आप सचल दस्ते द्वारा आटा बटवा रहे हैं, पर पूरे प्रदेश के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं, मंत्री जी ?

श्री वासुदेव सिंह--

इसके लिये हम केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा गेहू लाने का प्रयास कर रहे हैं और जब ज्यादा गेहूं आयेगा तो भाव घटेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

किसान का गेहूं 140 रुपये में खरीद लिया जाता है और वही गेहूं व्यापारी आज 250 और 300 के भाव से बेच रहे हैं, तो इसकी कोई ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे जिससे किसान को सही रेट मिल सके ?

श्री वासुदेव सिंह--

इसका उत्तर अभी मैंने दिया कि मेरा विचार यह है कि कारखाने में बनी हुई चीज का दाम लागत खर्च के ड्योढ़े से अधिक नहीं होना चाहिये और खेतिहर उपज का दाम लागत खर्च के 25 प्रतिशत से ज्यादा होना चाहिये दोनों के मूल्यों में सामन्जस्य होना चाहिये। जो सुझाव दिया जा रहा है यह बहुमूल्य है, मैं उससे सहमत हूं, पर यह विषय ऐसा है कि उस पर कोई वक्तव्य या चर्चा की मांग करनी चाहिये यह प्रश्न का विषय नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मुझे दुख है कि समाजवादी विचारधारा के माननीय खाद्य मंत्री जी ऐसी जगह फंस गये हैं जहां पर वे अपने विचारधारा के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय खाद्य मंत्री जी कोई विस्तृत और कंविंसिंग काम कार्यक्रम इसके लिये बना कर मंत्रि मंडल और केन्द्र के सामने रखेंगे जिससे कि खाद्यान्न का सारा मामला उनके कन्ट्रोल में आ जाय और वे अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकें ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह देश का दुर्भाग्य है कि जो समाजवादी हैं वे समाजवादी दल कांग्रेस में हैं, अगर माननीय रियासत हुसैन साहब हमारे साथ होते तो यह कांग्रेस पार्टी से आर्थिक विकास और समाजवाद के लिये कटिबद्ध हैं, वह उनके विचारों को लेकर चलती हैं। (हंसी)।

श्री मोती लाल देहलवी--

जो भावना माननीय मंत्री जी ने व्यक्त की उससे हमें बड़ा हर्ष हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समाजवादी विचार के लिए, जिस भावना के लिए जो वक्तव्य दिया है, मंत्री जी जेल काटते रहे और इसी कांग्रेस के बनाये हुए कानूनों को तोड़ते रहे, तो क्या अपनी इस भावना के अनुरूप केन्द्र सरकार को कभी उन्होंने संस्तुति भेजी है कि किसानों को दाम इस समाजवादी विचारधारा के अनुरूप मिलना चाहिए ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह प्रश्न कांग्रेस दल का है और कांग्रेस दल में इस बात को जो मोती लाल जी कह रहे हैं, उठाया जा सकता है और उठाता भी है। वैसे भी बात-चीत में करता हूं सम्बद्ध व्यक्तियों से मोती लाल देहलवी जी को क्या बता सकता हूं कि सिद्धान्त और आकार, दोनों का समन्वय होना चाहिए। सिद्धान्त विहीन आकार और आकार विहीन सिद्धान्त निष्प्रभावी होते हैं।

(हंसी)

श्री सुरेन्द्र कपिल--

बड़े-बड़े व्यापारी गेहूं को कुछ पैसा देकर किसानों को, उनके घरों में रकवा देते हैं। व्यापारी लोग लालच देते हैं। तो क्या मंत्री जी कोई ऐसी नीति पर विचार करेंगे कि काश्तकारों को किराये पर स्टोरेज सरकार की तरफ से दे दिये जायें और उसका 80 प्रतिशत उन को मिल जाय और जब मंहगाई का समय आवे तो वे अपना अन्न मार्केट में बेच सकें ?

श्री वासुदेव सिंह--

जो व्यापारियों ने किसानों को दे दिया है, मैं किसानों से अपील करूंगा कि माल हमको दे दें उनको अग्रिम दिया गया रुपया नहीं देना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मंत्री जी ने यह बात ठीक कही कि फाइनल कीमतें, प्राइज़ केन्द्र सरकार तय करती है लेकिन क्या आप की सरकार ने इस साल गेहूं का रेट रिकमेन्ड किया है ? हर प्रदेश की सरकार रिकमेन्ड करती है। तो आप की सरकार ने क्या रिकमेन्ड किया है ? क्या हमारे समाजवादी विचार धारा के मंत्री जी अपनी बात को रखते हुए केन्द्र सरकार अगर उतना दाम नहीं देती तो उस कीमत को प्रदेश के किसानों को देना स्वीकार करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

नेता विरोधी दल ने कहा है, वे स्वयं सोचें और चिन्तन करें। इन्होंने प्रश्न के लिए प्रश्न कर दिया इसका उत्तर ये नहीं चाहते।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, ये भ्रष्टाचार तो खतम नहीं कर सकते। क्योंकि इनकी खुद बड़े थैलीशाहों से दुरभिसंधि हो गयी है। उस की वजह से अगर साहस है तो मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर दे दें कि यहां के आर० एफ० सी० और श्री आर्या, इस दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाते हुए, हड़ताल का मामला हुआ, और आपने यहीं इसी सदन में कहा था कि अगर हड़ताल वापस हो तो मैं जांच मेजिस्ट्रेट से कराने के लिए तैयार हूं आपने मैजिस्ट्रेट से जांच कराना तो दूर सी० आई० डी० की भी जांच नहीं करायी। जिस आर० एफ० सी० का नाम इन्वाल्व था, उसी से जांच कराने का क्या कारण है ? मैजिस्ट्रेट से न सही, सी० आई० डी० से जांच न कराने का क्या कारण था ?

श्री वासुदेव सिंह--

जो बात मैंने यहां कही थी उसके उपरान्त बिना शर्त के व्यापारियों ने हड़ताल वापस ले ली। व्यापारी और राजनीतिज्ञ का गठजोड़ न हो तो मामला बहुत जल्दी सुलझ सकता है। मैं यह मानता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

60 हजार रुपये इन्होंने घूंस लिया है। यह आर० एफ० सी० के खिलाफ क्यों नहीं इन्क्वायरी कराते...।

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह--

यह सवाल उठाया जाता है, जो शिकायत की गयी वह यह है कि व्यापारियों को बुलाकर 40 हजार रुपये मांगे गये, यह सम्भव है। लेते होंगे, मैं नहीं जानता। जो शिकायत है वह बेबुनियाद है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जांच क्यों नहीं कराते । 60 हजार रुपये ले लिया । जांच कैसे करायेंगे ।

(व्यवधान)

अतारांकित प्रश्न

जिला फर्रुखाबाद में गंगा नदी द्वारा छोड़ी गयी भूमि की कथित पैमाइश

1—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों के प्रार्थना पत्र पर ग्राम तौफीक की मडैय्या, परगना अमृतपुर, तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद में गंगा नदी द्वारा छोड़ी गयी भूमि की 1982 में पैमाइश की गयी ? यदि हां, तो कब और पैमाइश के उपरान्त कब उन कृषकों को कब्जा दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति विशेष के नाम दर्ज नहीं है । यह ग्राम समाज में निहित है । अतः उक्त भूमि की 1982 में पैमाइश नहीं की गई ।

2—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

परियोजनाओं हेतु सामूहिक कटौती द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी कानून

3—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के 1ले शुक्रवार के ता0 प्र0 सं0 10 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परियोजनाओं के लिए सामूहिक कटौती द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कानून कब तक बना दिया जायेगा ? इस सम्बन्ध में अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की है ।

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत मामले में एक विधेयक राष्ट्रपति महोदय के अनुदेश प्राप्त करने के लिये भारत सरकार को भेजा गया था । भारत सरकार ने विधेयक के सम्बन्ध में कतिपय जिज्ञासाएं उठायी हैं । शासन द्वारा भारत सरकार द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है जिसमें अभी कुछ समय लगने की सम्भावना है ।

नोटः—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

गन्ना बीज एवं विकास निगम, देवरिया के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

4—डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा उ० प्र० (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि०, देवरिया के प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध जो शिकायत जुलाई, 1982 में की गयी थी, उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रश्नकर्ता का, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम, देवरिया के विरुद्ध माह जुलाई, 1982 में नहीं अपितु माह दिसम्बर, 1982 में शिकायती-पत्र, प्राप्त हुआ है तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध माह जुलाई, 1982 में दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए । इन तीनों शिकायती-पत्रों पर जांच कराई जा रही है ।

गन्ना संघ, गोरखपुर के वसूली योजना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से कटी उचन्त खाते की धनराशि का भुगतान

5—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में गन्ना संघ के वसूली योजना में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 1976-77 एवं 1977-78 में उनके वेतन से कटी उचन्त खाते की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे सम्बन्धित कर्मचारियों को तुरन्त भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रश्नगत वर्ष में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से कटी उचन्त खाते की धनराशि का भुगतान उन्हें अभी तक नहीं किया गया है । यह भुगतान कोषागार द्वारा सत्यापन करने के उपरान्त निकट भविष्य में कर दिया जायेगा ।

प्रदेश में फिल्म बैंक की स्थापना किये जाने की मांग

6—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में फिल्म बैंक की स्थापना किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसकी स्थापना हो जायगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाढ़ और सीपेज के कारण जनपद सीतापुर के गांवों में बीमारी का प्रकोप तथा अहेतुक सहायता

7—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त से अक्तूबर, 1982 तक बाढ़ और सीपेज के कारण जनपद सीतापुर में कितने गांवों में बीमारी फैली है और कितने लोग उन बीमारियों में मौत के शिकार हुए ? जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनके परिवार को सरकार ने क्या मदद की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद सीतापुर में माह अगस्त से अक्तूबर, 1982 तक बाढ़ की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण ग्राम बेलवा बसहिया, तहसील बिसवां में कालरा फैल गया था, जिससे 8 बच्चे तथा 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी । इस कालरा से 150 लोग और भी प्रभावित हुए थे । नाबालिग मृतकों के परिवारों के संरक्षकों को मु0 500 रुपया तथा बालिग मृतकों के परिवारों को मु0 1,000 रुपये अर्थात् कुल 13,000 रुपये की सहायता मुख्य मन्त्री सहायता कोष से नकद रूप में वितरित की गयी थी तथा बीमारी से 150 प्रभावित व्यक्तियों को 20 रुपये की दर से कुल 3,000 रुपये अहेतुक सहायता की मद से नकद दिया जा चुका है । जनपद में सीपेज के कारण कोई बीमारी नहीं फैली थी ।

महोली चीनी मिल, सीतापुर की बन्दी तथा कृषकों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान

8—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महोली मिल (शुगर), सीतापुर सन् 1981-82 में दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में चली जिसके कारण किसानों का गन्ना खड़ा रह गया और मिल को करोड़ों रुपए का घाटा उठाना पड़ा ? क्या सरकार नवम्बर, 1982 तक महोली मिल को चलाने की कृपा करेगी और किसानों के बकाए गन्ने के दाम को मिल चलाने से पहले दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी नहीं ।

महोली चीनी मिल 1981-82 में दिनांक 30-11-81 को चली तथा 10-8-82 को बन्द हुई । फैक्ट्री ने 28·22 लाख क्विंटल गन्ने का सट्टा किया था जिसमें 26·53 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई मिल द्वारा की गई तथा 1·69 लाख क्विंटल गन्ना समीपवर्ती चीनी मिल, हरगांव, गोला एवं बिसवां को व्यवर्तित किया गया । इस प्रकार फैक्ट्री क्षेत्र में समस्त बान्डेड गन्ने की पेराई सुनिश्चित कर ली गई थी । फैक्ट्री में घाटे का कारण देर से चलना नहीं है बल्कि चीनी के बाजार भाव में गिरावट तथा गन्ना बाहुल्य सत्र होने के कारण गन्ने की पेराई विलम्ब तक किया जाना है । पेराई सत्र 1982-83 में मिल ने

10 दिसम्बर, 1982 से गन्ना पेराई आरम्भ कर दी है। दिनांक 31-1-83 तक की स्थिति के अनुसार 1981-82 का अवशेष गन्ना मूल्य 142·32 लाख रुपये अवशेष है जिसके भुगतान हेतु पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

गन्ना मूल्य भुगतान हेतु हर सम्भव सुविधा भारत सरकार की सहायता से दी जा चुकी है। बैंकों का मार्जिन 25 प्रतिशत से घटाकर 17·5 प्रतिशत किया गया तथा बफर स्टाक बनाकर भी मार्जिन की कुछ धनराशि मिलों को उपलब्ध कराई गई। खुले बाजार में चीनी के भाव निरन्तर कम रहने के कारण मिलों के कैशक्रेडिट लेखे में डेफिसिट हो गयी है और अब अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान तभी सम्भव प्रतीत होता है जब जिन मिलों पर बकाया है उनको बाहर से वित्तीय सहायता दी जाय। प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधन बहुत सीमित हैं। भारत सरकार से प्रदेश सरकार को ऋण देने का अनुरोध किया गया है।

श्री रमेश चन्द्र यादव, एडवोकेट के प्रार्थना पत्र पर विचार

9—श्री राम स्वरूप वर्मा—

तो० प्र० सं०-1 नत्थी (ग), दिनांक 20-8-82 के सम्बन्ध में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, श्री भाटी द्वारा श्री रमेश चन्द्र यादव के प्रार्थना पत्र पर सरकार ने विचार करके किस तिथि को अस्वीकार किया और इसकी सूचना जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को किस तिथि को भेजी गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री रमेश चन्द्र यादव के प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-11-77 को शासन ने दिनांक 1-3-78 को अस्वीकार किया तथा इसकी सूचना जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को दिनांक 9-3-78 को भेजी गई।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तसील देवारा गांवों के पंचशालें में अशुद्धियों को ठीक कराये जाने के संबंध में पत्र

10—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील देवारा गांवों के पंचशालें में अशुद्धियों को ठीक कराए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-9-80 परगनाधिकारी, सगड़ी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील देवारा के अशुद्धियों को ठीक कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-9-80 परगनाधिकारी, सगड़ी को प्राप्त हुआ था। देवारा के गांवों में अशुद्धियों के निराकरण हेतु रिकार्ड आपरेशन की कार्यवाही करने हेतु अधिसूचना जारी की गई तथा इन गांवों के समस्त अभिलेख सहायक अभिलेख अधिकारी, बलिया को समुचित कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित भी किये जा चुके हैं।

घोसी तहसील में सिकरी खोर माइनर के निर्माण में अधिग्रहीत भूमि वापस करने के संबंध में कथित पत्र

11—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के घोसी तहसील में सिकरी खोर माइनर के निर्माण के लिए किसानों की बिना आवश्यकता के ली गई भूमि वापस करने से सम्बन्धित श्री अमरेश पान्डेय का पत्र प्रश्न कर्ता के पत्र दिनांक 20-5-82 के साथ शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

चकबन्दी अधिकारी द्वारा पत्रावलियां गायब किए जाने की जांच

12—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामदेव, ग्राम ढोलीपुर तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का प्रार्थना पत्र दिनांक 13 जुलाई, 1981 जो चकबन्दी अधिकारी द्वारा पत्रावली संख्या 2008 एवं 2009 गायब किये जाने से सम्बन्धित है, प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 25-10-81 के साथ चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्रावलियों की खोज की जा रही है । जांच तथा दायित्व निर्धारण की कार्यवाही हो रही है । जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जिला फर्रुखाबाद के ग्राम सोता बहादुरपुर की रेती पर अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में पत्र

13—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद की तहसील सदर के ग्राम सोता बहादुरपुर की रेती पर अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1206/का/81, दिनांक 11-12-81 परगनाधिकारी सदर, फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम चैनपुर, परगना इकौना, जिला बहराइच में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं की जांच

14--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चैनपुर, परगना इकौना जिला बहराइच में 1981-82 में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में तत्कालीन ए0 सी0 ओ0 के विरुद्ध 20 अप्रैल, 1982 को दिए गए शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम चैनपुर, परगना इकौना, जिला बहराइच के संबन्ध में शिकायती पत्र दिनांक 20-4-82 प्राप्त हुआ। शिकायत की जांच संयुक्त संचालक चकबन्दी द्वारा की गई। प्रथम दृष्टया इस जांच में यह पाया गया कि समझौते के स्तर पर ए0 सी0 ओ0 द्वारा अनियमिततायें की गई प्रतीत हुईं। उप संचालक चकबन्दी, बहराइच द्वारा हर समझौते के आधार पर तय किये मामले का परीक्षण किया जा रहा है और अनियमितताओं के लिए दायित्व का निर्धारण किया जा रहा है तत्पश्चात् दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बाढ़ एवं वर्षा से जनपद बाराबंकी की तहसील नवाबगंज, हैदरगढ़, रामसनेही घाट तथा फतेहपुर में हानि तथा दी गयी अहेतुक सहायता

15--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद की चारों तहसील नवाबगंज, हैदरगढ़, रामसनेही घाट, फतेहपुर में इस वर्ष की बाढ़ और वर्षा से तहसील वार कितनी हानि हुई ? राजकीय अनुदान एवं सहायता वितरण में प्रत्येक व्यक्ति को किस मानक के आधार पर गल्ला और नकद पैसा दिया गया ? मकान बनाने तथा फौरी सहायता की राशि क्या थी ? क्या यह सत्य है कि तहसील रामसनेही घाट और फतेहपुर में सहायता वितरण में तहसील अधिकारियों ने काफी घपला किया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1982 की बाढ़ एवं वर्षा से जनपद बाराबंकी की तहसील नवाबगंज, हैदरगढ़, रामसनेही घाट तथा फतेहपुर में क्रमशः रु0 2,53,97,000 3,19,72,500, 5,29,08,000 तथा 3,18,33,692 रु0 की अनुमानित हानि हुई। आवश्यकतानुसार उपर्युक्त तहसीलों में बाढ़ पीड़ितों को राजकीय अनुदान/सहायता के रूप में खाद्यान्न तथा नकद धनराशि का प्रति व्यक्ति वितरण तहसीलवार निम्न प्रकार किया गया :

नाम तहसील	वितरण का मापदन्ड
नवाबजंज	15 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार।
हैदरगढ़	10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार।

नाम तहसील	वितरण का मापदन्ड
रामसनेही घाट	15 किलोग्राम खाद्यान एक किलो नमक तथा 1 से 2 लीटर मिट्टी का तेल प्रति परिवार ।
	ग्राम परसावल के ऐसे मकानों के स्वामियों को जिनके मकान घाघरा नदी की भीषण बाढ़ से कट गये थे, तत्काल सहायता के रूप में 11,000 रु0 गृह निर्माण अनुदान तथा 11,900 रु0 अहेतुक सहायता वितरित किया गया ।
फतेहपुर	15 किलोग्राम खाद्यान्न तथा एक लीटर मिट्टी का तेल प्रति परिवार परन्तु ऐसे ग्रामों में जहां पहले ओलावृष्टि हुई थी और फिर वहां ग्राम बाढ़ एवं वर्षा से प्रभावित हुए वहां 30 किलोग्राम खाद्यान्न तथा 2 लीटर मिट्टी का तेल प्रति परिवार की दर से वितरित किया गया ।

रमाला चीनी मिल तथा बागपत चीनी मिल पर कृषकों के गन्ने के बकाया का भुगतान

16--श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी क्षेत्र में लगी चीनी मिल्स रमाला तथा बागपत जनपद मेरठ ने किसानों के गल्ले का वर्ष 1981-82 का लाखों रुपया अब तक भुगतान नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त भुगतान कराने की व्यवस्था की है और कब उक्त भुगतान किसानों को कर दिया जायेगा ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

दिनांक 30-10-82 को पेराई सत्र 1981-82 का रमाला चीनी मिल पर 45 लाख रु0 तथा बागपत चीनी मिल पर 103·43 लाख रु0 किसानों के गन्ने का बकाया था । दिनांक 31-1-83 तक की स्थिति के अनुसार रमाला मिल ने 44·09 लाख रु0 तथा बागपत मिल ने 66.03 लाख रु0 का भुगतान किया । अब उक्त मिलों पर क्रमशः केवल 0.91 लाख रु0 तथा 42.40 लाख रु0 भुगतान हेतु अवशेष हैं जिसके भुगतान के लिए प्रयास जारी है ।

17--श्री रियासत हुसैन--

[9वें मंगलवार में अतारांकित प्र0 सं0 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आगरा के मौजा मऊ में श्री लज्जाराम की भूमि पर स्थापित महात्मा गांधी तथा डा0 अम्बेदकर की मूर्तियों के खण्डित किये जाने के सम्बन्ध में उनके पुत्र बनवारी लाल व मोती लाल का चालान

18—श्री विजय सिंह राना—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमि नं0 1100 क्षेत्रफल 1 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा मऊ तहसील आगरा, जिला आगरा, जिस पर धारा 145 के अधीन मुकदमा संख्या 25 सन् 1980 लज्जाराम बनाम सोहनलाल न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट, आगरा में दायर किया गया था और दिनांक 31 मार्च, 1982 के न्यायालय के अन्तर्गत उक्त लज्जाराम साकिन 2/11, बीवानगर बुनरारा को कब्जा भी दे दिया गया था ? उस पर बापू नगर बसा दिया गया ? इस अवैध कब्जे के सम्बन्ध में लज्जाराम ने स्थानीय अधिकारियों को सूचना भी दी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्री बैज नाथ कुरील—

प्लाट नं0 1100 क्षेत्रफल 1 बीघा 7 बिस्वा मौजा मऊ मुस्तिकल आगरा सम्बन्धी मुकदमा अन्तर्गत धारा 145 में अपर नगर मजिस्ट्रेट, प्रथम, आगरा के न्यायालय के निर्णय दिनांक 31 मार्च, 1982 द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर प्रथम पक्ष श्री लज्जाराम का कब्जा पाया गया और तद्नुसार कुर्की समाप्त कर भूमि उनके कब्जे में छोड़ दी गई । दिनांक 14 अप्रैल, 1982 को अम्बेदकर जयन्ती के दिन धोबी समाज द्वारा उक्त भूमि में डा0 अम्बेदकर तथा बापू जी की मूर्तियां स्थापित करने का प्रयास किया गया परन्तु पुलिस के हस्तक्षेप से वे मूर्तियां स्थापित न कर पाये । परन्तु जुलाई, 1982 के प्रथम सप्ताह में कभी रात्रि में डा0 अम्बेदकर तथा बापू जी की मूर्तियां उक्त भूमि पर रख दी गई जिसकी कोई सूचना किसी पक्ष ने थाने पर पुलिस को नहीं दी । दिनांक 10/11 जुलाई की रात्रि में उक्त प्रतिमाओं में से बापू जी की मूर्ति गायब कर दी गई तथा डा0 अम्बेदकर की प्रतिमा खंडित कर दी गई, जिसकी रिपोर्ट अनल सदस्य युवा छात्र संघर्ष वाहिनी, आगरा ने थाने पर अंकित कराई । विवेचना के उपरांत श्री बनवारी लाल तथा श्री मोती लाल पुत्रगण श्री लज्जा राय तथा कुछ अन्य का चालान किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

भूमि प्रबन्धक समिति रामपुर हिरामन, पोस्ट देवरिया बुद्धू खां का कथित प्रार्थना-पत्र

19—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपके कार्यालय के पत्र संख्या 8075, दिनांक 21 अगस्त, 1981 के द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति, रामपुर हिरामन, पो0 देवरिया बुद्धू खां, तहसील व जिला देवरिया का जो प्रार्थना-पत्र स्कूल के लिए प्रस्तावित भूमि की मन्जूरी दिलाने हेतु राजस्व सचिव, उ0 प्र0 शासन को भेजा गया था उसकी स्वीकृति सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्न में सन्दर्भित मेरे कार्यालय के पत्र संख्या 8075, दिनांक 21 अगस्त, 1981 के द्वारा राजस्व सचिव को भेजा गया प्रार्थना-पत्र भूमि प्रबन्धक समिति, रामपुर हिरामन, पोस्ट देवरिया बुद्धू खां, तहसील व जिला देवरिया से सम्बन्धित नहीं है ।

ग्राम रामपुर हिरामन, तहसील व जिला देवरिया में विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु चकबन्दी में छोड़ी गई भूमि

20—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रामपुर हिरामन, पो0 देवरिया बुद्धू खां, तहसील व जिला देवरिया में आबादी (जनरल) व (हरिजन) नाली, चकफोड़ व अन्य प्रयोजनों हेतु अलग-अलग कुल कितनी जमीन किस-किस आराजी नम्बर पर छोड़ी गई है व बंजर की कुल कितनी जमीन है तथा ग्राम के कब्रिस्तान के लिये चकबन्दी में कोई जमीन क्यों नहीं छोड़ी गई व अब ग्राम की बचत की जमीनों में से कुल कितनी जमीन छोड़ने के आदेश दिए जा रहे हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम रामपुर हिरामन, तप्पा नगवा, परगना, शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया में विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु चकबन्दी में संलग्न विवरण सूची "क" के अनुसार भूमि सुरक्षित है ।

ग्राम में 4-53 एकड़ बंजर भूमि और 2.81 एकड़ नई परती है ।

चूंकि ग्राम में कब्रिस्तान के लिए 2.87 एकड़ भूमि उपलब्ध है इसलिए ग्राम की बचत की जमीनों में से इस प्रयोजन हेतु जमीन छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 1171 पर ।)

21—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त ।]

जनपद देवरिया में आगजनी की घटनायें तथा पात्र व्यक्तियों को सहायता

22—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 में जिला देवरिया में कहां-कहां आगजनी की घटनायें हुई व प्रत्येक जगह अलग-अलग कितना नुकसान हुआ तथा शासन द्वारा राहत के रूप में प्रत्येक जगह अलग-अलग कितनी धनराशि व अन्य सामग्रियां वितरित की गईं और वितरण का आधार क्या रहा ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1982 में जनपद देवरिया में कुल 1170 आगजनी की घटनायें हुईं तथा कुल 89,77,583 रु0 की अनुमानित क्षति हुई। अग्निकांड से प्रभावित पात्र व्यक्तियों में नियमानुसार जांचोपरान्त मु0 2,41,870 रु0 अहेतुक सहायता, मु0 96,700 रु0 गृह अनुदान तथा मु0 10,100 रु0 अनुग्रह अनुदान मृतकों के परिवारों को नकद रूप में दिया गया जिसका विस्तृत विवरण तहसीलवार व ग्रामवार पूर्व सूचना पर मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है। अग्नि पीड़ित पात्र व्यक्तियों की क्षति के अनुसार 25 रु0 से लेकर 200 रु0 तक अहेतुक सहायता, 200 रु0 गृह अनुदान एवं स्थिति के अनुसार 1,000 रु0 तक अनुग्रह धनराशि दी गई है। यह वितरण शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के आधार पर किया गया है।

श्री जद्दू शर्मा व अन्य निवासीगण ग्राम सभा व पो0 देवरिया बुद्धू खां के प्रार्थना-पत्र पर जांच

23--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जद्दू शर्मा व अन्य निवासीगण ग्राम सभा व पो0 देवरिया बुद्धू खां, तहसील व जिला देवरिया का जो पत्र आपके कार्यालय के पत्र सं0 2313, दिनांक 13 जुलाई, 1982 के द्वारा राजस्व सचिव, उ0 प्र0 को भेजा गया था उसमें से जांचो परान्त कौन-कौन शिकायतें सही पाई गईं व दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री जद्दू शर्मा व अन्य के प्रार्थना-पत्र पर जांच परगनाधिकारी द्वारा की जा रही है।

ग्राम केशवनगर ग्रन्ट, ईटईरामपुर तथा कूपनगर, जनपद गोंडा में कब्जा परिवर्तन का लक्ष्य, चकों में की गई आपत्तियों का निस्तारण

24--श्री मोहन सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद में दो गांव केशव नगर (पूर्वी) तथा पश्चिमी में कब्जा परिवर्तन का लक्ष्य चकबन्दी में प्राप्त कर लेने के एक वर्ष बाद भी वस्तुतः कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ है और अभी काश्तकारों को अपने चकों पर कब्जा नहीं मिला है ? क्या यह भी सही है कि गोंडा जनपद के सबसे बड़े गांव क्रमशः ईटाईमपुर कूपनगर ग्रान्ट इस वर्ष कब्जा परिवर्तन के लक्ष्य में रखे हुए हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम केशवनगर ग्रन्ट, परगना बूढ़ापाखर, तहसील उतरौला, जनपद गोंडा का एक ही राजस्व ग्राम है जिसके पूर्वी और पश्चिमी भाग हैं। यह ग्राम वर्ष 1980-81 के कब्जा परिवर्तन के लक्ष्य में था। प्रस्तावित चकबन्दी योजना का प्रकाशन दिनांक 25 अगस्त, 1981 को किया गया। ग्राम में कुल 3256 चकदार हैं। केशवनगर ग्रन्ट पश्चिमी भाग में 395 चक आपत्तियां प्राप्त हुई थीं जिसके परिणाम स्वरूप 88 अपीलें

दायर हुईं इन सबका निस्तारण दिनांक 29-6-82 को किया गया । पुष्टीकृत चकों का सीमांकन दिनांक 25-8-82 को किया गया था । केशवनगर ग्रन्ट पूर्वी भाग में कुल 546 चक आपत्तियां प्राप्त हुईं जिनका निस्तारण चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 25-9-82 को किया गया जिसके परिणामस्वरूप 260 अपीलें हुईं, इनमें से 105 अपीलों का निस्तारण किया जा चुका है । शेष अपीलों का निस्तारण शीघ्र कर दिया जायेगा । ग्राम में कब्जा परिवर्तन हेतु कोई तिथि नियमानुसार निर्धारित नहीं की गई है परन्तु सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा तैयार की गयी प्रस्तावित योजना पर चकों की निशानदेही के साथ-साथ चकदार अपने प्रस्तावित चकों पर काबिज होते चले गये । केवल 32 चकदार ऐसे हैं जिनके चकों में डबल प्रविष्टीकरण होने के कारण चक के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर कब्जा नहीं हो सका है । उक्त 33 चकदारों के चकों की अनियमितता का निराकरण चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 22-5-82 को किया जा चुका है ग्राम ईटईरामपुर तथा कूपनगर, तहसील उतरौला, जनपद गोंडा के बड़े ग्राम हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 1462 तथा 4289 एकड़ है । ग्राम कूपनगर ग्रन्ट इस वर्ष के कब्जा परिवर्तन के लक्ष्य में रखा गया है । ग्राम ईटईरामपुर इस वर्ष के कब्जा परिवर्तन के लक्ष्य में नहीं है ।

ग्राम नैपुरा, जनपद फैजाबाद में बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता व घाघरा नदी की कटान को रोकने हेतु उपाय

25---श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम नैपुरा व डुहिया, पोस्ट व तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद के बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत दिये जाने व घाघरा नदी की कटान को रोकने हेतु उक्त ग्रामों के किनारे (बंधा) ठोकर लगाने व नदी की कटान से प्रभावित परिवारों को ग्राम समाज की भूमि पर आवास निर्माण हेतु भूमि पट्टा आदि के सम्बन्ध में दिनांक 15-8-82 को मन्त्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त दोनों ग्रामों के प्रभावित परिवारों को राहत (सहायता) एवं आवास निर्माण हेतु भमि पट्टा दिया गया ? तथा बंधा (ठोकर) निर्माण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । माननीय प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र सिंचाई विभाग के विचाराधीन है क्योंकि नदी से कटान रोकने, बन्धा, ठोकर बनवाने आदि की कार्यवाही सिंचाई विभाग द्वारा की जाती है ।

ग्राम नैपुरा में बाढ़ से 28 परिवार प्रभावित हुए थे जिनको त्वरित सहायता के रूप में 3 कुन्तल गेहूं वितरित किया गया और नियमानुसार नदी के परिक्षेत्र से दूर पक्की सड़क के किनारे प्रत्येक प्रभावित परिवार को 150 वर्ग गज (एक बिस्वा) भूमि आवंटित करके कब्जा दिया जा चुका है ।

ग्राम डुहिया में 1982-83 में घाघरा नदी के सैलाब से कोई भी परिवार गृह विहीन नहीं हुआ था । अतः वहां आवास स्थल आवंटन की आवश्यकता नहीं थी । इस ग्राम की आबादी के उत्तर घाघरा नदी में एक ठोकर बना हुआ है ।

श्री छेदा खां, निवासी जलालपुर की सम्पत्ति को निष्क्रांत घोषित किया जाना

26—श्री जगदीश सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री छेदा खां पुत्र श्री बुद्धा खां, निवासी जलालपुर, तहसील तिलहर, जनपद शाहजहांपुर, नवम्बर, 1947 में पाकिस्तान चले गये और वहां के नागरिक बन गये ? क्या उनके नाम खानपुर खरमासी की काश्त को इवेक्यू सम्पत्ति घोषित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । श्री छेदा खां पुत्र श्री बुद्धा खां, निवासी जमालपुर, तहसील तिलहर, जनपद शाहजहांपुर वर्ष 1947 में पाकिस्तान चले गये और पाकिस्तानी घोषित किये गये । उनके नाम की खानपुर खरमासी, परगना जलालपुर, तहसील तिलहर में स्थित काश्त निष्कान्त सम्पत्ति घोषित की जा चुकी है ।

27—श्रीमती गौरी देवी—

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सहायक अभिलेख अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

28—श्रीमती गौरी देवी—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री जीत नारायण यादव पुत्र श्री फुलेल यादव, ग्राम तिघरा घेरवा, जिला देवरिया ने दिनांक 7-1-82, 30-1-82 और दिनांक 17-2-82 को जिलाधिकारी, गोरखपुर को सहायक अभिलेख अधिकारियों (ए0 आर0 ओ0), गोरखपुर के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र दिया है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री जीत नारायण यादव पुत्र श्री फुलेल यादव, ग्राम तिघरा घेरवा, जिला देवरिया ने जिलाधिकारी गोरखपुर को सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 6 जनवरी, 1982, 29 जनवरी, 1982 व 17 फरवरी, 1982 दिया है । श्री जीत नारायण यादव ने अपनी आराजी नम्बरी 330 मि0 रकबा 21 डि0 के सम्बन्ध में अपने शिकायती-पत्र दिनांक 6-1-82 में सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पारित अपने मूल न्यायिक आदेशों में जालसाजी करने, उसमें 'बैक डेट' से संशोधन व रद्दोबदल करने तथा जिलाधिकारी द्वारा अपेक्षित आख्या न भेजने की शिकायत है । यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि सहायक अभिलेख अधिकारी सम्बन्धित पत्रावली भी गायब करा सकते हैं । श्री रुद्र प्रसाद (अभिलेख कार्यालय के कानूनगो) के विरुद्ध शिकायत है कि उन्होंने अपने असर का उपयोग करके बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश का कतिपय अंश कटवा दिया । दिनांक 29-1-82 व 17-2-82 के शिकायती-पत्र में उक्त शिकायतों के अतिरिक्त, सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर द्वारा शिकायतकर्ता (श्री जीत नारायण यादव) पर अपने शिकायती-पत्र उठा लेने के लिये बेजा दबाव डलवाने तथा तरह-तरह की धमकी देने का भी उल्लेख किया गया है ।

उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा जांच के उपरान्त आरोप निराधार सिद्ध पाने पर शिकायती प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया गया।

ग्राम गायघाट मदुली पूर्व, बस्ती में चकबन्दी में की जा रही अनियमितताओं की जांच

29--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 8-10-82 जिसमें डा0 रमापति त्रिपाठी, भा0 ज0 पा0, गोरखपुर द्वारा ग्राम गायघाट मदुली पूर्व, खलीलाबाद (बस्ती) में चकबन्दी में की जा रही अनियमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां।

डा0 रमापति त्रिपाठी, भा0 ज0 पा0, गोरखपुर का पत्र दिनांक 8-10-82 उप संचालक चकबन्दी, बस्ती को चकबन्दी आयुक्त द्वारा दिनांक 7-12-82 को भेजा गया। डा0 रमापति त्रिपाठी द्वारा प्रेषित पत्र के निस्तारण में दूसरे चकबन्दी अधिकारी, श्री सम्पूर्ण सिंह, जो इस समय अन्तिम अभिलेख इकाई हरैया स्थित बस्ती में कार्यरत हैं, को लगाया गया है। चकबन्दी अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13-1-83 द्वारा स्पष्ट किया है कि ग्राम गायघाट के चकों में पाई गई सभी अनियमितताओं को दूर करते हुए चकों का निर्माण नये सिरे से चकबन्दी अधिकारी स्तर पर किया जा रहा है तथा संशोधित आकार पत्र 23 का उद्धरण सम्बन्धित चकदारों को वितरित करने की तैयारी की जा रही है। इस सम्बन्ध में जांचोपरांत दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

श्री दीनानाथ खेतान, संयुक्त महामंत्री, भारतीय चीनी उद्योग कर्मचारी संघ, छितौनी द्वारा दिये गये पत्र की जांच

30--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 8-10-1982 जिसमें दीनानाथ खेतान, संयुक्त महामन्त्री, भारतीय चीनी उद्योग कर्मचारी संघ, छितौनी, जिला देवरिया द्वारा उक्त चीनी मिल में रिसीवर द्वारा की जा रही अनियमितताओं की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

विधायक महोदय से प्राप्त तत्सम्बन्धी पत्र 6-10-1982 का है न कि 8-10-1982 का। शिकायतों की जांच हो रही है।

खलीलाबाद स्थित मोती थियेटर की पूर्वोत्तर रेलवे लाइन से दूरी

81--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नव निर्मित मोती थियेटर, खलीलाबाद, जनपद बस्ती जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी, बस्ती ने दिनांक 5

अक्तूबर, 1982 को किया, पूर्वोत्तर रेलवे लाइन, जो खलीलाबाद से गुजरती है, से कुल कितनी दूरी पर स्थित है तथा क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वह दूरी सिनेमा कानून के अन्तर्गत वैध है ? यदि नहीं, तो सिनेमा भवन का निर्माण किस आधार पर हुआ ?

श्री ब्रह्म दत्त--

(क) जनपद बस्ती के कस्बा खलीलाबाद स्थित, "मोती थियेटर" पूर्वोत्तर रेलवे लाइन से 78 मीटर की दूरी पर स्थित है ।

जी हां । उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 तथा उसके अधीन बनी उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम 7 में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है कि रेलवे लाइन के निकट सिनेमा गृह का निर्माण न किया जाय ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज के गांवों में ओला, सूखा व बाढ़ से बर्बाद हुई फसलें तथा कृषकों एवं मजदूरों को ऋणों से मुक्त करने की मांग

32--श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के तहसील डुमरियागंज के सभी गांवों के कृषकों एवं मजदूरों को जिनकी फसलें विगत कई वर्षों से ओला, सूखा एवं बाढ़ से बर्बाद हो गई हैं सरकारी व बैंक के ऋणों से मुक्त करने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं ।

जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज के सभी गांवों में जिन कृषकों एवं मजदूरों की फसलें विगत कई वर्षों से ओला, सूखा एवं बाढ़ से बर्बाद हो गई हैं, के सरकारी व बैंक के ऋणों को माफ करने का प्राविधान शासन स्तर पर नहीं है, और न ही व्यवसायिक बैंकों के ऋणों से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के कोई आदेश हैं ।

गांव सरबतखानी व गांव भैरोपुर, जिला वाराणसी के सरहद की जांच

33--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सरबत खानी व गांव भैरोपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के सरहद की जांच एवं नाप परगन कानूनगो महाराजगंज ने परगना हाकिम ज्ञानपुर, वाराणसी के आदेश से तारीख 23-10-1981 को की थी और अपनी रिपोर्ट परगना हाकिम को दे दी थी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी तथा क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम सरबतखानी व भैरोपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में स्थित सरहदी गांव हैं । ग्राम भैरोपुर की पूर्वी सरहद ग्राम सरबतखानी के उत्तरी पश्चिमी सरहद से मिलती है । ग्राम भैरोपुर चकबन्दी से बाहर है तथा ग्राम सरबतखानी चकबन्दी के अन्दर है । इन दोनों गांव की बीच की आबादी सरहद टूटी हुई है और मौके पर सरहदें मौजूद नहीं हैं । इसको अलग करने के लिए श्री शोभनाथ पुत्र देवनन्दन, निवासी भैरोपुर ने एक आवेदन पत्र जिलाधिकारी, वाराणसी को दिनांक 16-10-81 को दिया था जिसकी जांच हेतु तहसीलदार, ज्ञानपुर ने दिनांक 17-10-81 को पर्यवेक्षक कानूनगो, महराजगंज को दिया था । पर्यवेक्षक कानूनगो ने दिनाक 23-10-8 को मौके पर जांच की और अपनी आख्या परगनाधिकारी, ज्ञानपुर को प्रस्तुत की । परगनाधिकारी, ज्ञानपुर ने इसके आधार पर चकबन्दी अधिकारी, ज्ञानपुर को अपने पत्र द्वारा नक्शा दुरुस्त किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये । चकबन्दी अधिकारी, ज्ञानपुर इस सम्बन्ध में मौके की सही स्थिति जानने के लिए दिनांक 16-3-1982 को स्वयं मौके पर गये और दोनों गांव के निवासियों की उपस्थिति में उन्होंने विवादित स्थल का सीमांकन कराया और अपनी आख्या बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को प्रस्तुत की । चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या पत्र दिनांक 23-10-81 से काफी अन्तर था अतः सही स्थिति की जांच करने के लिये बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी ने ग्राम सभा, भैरोपुर के प्रधान, उप प्रधान व भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यगण और अन्य ग्रामवासियों तथा ग्राम सरबतखानी के प्रधान, भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यगण और उस गांव के निवासियों को दिनांक 1-3-82 को मौके पर उपस्थित रहने के लिये सूचित किया तथा तहसील कानपुर से ग्राम भैरोपुर के बन्दोबस्ती अभिलेख व लेखपाल के कागजात को मंगवाकर लेखपाल, भैरोपुर व पर्यवेक्षक कानूनगो, महराजगंज, तहसील ज्ञानपुर तथा दोनों ग्राम के ग्रामवासियों व भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य आदि की उपस्थिति में सीमांकन कार्य कराया । उस सीमांकन कार्य के आधार पर चकबन्दी अभिलेख संशोधित करने के के लिये संदर्भ बनाये गये और सुनवाई के लिये उप संचालक, चकबन्दी, वाराणसी को भेजे गये हैं जिस पर सुनवाई का कार्य चल रहा है । संदर्भों के स्वीकृत होने पर ग्राम सरबतखानी के नक्शों की दुरुस्ती का कार्य चकबन्दी अधिकारी, ज्ञानपुर द्वारा किया जायेगा । पर्यवेक्षक कानूनगो की आख्या दिनांक 23-10-81 मेरे कार्यालय में उपलब्ध है और देखी जा सकती है ।

34--श्री ऊदल--

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मांब हिम्मतपुर बगूचिया, जिला वाराणसी के काश्तकार बुधिराम गड़ेरिया की चकबन्दी पत्रावली की जांच

35--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव हिम्मतपुर बगूचिया, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के काश्तकार बुधिराम गड़ेरिया की चकबन्दी पत्रावली 224/69 की जांच करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने राजस्व मन्त्री को तारीख 26 फरवरी, 82 को एक पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। किन्तु पत्रावली संख्या 224/69 नहीं बल्कि पत्रावली 324/69 है। संदर्भित पत्र की जांच बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा की गई। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आये कि वाद पत्रावली सं0 324/69 में कथित चकबन्दी अधिकारी का आदेश दिनांक 29-12-69 पत्रावली में उपलब्ध आदेश से भिन्न है। आदेश की सत्यता की जांच परगनाधिकारी द्वारा की गई। परगनाधिकारी के निर्णय दिनांक 28-1-83 के अनुसार पत्रावली संख्या 324/69 में कथित आदेश दिनांक 19-12-69 में जाल करके बदलने का तथ्य प्रमाणित नहीं हुए। अतः सी0 आई0 डी0 जांच का कोई औचित्य नहीं है।

3 6—श्री ऊदल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

ग्राम बरवां, तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी में श्री राजपति पुत्र बलिकरन को आवास हेतु आवंटित की गयी भूमि

37—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरवां करबला ईदगाह के पास परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में 1 बिस्वा 10 धूर जमीन रामकली पुत्र बलिकरन, दरवां को पट्टे में दिया गया है ? यदि हां, तो किस की स्वीकृति से ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम बरवां, तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी में भूमि नं0 493 पर इमामबाड़ा व ईदगाह है, 454 नम्बर कब्रिस्तान है, इसी के बगल में भूमि सं0 555 जो ग्राम सभा सम्पत्ति है, में भूतपूर्व प्रधान ने बिना परगनाधिकारी, ज्ञानपुर की अनुमति के आवास स्थल हेतु राजपति पुत्र बलकरन को भूमि दिया था, जिसमें राजपति ने घर बनवाकर सूअर आदि पाल रखा था जो मुसलमानों की धार्मिक भावना के विरुद्ध था। मुसलमानों ने इसका घोर विरोध किया। समस्या के समाधान हेतु इस भूमि को खाली करा दिया गया और ईदगाह से दूर आ0 नं0 461/59 में रकबा 1 बिस्वा 5 धुर भूमि राजपति की आवश्यकता को देखते हुए उसे आवास हेतु आवंटित की गयी है।

गांव भैरोपुर व सरवत खानी, जिला वाराणसी की बीच सीमा विवाद का निस्तारण

38—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपया करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने गांव भैरोपुर व सरवत खानी, जिला वाराणसी का नक्शा 1320 फ0 का अपने पत्र के साथ राजस्व मन्त्री को 13 अप्रैल, 1982 को दिया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त नक्शे के मुताबिक मौके की जांच की गयी ? यदि हां, तो क्या नतीजा रहा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

तहसील ज्ञानपुर में पिछला बन्दोबस्त 1320 फ0 में हुआ है। ग्राम सरबतखानी व भैरोपुर के बीच सीमा विवाद का निस्तारण इन ग्रामों के पिछले बन्दोबस्त नक्शे सन् 1320 फ0 के आधार पर मौके की पैमाइश कराकर कर दिया गया है।

आराजी नं0 912 पर कब्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री मथुरा, निवासी ग्राम जगन्नाथपुर जिला वाराणसी का पत्र

39--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मथुरा पुत्र जगरूप, निवासी जगन्नाथपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी को आराजी नं0 912,16 रकबा 14 बिस्वा 10 धूर पर कब्जा नहीं करने दिए जाने के सम्बन्ध में श्री मथुरा की दरखास्त को प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र के साथ राजस्व मन्त्री को 21 सितम्बर, 1979 को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या कब्जा दिला दिया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

आराजी नं0 912 पर श्री मथुरा का नाम अंकित नहीं है। कब्जा दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में चकबन्दी का कार्य तथा धारा 52 का प्रकाशन

40--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में चकबन्दी का कार्य 18 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था एवं अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और बहुत से गांवों का रिकार्ड ही गायब है तथा धारा 52 भी प्रकाशित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी विस्तृत जांच करायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में चकबन्दी का कार्य सर्वप्रथम वर्ष 1964 में प्रारम्भ हुआ था। प्रारम्भ से 1969 तक 1020 ग्राम चकबन्दी योजना में लिये गये थे। सभी ग्रामों में चकों का पुष्टिकरण हो चुका है। 1013 ग्रामों में अन्तिम अभिलेख व अन्तिम भूचित्र तैयार हो चुके दिखाये गये हैं जिनमें से 935 ग्रामों का धारा 52 कराया जा चुका है। 77 ग्रामों में धारा 51 कराये जाने की संस्तुति जिले से प्राप्त हुई थी जिनमें से 26 ग्रामों के धारा 52 (1) में विज्ञप्ति हेतु आदेश निदेशालय स्तर से जारी किया जा चुका है। शेष ग्रामों के बारे में त्रुटियों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर वापस कर दिया गया है त्रुटियों को दूर करने के बाद धारा 52 (1) में प्रकाशन की कार्यवाही की जायेगी।

चकबन्दी अधिकारी, श्री के0 पी0 सिंह, तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी के निर्णय के अनुसार श्री बिसमिल्ला वगैरह का बैनामे में दर्ज नाम

41—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के नायब तहसीलदार ने एक फर्जी फैसल सी0 ओ0 के0 पी0 सिंह, तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी का बनाकर उक्त आराजी से बुधिराम का नाम काट-कर बिसमिल्ला वगैरह का नाम 10 वर्ष बाद धारा 52 प्रकाशन के बाद चढ़ा दिया ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र राजस्व मन्त्री को 25 नवम्बर, 1981 को दिया था ? क्या उसकी जांच की गयी और उसका क्या परिणाम है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

चकबन्दी अधिकारी, श्री के0 पी0 सिंह, तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी के निर्णय दिनांक 29 दिसम्बर, 1969 के आधार पर ग्राम हिम्मतपुर बकुचिया के द्वितीय चक नं0 91 रकबा 3-18-15 से बुधिराम तथा उसके लड़कों का नाम बैनामे के आधार पर काटकर बिसमिल्ला और उसके लड़कों के नाम दर्ज किया गया है ।

प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 25 नवम्बर, 1981 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ने की आपूर्ति का अंश-पूंजी के आधार पर निर्धारण

42—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित सहकारी चीनी मिलों की नियमावली के अनुसार कृषक सदस्यों की अंशपूंजी के अनुसार ही उनको गन्ने की सप्लाई निर्धारित किए जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या इस पर अमल भी किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां ।

अधिकांश सहकारी चीनी मिलों की नियमावली में गन्ने की आपूर्ति अंशपूंजी के आधार पर किये जाने का प्राविधान है । इसका तदैव ही अनुपालन व्यवहारिक नहीं है । गन्ने के उत्पादन की स्थिति प्रति वर्ष बदलती रहती है और गन्ना आयुक्त द्वारा सट्टे की सामान्य नीति इसी आधार पर निर्धारित की जाती है कि कम उपज के वर्ष में गन्ना आपूर्ति करने वाले कृषकों को अधिक उपज के वर्ष में यथोचित सुविधा मिल सके । प्रदेश के लिए निर्धारित की जाने वाली इस नीति का पालन सामान्य रूप से सहकारी चीनी मिलें भी करती हैं और छोटे कृषकों आदि को वरीयता देने की सामान्य नीति को भी उन्हें ध्यान में रखना पड़ता है ।

43—श्री जयदीप सिंह बरार—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया ।]

राजस्व परिषद् में विचाराधीन मुकदमे

44—श्री छत्तर सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् में 1 अगस्त, 1982 तक कुल कितने मुकदमें विचाराधीन हैं तथा प्रत्येक (न्यायिक) सदस्य तथा चेयरमैन ने विगत तीन वर्षों में वर्षवार कितने मुकदमें निर्णीत किये ?

श्री बैजनाथ कुरील—

राजस्व परिषद् में 1 अगस्त, 1982 को 33,460 मुकदमें निर्णय के लिए विचाराधीन थे। विगत तीन वर्षों मे विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत न्यायिक सदस्यों द्वारा निस्तारित मुकदमों का विवरण संलग्नक 'क' 'ख' तथा 'ग' में दिया हुआ है।

राजस्व परिषद् में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत चेयरमैन के पदनाम से मुकदमों को तय करने का प्राविधान नहीं है। उक्त विवरण में परिषद् के सदस्य के रूप में चेयरमैन द्वारा निस्तारित मुकदमों का भी विवरण सम्मिलित है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 1174 पर।)

सेवा-निवृत गन्ना विकास निरीक्षक, श्री राम शरण प्रसाद, नन्दगंज, जिला उन्नाव का भविष्य निधि के बारे में पत्र

45—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सेवानिवृत्त गन्ना विकास निरीक्षक (राम शरण प्रसाद) नन्दगंज, जिला गाजीपुर के भविष्य निधि के बारे में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 13-10-82 को संलग्नक सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित पत्र संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है। इस कर्मचारी की तैनाती कई जनपदों में होने के कारण जिलों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

सरकारी तथा सहकारी चीनी मिलों की मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि तथा कृषकों के गन्ना मूल्य का बकाया

46—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी तथा सहकारी चीनी मिलों की मरम्मत हेतु इस वर्ष कितना धन आबंटित किया गया है तथा इन मिलों पर किसानों का कितना धन बकाए के रूप में है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वित्तीय वर्ष 1982-83 में आफ सीजन मरम्मत के लिए शासन द्वारा सहकारी चीनी मिलों को रु0 200.00 लाख, राज्य चीनी निगम की मिलों को रु0 90.00 लाख, रिसीवरशिप की चीनी मिलों को रु0 223.80 लाख तथा अधिकृत नियन्त्रक के अधीन डोई वाला चीनी मिल को रु0 9.70 लाख के ऋण

स्वीकृत किये गये थे। 31 जनवरी, 1983 की स्थिति के अनुसार किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया सहकारी चीनी मिलों पर रु0 450.88 लाख, राज्य चीनी निगम की मिलों पर रु0 687.84 लाख, रिसीवरशिव की मिलों पर रु0 755.04 लाख तथा डोईवाला चीनी मिल पर रु0 5.87 लाख है।

मऊनाथ भंजन को अलग तहसील बनाने का कथित निर्णय

47--श्री खैरुल बशर--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ में 6 तहसीलें हैं, जिसमें मुहम्मदाबाद गोहना तहसील जनसंख्या एवं क्षेत्र के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी तहसील है इस कारण सरकार ने मऊनाथभंजन को एक अलग तहसील बनाने का निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो नई तहसील किस तारीख से काम करना शुरू कर देगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम काही जनपद फैजाबाद में प्रधान द्वारा गूंगे उर्फ खुशहाल को दिया गया भूमि का पट्टा

48--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम काही, परगना मिझौड़ा, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में प्रधान ने गूंगे उर्फ खुशहाल पुत्र श्री राम समुझ को भूमि का पट्टा दिया है ? यदि हां, तो प्रस्ताव नम्बर, दिनांक तथा पट्टा स्वीकृत की तिथि क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। प्रस्ताव नम्बर 1 दिनांक 13-5-81 है तथा पट्टा स्वीकृति की तिथि 4-12-81 है।

संसद सदस्य, श्री सुधाकर पान्डे द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु दिये गये सुझाव

49--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, 1981 में योजना मन्त्री, भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सर्वेक्षण कराने एवं योजना आयोग को सुझाव भेजने के लिए कोई पत्र लिखकर निर्देश दिया था ? यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण कराकर सुझाव भेजे गये ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं। योजना मन्त्री, भारत सरकार से मार्च, 1981 में प्रदेश सरकार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये सर्वेक्षण कराने एवं योजना आयोग को सुझाव भेजने के लिये लिखित निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय योजना आयोग से माननीय संसद सदस्य श्री सुधाकर पान्डे के पूर्वी उत्तर प्रदेश, विशेषकर वाराणसी मन्डल के हेतु कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे। इन सुझावों पर सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं। राज्य सरकार ने विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अधीन पिछड़े क्षेत्रों के जिलों को विकास के लिये अधिक आवंटन प्राप्त कराया है।

सहकारी गन्ना समिति, बाराबंकी में कर्मचारियों से भिन्न-भिन्न दरों पर लिया गया आवास गृहों का किराया तथा गन्ना मूल्य पर्चियों के भुगतान में अनियमितता

50--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना समिति, बाराबंकी के आवास गृहों में निवास कर रहे समान श्रेणी के आवास गृहों का किराया भिन्न-भिन्न कर्मचारियों से भिन्न-भिन्न दरों पर चार्ज किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस पक्षपातपूर्ण कार्यवाही के लिए कौन जिम्मेदार है तथा क्या शासन द्वारा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बाराबंकी के समान श्रेणी के कर्मचारियों हेतु निर्मित आवासगृहों का किराया समान रूप से लिया जा रहा है। केवल उन्हीं कर्मचारियों से भिन्न दरों पर किराया लिया जा रहा है, जिनका स्थानान्तरण इस गन्ना समिति एवं जनपद से अन्य गन्ना समिति एवं जनपदों में हो गया था तथा उन्होंने समिति का आवासगृह खाली नहीं किया। भिन्न दरों पर किराया चार्ज करने का निर्णय प्रशासक, गन्ना समिति, बाराबंकी एवं संचालक मंडल, गन्ना समिति, बाराबंकी द्वारा लिया गया है जो उक्त, निर्णय लेने के लिये सक्षम है। वर्णित स्थिति में शासन द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

51--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पेराई सत्र 1981-82 में सहकारी गन्ना समिति, बाराबंकी में जिस तिथि की गन्ना पूर्ति का गन्ना मूल्य चीनी मिलों से प्राप्त हुआ है उस तिथि के बाद की गन्ना मूल्य पर्चियों का भारी पैमाने पर भुगतान कराया गया है तथा इस प्रकार भुगतान की गयी गन्ना मूल्य पर्चियों में से अधिकांश फर्जी तथा बोगस रूप में तैयार कराई गयी पर्चियां थीं ? यदि हां, तो समिति के सचिव के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

गन्ना समिति, बाराबंकी को बाराबंकी चीनी मिल से 19-3-82 तक की गन्ना पूर्ति का भुगतान प्राप्त हुआ था। तदनुसार उस तिथि तक की पर्चियों का भुगतान कृषकों को किया गया।

परीक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त अवधि तक की भुगतान की गई पर्चियों में 18 पर्चियां ऐसी थीं, जिनमें त्रुटिपूर्ण तिथि अंकित होने के कारण उनका भुगतान हो गया यद्यपि वास्तव में इनका भुगतान मिल से समिति को नहीं प्राप्त हुआ था। इस अनियमितता के लिये दो सामयिक लिपिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है।

सचिव गन्ना समिति, बाराबंकी के विरुद्ध उपर्युक्त अनियमितता सम्बन्धी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुये हैं। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केन्द्र, अधिकारियों/कर्मचारियों की तनख्वाह वाहनों तथा दूसरे मदों पर व्यय तथा गन्ने के बीज का वितरण

52--श्री ऊदल--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कहां-कहां गन्ना अनुसन्धान केन्द्र अलग-अलग कितने एकड़ में चलाया जा रहा है और सन् 1980-81 व 1981-82 में कितना रुपया अनुसंधान पर तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की तनख्वाह, वाहनों तथा दूसरे मदों में खर्च किया गया ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

प्रदेश में एक अनुसंधान केन्द्र एवं 8 उप अनुसंधान/बीज सम्बर्द्धन केन्द्र निम्नानुसार हैं :

नाम	खेती योग्य भूमि में चल रहे शोध कार्य (क्षेत्रफल एकड़ में)
1--शाहजहांपुर	204·99
2--मुजफ्फरनगर	83·00
3--गोरखपुर	87·85
4--गोला (शोध एवं बीज सम्बर्धन केन्द्र)	220·73
5--काशीपुर	160·00
6--सेवरही	154·36
7--दौराला	54·00
8--लक्ष्मीपुर	57·95

अनुसंधान पर वर्ष 1980-81 व 1981-82 में कुल व्यय 95,78,861 रुपये एवं 1,36,36,367 रुपये हुआ । जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है :

मद	वर्ष 1980-81	वर्ष 1981-82
	रु0	रु0
1--वेतन आदि	45,75,129	48,44,602
2--फार्म एवं प्रयोगशाला	12,85,562	13,58,143
3--वाहनों पर	70,485	71,210
4--निर्माण एवं कार्यालय व्यय आदि	36,47,685	73,62,412
योग ..	95,78,861	1,36,36,367

53--श्री ऊदल--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्रकार के गन्ने को अनुसंधान करके किसानों को 1930-81 व 1981-82 में गन्ना बीज वितरित किया गया ? क्या यह सही है कि इधर नयी वैरायटी का कोई गन्ना नहीं तैयार किया गया है ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

विभिन्न शोध केन्द्रों/बीज संवर्द्धन केन्द्रों द्वारा उन्नतिशील जातियों का वर्ष 1980-81 में 13,304·69 कु0 एवं वर्ष 1981-82 में 16,751·19 कुं0 बीज वितरित किया गया ।

यह सही नहीं है कि इधर नई वैराइटी का कोई गन्ना नहीं तैयार किया गया, अपितु शाहजहांपुर के अपने अनुसधान से यू0 पी0-1 तथा यू0पी0-3 को नयी जातियां निकाली गयी हैं, जो निर्बन्धित खेती हेतु स्वीकृत की गयी हैं । इसके अतिरिक्त को0शा0 767 एवं 802 को नयी विकसित किस्में 1980-81 से ही सामान्य खेती हेतु स्वीकृत की गयी हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय हैं । इसके साथ ही बी0 उ0 91 (पूर्वी क्षेत्र के लिए) एवं को0 शा0 7918 (पूर्व मध्य एवं तराई क्षेत्र के लिये) की किस्में सामान्य खेती हेतु दी गयी ।

वाराणसी मन्डल में गन्ना अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार

54--श्री ऊदल--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मन्डल में गन्ना अनुसंधान केन्द्र खोलने पर विचार सरकार का है ? यदि हां, तो कहां और कब तक खुल जायगा ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

प्रश्नगत प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

रत्ना शुगर मिल शाहगंज, जौनपुर में कृषकों से खरीदे गये गन्ने की पेराई तथा कृषकों के गन्ने का बकाया मूल्य

55--श्री ऊदल--

क्या चीनी उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रत्ना शुगर मिल, शाहगंज, जौनपुर में हजारों टन गन्ना मिल के अन्दर किसानों का पड़ा रह गया और सूख गया ? यदि हां तो इसका क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि समय से बहुत पूर्व ही मिल ने किसानों का गन्ना लेना बन्द कर दिया जिससे हजारों टन गन्ना खेतों में रह गया ? यदि हां, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी नहीं ।

शाहगंज चीनी मिल में सीजन 1981-82 के अंतिम कुछ दिन का खरीदा हुआ गन्ना लगभग 2 हजार कुन्टल यांत्रिक खराबी के कारण पेराई से रह गया था । मिल दिनांक 15-5-82 को अपना समस्त बांडेड गन्ना पेराई करने के पश्चात बंद हुई ।

56--श्री ऊदल--

क्या चीनी उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रत्ना शुगर मिल, शाहगंज के ऊपर गन्ने का बकाया 1980-81 व 1981-82 का रह गया है और इसके पूर्व का भी है ? यदि हां, तो कितना और उसको न देने का कारण क्या है ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

रत्ना शुगर मिल, शाहगंज के ऊपर गन्ने की बकाया की स्थिति निम्न प्रकार है :

वर्ष	बकाया (लाख रु0 में)
1980-81 से पूर्व वर्षों का	0·47
1980-81	समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ।
1981-82	37·58

गन्ना मूल्य भुगतान हेतु हर सम्भव सुविधा भारत सरकार की सहायता से दी जा चुकी है । बैंकों का मार्जिन 25 प्रतिशत से घटाकर 17·5 प्रतिशत किया गया है तथा बफर स्टाक बनाकर भी मार्जिन की कुछ धनराशि मिलों को उपलब्ध कराई गई । खुले बाजार में चीनी के भाव निरन्तर कम रहने के कारण मिलों के कैश क्रेडिट लेखे में डेफिसिट हो गयी है । फिर भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गत वर्ष के अवशेष गन्ना मूल्य का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करा दिया जाय ।

जनपद गोरखपुर, ग्राम बेलवा डाडी के परिवारों को बाढ़ सहायता

57--श्रीमती गौरी देवी--

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के सदर तहसील के ग्राम बेलवा डाडी व कटका तथा बांसगांव तहसील के ग्राम भरवालिया, धस्की व कतरारी में वर्ष 82 में किन परिवारों को कितनी मात्रा में बाढ़ सहायता दी गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1982 में गोरखपुर जनपद की सदर तहसील के ग्राम बेलवाडाडी के 243 परिवारों को 64 कुन्तल 30 किलोग्राम गेहूं व ग्राम कटका के 96 परिवारों को 27 कुन्तल 77 किलोग्राम गेहूं तथा बांसगांव तहसील के ग्राम भरवलिया के 71 परिवारों को 34 कुन्तल 62 किलोग्राम 500 ग्राम गेहूं, 71 किलोग्राम नमक, 71 लीटर मिट्टी का तेल, 71 दियासलाई व ग्राम धस्की के 78 परिवारों को 17 कुन्तल 22 किलोग्राम 250 ग्राम गेहूं, 78 किलो नमक, 78 लीटर मिट्टी का तेल व 78 दियासलाई बाढ़ सहायता के रूप में वितरित की गई तथा एक मृतक के परिवारों को 500 रु0 नगद प्रदान किया गया । ग्राम कतरारी के 185 परिवारों को 68 कुन्तल 86 किलोग्राम गेहूं, 1 कुन्तल 85 किलोग्राम नमक, 217 लीटर मिट्टी का तेल व 185 दियासलाई की सहायता दी गई ।

गोरखपुर मन्डल में बाढ़ से अनुमानित क्षति

58--श्रीमती गौरी देवी--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982 में गोरखपुर मन्डल में बाढ़ से अनुमानित क्षति कितनी हुई ? क्या किसानों की लगान माफ कर दी गयी है ।

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1982 में गोरखपुर मंडल में बाढ़ से अनुमानित क्षति 64,15,64,000 रु0 की हुई । जिन ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई थी उनकी कृषि देयों की वसूली स्थगित है और भू-राजस्व देयों में नियमानुसार छूट के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

प्रदेश की विभिन्न वर्गों की चीनी मिलों पर अवशेष गन्ना मूल्य

59--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981-82 के क्रशिंग सेशन की गन्ना सप्लाई का कतना रुपया शुगर कारपोरेशन उ0 प्र0 की सहकारी व निजी मिलों द्वारा 15 अगस्त, 1982 को देना था और उसके दिलाने हेतु सरकार क्या उपाय करेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

प्रदेश की विभिन्न वर्गों की चीनी मिलों पर 15-8-82 को पेराई सत्र 1981-82 का 65.91 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का अवशेष था जो 31-1-83को घटा कर 20.02 करोड़ रु0 रह गया है । वर्गवार विवरण निम्न प्रकार है :--

क्रम-सं0	वर्ग का नाम	गन्ना मूल्य सीजन 1981-82 में (करोड रु0 में) 31-1-1983 तक		
		देय	भुगतान	अवशेष
1	2	3	4	5
1	निजी क्षेत्र	265.31	262.01	3.30
2	सरकारी/सहकारी क्षेत्र			
	(अ) राज्य चीनी निगम	63.46	57.65	5.81
	(ब) अधिकृत नियंत्रक	3.45	3.41	0.04
	(स) शासकीय आढ़ाता	38.13	32.32	5.81
	(द) सहकारी मिलें	81.42	77.19	4.23
	(ध) कस्टोडियन की मिलें	19.04	18.21	0.83
	योग सहकारी/सरकारी क्षेत्र ..	205.50	188.78	16.72
	सम्पूर्ण योग ..	470.81	450.9	20.02

वर्ष 1981-82 के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु हर सम्भव सुविधा भारत सरकार की सहायता से दी जा चुकी है। बैंकों का मार्जिन 25 प्रतिशत से घटा कर 17.5 प्रतिशत किया गया तथा बफर स्टाक बनाकर भी मार्जिन की कुछ धनराशि मिलों को उपलब्ध करायी गयी। खुले बाजार में चीनी के भाव निरन्तर कम रहने के कारण अधिकांश मिलों के कैश क्रेडिट लेखों में डेफिसिट हो गयी है और अब अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान तभी सम्भव प्रतीत होता है जब जिन मिलों पर बकाया है उनको बाहर से वित्तीय सहायता दी जाय। प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधन बहुत सीमित हैं। भारत सरकार से प्रदेश सरकार को ऋण देने का अनुरोध किया गया है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गत वर्ष के अवशेष गन्ना मूल्य का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करा दिया जाय।

स्वर्गीय श्री रामचन्द्र गुप्ता, चकबन्दीकर्ता, उतरौला, जिला गोंडा की पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान

60--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामचन्द्र गुप्ता, चकबन्दीकर्ता (स्वर्गीय), उतरौला, जिला गोन्डा की पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी तथा बीमा धन-राशियों के भुगतान के विषय में चकबन्दी आयुक्त, ग्रे0 प्र0 द्वारा अपने पत्र संख्या ई-805/77, दि0 3 जुलाई, 1982 द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी उतरौला, गोंडा को निदेशित किया गया ? यदि हां, तो अब तक इस सिलसिले में संबंधित अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, मृतक के पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी के कागजात पूर्ण करके महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक 28-12-1982 को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। बीमा की धनराशि की स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 16-12-1982 को प्राप्त हुई है और अब स्वीकृत धनराशि का भुगतान शीघ्र किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री विन्ध्याचल सिंह, जिला देवरिया को 3 से अधिक चक दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

61--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्यामनरायन तिवारी--

विधान सभा के दिनांक 29 अगस्त, 1980 के ता0 प्र0 सं0 के 11वां उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि श्री तजम्मुल हुसैन बनाम ए0 सी0 ओ0, जलालाबाद वर्ष 1959 के मामले में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने निर्णय में 3 से अधिक चक देना अवैध माना है जबकि श्री विन्ध्याचल सिंह, ग्राम रामपुर बगहा, तह0 हाटा, जिला देवरिया को 3 से अधिक चक (नं0-9) दिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और क्या इस मामले में शासन पुनः चकबन्दी करायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील--

विन्ध्याचल सिंह, जगदीश सिंह पुत्रगण सुन्दर, दुर्गा पुत्र विन्देश्वरी के नाम संयुक्त खातों की भूमि का बंटवारा से पूर्व चकों के मध्य चकरोड व नहर को गूलें होने के कारण तकनीकी दृष्टि में 9 चक पहले हो गये थे। न्यायिक आदेशों द्वारा श्री विन्ध्याचल सिंह के 9 चक तीन सहखातेदारों के नाम पृथक्-पृथक बंटवारा होकर 3 या 2 चकों में आवंटित कर दिये गये हैं। अस्तु कथित रूलिंग अजमुल हुसेन बनाम ए0 सी0 ओ0, जलालाबाद वर्ष 1959 का इस मामले में संदर्भित प्रतीत नहीं होती है। इस मामले में पुनः चकबन्दी कराने की आवश्यकता नहीं है।

ग्राम थरांव एवं पुरेव में चकबन्दी कार्य

62--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बतलायेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के ग्राम घरांव एवं पुरेवं की चकबन्दी कब प्रारम्भ हुई ? क्या इन ग्रामों में चकबन्दी का कार्य पूर्ण होकर धारा 52 का प्रकाशन कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्बद्ध कार्यक्रम बनाकर बन्दोबस्त पूर्ण करायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम थरांव में दिनांक 22-1-66 से चकबन्दी क्रियायें प्रारम्भ हुई थीं। इस ग्राम में चकबन्दी कार्य पूर्ण होने पर जिल्द बन्दोबस्त तथा अभिलेख तहसील एवं माल अभिलेखागार में भेज दिये गए हैं। धारा 52 में प्रकाशन कराने की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पुरेंव में दिनांक 1-12-66 को चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी। इस ग्राम में धारा 23 का पुष्टीकरण दिनांक 31-3-69 को हो चुका है। वर्ष 1983-84 में इस ग्राम का समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर बन्दोबस्त पूर्ण करान सम्भव होगा।

63--श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 107 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

64--श्री यदुनाथ सिंह--

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी, कानपुर व लखनऊ में अंग्रेजी शराब, देशी शराब, ताड़ी के ठेकेदारों पर लगाया गया कर वसूली तथा बकाया

65--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के 1ले शुक्रवार दिनांक 20-8-82 अता0 प्र0 सं0--18 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ठेकेदारें ने कितना कर रूप पत्रों के साथ जमा किया था और कितना कर लगाया गया और कितना बकाया है ? बकाया कर में कितना वसूल हुआ कितने ठेकेदारों का सर्वेक्षण हुआ ? उनमें कितनों में असली ठेकेदारों का पता चला ? राजस्व की हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

कानपुर (80-81)

वर्ष 1980-81 में विदेशी शराब, देशी शराब व ताड़ी के ठेकेदारों ने कोई कर जमा नहीं किया है ।

विदेशी शराब के ठेकेदारों पर 4,700 रु0 अर्थदन्ड आरोपित किया गया है । देशी शराब पर कर नहीं था । ताड़ी के बाद अभी कर निर्धारण हेतु अवशेष हैं ।

केवल विदेशी शराब के ठेकेदारों पर 4,700 रुपया अर्थदण्ड के रुप में बकाया है । बकाया में कोई धनराशि जमा नहीं हुई है ।

वर्ष 1980-81 में विदेशी शराब के 4 देशी शराब के 4 तथा ताड़ी के शून्य ठेकेदारों का सर्वेक्षण किया गया ।

जांच में विदेशी शराब के तीन असली ठेकेदारों का पता चला है ।

वसूली कार्यवाही चल रही है । अतः राजस्व की हानि का प्रश्न नहीं है ।

लखनऊ (80-81)

रूपपत्रों के साथ जमा की गयी धनराशि लखनऊ में अंग्रेजी शराब के ठेकेदारों द्वारा रु0 9,64,572-37 पैसे एवं देशी शराब के ठेकेदारों द्वारा जमा की गई कर की धनराशि शून्य है तथा ताड़ी के ठेकेदारों द्वारा जमा की गयी धनराशि 42,887.80 रु0 है ।

विदेशी शराब के ठेकेदारों पर 7,24,052 रु0 तथा ताड़ी के ठेकेदारों पर 96,000 रु0 कर आरोपित किया गया था । देशी शराब पर कर नहीं है ।

देशी शराब व विदेशी शराब के ठेकेदारों पर कोई कर बकाया नहीं है तथा ताड़ी के ठेकेदारों पर 59,531 रु0 बकाया चल रहा है ।

बकाया कर की वसूली चालू है ।

वर्ष 1980-81 में विदेशी शराब के 8, देशी शराब के एक तथा ताड़ी के 2 ठेकेदारों का सर्वेक्षण किया गया ।

सभी असली ठेकेदार हैं ।

वसूली की कार्यवाही की जा रही है । किसी भी अधिकारी को राजस्व की हानि के लिए उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न नहीं है ।

वाराणसी (80-81)

वर्ष 1980-81 में विदेशी शराब, देशी शराब तथा ताड़ी के ठेकेदारों ने रुप-पत्रों के साथ कोई कर जमा नहीं किया ।

विदेशी शराब के ठेकेदारों पर 93,100 रु0 देशी शराब के ठेकेदारों पर 6,650 रु0 तथा ताड़ी के ठेकेदारों पर 5,800 रु0 कर तथा अर्थदण्ड के रुप में लगाया गया ।

विदेशी शराब के ठेकेदारों पर 93,100 देशी शराब के ठेकेदारों पर 6,650 रु0 तथा ताड़ी के ठेकेदारों पर 5,800 रु0 कर तथा अर्थदण्ड बकाया है ।

बकाया में से अभी तक कोई धनराशि जमा नहीं हुई है ।

सर्वेक्षण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है । सूचना मंगायी गयी है ।

ठेके की रकम के अनुसार कर आरोपित किया गया है । वसूली की कार्यवाही चालू है ऐसी स्थिति में राजस्व की हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

66—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम ग्रान्ट नं0 3, परगना कुकुरा में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि तथा ग्राम समाज की भूमि की भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवंटन

67—श्री भीखालाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रान्ट नं0 3 तथा इसके अन्तर्गत ग्रामों परगना कुकुरा, तहसील लखीमपुर जिला खीरी में सन् 1972 से अब तक कुल कितने एकड़ भूमि सीलिंग से प्राप्त हुई तथा कितनी भूमि ग्राम समाज की थी, जिसका बंटवारा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम ग्रान्ट नं0 3, परगना कुकुरा में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत 380.245 एकड़ भूमि प्राप्त हुयी थी तथा ग्राम समाज की 491.440 एकड़ भूमि थी । सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि में से 143.865 एकड़ तथा ग्राम समाज की भूमि में से 141.660 एकड़ भूमि का आवंटन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में किया गया ।

68—श्री भीखालाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रान्ट नं0 3, परगना कुकुरा तहसील लखीमपुर, जिला खीरी में तहसील के कागजात के अनुसार कुल कितने एकड़ भूमि ग्राम समाज की है उसमें से कुल कितने एकड़ भूमि का बंटवारा भूमिहीनों को हो चुका है ? क्या अब भी लगभग नौ सौ (900) एकड़ भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके न बांटे जाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम ग्रान्ट नं0 3, परगना कुकुरा में कुल 491.440 एकड़ ग्राम समाज की भूमि है जिसमें से 141.660 एकड़ का आवंटन भूमिहीनों को हो चुका है ।

सर्व श्री गुरबीर सिंह तथा हरबीर सिंह द्वारा भूमि का विक्रय तथा दाखिल खारिज

69--श्री भीखा लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की श्री गुरबीर सिंह, शिवदेव सिंह तथा श्री हरबीर सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह, ग्राम ग्रांट नं0 3, परगना कुकुरा, त0 लखीमपुर, जिला खीरी की कितनी भूमि सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित हुई है ? क्या उपरोक्त भूस्वामियों ने अपनी-अपनी भूमि का बिक्री लेखपाल तथा अन्य अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कर दिया है ? जिसका दाखिल-खारिज भी खसरा, खतौनी में हो चुका है ? अगर हां, तो कितनी भूमि बिक्री हुई और किस अधिकारी या कर्मचारी की रिपोर्ट पर बिक्री की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सर्वश्री गुरबीर सिंह, शिवदेव सिंह तथा हरबीर सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह, ग्राम ग्रान्ट नं0 3, परगना कुकुरा, तहसील लखीमपुर, जिला खीरी की कोई भी भूमि सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित नहीं हुई है ।

खातेदार सर्वश्री गुरबीर सिंह ने 41-53 एकड़ तथा हरबीर सिंह ने 50-00 एकड़ भूमि का विक्रय स्वयं किया है, किसी लेखपाल या अन्य अधिकारी की रिपोर्ट पर नहीं । बिक्री की गई भूमि का दाखिल खारिज हो चुका है । क्रेतागण व खातेदार के सीलिंग के मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं ।

उत्तर ऊपर दिया जा चुका है ।

ग्राम ऐराभदियार, जिला उन्नाव में ग्राम समाज द्वारा किये गये अवैधानिक पट्टे के विरुद्ध हरिजनों द्वारा दिया गया शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

70--श्री भीखा लाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तृतीय शुक्रवार से लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 30 के उत्तर के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 11-7-1982 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आयुक्त के निर्णय का पालन न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध तथा तथ्यों के विपरीत उत्तर तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या आयुक्त के निर्णय के परिपालन को सुनिश्चित करने के लिए अग्रेतर कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तृतीय शुक्र के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 30 के उत्तर के संदर्भ में श्री भीखालाल, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 11-7-1982 प्राप्त हुआ । पत्र में वर्णित अतिरिक्त आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश दिनांक 15-11-1969, जो ग्राम एराभदियार के पांच मुकदमों में पुनर्सुनवाई हेतु पारित था, के अनुपालन में पांचों मुकदमों में नियमानुसार पुनर्सुनवाई करके तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा आदेश 30-9-1970 को पारित किया गया, जिसमें पांचों पट्टों को निरस्त किया गया । पट्टेदारों

द्वारा परगनाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई जो अतिरिक्त आयुक्त, लखनऊ मण्डल के आदेश दिनांक 26-3-1971 द्वारा स्वीकार की गयी और पांचों पट्टों को वैध माना गया। विधान सभा 30 का उत्तर तथ्यों पर आधारित ठीक दिया गया है।

ग्राम मझगई, जिला खीरी में गाटा नं0 1046 की सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु सुरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही

71--श्री भीखा लाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मझगई, परगना निधासन, तह0 निधासन, जिला खीरी में गाटा नं0 1046/1, रकबा 0-3-0 डि0 1046/1, रकबा 0.10 डि0 और 1046/2 रकबा 0.04 डि0 कुल 0.44 डि0 भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु सुरक्षित भूमि है ? यदि हां, तो इस भूमि पर अवैध भवन निर्माण के सम्बन्ध में श्री काशीनाथ मिश्र, तत्कालीन सूचना एवं नियोजन राज्य मन्त्री के पत्र दि0 13-11-1981 में किये गये आदेश पर जिला अधिकारी खीरी ने अवैध भवन निर्माण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री प्रदीप कुमार पुरवार ने गाटा संख्या 1046 क्षेत्रफल 0.44 डिस्मिल पर पेट्रोल पम्प लगाया है। इसमें 0.30 डिस्मिल भूमि खातेदार श्री रामेश्वर आरख तथा 0.04 डिस्मिल भूमि श्री पुत्तू लाल आरख की निजी भूमि थी जो उन्होंने पेट्रोल पम्प लगाने के लिये रजिस्ट्री बैनामा द्वारा बेची थी। इसी गाटा संख्या का 0.20 डिस्मिल का क्षेत्रफल तत्कालीन ग्राम प्रधान ने रु0 6000 में ग्राम सभा का प्रस्ताव करके भी पुरवार को पेट्रोल पम्प निर्माण हेतु दिया था जिसमें से 0.10 डिस्मिल भूमि पेट्रोल पम्प की बाउन्ड्री के अन्दर है शेष 0.10 डिस्मिल भूमि बाउन्ड्री के बाहर है जिस पर निर्माण न करने के आदेश श्री पुरवार को दे दिये गये हैं और यह भूमि ग्राम समाज में सामान्य आबादी के उपयोग के लिये सुरक्षित कर दी गयी है। तत्कालीन ग्राम प्रधान ने वह भूमि पेट्रोल पम्प लगाने के लिये परगनाधिकारी की अनुमति लिये बिना ही दी थी जिसके लिये प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही थी परन्तु इसी बीच वे प्रधान चुनाव में हार गये।

श्री प्यारा सिंह, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली द्वारा जिला मजिस्ट्रेट (वित्त) बरेली को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

72--श्री भीखा लाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्यारा सिंह पुत्र हजारा सिंह, निवासी कस्बा धर्मपुर, तह0 नवाबगंज, जिला बरेली ने दि0 4-8-1982 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त) बरेली को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया है कि श्री राम भरोसे लाल, अमीन ने इन्हें रुपया 2018.30 पैसे की रसीद नहीं दी तथा उक्त अधिकारी द्वारा 15 सितम्बर, 1982 तक बकाया अदा करने के लिए मोहलत देने का आदेश छीन लिया और सरे बाजार बेइज्जत किया और इस प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि राजस्व सचिव को भी पृष्ठांकित की गयी है ? यदि हां, तो इस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री प्यारा सिंह पुत्र हजारा सिंह का प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-8-1982 जिला कार्यालय में उपलब्ध हुआ नहीं पाया जाता है। शासन में प्राप्त प्रार्थना पत्र की प्रति मूलरूप में दिनांक 23 अगस्त, 1982 को जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई थी। इस सम्बन्ध में श्री प्यारा सिंह से पूछे जाने पर यह ज्ञात हुआ है कि उन्होंने दिनांक 4-8-1982 को एक स्थानीय नेता के साथ जाकर एक प्रार्थना-पत्र, जिस पर अति0 जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी, नवाबगंज को यह आदेश दिया था कि यदि अमीन उद्दण्ड है तो तुरन्त कार्यवाही करें, कार्यालय में दस्ती दे दिया गया, परन्तु तहसील अथवा परगनाधिकारी के यहां उक्त प्रार्थना-पत्र का पहुंचना नहीं पाया जाता है। श्री प्यारा सिंह से उक्त प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त कर ली गई है, जिस पर जांच की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम चन्दौली व भटौली, जिला हरदोई में अतिरिक्त घोषित भूमि के अनियमित पट्टे

73- श्री भीखा लाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चन्दौली, मजरा भटौली, तह0 सन्डीला, जिला हरदोई में भूमि हदबन्दी कानून के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित की गयी भूमि के अनियमित पट्टे भूमिहीनों की शिकायत पर जुलाई, 1981 को निरस्त कर दिये गये थे? यदि हां, तो उस भूमि को पुनः हरिजनों तथा भूमिहीनों खेत मजदूरों को आवंटित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम चन्दौली व भटौली एक ही ग्राम सभा के पृथक्-पृथक् राजस्व ग्राम हैं। ग्राम चन्दौली में 29-19-14 बीघा अतिरिक्त घोषित भूमि में 11-11-5 बीघा भूमि का आवंटन 17 भूमिहीन कृषकों को दिनांक 25 दिसम्बर, 1977 को कर दिया गया था। शेष 18-8-9 बीघा भूमि सं.लिंग अधिनियम की धारा 27(7) के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 28 सितम्बर, 1977 व 18 फरवरी, 1973 के अन्तर्गत ग्राम सभा में निहित कर दी गई थी। इन ग्रामों में कोई भूमि आवंटन हेतु शेष नहीं है।

2--गांव सभा में निहित भूमि के आवंटन हेतु गांव सभा द्वारा प्रस्ताव दिनांक 24 अप्रैल, 1981 पारित किया गया। परन्तु अन्य भूमिहीन कृषक मजदूरों ने आपत्ति की थी। जांचोपरान्त प्रस्ताव अनियमित पाया गया। अतः अनुमोदन नहीं किया गया।

3--गांव सभा में निहित 18-8-9 बीघा भूमि पुनः हरिजनों तथा भूमिहीन कृषक मजदूरों को आवंटित नहीं की जा सकी, क्योंकि 14-4-9 बीघा भूमि वन विभाग की मांग पर पौधशाला हेतु तथा 3-12-0 बीघा भूमि खलिहान के प्रयोग में आती है।

जनपद हरदोई के विकास खंड कोयावा एवं भरावन में बाढ़ से प्रभावित हुए ग्राम तथा प्रभावित व्यक्तियों को सहायता

74- श्री रामलाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 को बाढ़ में जनपद हरदोई के विकास खंड कोयावा, भरावन के कितने ग्राम प्रभावित हुए और

कितने धनराशि की सम्भाविस हानि हुई ? शासन द्वारा बाढ़ राहत योजनान्तर्गत क्या सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि इस क्षेत्र में बाढ़ राहत कार्य काफी विलम्ब से प्रारम्भ हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद हरदोई के विकास खंड कोथावा एवं भरावन में वर्ष 1982 की बाढ़ से 183 ग्राम प्रभावित हुये जिससे अनुमंनित 1,35,68,500 रुपया की खड़ी खरीफ फसल एवं मकानों आदि को हानि हुई । राहत योजना के अन्तर्गत, उक्त विकास खंडों के प्रभावित व्यक्तियों को मु0 22,000 रु0 के अहेतुक सहायता 17,600 रु0 गृह अनुदान एवं 36,550 रु0 तकावी ऋण का वितरण किया गया है । शासकीय आदेश संख्या 5142/1-10-1982 दिनांक 27-8-1982 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को दैवी आपदा से 50 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्रों की कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई थी तथा शेष क्षेत्रों में भी जहां 50 प्रतिशत से कम क्षति हुई थी, वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही न करने के आदेश जारी किये गये थे । उक्त विकास खंडों में बाढ़ आपदा के समय राहत सहायता दी गयी । यह सही नहीं है कि इस क्षेत्र में बाढ़ राहत कार्य काफी विलम्ब से प्रारम्भ हुआ ।

विकास खंड भरावन के अन्तर्गत भटपुर में अग्निकांड एवं सूखा राहत में की गयी अनियमितताओं की शिकायत

75—श्री रामलाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि वर्ष 1980 में हरदोई जनपद के विकास खंड भरावन के अन्तर्गत भटपुर में अग्निकांड एवं सूखा राहत में की गयी अनियमितताओं की शिकायत के फलस्वरूप विजिलेंस द्वारा कोई जांच भी कराई गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? उसमें कौन-कौन उत्तरदायी रहे तथा शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

76—श्री हरगोविन्द वर्मा—

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ में नायब तहसीलदार के वेतन का भुगतान एवं श्री कमल किशोर सिंह, संग्रह अमीन के पत्र पर कृत कार्यवाही

77—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 79 के 5वें शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 16 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कमल किशोर सिंह के दिनांक 26-3-1979 के पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री सिंह को अमीन पद पर नियुक्ति सम्बन्धी शासकीय आदेश संख्या 65-2-79 (208) राजस्व 6, दिनांक 12-10-1979 का कार्यान्वयन कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

संदर्भित शासनादेश दिनांक 12-10-69 का कार्यान्वयन नहीं हुआ है। जिन अधिकारी/परिषद् के सन्दर्भ पर प्रस्तुत प्रकरण का पुनः परीक्षण कराया जा रहा है जिस पर प्रथम दृष्टि में कुछ अनियमितताएं हुई प्रतीत होती हैं। पूर्ण परीक्षणोपरान्त इस सम्बन्ध में नियमानुसार निर्णय लिया जायगा।

मानिला, जनपद अल्मोड़ा में उप तहसील के पुनर्गठन की मांग

78--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मानिला, जनपद अल्मोड़ा में उप तहसील कब स्थापित होगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रदेश में तहसीलों एवं उप तहसीलों के पुनर्गठन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु शासन द्वारा अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में दिनांक 18 मई, 1982 को एक समिति का गठन किया जा चुका है। उक्त समिति को दिनांक 30 जून, 1983 तक अपनी संस्तुति देने के लिये समय दिया गया है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

चीनी आयुक्त के अधिष्ठान में स्थायी/अस्थायी पदों का विवरण तथा स्थायी किये गये लिपिकों की संख्या

79--श्री नन्दराम--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी आयुक्त के अधिष्ठान में कौन-कौन से और कितने-कितने पद लिपिक वर्ग के हैं ? उसमें से कितने पद शासन द्वारा स्थायी कर दिये गये हैं तथा उन स्थायी पदों पर निरन्तर कार्यरत कितने लिपिक किस-किस और कितने पदों पर स्थायी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

चीनी आयुक्त के अधिष्ठान में प्रश्नगत पद, उनकी संख्या, स्थायी/अस्थायी पदों का विवरण तथा उनके विपरीत स्थायी किये गये लिपिकों की संख्या निम्न है :

पद	वेतनक्रम	स्थायी पद	अस्थायी पद	कुल पदों की संख्या	स्थायी किये गये लिपिक
1	2	3	4	5	6
	रु0				
1--कनिष्ठ लिपिक	354-550	177	5	182	16
2--कम्पाइलेशन असिस्टेंट	400-615	4	..	4	..

1	2	3	4	5	6
3—वरिष्ठ लिपिक रोकड़िया एवं लेखा लिपिक	430–685	21	2	23	..
4—आशुलिपिक	470–735	2	1	3	..
5—सहायक लेखाकार	515–860	1	..	4	..
6—वरिष्ठ सहायक	515–860	7	..	8	..
7—कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	570–1,100	1	..	1	..
8—वैयक्तिक सहायक	625–1,360	1	..	1	..
		217	9	226	16

लिपिक वर्गीय पदों की कुल संख्या 226 है, जिसमें से 217 पद अब तक शासन द्वारा स्थायी घोषित किये जा चुके हैं जिन पर अब तक 16 लिपिकों को स्थायी किया जा चुका है। शेष पदों पर स्थायीकरण की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है।

तहसील अकबरपुर व टांडा, जिला फैजाबाद में गन्ने की बुआई तथा किया गया सट्टा

80—प्रियदर्शी जेतली तथा जियाराम शुक्ल विकल सांकेती—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981–82 में कितने हेक्टेयर गन्ना तहसील अकबरपुर तथा टांडा, जनपद फैजाबाद में बोया गया व कितने हेक्टेयर का सट्टा हुआ था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वर्ष 1981–82 में तहसील अकबरपुर व टांडा, जिला फैजाबाद में 4,415 गन्ना बोया गया था तथा 2.50 लाख क्विंटल गन्ने का सट्टा हुआ था।

प्राप्त सूचना के अनुसार जितने हेक्टेयर में गन्ने की बुआई की गई थी उस समस्त क्षेत्रफल का सट्टा किया गया।

81—श्री ऊदल—

[10वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

करछना, मेजा तथा बारा तहसीलों में ओला प्रभावितों को गृह–अनुदान का वितरण

82—श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस—

क्या राजस्व मंत्री इस बात की जांच करवायेंगे कि करछना, मेजा तथा बारा 1982 में ओला पीड़ितों को पैसा दिया गया है वह सही लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जिलाधिकारी, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1982 में करछना, मेजा तथा बारा तहसीलों में ओला प्रभावितों में जांचोपरान्त पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार गृह अनुदान वितरित किया गया है ।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया एवं भिक्यासैंण में उप कोषागार की स्थापना पर विचार

83--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया एवं भिक्यासैंण में उप कोषागार बनाने को सन् 1981-82 में स्वीकृति हुई है ? यदि हां, तो कब तक उपरोक्त कोषागार अपना कार्य आरम्भ कर देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

चौखुटिया तथा भिक्यासैंण में उप-कोषागार की स्थापना की स्वीकृति क्रमशः वर्ष 1975 व 1976 में दी गई थी । किन्तु अभी तक उप कोषागार स्थापित नहीं हुए हैं । अब इस सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जा रहा है ।

ग्राम पडरी, जिला बलिया के काश्तकारों का गांव की चकबन्दी न कराये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र, पुरानी चकबन्दी के खर्चे काश्तकारों से वसूल न करने के आदेश

84--श्री झिलमिट राम--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पडरी, परगना सिकन्दरपुर गर्बी, तहसील रसड़ा, जिला बलिया के काश्तकारों का एक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक 9-8-82 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक उस गांव की पुनः चकबन्दी न कराये जाने का क्या कारण है ? अब कब तक चकबन्दी हो जायगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, ग्रामीणों का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9-8-1982 के साथ प्राप्त हुआ था । इस ग्राम के सम्बन्ध में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 19-5-1965 को हुई थी परन्तु इस ग्राम से होकर सड़क निकलने के कारण काफी चकदारों के चकों पर प्रभाव पड़ रहा था इसलिए ग्राम की चकबन्दी पूरी करने के बजाय जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 20-12-1972 द्वारा चकबन्दी निरस्त कर दी गई । पुनः इस ग्राम के सम्बन्ध में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 (1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 13-3-1973 को जारी की गई । जिस समय इस ग्राम की चकबन्दी क्रियायें वर्ष 1972 में निरस्त की गई थीं उसके पूर्व ग्राम का पुष्टीकरण हो चुका था तथा धारा 27 के अन्तर्गत अन्तिम अभिलेख बन चुके थे । ग्रामवासी अपने-अपने चकों पर काबिज हैं और पुरानी मेड़ें समाप्त हो चुकी हैं । इस ग्राम की चकबन्दी कार्य अब किस स्तर से शुरू किया जाय इस सम्बन्ध में कतिपय कठिनाइयां हैं जिसके निवारण का प्रयास किया जा रहा है ।

85--श्री झिलमिट राम--

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पुरानी चकबन्दी के खर्चे काश्तकारों से वसूल न करने के कोई आदेश भेजा गया ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बैजनाथ कुरील--

इस सम्बन्ध म कोई आदेश नहीं भेजा गया है ।

श्री सुरेन्द्र देव सिंह, ग्राम प्रधान द्वारा परिवार के सदस्यों के नाम ग्राम सभा भूमि का अवैध पट्टा तथा जांच

86--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुरेन्द्र देव सिंह, प्रधान ग्राम सभा रेवना, परगना पश्चिमी रोड, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद ने अपने विधवा माता श्रीमती धूपा बेवा रघुबर दयाल सिंह तथा अपनी पत्नी श्रीमती बृजराजी के नाम अवैध ग्राम समाज की भूमि का पट्टा देकर अपने पद का दुरुपयोग किया है और उपरोक्त दोनों पट्टेदारों की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि को दाखिल-खारिज अपने नाम करा लिया है ? इस गम्भीर अनियमितता की जांच जिला प्रशासन द्वारा विगत वर्षों से लम्बित है ? यदि हां, तो जांच की रिपोर्ट क्या है और अब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने का कारण क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री सुरेन्द्र देव सिंह, प्रधान, ग्राम रेवन अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम ग्राम सभा भूमि का अवैध पट्टा करने के दोषी पाये गये । अवैध पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही धारा 198 (4) ज0 वि0 भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है । प्रधान, श्री सुरेन्द्र देव सिंह के विरुद्ध अलग से कार्यवाही चल रही है ।

ग्राम सभा नवगवां के पूर्व प्रधान श्री रघुराज सिंह द्वारा परिवार वालों के नाम किया गया अवैध पट्टा

87--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रघुराज सिंह पूर्व प्रधान ग्राम सभा नवगवां, परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर, फैजाबाद ने अपने कार्यकाल में ग्राम समाज की सार्वजनिक एवं कृषि योग्य भूमि को हरिजन भूमिहीनों में आवंटम न करके अपने ही परिवार वालों के नाम अवैध पट्टा कर दिया है, जिसकी जांच कार्यवाही तहसीलदार बीकापुर के स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो अब तक की जांच रिपोर्ट क्या है तथा भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में उक्त ग्राम सभा की भूमि आवंटित न किए जाने का क्या कारण है ।

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम तथा नवगवां के पूर्व प्रधान श्री रघुराज सिंह नहीं थे, श्री सहेब बख्श सिंह थे ।

खांडसारी इकाइयों की चीनी की औसत रिकवरी तथा बढ़ाने का प्रस्ताव

88--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में स्थित खांडसारी इकाइयों की चीनी की औसत रिकवरी कितने प्रतिशत है ? इसको बढ़ाने के लिए क्या कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

प्रदेश में सफेद खांडसारी इकाइयों की औसत रिकवरी लगभग 6.5 प्रतिशत तथा नान-सफेद खांडसारी इकाइयों की औसत रिकवरी लगभग 4.5 प्रतिशत है ।

खांडसारी इकाइयों की औसत रिकवरी बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0 प्र0 में ज्येष्ठ अन्वेषक के रिक्त पद

89--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नियोजन मंत्री (अर्थ एवं संख्या प्रभाग) बताने की कृपा करेंगे, कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0 प्र0 में ज्येष्ठ अन्वेषक के कितने पद 2 वर्षों से रिक्त हैं ? इन पदों पर नियुक्ति न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0 प्र0 में ज्येष्ठ अन्वेषक (पुनरीक्षित पद नाम अपर अर्थ एवं संख्याधिकारी) के सात पद लगभग दो वर्षों से रिक्त हैं । सम्प्रति सम्बन्धित सेवानियमावली के प्राविधानों के अनुसार कोई अर्ह कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण इन पदों पर नियमित नियुक्ति सम्भव नहीं है । इन पदों को तदर्थ रूप से भरे जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

ग्राम बनकटी, तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती में लेखपाल द्वारा खतौनी खाता संख्या में फेर बदल कर देने के सम्बन्ध में प्राथमिक जांच

90--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम बनकटी के लेखपाल, जो ग्राम चकबन्दी के अन्तर्गत है, खतौनी सन् 1381 फसली व 1384 फसली में जालसाजी करके बिना किसी आदेश के अथवा डिग्री के खतौनी खाता संख्या 73 व खाता संख्या 69 में फेर-बदल कर दिया है जिसकी जांच श्री राजाराम वर्मा, सामाजिक कार्यकर्त्ता के प्रार्थना-पत्र पर चकबन्दी अधिकारी, डुमरियागंज द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री राजाराम वर्मा, सामाजिक कार्यकर्त्ता की शिकायत पर ग्राम बनकटी, तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती की खतौनी 1381 व 1384 फसली में लेखपाल द्वारा जालसाजी करके बिना किसी आदेश के खतौनी खाता संख्या 73 व 69 में फेरबदल कर देने के सम्बन्ध में प्राथमिक जांच श्री अशफाक अहमद खां, चकबन्दी अधिकारी, डुमरियागंज के द्वारा की गई। खतौनी 1384 से 1389 फसली में खाता संख्या 16 खतौनी 1381 से 1383 फसली के खाता संख्या 73 के विवरण के सम्बन्ध में किये गये अमलदरामद आदेश परगनाधिकारी, डुमरियागंज मु0 नं0 523, दिनांक 5-3-70 अन्तर्गत धारा 229-बी/209 के अनुसार किये गये हैं परन्तु इस अमलदरामद का तहसील के रजिस्टर मालकान में अंकित होना नहीं पाया जाता है। खतौनी 1381 से 1383 फसली चकबन्दी स्टाफ के पास नहीं है बल्कि तहसील में है इसलिये चकबन्दी अधिकारी ने अपनी जांच आख्या की प्रतिलिपि परगनाधिकारी डुमरियागंज को अन्तिम जांच हेतु प्रेषित कर दी है। परगनाधिकारी, डुमरियागंज के द्वारा आदेश की मौलिकता की जांच करने के बाद उनकी आख्या के आधार पर दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। चूंकि जांच अभी अन्तिम नहीं हुई है इसलिये किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई है।

देवरिया स्थित सेवरही चीनी मिल का अधिग्रहण

91—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि 21 जून, 1982 को देवरिया स्थित सेवरही चीनी मिल का अधिग्रहण कर लिया गया था ? यदि हां, तो क्या कारण था ? सेवरही चीनी मिल के किसानों के गन्ने की पेराई किन-किन चीनी मिलों द्वारा कराई गयी ? क्या उक्त गन्ना किसानों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सेवरही चीनी मिल यांत्रिक खराबी के कारण 29-5-82 को बन्द हो गयी थी। उस चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य की वसूली के लिए गन्ना आयुक्त द्वारा जारी रिकवरी सर्टीफिकेट के कार्यान्वयन में सेवरही मिल पर कलेक्टर ने 21-6-82 से रिसीवर की नियुक्ति कर दी थी। सेवरही चीनी मिल क्षेत्र के अवशेष गन्ने की पेराई की व्यवस्था सरदार नगर एवं पडरौना चीनी मिलों में करायी गयी थी। इस प्रकार आपूर्ति किये गये गन्ना मूल्य का भुगतान सरदारनगर मिल ने कर दिया है किन्तु वित्तीय संसाधनों की कठिनाई के कारण पडरौना चीनी मिल पर अब भी बकाया है।

सीतापुर जनपद में गन्ना समितियों द्वारा कृषकों का अतिरिक्त लट्ठे पर बढ़ाया गया गन्ना

92—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 81-82 में सीतापुर जनपद में किसानों का गन्ना सोसाइटियों की तरफ से बान्डों पर बढ़ाया गया ? यदि हां, तो बान्ड पर बढ़े हुए गन्ने की सिक्योरिटी की कटौती की गयी और उसके बाद क्या किसानों को पर्चियां नहीं दी गयीं ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार उस कटौती के पैसे को मय ब्याज के वापस करेगी ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सीतापुर जनपद में 8524 कृषकों का गन्ना, हरगांव, महोली, बिसवां एवं सीतापुर गन्ना समितियों द्वारा अतिरिक्त सट्ट पर बढ़ाया गया था। उनसे नियमानुसार जमानत की धनराशि जमा की गई थी। सभी कृषकों को समस्त पर्चियां दी गईं। जमा कराई गई जमानत की धनराशि नियमानुसार वापस की जा रही है। जो धनराशि कृषि निवेष निधि में जमा की गई है, उसको पांच वर्ष बाद 8 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वापस किया जायगा।

अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर, विकास क्षेत्र परतावल के लेखपाल द्वारा पूरक मतदाता सूच में फर्जी नाम बढ़ाये जाने के विरुद्ध जांच

93--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा पिपरपाती, वि० क्षे० परतावल, जनपद गोरखपुर के भू० पू० प्रधान श्री चन्द्रभान तिवारी ने गत प्रधान चुनाव के पहले मतदाताओं के नाम के संशोधन में कार्यरत लेखपाल के विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि जिन नामों को चुपके से लेखपाल ने बढ़ाया है या तो वे फर्जी हैं या उसकी आयु बहुत कम है या वे लोग उस गांव में रहते ही नहीं और जांच के पश्चात् उक्त आरोप सही पाये गये ? यदि हां, तो दोषी लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री चन्द्रभान तिवारी ने यह शिकायत की थी कि लेखपाल द्वारा बनायी गयी पूरक मतदाता सूची में एक प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए 10-12 साल के बच्चों का नाम बढ़ाया गया है। शिकायत की जांच करने पर लेखपाल द्वारा वर्ष 1982 में तैयार की गयी पूरक सूची दोषपूर्ण पायी गयी। दोषी लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

शंकर एग्रो इन्डस्ट्रीज, कप्तानगंज, देवरिया की सीलिंग से निकली हुई कथित अतिरिक्त भूमि

94--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शंकर एग्रो इण्डस्ट्रीज, कप्तानगंज (देवरिया) की सीलिंग में निकली हुई करीब 55 एकड़ भूमि गोरखपुर जिले के महावन खोर उर्फ बड़हरागांव में है जिसका वितरण आज तक गांव के भूमिहीनों में नहीं किया गया ? यदि हां तो क्यों ? दोषी, व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

शंकर एग्रो इन्डस्ट्रीज (देवरिया) की ग्राम महावनखोर उर्फ बड़हरा, तहसील महाराजगंज में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक अन्तिम रूप से कोई भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हुई है। अतः भूमिहीनों में भूमि वितरण का तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

95--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा वीरेन्द्र प्रताप शाही--

[6ठें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), आजमगढ़ द्वारा अस्थायी निबन्धक लिपिकों की नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत

96--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सितम्बर, 1981 से अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), आजमगढ़ द्वारा अनियमित रूप से चार अस्थायी निबन्धक लिपिकों की नियुक्ति की गयी है ? क्या यह भी सही है कि इस अनियमितता की शिकायत पर महानिरीक्षक (निबन्धक), उ0 प्र0, इलाहाबाद ने चयनित व्यक्तियों के अंकों की सूची उक्त जिला निबन्धक, आजमगढ़ से मांगी थी ? यदि हां, तो उस सूची में प्रत्येक अभ्यर्थी का क्या अंक है ? और उक्त विषय पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जनपद आजमगढ़ के लिए स्वीकृत 6 अस्थायी निबन्धक लिपिक के पदों पर अतिरिक्त जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व पदेन जिला निबन्धक, आजमगढ़ द्वारा अपने जिले में पहले से कार्यरत दो अनुमोदित अभ्यर्थियों को समायोजित करते हुए शेष चार पदों पर चयन अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979 के प्राविधान के अनुसार किया गया ।

चयन में अनियमितता की शिकायत महानिरीक्षक, निबन्धन को प्राप्त हुई है जिस पर जांच की जा रही है । चयनित व्यक्तियों के प्राप्तांकों को बताना जनहित में न होगा ।

97--श्री चेतराम गंगवार--

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त ।]

जनपद जौनपुर के श्री अब्दुल जहूर, निवासी बीवनमऊ के मकान में आग लगने से क्षति तथा आर्थिक सहायता की मांग

98--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के जलालपुर बाजार के निवासी श्री अब्दुल रऊफ पुत्र श्री जहूर का मकान दिनांक 2 दिसम्बर, 1981 को अचानक आग लगने से पूर्णतया जल कर राख हो गया ? क्या आर्थिक सहायता की याचना उन्होंने शासन से की थी और आज तक उन्हें किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की गयी ? क्या सरकार विपत्तिग्रस्त उक्त परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद जौनपुर के श्री अब्दुल रऊफ पुत्र जहूर, निवासी बीवनमऊ (मकान स्थित जलालपुर बाजार) के मकान के एक हिस्से में 2 दिसम्बर तथा 3 दिसम्बर, 1981 के मध्य की रात्रि में अचानक आग लगी थी जिसमें मकान के आगे के भाग में चौथाई अंश, जो खपरैल था, जल गया था ।

पीड़ित व्यक्ति द्वारा सहायता हेतु आवेदन-पत्र दिया गया था परन्तु नियमानुसार सहायता प्राप्ति की पात्रता की परिधि में न आने के कारण उन्हें कोई अहेतुक सहायता नहीं दी गयी ।

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में ए0 डब्लू0 बी0 एन0 के विरुद्ध शिकायती-पत्र

99--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में कार्यरत कितने ए0 डब्लू0 बी0 एन0 के विरुद्ध एस0 डी0 एम0 के फर्जी हस्ताक्षर करके नियुक्ति-पत्र देने एवं लाखों रुपए अनियमित ढंग से कमान आदि से सम्बन्धित शासन व जिले के अधिकारियों द्वारा अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ को माह जुलाई, 1982 से सितम्बर, 1982 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुयीं ? क्या इसमें श्री राम कुंवर, सहायक वासिल बाकी नवीस का भी नाम है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं ।

100--श्री सत्यपाल सिंह--

[5वें सोमवार में अतारांकित प्र0 सं0 119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ग्राम खानपुर खरमासी, जिला शाहजहांपुर में श्री इसरार खां द्वारा फर्जी बयनामा किये जाने की जांच

101--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 17-10-82 या इसके आस-पास प्रश्नकर्त्ता ने कोई आवेदन पत्र ग्राम खानपुर खरमासी, परगना जलालपुर, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर के खसरा नं0 148 रकबा 24 डि0 का फर्जी बयनामा इसरार खां द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में परगनाधिकारी, तिलहर को दिया है ? यदि हां, तो इस आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच से यह विदित हुआ है कि प्रश्नगत गाटे पर 1974 से इसरार खां पुत्र नन्हें खां के नाम अंकित है । इससे पूर्व यह गाटा इसरार खां तथा छेदी खां पुत्र बुद्धी खां के नाम संयुक्त रूप से दर्ज था । इसरार खां ने इस गाटे का बैनामा अखिलेश चन्द्र पुत्र राधेश्याम, निवासी खुदागंज के नाम कर दिया है । बैनामा फर्जी नहीं है, नियमानुसार किया गया है । अखिलेश चन्द्र पुत्र राधेश्याम के नाम दाखिल खारिज का आदेश होने के उपरान्त खतौनी में अमलदरामद हो चुका है ।

शिकायती-पत्र में यह कहा गया है कि छेदी खां पुत्र बुद्धी खां भारत विभाजन के समय पाकिस्तान चले गये । उन्हें मृतक दिखाकर इसरार खां पुत्र नन्हें खां सहखातेदार को गलत वारिस दर्ज किया गया है । जबकि उनका हिस्सा निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित होना चाहिये । इस तथ्य की जांच की जा रही है ।

हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक, शाखा न्योतनी, जिला उन्नाव से शमशाद अली तथा मो0 नवाब को डेरी के लिए ऋण प्रदान किये जाने का औचित्य

102--श्री भीखा लाल--

क्या वित मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक, शाखा न्योतनी जिला उन्नाव से शमशाद अली पुत्र रमजान अली निवासी न्योतनी के नाम से 3,700 रुपया लोन डेरी के नाम से 8 जनवरी, 1981 को तथा मो0 नवाब पुत्र अजीज अहमद, निवासी न्योतनी के नाम से 2,500 रुपया लोन डेरी के नाम से निकाला गया, जबकि प्रधान, ग्राम सभा न्योतनी तथा तहसीलदार, हसनगंज, जिला उन्नाव की रिपोर्टों के अनुसार उक्त दोनों नामों के व्यक्ति न्योतनी में नहीं रहते हैं ? यदि हां, तो ये फर्जी लोन किसके द्वारा वितरित किये गये, किसको वितरित किये और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक की न्योतनी शाखा (उन्नाव) द्वारा श्री शमशाद अली पुत्र रमजान, निवासी न्योतनी के नाम से 3,700 रुपये दिनांक 8 जनवरी, 1981 को तथा मो0 नवाब पुत्र अजीज अहमद, निवासी न्योतनी को 2,500 रुपये के दिनांक 23 फरवरी, 1981 को डेरी के लिये ऋण प्रदान किये गये ।

तहसीलदार, हसनगंज की रिपोर्ट के अनुसार जानकारी करने पर मालूम हुआ कि शमशाद अली पुत्र रमजान तथा मो0 नवाब पुत्र अजीज अहमद, न्योतनी के निवासी नहीं हैं । प्रधान, ग्राम सभा न्योतनी न प्रमाण-पत्र, दिनांक 14 मई, 1982 को उपरोक्त व्यक्तियों के न्योतनी निवासी होने की पुष्टि की थी, परन्तु बाद में विभागीय जांच करने पर पता चला कि ये व्यक्ति न्योतनी में नहीं रह रहे थे । श्री सिद्दीकी का कहना है कि ऋण देने के समय ये व्यक्ति इसी गांव में रहते थे ।

यह ऋण तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, श्री वाहिद हुसैन सिद्दीकी द्वारा दिये गये थे ।

अध्यक्ष ग्रामीण बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 9 दिसम्बर, 1982 को बैंक की संचालक मण्डल की बैठक में श्री सिद्दीकी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि सही स्थिति सामने आने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध बैंक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

ग्राम अदौरा, जिला उन्नाव में पूर्ण रूप से गिरे मकानों को अनुदान

103--श्री भीखा लाल--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 81के 1ले शुक्र0 के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 107 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अदौरा, परगना औराव, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में कितने मकान सम्पूर्ण गिरे थे और कितने मकान अपूर्ण गिरे थे ? इन मकानों के मालिकों को कितना धन अनुदान के रूप में वितरित किया गया और यदि नहीं किया गया तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1980 में ग्राम अदौरा, परगना औरास, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में केवल 53 मकान पूर्ण रूप से गिरे थे जिनके मकान मालिकों को 300 रु0 प्रति व्यक्ति की दर से कुल 15,900 रु0 वितरित किया गया था। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर राजस्व परिषद् की

संस्तुति तथा विचार

104--श्री भीखा लाल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 7वें शुक्र0 के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 9 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर राजस्व परिषद् की संस्तुति शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या निर्णय लिया है और क्या उस निर्णय की सूचना अग्रिम कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी, उन्नाव को दे दी गई है ? यदि हां, तो क्या निर्देश दिये गए हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, जिलाधिकारी के प्रश्नगत प्रस्ताव पर, राजस्व परिषद् की संस्तुति शासन को प्राप्त हो गई है जो अभी शासन के विचाराधीन है। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

सीलिंग से प्राप्त भूमि का वन विभाग को हस्तान्तरण

105--श्री भीखा लाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने ऐसा निर्णय लिया है कि सीलिंग से प्राप्त भूमि जिसका एकजाई रकबा पांच एकड़ से अधिक है उसे वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाय ? यदि हां, तो ऐसा निर्णय क्यों और किस आधार पर लिया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रदेश में सामाजिक वानिकी का एक वृहद कार्यक्रम चलाने हेतु वन विभाग को 2 हेक्टेयर भूमि प्रति विकास खण्ड उपलब्ध कराने के आदेश दिनांक 22 जुलाई, 1981 को दिये गये थे। यह भूमि निम्नलिखित स्रोतों से दी जानी थी :--

(1) गांव सभा अथवा सीलिंग की ऐसी भूमि, जो अभी निर्बल वर्ग को आवंटित न की गई हो अथवा उन्हें वास्तविक कब्जा न दिया गया हो।

(2) गांव सभा अथवा सीलिंग की ऐसी भूमि जिस पर प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा हो। इस कब्जे को बल पूर्वक हटाकर भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

(3) राजकीय आस्थान की भूमि।

(4) खण्ड विकास कार्यालय अथवा अन्य सरकारी कार्यालयों की पड़ी हुई भूमि ।

(5) गांव सभा को सामुदायिक प्रयोग के लिए छोड़ी गई भूमि ।

सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद परसेन्डी तथा ऐलिया के गांवों द्वारा चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति

106--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद, परसेन्डी तथा ऐलिया के ऐसे गांव कौन-कौन हैं जो कि मिलों को गन्ना आपूर्ति करने हेतु किसी भी गन्ना सोसाइटी से सम्बद्ध नहीं हैं जिससे कि वह गन्ना उत्पादित करने के बाद भी मिलों को सप्लाई नहीं कर पाते ? क्या सरकार उनका सर्वे कराकर चालू वर्ष से सही कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

विकास खण्ड परसेन्डी तथा एलिया के समस्त ग्राम गन्ना पूर्ति हेतु हरगांव तथा बिसवां चीनी मिलों को आरक्षित हैं । खैराबाद विकास खण्ड के ग्राम हरगांव मिल को आरक्षित किए गए हैं । केवल दो ग्राम लक्ष्मनपुर तथा कनवा खेड़ा आरक्षित नहीं किए जा सके क्योंकि उन ग्रामों के कृषक वर्ष 1982-83 के सट्टे को निर्धारित नीति की परिधि में नहीं आते थे अतः सट्टा नहीं किया जा सका है ।

ग्राम समाज नकटपुर कलां, जिला मुरादाबाद के प्रधान द्वारा अनधिकृत कब्जेदारों को दी गई भूमि के विरुद्ध कार्यवाही

107--श्री रियासत हुसैन---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज नकटपुर कला, तहसील व जिला मुरादाबाद के प्रधान ने जो जमीन अपने चाचा, ताऊ तथा अन्य लोगों को अनधिकृत रूप से आबादी के लिए दे दी है उस सम्बन्ध में शिकायती-पत्र माह मई, जून, 82 में जिलाधिकारी, मुरादाबाद तथा एस० डी० एम० को ग्राम सभा के मेम्बरों ने दिया ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

दिनांक 23 जून, 1982 को सर्वश्री मुश्ताक हुसैन व नजाकत हुसैन निवासीगण नकटपुरी कलां ने शिकायती-पत्र दिया था । जांचोपरान्त अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जो तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन हैं । लेखपाल तथा प्रधान, नकटपुरी कलां को कर्तव्यों की अवहेलना करने व अवैध कब्जेदारों की रिपोर्ट न करने पर निलम्बित किया गया है ।

अवशेष गन्ना पूर्ति का भुगतान एन० एस० सी० के रूप में किये जाने का कथित आदेश

108--श्री हरगोविन्द वर्मा---

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया है कि किसान का वर्ष 1981-82 का खड़ा गन्ना जो 1982-83

में लिया जायेगा उसका पेमेन्ट बान्ड (एन0 एस0 सी0) के रूप में किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या बिसवां यूनियन ने पर्चे बांट कर अथवा नोटिस निकाल कर किसानों को इस योजना की जानकारी दी है ? क्या सरकार अपनी नीति स्पष्ट करने की कृपा करेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी नहीं ।

वर्ष 1981-82 के अवशेष गन्ना पूर्ति का भुगतान एन0 एस0 सी0 के रूप में किये जाने के कोई आदेश नहीं दिये गए हैं और न ही बिसवां गन्ना समिति द्वारा ऐसे कोई परिपत्र जारी किया गया है ।

ट्रैक्टरों के ट्रेलर की बिक्री पर विक्रय कर समाप्त किये जाने के कथित आदेश

109--श्री छत्तर सिंह--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग से 15 फरवरी 1980 को जारी की गई विज्ञप्ति जिसमें उन्होंने ट्रैक्टरों के ट्रेलर की बिक्री पर विक्रय कर समाप्त कर दिया था के अनुसार आदेश क्रियान्वित हुए ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

15 फरवरी, 1980 को कोई ऐसी विज्ञप्ति गजट में प्रकाशित नहीं हुई जिसके अनुसार ट्रैक्टर के ट्रेलरों को बिक्रीकर से मुक्त किया गया हो । अतः उस के कार्यान्वयन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम सभा रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में स्थित मंदिर, मस्जिद, शिवाले, कब्रिस्तान, श्मशान एवं नक्शे में दर्शाने का नियम

110--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत कितने मन्दिर, मस्जिद, शिवाले, कब्रिस्तान, श्मशान हैं ? क्या यह गांव के नक्शे में दर्शाये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस भू-खन्डों में स्थित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

(1) ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत, मन्दिर, मस्जिद, शिवाले, कब्रिस्तान, श्मशान निम्न रूप में है :--

1--मन्दिर	4
2--मस्जिद	6
3--कब्रिस्तान	6

4--शिवाले व श्मशान नहीं हैं ।

(2) ग्राम की आबादी एवं बंजर के अन्तर्गत होने के कारण नक्शों में नहीं दर्शाये गये हैं ।

(3) मन्दिर गाटा सं0 1690,1854, 2200 व 1102 ।

मस्जिद गाटा सं0 763, 1664, 182, 51, 1155 व 1116 ।

कब्रिस्तान गाटा सं0 237, 238, 239, 493, 1154 व 1038 में स्थित हैं ।

(4) आबादी के अन्तर्गत पृथक-पृथक दर्शाने का नियम नहीं है ।

111—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या यह सही है कि गांव में स्थित मन्दिर, मस्जिद आदि को नक्शे में दर्शाने का कोई नियम नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

चकबन्दी अधिनियम की धारा 3 (5) के अन्तर्गत भूमि (Land) की परिभाषा में आबादी भूमि नहीं आती है । इस कारण आबादी चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक है तथा इसकी पड़ताल नहीं की जाती है । आबादी के अन्तर्गत केवल आबादी अंकित करने का ही नियम है । अलग से दर्शाने का कोई नियम नहीं है ।

ग्राम सभा रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत पुरवे व जनसंख्या एवं निजी तथा सरकारी कुएं

112—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत कितने पुरवे हैं ? प्रत्येक का नाम व जनसंख्या क्या है ? ग्राम सभा के अन्तर्गत कितने निजी कुएं और कितने सरकारी कुएं किस भूखंड पर हैं ? निजी कुओं के मालिकान कौन-कौन हैं ? तथा क्या वे गांव के नक्शों में दर्शाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री नूरुल हसन बनाम पराग आदि के फैसले पर विचार

113—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अपील संख्या 418 के अन्तर्गत धारा 78 सी0 एच0 रूल्स श्री नूरुल हसन बनाम पराग आदि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर जो कि 27-10-56 को न्यायालय एस0 ओ0 सी0, सुल्तानपुर से फैसला हुआ है परन्तु कागजात में आज तक अमल दरामद नहीं हुआ है उसका क्या कारण है ? क्या इसका अमल दरामद कराने का आदेश देंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

अपील पत्रावली संख्या 418 नियम 78 सी0 एच0 रूल्स निर्णीत दिनांक 27-10-56 की पत्रावली दिनांक 4-1-73 को नष्ट की जा चुकी है । अमल-दरामद न होने के कारण ज्ञात नहीं है ।

उपरोक्त आदेश पुरानी चकबन्दी जिसको लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं, का है भजन बनाम नूरुल हसन निगरानी सं0 74 धारा 48 चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत दायर हुई जिसका निर्णय दिनांक 20-2-57 को हुआ। निगरानी की पत्रावली भी दिनांक 4-1-73 को नष्ट की जा चुकी है। तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं उप संचालक चकबन्दी न्यायालय के मिसिल बन्द रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार निगरानी संख्या 74 धारा 48 निर्णीत दिनांक 20-2-57 में क्या आदेश पारित हुए थे, ज्ञात नहीं हो सकता है। इसलिए अपील संख्या 418 नियम 78 के फैसले का अमलदरामद कराना सम्भव नहीं है। इस ग्राम में दोबारा चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत प्रकाशन अभी नहीं हुआ है। धारा 9 के प्रकाशन पर श्री नूरुल हसन की आपत्ति प्रस्तुत करने पर ही इस विवाद पर विचार किया जा सकेगा।

ग्राम मंगरौरा, जिला सुल्तानपुर में श्रीमती अहमदी बेगम की सम्पत्ति का शत्रु सम्पत्ति घोषित किये जाने संबंधी वाद

114--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 2 रे शुक्र के अता0 प्र0 सं0 32 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खाता संख्या 51 का 1/3 भाग शत्रु सम्पत्ति घोषित किये जाने हेतु वाद किस न्यायालय में कब प्रस्तुत किया गया है ?

श्री ब्रजनाथ कुरील--

मंगरौरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में खाता खतौनी संख्या-- 51 में श्रीमती अहमदी बगम और उनके परिवार के अन्य पाक रष्ट्रिक सदस्यों के भागों के अन्य भारतीय नागरिक व्यक्तियों के पक्ष म अन्तरण सम्बन्धी चकबन्दी अधिकारी के निर्णय दिनांक 30-9-80 को निरस्त किये जाने के विरुद्ध अपील संख्या--2273 बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के न्यायालय में दिनांक 3-9-82 को प्रस्तुत की जा चुकी है, श्रीमती अहमदी बेगम और उनके परिवार के पाक रष्ट्रिक सदस्यों के उपरोक्त खाते में भागों को अभिरक्षक शत्रु सम्पत्ति के नाम अंकित किये जाने के लिये एक वाद चकबन्दी अधिकारी, जगदीशपुर के न्यायालय में दिनांक 10-9-82 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्री छविराज मौर्य, सहायक चकबन्दी अधिकारी के मेमोरियल पर आख्या एवं परीक्षण

115--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री छविराज मौर्य, ए0 सी0 ओ0, चकबन्दी बांसगांव, गोरखपुर वर्तमान तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर की चरित्रपंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करने तथा सत्य निष्ठा प्रमाणित न किये जाने के संबंध में उनके मेमोरियल दिनांक, 12-7-76 जो सचिव, राजस्व विभाग को प्रेषित की गयी है पर आज तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

चरित्र पंजिका में कार्य तथा सत्यनिष्ठा न प्रमाणित किये जाने के विरुद्ध श्री छविराज मौर्य, सहायक चकबन्दी अधिकारी के मेमोरियल दिनांक 12-7-76 जो राजस्व सचिव को सम्बोधित थी पर आख्या शासन को दिनांक 18-2-83 को प्राप्त हो चुकी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद रायबरेली में मोहल्ला-जहांनाबाद निकट रंगमहल में मकान व खंडहर को निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित किया जाना

116—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के 2रे शुक्र के अता० प्र० सं० 33 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मकान की बेदखली आदि का वाद कब से और किस न्यायालय में विचाराधीन है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में स्थित भूखंड संख्याओं पर दर्ज नाम और आधार

117—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित भूखंड संख्या 792-356, 1359 फ० तथा 1360 फ० में किसके नाम दर्ज हैं ? 1362-63 फसली में किसके नाम दर्ज किया गया है ? उसका आधार क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर की खतौनी सन् 1359 फ० के प्रथम भाग भूखंड संख्या 192, क्षेत्रफल 18 बिस्वा 14 बिस्वांसी श्रेणी 4-स के अंतर्गत खाता संख्या 66 पर अब्दुल वाहिद खां व अब्दुल कादिर खां पिसरान मोहम्मद मुस्तफा खां अकवाम भाले सुल्तान साकिनदेह के नाम तथा द्वितीय भाग में खाता संख्या 83 66 पर मुमताज पुत्र नवाब साकिनदेह का नाम श्रेणी 12 में बिना लगान बतौर शिकमी अंकित है । 1360 फ० की खतौनी के कुछ पृष्ठ फट जाने के कारण प्रथम भाग में प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है । खतौनी के द्वितीय भाग में उक्त भूखंड श्रेणी 8 के अंतर्गत खाता संख्या 135 पर मुमताज सुत नवाब साकिनदेह के नाम अंकित हैं । 1362 फ० की खतौनी के प्रथम भाग में खाता संख्या 141 पर श्रेणी-2 के अंतर्गत अब्दुल वाहिद सुत मुस्तफा तथा निसार व अली अहमद पिसरान अब्दुल कादिर के नाम एवं द्वितीय भाग में श्रेणी 8 के अंतर्गत खाता संख्या 98 141 पर मुमताज सुत नवाब के नाम अंकित हैं । 1362 फ० की खतौनी के प्रथम भाग में खाता संख्या 141 से भूखंड संख्या 792 खारिज करके मुमताज सुत नवाब के नाम बलगान बतौर सीरदार दर्ज करने के आदेश अंकित हैं । इसी आशय का आदेश खाता संख्या 98/141 पर भी अंकित है ।

भूखंड संख्या 356 क्षेत्रफल 10 बिस्वा 13 बिस्वांसी 1359 फ० की खतौनी के प्रथम भाग में श्रेणी 6-ब के अंतर्गत खाता संख्या 148 तथा 1362 फ० की खतौनी के प्रथम भाग बतौर भूमिधर खाता संख्या 48 पर नरायन सुत गुलजार तथा

भगवानदीन व बाल गोविन्द पिसरान महावीर के नाम अंकित हैं। 1360 फ0 की खतौनी के कुछ पृष्ठ फट जाने के कारण प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है। 1363-64 फ0 की खतौनी जो चकबन्दी प्रक्रिया के पश्चात् निर्मित हुई, में भूखंड संख्या 792 से बना नया भूखंड संख्या 1184 क्षेत्रफल 18 बिस्वां 14 बिस्वांसी खाता संख्या 306 पर मुमताज सुत नवाब साकिनदेह को नाम बतौर सीरदार दर्ज किया गया है। भूखंड संख्या 356 से निर्मित नया भूखंड संख्या 69 का क्षेत्रफल 10 बिस्वा 13 बिस्वांसी खाता संख्या 79 पर नारायन सुत गुलजार तथा भगवान दीन व बाल गोविन्द पिसरान महावीर के नाम अंकित हैं।

भूखंड संख्या 356 के खातेदारों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भूखंड संख्या 792 के खातेदारों के नाम में परिवर्तन अधिवासियों को अधिनियम संख्या 20, सन् 1954 के कानून के द्वारा सीरदारी अधिकार दिये जाने के फलस्वरूप हुआ है।

ग्राम दौलतपुर निसूरा, जिला सुल्तानपुर में श्री अब्दुल शकून द्वारा छोड़े गये मकान को निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित किया जाना

118--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर निसूरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में खाता संख्या 93 का सह-खातेदार श्री अब्दुल शकूर पुत्र अब्दुल गफूर खां वर्ष 1955 में पाकिस्तान चला गया है और पाक राष्ट्रीय है? यदि हां, तो इसके भूमि व निवास स्थान को शत्रु सम्पत्ति घोषित न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। श्री अब्दुल शकून पुत्र श्री अब्दुल गफूर सन् 1955 से पूर्व पाकिस्तान चले गये थे जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा ग्राम दौलतपुर निसूरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में छोड़े गये मकान व भूमि निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दिये गये हैं, न कि शत्रु सम्पत्ति।

ग्राम मंगरौरा, जिला सुल्तानपुर में ग्राम समाज की आवंटित भूमि

119--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मंगरौरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में ग्राम समाज की कितनी भूमि है? साल 1970 से 31-4-82 तक ग्राम समाज की कितनी भूमि, किसको कृषि उद्योग अथवा भवन आदि के लिए आवंटित की गयी है?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्नगत ग्राम मगरौरा में ग्राम समाज 128 बीघा 10 बिस्वा 12 धूर भूमि है। इसमें से वर्ष 1970 से 31-4-1982 तक 15 बीघा 5 बिस्वा 11 धुर भूमि कृषि कार्यों के लिये निम्नांकित 10 व्यक्तियों को दी गयी।

1--सर्व श्री गुरू सुत लाला।

2--श्री कामता सुत राम लाल।

3--श्री रोहित सुत राम नारायन।

4--श्री सुफल सुत रामदीन ।

5--श्री मोहन सुत रतीपाल ।

6--श्री इन्द्रपाल सुत सुकई ।

7--श्री दुलारे सुत जगमोहन ।

3--श्री लल्लू सुत जगमोहन ।

9--श्री बड़े लाल सुत बृजू ।

10--श्री बेचू सुत जग प्रसाद ।

उपरोक्त के अलावा 1050 वर्ग फीट भूमि आवास स्थल के लिए निम्नांकित 7 व्यक्तियों को आवंटित की गयी :

1--सर्वश्री सूर्यपाल सुत स्वरूप ।

2--श्री दया राम सुत लक्षिमन ।

3--श्री सुफल सुत राम दीन ।

4--श्री दाता राम सुत मेड़ई ।

5--श्री चन्द्र पाल सुत रतीपाल ।

6--श्री गुरू सुत शिवदीन ,

7--श्री घनी सुत दुखी ।

उद्योग के लिये कोई भूमि आवंटित नहीं की गई ।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर के सम्पर्क मार्ग के अनियमित पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही

120--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले शुक्र के अता0 प्र0 संख्या के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूखंड का पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही कब की गयी ? भूखंड का पट्टा अभी तक निरस्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मामला अपर जिलाधिकारी सुल्तानपुर के न्यायालय में विचाराधीन है ।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में तालाब संख्या 1152 से सिंचाई

121--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले शुक्र के अता0 प्र0 सं0 94 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तालाब संख्या 1152 से सर्व श्री वाहिद खां, रजब अली इलतीकात अहमद, रामदास मुराई, हसन अली, महबूब अली, वली मुहम्मद, इस्माइल खां, गुलाम मोहम्मद खां, अब्दुल खां, हसन अली पुत्र आजम, जमाल अहमद, जमील अहमद तथा रतन कुमार आदि किन-किन खेतों की सिंचाई करते हैं खसरा नं0 के अनुसार क्या इस तालाब से सिंचाई होना दर्ज है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त तालाब के निकट 2 निजी नलकूप और नहर का पानी उपलब्ध है, जिस से सिंचाई होती है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

अब्दुल वाहिद खां पुत्र मुस्तफा खां के नाम आराजियात नं0 1131, 1132, 1133, 1134, 1138, 1139, 1142, 1143, 1181, 1182, 1183 श्रीमती लिहाजन स्त्री अ0 वाहिद खां, जिनकी मृत्यु हो चुकी है के नाम खसरा नं0 1158, 1160, 1161, 1162, 1163, 1170 मि0, 1171, 1172 गुमानी पुत्री अली बख्श के नाम आराजियत 1177, 1178, 1179, गुलाम मोहम्मद पुत्र दोस्त मोहम्मद के नाम आराजी नं0 1153/2 शिवराज पुत्र हरी बख्श के नाम आराजी नं0 340, धिराजा स्त्री कल्लू के नाम भूमि नं0 1185 अब्दुल गफूर पुत्र वाजिद अली रजा, हसन रजा, मुंशीरजा, कायम रजा, पुत्रगण अब्दूल सत्तार के नाम आराजी नं0 1164, 1167, 1168, 1170 मि0, 1174, बुधिराम, शिवराम, सालिक राम, धर्म राज पुत्रगण मतई के नाम आराजी नं0 1176 राम आधार पुत्र बुद्धी के नाम भूमि नं0 1166 तथा सूखी पुत्र सुचित के नाम आराजी नं0 1187 की सिंचाई ग्राम रसूलपुर परगना जगदीशपुर में स्थित तालाब संख्या 1152 से की जाती है। इन आराजियात में बोई गई फसल की सिंचाई खसरे में अंकित है।

इस तालाब के पश्चिम तरफ लगभग 200 गज की दूरी पर भूमि नं0 475 में मोहम्मद शफी का नलकूप तथा उत्तर तरफ लगभग 150 गज की दूरी पर आराजी नं0 139 में इशतियाक अहमद का नलकूप एवं लगभग 350 गज की दूरी पर पूरब तरफ आराजी नं0 1280 में अख्तर अली का नलकूप है। ये सभी नलकूप प्राइवेट हैं। तालाब के निकट के काश्तकारान तालाब में पानी उपलब्ध रहने पर तालाब से ही सिंचाई करते हैं। किन्तु जब तालाब में पानी उपलब्ध नहीं रहता अथवा तालाब से सींचने वाले व्यक्तियों का भीड़ ज्यादा हो जाती है तो नलकूप के निकट जो काश्तकारों के नम्बर पड़ते हैं उससे भी पानी ले लेते हैं।

नहर तालाब के निकट के चकों से काफी दूरी पर हैं और इसकी नाली भी वर्तमान समय में आराजी नं0 475 तक ही मौके पर बनी है। काश्तकारों ने बताया कि नहर की नाली पहले तालाब के निकट के चकों तक आई थी, नहर का पानी जब इन चकों में नहीं पहुंच पाया तो काश्तकारों ने नहर की नालियां पाट दी और अपने व्यक्तिगत नलकूप लगवाये। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि तालाब के निकट के चकों की सिंचाई के लिये काश्तकारों को पानी निःशुल्क मिल जाता है और निकट के व्यक्तिगत नलकूपों से पानी महंगा पड़ता है। इस कारण भी काश्तकार तालाब में पानी उपलब्ध रहने पर भरसक तालाब से ही सिंचाई करते हैं।

मछली पालन हेतु तालाबों के पट्टे पर सिंचाई अथवा मिट्टी निकालने पर प्रतिबन्ध

122--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन तालाबों को मछली पालन हेतु पट्टे पर दिया जाता है उसमें सिंचाई अथवा मिट्टी निकालने पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 2 मई, 1981 में स्पष्ट निर्देश हैं कि तालाबों को मछली पालन हेतु पट्टे पर देने में यदि उस तालाब का परम्परागत सार्वजनिक उपयोग यथा कपड़ा धोना, सिंचाई, मिट्टी निकालना आदि होता रहा है तो वह पूर्ववत् होता रहेगा तथा इस बात का पट्टे की शर्तों में विशिष्ट उल्लेख होगा कि पट्टेदार उक्त परम्परागत उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

माठ, जिला मथुरा में चीनी मिल लगाने की योजना

123—श्री सरदार सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मांठ, जिला मथुरा में कोई चीनी मिल लगाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह मिल कब तक बन कर कार्य करने लगेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मांठ जिला मथुरा में चीनी मिल लगाने का लाइसेंस का प्रार्थना-पत्र भारत सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है। उस सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रत्यावेदन भेजा जाना विचाराधीन है। लाइसेंस उपलब्ध न होने के कारण चीनी मिल लगाने का कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना विकास परिषद्, प्रतापपुर, जिला देवरिया में निर्मित सड़कें तथा लागत

124—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना विकास परिषद्, प्रतापपुर जिला देवरिया में 1 जनवरी, 1977 से 15 अक्तूबर, 1982 तक कहां-कहां कितनी लागत से सड़क बनी है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गन्ना विकास परिषद्, प्रतापपुर, जिला देवरिया में 1 जनवरी, 1977 से 15 अक्तूबर, 1982 तक बनाई गई सड़कों का विवरण एवं उनकी लागत संलग्न है।

देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1177 पर।

श्री राजा राम यादव, नायब तहसीलदार, जिला फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

125—श्री माता प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजाराम यादव, नायब तहसीलदार, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के विरुद्ध श्री दामोदर शर्मा, विधायक का कोई शिकायती-पत्र माह अगस्त/सितम्बर, 1982 में जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर प्रस्तरवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या जिलाधिकारी स्वयं उक्त पत्रावली एवं सम्बन्धित स्थान का निरीक्षण करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

माननीय विधायक श्री दामोदर शर्मा, के कथित शिकायती-पत्र दिनांक 5 अगस्त, 1982 में मुख्य आरोप यह लगाया गया था कि मौजा-बवां के अन्तर्गत नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज की मुख्य नर्सरी के सामने स्थित तालाब की भूमि को उक्त नायब तहसीलदार द्वारा गलत रिपोर्ट देकर तत्कालीन परगनाधिकारी से माह मार्च/अप्रैल, 1982 में तालाब के बजाय कृषि योग्य बंजर भूमि घोषित करने तथा रिश्वत लेकर उक्त भूमि का अनियमित आवंटन कराने की कार्यवाही की जा रही है, जबकि उक्त भूमि मौके पर तालाब है ।

कथित शिकायतों की जांच तहसीलदार तथा परगनाधिकारी द्वारा की गई तथा स्थल निरीक्षण भी किया गया । जांचोपरान्त आरोप सही नहीं पाये गये । प्रश्नगत तालाब को कृषि योग्य बंजर भूमि अंकित करने का कोई आदेश खतौनी में अंकित नहीं है । सम्बन्धित पत्रावली का निरीक्षण जिलाधिकारी द्वारा किया गया है । परगनाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर लिये जाने के कारण सम्प्रति जिलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

ग्राम मेहनुआ, जनपद बस्ती के निवासियों द्वारा जिलाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी से की गयी कथित शिकायत

126--श्री विजय सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा चिउटहा के ग्राम मेहनुआ जनपद बस्ती विकास खंड खेसरहा के लेखपाल द्वारा 1982 की मतदाता सूची में कुछ फर्जी नामों को शामिल कर दिया है तथा कुछ ऐसे मतदाता जिनकी आयु 22 वर्ष से अधिक है और जिन्होंने पिछले संसद एवं विधान सभा के चुनावों में मतदान किया है, का नाम 1982 की ग्राम सभा की नयी मतदाता सूची में दर्ज नहीं किया है ? जिसके कारण ऐसे अधिकांश लोग मतदान के अधिकार से वंचित रह गये हैं ? इस सम्बन्ध में मार्च, 1982 में ग्राम के कुछ लोगों ने जिलाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर शिकायत किया ? ऐसी दशा में इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में मार्च, 1982 में जिलाधिकारी, बस्ती तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी, बस्ती से कोई शिकायत नहीं की गयी । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

127--श्री प्रभू नारायण सिंह--

[6ठें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 148 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रदेश में तहसीलों के पुनर्गठन पर विचार तथा बांदा के अतर्रा को नयी तहसील बनने पर विचार

128--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तहसीलों के पुनर्गठन पर विचार हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में कोई

समिति का गठन 18 मई, 1982 को हुआ है ? यदि हां, तो प्रदेश में कितनी तहसीलों के पुनर्गठन पर विचार हो रहा है और पुनर्गठन पर निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री बंजनाथ कुरील--

जी हां ।

उक्त समिति को 30 जून, 1983 तक अपने प्रतिवेदन प्रेषित करने के लिए समय दिया गया है समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी तथा शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

129--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अतर्रा को नयी तहसील बनाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंजनाथ कुरील--

प्रदेश में तहसीलों के पुनर्गठन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु शासन द्वारा अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा चुका है। उक्त समिति को 30 जून, 1983 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय दिया गया है । समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज में बाढ़ ग्रस्त ग्रामों की नायब तहसीलदार श्री राम चन्द्र यादव द्वारा दी गयी सूची

130--श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बस्ती जनपद की तहसील डुमरियागंज में 12 सितम्बर. 82 को आई बाढ़ में बाढ़ग्रस्त ग्रामों की सूचना जो नायब तहसीलदार उत्तरी श्री राम चन्द्र यादव ने दी थी उसमें वह सभी ग्राम सम्मिलित नहीं किये गये थे जिनकी कि बाढ़ में तहसीलदार डुमरियागंज ने मौके पर जा कर जांच के बाद सम्मिलित किया ? यदि हां, तो क्या नायब तहसीलदार श्री राम चन्द्र यादव के विरुद्ध शासन को असत्य सूचना देने के कारण आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंजनाथ कुरील--

बस्ती जनपद की तहसील डुमरियागंज में 12 सितम्बर, 1982 को आई बाढ़ में बाढ़ग्रस्त ग्रामों की जो सूचना नायब तहसीलदार श्री राम चन्द्र यादव ने दी थी उसमें वह सभी ग्राम सम्मिलित थे जिन्हें तहसीलदार डुमरियागंज ने अपनी जांच आख्या में दर्शाया था । बाढ़ ग्रस्त ग्रामों की सूची में कोई अन्तर नहीं पाया गया । अतः इस सम्बन्ध में प्रश्नगत नायब तहसीलदार के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड बरहज व भागलपुर के ग्रामों में बाढ़ से जल भराव तथा पात्र व्यक्तियों को सहायता

131--श्री मोहन सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खंड बरहज और विकास खंड भागलपुर के किन-किन गांवों में इस वर्ष जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 1982 में घाघरा नदी की बाढ़ से जल भराव हो गया था ? उन गांवों की आबादी क्या है और उन गांवों में शासन की ओर से कितनी मात्रा में खाद्यान्न, मिट्टी का तेल और अन्य राहत सामग्री वितरित की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

देवरिया जनपद के विकास खंड बरहज एवं विकास खंड भागलपुर के ग्राम परिसया कुरह, परिसया देवार, विशुनपुरा देवार, गौरा, बरहज, राजपुर, रायपुरा चक लाल तथा भागलपुर, चित्तूपुर, तेलिया कुर्मी, मइल, नरसिंह डांड, सिसबनिया, तेलिया अफगान, बलिया उत्तर, बलिया दक्षिण एवं महाल गरेजी में नदी घाघरा की बाढ़ से जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 1982 में जल भराव हो गया था। उन ग्रामों की आबादी क्रमशः 911, 3054, 2445, 9262, 12007, गैर आबाद 589, 3047, 483, 2122, 1989, 1471 गैर आबाद 1389, 1194, 1118 तथा गैर आबाद है। उक्त ग्रामों में से ग्राम परसिया कुरह, परसिया देवार एवं विशुनपुरा देवार पूर्ण रूप से पानी से घिरे थे जहां नियमानुसार शासन की ओर से 106--88 क्वि0 गेहूं 1,048 लीटर मिट्टी का तेल, 8·30 क्वि0 नमक, 756 दियासलाई एवं 56 कम्बल पात्र व्यक्तियों में वितरित किया गया। अन्य ग्रामों की स्थिति ऐसी नहीं पायी गयी जहां नियमानुसार सहायता दी जा सके।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर के अधीन प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों द्वारा चिकित्सा व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति का आधार

132--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् शाहजहाँपुर के अधीन प्रतिनियुक्ति पर आये निदेशक, डा0 एच0 एन0 सिंह, सेवा निवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, श्री महावीर सिंह तथा सेवा निवृत्त लेखा अधिकारी, श्री रामनाथ गुप्ता को उन्हें तथा उनके परिवारों की चिकित्सा पर हुए व्यय की धनराशि का भुगतान किन नियमों के आधार पर किया गया जबकि राजकीय अधिकारी होने के नाते सरकार द्वारा दी जा रही सुविधायें उन्हें उपलब्ध थीं?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

डा0 एच0 एन0 सिंह, निदेशक उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् को, जिन्हें तदर्थ रूप से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इस परिषद् की सेवा नियमावली के नियम 19-6 के अधीन उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् की गवर्निंग बाडी के अनुमोदनोपरान्त चिकित्सा व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गयी।

सर्वश्री महावीर सिंह, सेवा निवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रामनाथ गुप्ता, सेवा निवृत्त लेखा अधिकारी को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के विषय में सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी किये गये शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण किया जा रहा है। निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाई की जायगी।

गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर में कार्यरत श्री चन्द्रधर शर्मा, वरिष्ठ शोध सहायक की पदोन्नति के सम्बन्ध में निर्णय

133--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर में कार्यरत श्री चन्द्र धर शर्मा, वरिष्ठ शोध सहायक की पदोन्नति लोक सेवा न्यायाधिकरण के निर्देश दिनांक 24-8-77 के उपरान्त भी इन 5 वर्षों के अन्तराल में रिक्त पद होते हुए भी अब तक नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्री चन्द्र धर शर्मा, वरिष्ठ शोध सहायक की पदोन्नति के सम्बन्ध में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 25-8-77 में दिये गये निर्णय में यह निर्देश दिये गये हैं कि एग्रोनामिस्ट (श्रेणी -2) के रिक्त पदों पर अग्रिम चुनाव के समय श्री शर्मा के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय। वर्ष 1977 में राजकीय शोध संगठन का प्रारुप उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के रूप में गठित हो जाने के फलस्वरुप स्थिति में कुछ परिवर्तन हो गया है। जोनल एक्सटेन्शन तथा स्ट्रायल एक्सटेन्शन एण्ड ले आउट आफ जोनल ट्रायल्स योजना, जिसके अन्तर्गत श्री चन्द्रधर शर्मा, वर्ग-- 1 में कार्यरत हैं, पूर्णरूप से परिषद् में सम्मिलित हो गयी। फलस्वरूप अन्य कर्मचारियों के साथ श्री शर्मा से परिषद् सेवा में संविलयन हेतु विकल्प देने के लिए लिखा गया है। श्री शर्मा से विकल्प प्राप्त होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

ग्राम सभा ईश्वरपुर, जिला आजमगढ़ की जमीन पर अवैध कब्जे हटवाने के सम्बन्ध में जांच तथा थाना इन्चार्ज द्वारा करायी गयी मुनादी

134--श्री अबुल कलाम--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा ईश्वरपुर (कोयलसा बाजार), तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ की ग्राम सभा ने गत सितम्बर, 1982 के महीने में कोई प्रस्ताव ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे हटवाने के सम्बन्ध में पास करके परगनाधिकारी, फूलपुर एवं जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पास भेजा था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। परगनाधिकारी फूलपुर ने मौके पर जांच करके अवैध कब्जा हटवा दिया है।

135--श्री अबुल कलाम--

क्या यह सही है कि परगनाधिकारी, फूलपुर ने मौका निरीक्षण के बाद जमीन खाली कराने की मुनादी भी करायी थी और पुनः थाना इन्चार्ज ने भी इसी तरह की मुनादी करायी थी किन्तु अवैध कब्जे आज तक नहीं हटाये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

परगनाधिकारी, फूलपुर द्वारा इस सम्बन्ध में निरीक्षणोपरान्त अपने कर्मचारियों द्वारा सभी कब्जेदारान को अवैध कब्जा हटाने हेतु एक मुनादी कराई गई थी तथा थानाध्यक्ष अतरौलिया द्वारा भी मुनादी कराई गई । तत्पश्चात् दिनांक 19-10-82 को प्रशासनिक तौर पर अवैध कब्जा हटवा दिया गया ।

गन्ना सहकारी समिति, बढ़नी के सचिव श्री तिवारी का स्थानान्तरण रोके जाने के आदेश

136--श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के गन्ना सहकारी समिति, बढ़नी के सचिव श्री तिवारी का स्थानान्तरण माह अगस्त, 1982 में किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उनका स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण निरस्त करने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्री तिवारी का स्थानान्तरण माह अगस्त, 1982 में नहीं, बल्कि जून, 1982 में उप गन्ना आयुक्त द्वारा किया गया था । बाद में गन्ना आयुक्त के समक्ष कुछ जन-प्रतिनिधियों द्वारा यह बात लायी गयी कि यह स्थानान्तरण द्वेशवश किया गया है । अतः स्थानान्तरण रोके जाने के आदेश गन्ना आयुक्त के स्तर से जारी कर दिये गये ।

जनपद मिर्जापुर, ग्राम सभा भाईपुर कलां, तहसील चुनार की भूमि पर अतिक्रमण करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

137--श्री राम चरण सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर, ग्राम सभा भाईपुर कलां, तहसील चुनार के भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में 1-7-82 को प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । माननीय प्रश्नकर्ता के सन्दर्भित पत्र दिनांक 1-7-82 के साथ प्राप्त सर्व श्री ब्रह्मा सिंह व राम जी सिंह के प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, मिर्जापुर को मामले में जांचोपरान्त उचित कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से माननीय प्रश्नकर्ता को भी अवगत कराने हेतु भेज दिया गया था । उक्त स्थिति से माननीय प्रश्नकर्ता को भी शासकीय पत्र दिनांक 29-7-82 द्वारा अवगत करा दिया गया था ।

138--श्री रामचरण सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

139--श्री धम्मन सिंह गहलौत--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

तहसील डुमरियागंज के ग्राम गदाखउंवा में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान तथा दिया गया गृह-अनुदान

140—श्री माता प्रसाद पान्डेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के तहसील डुमरियागंज के ग्राम गदाखउंवा तप्पा बुड्ढा में सितम्बर, 1981 में आई भीषण बाढ़ व अतिवृष्टि से कुल कितने मकान गिरे व क्षतिग्रस्त हुए थे ? क्या सभी गिरे हुए या क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को मार्च, 1982 में गृह अनुदान दिया गया ? यदि हां, तो कितने को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मास सितम्बर, 1981 की बाढ़ में गदाखउंवा ग्राम में 3 मकान पूर्ण रूप से तथा 49 मकान आंशिक रूप से कुल मिलाकर 52 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। उक्त क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों में से पात्रता के आधार पर केवल दो को गृह अनुदान दिया गया। शेष सहायता के पात्र नहीं पाये गये।

141—श्री हुकम सिंह—

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्र0 सं0 118 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम मुडहर, तप्पा बेला, जनपद आजमगढ़ में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत छोड़ी गयी भूमि का हरिजनों एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवंटन

142—श्री दीपू उर्फ दीपनारायण—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुडहर, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत सार्वजनिक हितों में भूमि छोड़ी गयी थी जिसकी पैमाइश कराकर गरीब हरिजन आदि भूमिहीनों को उनके हक में कब्जा दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक कब्जा गरीबों को दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम मुड़हर, तप्पा बेला, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत सार्वजनिक भूमि 17.238 एकड़ सुरक्षित थी। इसमें से 9.829 एकड़ भूमि कृषि हेतु अनुसूचित जाति एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवंटित की गयी और उस पर उन्हें कब्जा भी दिया जा चुका है। 3.570 एकड़ भूमि आवास हेतु 119 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित की गयी परन्तु उन्होंने अभी तक कब्जा नहीं लिया है। शेष 3.845 एकड़ भूमि पर अनधिकृत कब्जा होने के कारण वादग्रस्त है।

143—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[6ठे बुधवार में अतारांकित प्र0 सं0 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

महोली चीनी मिल के टेक्निकल एवं नान-टेक्निकल अप्रेन्टिस की नियुक्ति

144—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि लक्ष्मी शुगर मिल, महोली, जिला सीतापुर में वित्तीय वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में अक्तूबर तक कितने-कितने टेक्निकल कर्मचारी अप्रेन्टिस पर रखे गये तथा नान-टेक्निकल पदों पर कितने-कितने रखे गये ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

शिशुक्षु प्रशिक्षण योजना उत्तर प्रदेश एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण योजना को मिलाकर महोली चीनी मिल में वर्ष 81-82 में 18 टेक्निकल एवं पांच नान-टेक्निकल अप्रेन्टिस रखे गये तथा वर्ष 1982-83 में 12-2-83 की स्थिति के अनुसार 17 टेक्निकल तथा तीन नानटेक्निकल शिशुक्षु रखे गये ।

बिक्री कर की अपील और द्वितीय अपील में एकपक्षीय आदेशों के विरुद्ध गुणावगुण के आधार पर निर्णय

145--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

क्या वित मन्त्री को ज्ञात है कि बिक्री-कर की अपील और द्वितीय अपील में एकपक्षीय आदेशों के विरुद्ध रेस्टोरेशन का प्राविधान नहीं है ? यदि हां, तो अपील व द्वितीय अपील में धारा 30 कब से लागू कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

शासन का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

उ0 प्र0 बिक्रीकर अधिनियम की धारा 9 तथा 10 के अनुसार अपीलीय अधिकारी एवं अधिकरण को अभिलेखों का परीक्षण करके तथा अपीलकर्ता एवं बिक्रीकर आयुक्त को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उपरांत अपील पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय देने का अधिकार दिया हुआ है । अपीलकर्ता की ओर से वाद के सम्बन्ध में जो कुछ कहना होता है वह उसके मेमोरेन्डम आफ अपील में उल्लिखित होता है और यदि वह अपील की सुनवाई के समय अनुपस्थित हो तो उक्त मेमोरेन्डम आफ अपील में दिये गए आधारों को ध्यान में रखकर गुणावगुण के आधार पर जो निर्णय दिया जाता है उसे पुनः सुनवाई हेतु खोलने का औचित्य नहीं प्रतीत होता ।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय, खंड 11 के करदाता के मामले में आडिट पार्टी द्वारा आपत्तियां तथा समुचित कार्यवाही

146--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खंड 11 के कुछ करदाताओं ने फार्म 3-क देकर आयरन खरीदा और उसको न बेचकर उसका उपयोग किया ? क्या वर्ष 1980-81 में ए0 जी0 की आडिट पार्टी ने इस पर आपत्ति की थी ? यदि हां, तो ऐसे कितने करदाता थे और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध कर निर्धारण में लापरवाही बरतने पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय, खंड 11 के एक करदाता के मामले में आडिट पार्टी द्वारा आपत्ति की गई थी। फलस्वरूप उस पर वर्ष 1975–76 के लिए दिनांक 30 सितम्बर, 1982 को धारा 3-ख के अन्तर्गत 54,101·12 रुपये कर आरोपित किया गया तथा दिनांक 26 अक्तूबर, 1982 को 27,050·20 रुपये अर्थदन्ड आरोपित किया गया। कर निर्धारण के समय बिक्रीकर अधिकारी द्वारा की गई लापरवाही के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

गन्ना संघ, लखनऊ को कृषि निवेश निधि में किसानों से प्राप्त धनराशि का उपयोग

147—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों से गन्ना संघ, लखनऊ को कितना धन उर्वरक फंड में वर्ष 1981–82 के सीजन में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस धन का क्या उपयोग होगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सहकारी वर्ष 1981–82 में गन्ना किसानों से गन्ना संघ को उर्वरक फंड में नहीं, अपितु कृषि निवेश निधि में 4·907 करोड़ रुपये की धनराशि डिपाजिट के रूप में प्राप्त हुई है।

इस धनराशि का उपयोग गन्ना संघ द्वारा समितियों को उर्वरकों/कीटनाशकों की पूर्ति हेतु किया गया है। साथ ही साथ, निधि में जमा धनराशि के दोगुने तक ऋण राशि पर समितियों से लिए जाने वाली ब्याज की दर 16 1/4 प्रतिशत से घटाकर 13 1/2 प्रतिशत तथा गन्ना कृषकों से ली जाने वाली ब्याज की दर 17 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दी गई है।

गणेश शुगर मिल्स आनन्दनगर, गोरखपुर के ग्राम चेहरो एवं बागापार स्थित फार्मों के गन्ने की सीधी आपूर्ति तथा पेराई

148—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज के ग्राम चेहरो व बागापार फार्मों से सम्बन्धित गन्ना आज कई वर्षों से सम्बन्धित समिति के माध्यम से न लेकर आनन्दनगर शुगर मिल, गोरखपुर से सीधे क्रय करके लाखों रुपया प्रति वर्ष समिति का मारा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था होने जा रही है ताकि समिति को लाभ होवे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

ग्राम चेहरो एवं बागापार में स्थित फार्म, गणेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर का निजी फार्म है। गणेश शुगर मिल्स उपर्युक्त फार्म में उत्पादित गन्ना, स्वयं लाकर पेरती है।

अतः समिति की क्षति का कोई प्रश्न नहीं उठता।

149—श्री राम नरायन, एडवोकेट—

[6ठे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

श्री नरेन्द्र नाथ सिंह, भूतपूर्व जिला सरकारी वकील (माल), आजमगढ़ के पारिश्रमिक का भुगतान

150--श्री राज कुमार राय--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में भूतपूर्व सरकारी वकील, माल (श्री नरेन्द्र नाथ सिंह) के पारिश्रमिक का भुगतान उनके नियुक्ति सन् 1969 से 1978 तक का नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन उनकी चिन्ताजनक स्थिति को दृष्टिगत करते हुए शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री नरेन्द्र नाथ सिंह, भूतपूर्व जिला सरकारी वकील (माल) आजमगढ़, इस पद पर केवल 1973 तक कार्यरत रहे। अतः उस अवधि के बाद के फीस के बिलों के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता। इनके कार्यकाल की 1 जनवरी, 1970 से 21 जून, 1971 की अवधि में गांव सभाओं के विरुद्ध निर्गीत 106 वादों में तत्कालीन जिला सरकारी वकील (माल) श्री नरेन्द्र नाथ सिंह की भूमिका एवं आचरण संदिग्ध पाया गया। अतः विधि परामर्शी निदेशिका, 1975 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र नाथ सिंह के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने की कार्यवाही की गई और इस बीच फीस के लम्बित बिलों का भुगतान रोक दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या 14 को स्थानांतरित किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहन सिंह--

प्रश्नों के बारे में व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने उनको बुला लिया है। प्रश्नों पर व्यवस्था नहीं होती।

(शोर)

श्री मोहन सिंह--

प्रश्न खतम होने के बाद होती है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

(मद संख्या 3 के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन को बुलाने तथा उनके खड़े होने पर) माननीय नेता सदन, कृपया बैठ जाय। यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। कृपया एक मिनट में कहें।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या 14 देखें। क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री मनोहर सुब्रमणयम को उनके बिक्रीकर आयुक्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह---]

के कार्यालय में सतर्कता विभाग द्वारा कई मामलों में दोषी पाया गया था और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति सतर्कता विभाग द्वारा शासन से मांगी गयी थी ? यदि हां, तो सतर्कता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुब्रमणयम के विरुद्ध आरोप क्या थे और शासन द्वारा अनुमति न देने के क्या कारण थे ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न संख्या क्या बता रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह---

तारांकित प्रश्न संख्या 14। अनुमति न देने के क्या कारण हैं ? इसे 34वें मंगलवार के लिए स्थानान्तरित कर दिया। यह प्रश्न 16-10-82 का है। पिछले साल बजट सत्र में सुब्रमणयम के खिलाफ सवाल आया। वह सवाल इसी तरह स्थानान्तरित हुआ। उसे पुनः पुनर्जीवित कराया, अगस्त के सत्र में डेड हो गया था। पुनः 34वें मंगलवार के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया। जब भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें की जाती हैं तो नियुक्ति विभाग प्रश्नों को स्थानान्तरित करके टाल देता है। चार आई० ए० एस० हरिजन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई। बेईमान आई० ए० एस० अधिकारियों के खिलाफ आरोप सिद्ध हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने से सरकार कतराती है। आज ही उत्तर दिलायें। 34वां मंगलवार आयेगा नहीं। सुब्रमण्यम दिल्ली चले गए उसके बाद यूथोपिया भाग गए। करोड़ों रुपए का गबन किया, शासन को लूटा, जनता को लूटा। चार हरिजन आई० ए० एस० के खिलाफ कार्यवाही की, सुब्रमण्यम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पहले भी टाला था, हर सत्र में क्यों टाला जाता है ? यह सवाल आ जाना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी, सुब्रमण्यम जैसा बेईमान अधिकारी इस तरह शासन द्वारा बचाया जायेगा तो इस प्रदेश से भ्रष्टाचार नहीं खतम हो सकता।

श्री रियासत हुसैन---

क्या इस प्रश्न को छठीं पंचवर्षीय योजना में भी नहीं लेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आज शाम तक, कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी थीं, क्या कारण थे, जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरित हुआ, सदन के उठते समय तक, इस पर निर्णय दूंगा।

भारत के भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन में भूतपूर्व उप राष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक जिनका निधन 31 अगस्त, 1982 को भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में हुआ है, के प्रति अपनी तथा अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे 86 वर्ष के थे। स्व० गोपाल स्वरूप पाठक का जन्म 26 फरवरी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1896 को बरेली में हुआ था। उन्होंने बरेली में अपनी वकालत प्रारम्भ की थी, इसके बाद वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए थे और एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में अपनी शुरुआत की। वहां वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, इसके पश्चात् वे हमारे विधि मंत्री भी रहे। इसके अलावा उप-राष्ट्रपति की हैसियत से भी उन्होंने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया। यू० एन० ओ० में काश्मीर की समस्या पर भारतीय दृष्टिकोण को रखने के लिए उन्हें भेजा गया और उन्होंने सफलतापूर्वक भारत का प्रतिनिधित्व वहां किया, उन्होंने अपनी बात कही।

पंडित मोतीलाल नेहरू और स्वर्गीय श्री तेज बहादुर सप्रू और भी जो विधि विशेषज्ञ थे, उनके साथ उन्होंने कार्य किया। वे एक ऐसे योग्य और जानकार व्यक्तियों में थे, जिनके ऊपर भारत को हमेशा गौरव रहेगा। अपने कार्यकलाप और कार्यकाल में जिन-जिन पदों पर वे रहे, चाहे न्यायाधीश के पद पर रहे हों, चाहे अधिवक्ता के रूप में रहे हों, चाहे उप राष्ट्रपति के रूप में रहे हों और चाहे अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय में हमारे विधि परामर्शी की हैसियत से रहे हों, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। एक अत्यन्त योग्य भारतीय प्रतिनिधि और विधि ज्ञाता की हैसियत से हमेशा सम्मान पाया और देश की हित की रक्षा के लिए कर्त्तव्यपरायण रहे। ऐसे योग्य व्यक्ति के निधन से निःसन्देह भारत की एक बड़ी क्षति हुई है। एक ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति आसानी से नहीं हो सकेगी। मैं पुनः अपनी तरफ से और अपनी कांग्रेस (आई०) दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी श्रद्धांजलि उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, श्री गोपाल स्वरूप पाठक के निधन पर सम्वेदना की जो भावना माननीय नेता सदन ने प्रकट किए हैं मैं व मेरा दल अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हैं। श्रीमन्, जब स्वर्गीय पाठक जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी तो उस समय श्री तेज बहादुर सप्रू बहुत सीनियर एडवोकेट माने जाते थे जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा कि वे एक महान विधिवक्ता थे और कानून के प्रकांड विद्वान थे तो इनकी एक मिसाल मैं सदन को देता हूं। मेरे आदरणीय पिता जी एक केस के सम्बन्ध में हाईकोर्ट गए थे तो उन्होंने श्री तेज बहादुर सप्रू जी को अपना वकील रखा था और दूसरे पक्ष में श्री गोपाल स्वरूप पाठक जी एडवोकेट थे, वे जूनियर एडवोकेट थे। श्री तेजबहादुर सप्रू जी ने कहा कि वह एक नया लड़का है, उस समय एक लेटेस्ट रूलिंग आयी थी, तो उन्होंने समझा कि इसका उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस समय हाईकोर्ट में बहस शुरू हुई तो श्री पाठक जी ने सबसे पहले वही चीज कहा जिसके बारे में श्री तेजबहादुर सप्रू जी का ख्याल था कि उसे पता नहीं होगा।

मान्यवर, जहां तक उनके अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का प्रश्न है, उन्होंने काफी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। यू० एन० ओ० के अन्तर्गत भारत की शोभा को बढ़ाया। वे पंडित नेहरू जी के व्यक्तिगत अम्बेसडर के रूप में विदेशों में भी गए। उन्होंने अनेक देशों का भ्रमण भारत के प्रतिनिधि मंडल के रूप में भी किया है। वे भारतीय प्रशिक्षण सुधार व विधि सुधार के भी सदस्य रहे। वे कमीशन आयोग के सदस्य भी रहे, वे कानून मंत्री भी रहे और उपराष्ट्रपति एवं राज्य सभा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

के सभापति भी रहे। एक महान विधिवक्ता, एक प्रसिद्ध न्यायाधीश, एक विद्वान सांसद और एक कर्मठ व्यक्ति को हमने खोया है उनके निधन से। इससे निश्चित रूप से एक रिक्तता आयी है और इसकी क्षतिपूर्ति इतनी आसानी से सम्भव नहीं है। मैं उनके निधन पर अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक सम्वेदना व्यक्त करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी भावनायें उनके शोक-सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, पं0 गोपाल स्वरूप पाठक का निधन एक व्यक्ति का निधन नहीं है, एक इंडीविजुअल की हानि नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूशन का खात्मा हो जाता है। पं0 गोपाल स्वरूप पाठक उत्तर प्रदेश के जाने-माने और बहुत बड़े जूरिस्ट थे और मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने कानून जानने वाले जूरिस्ट और एडवोकेट पैदा हुए हैं, उनमें से पं0 गोपाल स्वरूप पाठक का नाम एक है और सुनहरे हर्फों (शब्दों) में लिखे जाने के काबिल है, मेरे पिता और पं0 गोपाल स्वरूप पाठक ने 10 साल तक साथ-साथ वकालत की, सन् 1918 से 1928 तक, जब तक पं0 गोपाल स्वरूप पाठक हाईकोर्ट को शिफ्ट नहीं हो गए। उनके खानदान से और उनसे बहुत जानकारी रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच कर न सिर्फ बरेली का नाम ऊंचा किया बल्कि आगे चलकर उत्तर प्रदेश को तमाम हिन्दुस्तान में इस कदर ऊंचा कर दिया था कि जहां वकीलों का नाम आता था, जूरिस्ट का नाम आता था, उनका नाम नुमांया हरफों में लिखा जाता था। राज्यपाल की हैसियत से, विधि मंत्री की हैसियत से, उप राष्ट्रपति की हैसियत से और राजदूत के रूप में उन्होंने इस मुल्क की सेवा की। कानून का इंटरप्रिटेशन किया और जो इंटरप्रिटेशन पं0 जी कर दिया करते थे, दूसरा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ करता था। यही खूबी जूरिस्ट की है। वह हमारे सूबे के उत्तर प्रदेश के स्टेट्यूट का इंटरप्रिटेशन करने के माहिर थे और बादशाह थे। उपराष्ट्रपति की हैसियत से रिटायर हो जाने के बाद उन्होंने फिर वकालत शुरू की। मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला। जब उन्होंने सुप्रीमकोर्ट में वकालत करना शुरू कर दी थी। मैंने देखा कि बावजूद इसके कि उनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा हो गयी थी फिर भी उनका माइन्ड एलर्ट था और वे कानून की हर बात को समझते थे और लेटेस्ट रूलिंग उनको मालूम थी कि क्या डिसीजन किस हाईकोर्ट ने दिया है। ऐसे लोगों का निधन हो जाना, हमारे दरम्यान से हट जाना, हमारा बहुत बड़ी क्षति है और नुकसान है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। जो कुछ नेता सदन और नेता विरोधी दल ने भाव व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को पूरी तरह सम्बद्ध करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारी सम्वेदनायें दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, स्वर्गीय पं0 गोपाल स्वरूप पाठक के निधन के सम्बन्ध में जो उद्गार नेता सदन, नेता विरोधी दल और नेता लोकतांत्रिक समाजवादी दल द्वारा व्यक्त किए गए हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

स्वर्गीय पं० गोपाल स्वरूप पाठक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके रूप में देश की एक महान विभूति हमारे बीच से चली गयी। वे एक श्रेष्ठ विधिवेत्ता, प्रशासनिक एवं संसदज्ञ का एक ही में सुन्दर सम्मिश्रण थे। जिसके कारण उन्होंने देश और प्रदेश की शान को ऊंचा उठाया। उनका हम लोगों के बीच न रहना वास्तव में एक दुख की बात है। हम और हमारा दल उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप कृपया हमारे भावों को इनके दुखी एवं संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, गोपाल स्वरूप पाठक के प्रति जो भाव नेता सदन एवं नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किए हैं, हम और हमारा दल उनसे अपने को सम्बद्ध करता है। श्रीमन्, मैं तो इतनी ही बात कहूंगा जैसा कि नेता सदन ने उनकी जिन्दगी के बारे में बताया कि किस तरह एक साधारण वकील से कैसे-कैसे पदों पर देश में व अन्तर्राष्ट्रीय पदों पर रहकर तरक्की की और ख्याति प्राप्त की इससे हम लोगों को भी सबक लेना चाहिए कि कैसे निष्ठा, ईमानदारी और लगन से आगे बढ़ते गए, हम लोगों को भी उनका अनुकरण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में और मेरा दल उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आपसे अनुरोध है कि आप उनके दुखी परिवार तक हम लोगों की श्रद्धांजलि पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष जी, स्व० गोपाल स्वरूप पाठक के प्रति जो उद्गार नेता सदन, नेता विरोधी दल एवं अन्य माननीय नेताओं ने प्रकट किए हैं, उन से मैं अपने को एवं अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री पाठक के निधन से वास्तव में एक महाविद्वान हमारे बीच से उठ गया, इसके लिए अति दुख प्रकट करता हूं और इस दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी व अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे इन विचारों को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

स्व० गोपाल स्वरूप पाठक के बारे में जो नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने विचार प्रकट किए हैं, मैं भी उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। जहां तक उनके व्यक्तित्व की बात है इस प्रकार का व्यक्तित्व आज के युग में कोई अपने में पैदा कर सकेगा या नहीं इसमें मुझे सन्देह है जहां तक उनके जीवन काल का सम्बन्ध है, चाहे सामाजिक कार्य हो, राजनीति कार्य हो या कांस्टिट्यूशनल कार्य हो, जो उनकी सेवायें इस ओर रही हैं, वह अद्वितीय हैं और भुलाई नहीं जा सकती हैं वह जिस-जिस पद पर रहे, चाहे प्रदेश में, देश में या विदेशों में रहे या जो-जो कार्य उनको सौंपे गए, उन कार्यों को उन्होंने पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ किया। इन्हीं शब्दों के साथ जिन-जिन लोगों ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उन सबको मैं उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था करूंगा। अब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट के लिए मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोक सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री गौड़े मुराहरि के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्री गौड़े मुराहरि, जिनका निधन 5 अगस्त, 1982 को शाम को दिल का दौरा पड़ने से हो गया था, को अर्पित करता हूं। उनकी आयु 56 वर्ष की थी, इतनी कम आयु में वह हम लोगों से अलग हो गए। वह सोशलिस्ट विचारधारा के राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता थे। और उस विचारधारा से ओतप्रोत होते हुए उन्होंने भारतवर्ष की आजादी के आन्दोलन में भाग लिया था, जेल भी गये थे और इसके साथ ही साथ अपने सोशलिस्ट कार्यक्रमों में अपनी पार्टी के ऊंचे से ऊंचे पदों पर भी रहे और अपनी विचारधारा के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उन्होंने संघर्ष किया था और उस विचारधारा में उनको कई बार जेल जाना पड़ा। वे राज्य सभा और लोक सभा दोनों के सदस्य रहे। राज्य सभा के उप सभापति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। इस तरह से भारतीय राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जब से उन्होंने कार्यकलाप प्रारम्भ किया तब से महत्वपूर्ण रूप से अपने कार्य को ये सम्पन्न करते रहे। ये समाजवादी विचारधारा के प्रति समर्पित थे। ऐसे व्यक्ति के निधन से हमारे देश और प्रदेश की महती हानि हुई है। ऐसे विचार के धनी व्यक्तित्व के छूट जाने से इसकी पूर्ति जल्दी संभव नहीं हो पाती है। मैं अपनी ओर तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी श्रद्धांजलि उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

स्वर्गीय गौड़े मुराहरि के बारे में नेता सदन ने जो संवेदना के भाव व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। स्वर्गीय श्री गौड़े मुराहरि का जन्म जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने बनारस और मद्रास में शिक्षा प्राप्त की और उत्तर प्रदेश से भी उनका सम्बन्ध रहा। शिक्षा प्राप्ति के बाद उन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। देश की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। "भारत छोड़ो" आन्दोलन में भाग लेने के कारण स्वर्गीय मुराहरि को बनारस से निष्कासित कर दिया गया और काफी दिनों तक वे वहां नहीं रह पाये। वे राज्य सभा के सदस्य रहे और राज्य सभा के उप सभापति भी बने। 1977 में वे लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और लोक सभा के उपाध्यक्ष भी चुने गये।

श्रीमन्, वे विविध प्रतिभा के धनी थे। संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। वे लोक लेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति के भी सदस्य रहे। वे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी थे और उन्होंने कई पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया। उनके निधन से हमने निश्चित ही एक विद्वान सांसद, एक योग्य पत्र-सम्पादक और महान नेता खोया है, जिसकी पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। मैं स्वर्गीय मुराहरि के निधन पर अपनी तरफसे और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप से निवेदन करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय गौड़े मुराहरि के निधन पर नेता सदन ने, माननीय नेता विरोधी दल ने जो सम्वेदना व्यक्त की है उससे मैं अपने को और अपने दल को पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, राज्य सभा और लोक सभा की प्रोसीडिंग्स इस बात की गवाह है कि माननीय गौड़े मुराहरि ने जिस तरीके से राज्य सभा में और लोक सभा में काम किया और हिन्दुस्तान की आजादी के बाद जो बातें उठीं और जिन-जिन विषयों पर उन्होंने विचार किया था, वे सब इस बात का सबूत हैं कि वे न सिर्फ बहुत काबिल और बहुत ज्यादा पढ़ने वाले आदमी थे, बल्कि जिस चीज को उठाते थे, उसको आखिर तक ले जाते थे और उसकी वकालत करते थे, ऐसे लोगों का उठ जाना मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। वह बहुत बड़े समाजवादी थे और उच्च विचारधारा को उन्होंने साथ रखा। उन्होंने अपने को बदला नहीं चाहे वह किसी भी धारा में चले गये हों। वह देश की आजादी की लड़ाई में आगे रहे। देश की आजादी को कायम रखने के लिए वह कायम रहे। ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से उठ जाना बहुत ही दुखदायी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी और मेरे दल की भावनायें उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय गौड़े मुराहरि के बारे में नेता सदन, नेता विरोधी दल और नेता लोकतांत्रिक समाजवादी दल ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने व अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, आजादी की लड़ाई में वे अगली पंक्ति में रहे हैं। आजादी मिलने के बाद अपने विचारों के अनुसार जो उनका समाजवादी दल, सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा संघर्षशील रहे हैं। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्हें जब राज्य सभा या लोक सभा जाने का मौका मिला तो उनकी प्रतिभा योग्य सांसद के रूप में प्रकट हुई। मान्यवर, उनका सम्बन्ध अपने प्रदेश से अच्छा रहा है और उत्तर प्रदेश में उन्होंने कार्य किया है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपने और अपने दल की ओर से प्रकट करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं मेरी श्रद्धांजलि उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने स्वर्गीय गौड़े मुराहरि के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने आप के और अपने दल को संबद्ध करता हूं। स्वर्गीय गौड़े मुराहरि जी एक ऐसी शख्शियत थे जिनमें क्रांतिकारी भावना, समाज सेवा और देश सेवा भरी हुई थी। वह समाजवादी विचारधारा के स्रोत थे और वह उच्च कोटि के पार्लियामेन्टेरियन थे। मुझे और प्रोफेसर साहब को उनके साथ समाजवादी अन्दोलनों में रहने का मौका मिला है। मैं एक बार फिर उनके प्रति अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की भावनाएं उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय गौड़े मुराहरि जी के प्रति जो विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने आप को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। वह अपने जीवन भर समाजवादी विचारों के प्रचार में लगे रहे और उन्होंने अपनी जिन्दगी में बहुत यातनायें उठायी। आज उनके न रहने से जो स्थान रिक्त हो गया है, उससे जो लोग समाजवादी विचार धारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, उनकी एक कड़ी के रूप में वह अलग हो गए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी और मेरे दल की भावनायें उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

श्री गौड़े मुराहरि के बारे में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने जो विचार प्रकट किए हैं, मैं भी अपने को उनसे संबद्ध करता हूं। सबसे बड़ी दुखदायी बात यह है कि उनकी मृत्यु इतनी कम अवस्था में नहीं होनी चाहिए थी और उनको इस देश में बहुत दिन तक जीवित रहना चाहिए था। वह जिस स्थान पर भी रहे राज्य सभा में रहे, पार्लियामेन्ट में रहे, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़े परिश्रम के साथ और बड़ी लगन के साथ किया जहां तक हमारे कांस्टीट्यूशनल आसपेक्ट का सम्बन्ध है, बहुत कार्य किया। सन् 1941 से लेकर 1947 तक जब हमारा भारत आजाद हुआ उस वक्त कांग्रेस में जो समाजवादी पार्टी के लोग थे वे उसी प्रकार से समाजवादी लोगों में अगुआ कहलाते थे और समाजवाद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अन्त तक कार्य किया। जो माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने उनके प्रति विचार प्रकट किए हैं और जो सदन की संवेदना है उसे मैं उनके दुखी परिवार तक पहुंचा दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप दो मिनट खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए)

[12 बज कर 50 मिनट]

कानपुर जनपद के बिल्हौर निर्वाचन क्षेत्र के अरोल क्षेत्र में 75 प्रतिशत नलकूपों के बन्द रहने से फसल को क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 22 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिनमें से मैंने श्री मोतीलाल देहलवी, श्री बदन सिंह, श्री सरदार सिंह, श्री अकबर अहमद तथा श्री दीप नारायण एवं श्रीमती गौरी देवी की सूचनाओं को स्वीकार किया है और माननीय अकबर हुसैन तथा श्री रियासत हुसैन की सूचनाओं को शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भेज दिया है। शेष सूचनाएं अस्वीकृत की गई हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, जनपद कानपुर के अन्तर्गत क्षेत्र बिल्हौर के अरौल इलाके में 75 प्रतिशत नलकूप लगभग एक साल से बन्द पड़े हैं किसानों की फसलों का नुकसान हो चुका है और अभी भी हो रहा है। यह राष्ट्रीय क्षति भी है। किसान अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देते रहे, परन्तु अनसुनी होती रही और तब दिनांक 20 अक्तूबर, 1982 को मैंने स्वयं सिंचाई मंत्री को एक पत्र लिखा। मेरे इस पत्र का उत्तर संयुक्त सचिव, सिंचाई ने पत्रांक 432-टी एम/82-83 सि-5 दिनांकित 13 दिसम्बर, 1982 दिया। सचिव के इस उत्तर के अनुसार भी कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 18 जनवरी, 1983 को कानपुर जिला सिंचाई सलाहकार समिति में इस दुखद समस्या को प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने जनवरी के अन्त तक नलकूपों को चालू करने का अश्वासन दिया, किन्तु यह आश्वासन भी पूरा नहीं किया गया। इतने अर्से तक नलकूपों की बन्दी का कारण केवल अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार है और अधिकारियों द्वारा परवाह न किए जाने का एक मात्र रहस्य यह है कि भ्रष्टाचार के बल पर उन्हें उच्च स्तरीय संरक्षण मिला हुआ है। किसानों में निराशा, क्षोभ व रोष व्याप्त हो रहा है।

अस्तु आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर अपेक्षा है कि सरकार अविलम्ब ही नलकूपों को चालू कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को दंडित करेगी।

आगरा जनपद के वाईपुर वन के निकट बसे ग्रामों की फसल को नील गायों द्वारा क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद आगरा के वाईपुर वन के निकट बसे ग्राम वाईपुर कंकरेठा, गैलाना, अरतोनी, अकबरा, महम्मदपुर, कैलाश, स्वामी रूनकता, मांगरौल, गूजर, अरसैना, चौमाफरह कीठम, सींगमा, जुगसैना की गेहूं, जौ, चना, लाही और बेकड़ा की हजारों एकड़ रबी की फसल नीलकी गायों द्वारा चरकर गत सप्ताह में नष्ट कर दी है। सौ-सौ जंगली नील गायों की टोली दिन छिपे बाद वाईपुर के जंगल से निकल कर अब भी फसल नष्ट करने में संलग्न हैं। वान्य जीव बध प्रतिबंधवश जिला प्रशासन के चुप बैठने से वहां जनाक्रोश व्याप्त है। करोड़ों रुपय की इस अपूर्णीय क्षति से शोक संतप्त कृषक अब इन जंगली नील गायों को मारने को विवश हो उठा है।

इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि क्षेत्र की शेष फसल की सुरक्षा हेतु कोई ठोस प्रभावी कदम शीघ्र उठाया जाय और नष्ट फसल का मुआवजा किसान को दिया जाय।

मथुरा जनपद मे यमुना नदी का जल प्रदूषित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान एक अति लोक महत्वपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सरदार सिंह--]

आजकल मथुरा जनपद में पवित्र यमुना नदी का जल अति प्रदूषित एवं गंदा हो गया है। इस कारण बाहर से आने वाले लाखों की संख्या में धार्मिक यात्री व स्थानीय धार्मिक लोगों के प्रयोग के योग्य यमुना जल नहीं मिल पा रहा है। नगरपालिका का गंदा पानी व टाउन एरिया गोकुल एवं महावन का गंदा पानी यमुना में खुले रूप में जा रहा है। नगरपालिका मथुरा व बृंदावन के अधिकारियों का ध्यान बार-बार इस ओर आकर्षित किया गया है लेकिन कोई फल नहीं निकला है। इसी प्रकार शहर की फैक्ट्रियों का गन्दा पानी जमुना में डाला जाता है। धोती एवं साड़ियों की धुलाई बड़े पैमाने पर हो रही है इस कारण नाना प्रकार के केमिकल्स जमुना जल में मिल रहे हैं और जमुना जल प्रदूषित होता जा रहा है। जमुना जल के प्रदूषण पर भारत की प्रधान मंत्री ने भी 23-2-83 को भारी चिंता व्यक्त की है। प्रदूषण के कारण हिन्दुओं की भावनाओं पर तो ठेस पहुंच ही रही है। इसके कारण नाना प्रकार की बीमारियां भी जनपद एवं प्रदेश में फैल रही हैं।

अतः आपके माध्यम से शासन से विनम्र अनुरोध है कि मथुरा में जमुना के प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये जायं।

जनपद नैनीताल की किच्छा की पुलिस द्वारा सेना के एक लेफ्टीनेन्ट श्री दीपपाल सिंह की गिरफ्तारी एवं पिटाई के संबध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर अहमद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद नैनीताल के किच्छा पुलिस द्वारा 7 फरवरी, 1983 को सेना के एक लैफ्टिनेंट श्री दीपपाल सिंह, को उनके गांव बिल्हौर बेहड़ी मे बिना किसी अभियोग के गिरफ्तार कर लिया गया, परिचय देने के बाद भी सब-इंस्पेक्टर श्री सी० एल० शर्मा एवं श्री एम० ए० खान द्वारा उन्हें तरह-तरह से अपमानित किया गया और डंडे व लात-घूंसों से बुरी तरह से पिटाई करके उन्हें थाने में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन उनको हथकड़ी डालकर किच्छा से रुद्रपुर ले जाकर परगनाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 8 फरवरी को एस० एस० पी० नैनीताल के यहां इस घटना की शिकायत स्थानीय नागरिकों द्वारा की गयी, जिससे चिढ़कर स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने अपने आंतक से गवाहों को घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया है। गवाहों तथा लेफ्टिनेन्ट के परिवार जनों के विरुद्ध पुलिस द्वारा साजिश रची जा रही है। सेना के एक जिम्मेदार अधिकारी के साथ पुलिस द्वारा इस प्रकार के दुर्व्यवहार से भूतपूर्व सैनिकों के बाहुल्य वाले क्षेत्र में रोष व्याप्त हो गया है।

अतः लोकमहत्व की इस अविलम्बनीय सूचना को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मांग करता हूं कि उक्त सैनिक अधिकारी के सम्मान तथा उनके परिवार के लोगों की जान-माल तथा सम्मान की रक्षा हेतु शासन द्वारा अविलम्ब कार्यवाही की जाय और दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दुर्गा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आजमगढ़ के छात्र संघ के पदाधिकारियों द्वारा आमरण अनशन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आजमगढ़ के छात्र संघ के पदाधिकारियों द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीपू उर्फ दीपनारायण—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक लोक महत्व की घटना लाना चाहता हूं।

श्री दुर्गा मां स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आजमगढ़ के छात्र संघ के पदाधिकारी महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत चिन्ताजनक है, महाविद्यालय अनिश्चितकाल के लिये बंद है। अनशनकारियों की मुख्य मांगों में बी0 एस0 सी0 (कृषि) कक्षाओं में पैसा लेकर स्वीकृत संख्या से अधिक छात्रों का प्रवेश तथा विद्यालय के उत्तीर्ण नियमित गरीब छात्रों को पैसे के अभाव में नाम न लिखना एम0 एस0 सी0 कृषि/(शस्य कला) में 20 हजार रुपये प्रति छात्र लेकर 15 छात्रों को फर्जी प्रवेश दिखाया जाना, छात्रों से प्रयोग शाला शुल्क, प्रवेश, शुल्क, परिचय पत्र शुल्क, आदि के नाम पर अवैध फीस की वसूली तथा विद्यालय के छात्र कोष एवं अनुरक्षण कोष में भारी गबन एवं भ्रष्टाचार की जांच शामिल है।

शासन तथा शिक्षा विभाग मौन है। वह कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। छात्रों का यह आन्दोलन पूरे जनपद में धीरे-धीरे फैल रहा है। यदि तत्काल कार्यवही नहीं की गयी तो आजमगढ़ जो अधिवक्ताओं के आन्दोलन की कटुता को समाप्त नहीं कर सका है, छात्र आन्दोलन में चलने लगेगा।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि अनशनकारी छात्रों की मांगों का तुरन्त समाधान किया जाये, महाविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करायी जाय तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाये।

बिक्रीकर समाप्त कर उसके स्थान पर राजस्व प्राप्ति हेतु कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के संबंध में याचिका

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

(1 बजकर 2 मिनट)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बिक्रीकर समाप्त कर उसके स्थान पर राजस्व प्राप्ति हेतु कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के संबंध में श्री अजय कुमार गुप्त, मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, सीतापुर तथा श्री मोती चन्द्र अग्रवाल, डालीगंज, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

[1 बजकर 3 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि दिनांक 21 फरवरी, 1983 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार :—

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :—

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष—]

(1) नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय	3 मार्च, 1983 को अपराह्न 4 बजे तक ।
(2) नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	4 मार्च, 1983 को अपराह्न 3 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में) ।
(3) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय	10 मार्च, 1983 को अपराह्न 4 बजे तक ।
(4) मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	18 मार्च, 1983 को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

2—उक्त निर्वाचन संबंधी नाम-निर्देशन-पत्र विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

दिनांक 26 नवम्बर, 1982 को सचिवालय एनेक्सी में पुलिस तथा कौंसिल हाऊस गार्ड्स के बीच हुई मार-पीट के सम्बन्ध में वक्तव्य

[1 बजकर 5 मिनट]

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)—

दिनांक 26 नवम्बर, 1982 को सचिवालय एनेक्सी भवन में अपराह्न लगभग 3 बजे श्री प्रेम कुमार उर्फ नीलम नामक व्यक्ति, जिसको पत्रकार बताया गया है और सुरक्षा दल के गार्ड श्री जयदत्त पन्त के बीच आपसी विवाद के कारण कुछ हाथा-पाई हुई । इस पर वहां सचिवालय कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठी हो गयी ।

2—श्री प्रेम कुमार उर्फ नीलम को पुलिस के हवाले किया गया किन्तु पुलिस की पैट्रोल कार दुर्भाग्यवश स्टार्ट न हो सकी और उसे सचिवालय कर्मचारियों ने घेर लिया और श्री नीलम को अपने हवाले किये जाने की मांग करने लगे । इसी बीच सुरक्षा गार्डों ने अनधिकृत रूप से फाटक बन्द कर दिये ।

3—कर्मचारियों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया किन्तु इस पर भी भीड़ न छंटी और वह उग्र होती गई । उग्र भीड़ और पुलिस कर्मियों के बीच कुछ हाथा-पाई हुई और भीड़ ने पथराव किया । इसी समय पुलिस द्वारा एक हवाई फायर हुआ । इस हवाई फायर से किसी को कोई चोट नहीं लगी ।

4—तदनन्तर कुछ लोग गृह सचिव के कक्ष में उनसे तथा सचिव, सचिवालय प्रशासन से मिले । दोनों अधिकारियों ने उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया और कहा कि सभी अपने घरों में चले जायें और एनेक्सी भवन के फाटक खोल दिये जायें ताकि जो लोग बाहर जाना चाहें वे बाहर जायें । करीब 6.30 बजे सायं हल्का बल प्रयोग के अनन्तर पुलिस दल एनेक्सी भवन के एक फाटक का ताला तुड़वा कर पेट्रोलकार बाहर ले जाने में सफल हुआ । बल प्रयोग के कारण कुछ लोगों को चोटें आईं । उसके बाद भीड़ एकाएक गृह सचिव के कमरे में घुस गई और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तोड़-फोड़ भी की। बाद में सचिवालय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और मुख्य सचिव के बीच वार्ता हुई और स्थिति को सामान्य बनाने पर बल दिया गया।

5--दिनांक 27 नवम्बर, 1982 को सचिवालय के मुख्य भवन तथा नवीन भवन के सारे फाटक गार्डों द्वारा बन्द कर दिये गये जिसके कारण सचिवालय के काफी कर्मचारी फाटक के बाहर इन्तजार कर रहे थे। अतएव सारे फाटकों का ताला तुड़वा कर खुलवाना पड़ा। कुछ कर्मचारियों ने नारे-बाजी की। भीड़ को शान्त करने का प्रयास किया गया किन्तु प्रयास सफल नहीं हो सका। इसके बाद प्रतिसार निरीक्षक को भीड़ ने घेर लिया तथा उन्हें काफी चोटें पहुंचायी। जिन्हें बाद में सिविल अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती किया गया।

6--अनुशासनहीनता के लिए 3 तृतीय श्रेणी कर्मचारी निलम्बित किए गये। 12 सचिवालय सुरक्षा के गार्ड तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निलम्बित किया गया है। एक गार्ड की सेवा समाप्त की गई है।

7--इस घटनाओं को लेकर मजिस्ट्रेटी जांच तथा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच चल रही है जिसके परिणाम मिलने पर अग्रेतर प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई ज्यादा प्रश्न नहीं होंगे, यह केवल स्पष्टीकरण के लिए था।

श्री मोहन सिंह--

यह जो 12 सुरक्षा गार्डों और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलम्बित किया गया है, इसके सम्बन्ध में पहले दो सुरक्षा गार्ड्स अनशन पर बैठे थे, उस समय उनको शासन द्वारा आश्वासन दिया गया था, जिस पर उनका अनशन टूट गया था और अब फिर उन्होंने अनशन प्रारम्भ कर दिया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या आश्वासन दिए थे? यदि नहीं दिए गए थे, तो अबसे इनके निलम्बन की कार्यवाही समाप्त करके एक स्वस्थ और सामान्य वातावरण में सामान्य स्थिति कायम करने पर वह विचार करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी--

जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके बारे में सूचना देना चाहता हूं, श्री टी० पी० मिश्र, जो कि एक सुरक्षा गार्ड नहीं हैं और दूसरे श्री जयदत्त पन्त एक सुरक्षा गार्ड हैं। जहां तक यहां सामान्य स्थिति लाने की बात है सरकार हर प्रयास करेगी सामान्य स्थिति बनाई जाए और इस समय है भी। लेकिन जहां तक अनुशासनहीनता के चलते जो कुछ हुआ, सारे प्रदेश में उसका असर पड़ा, हर तरफ अखबारों में निकला, उस पर जो भी कार्यवाही जांच में निकलेगी वह की जाएगी।

श्री रियासत हुसैन--

यह विषय जिस दिन मैंने दिया था, आपने वक्तव्य स्वीकार किया था, उस दिन से अब तक मुझे आशा थी कि मामला निपट जाएगा, रिक्वेस्ट भी की

[श्री रियासत हुसैन--]

थी और मंत्रिमंडल के सीनियर सदस्य के आश्वासन पर वह अनशन समाप्त किया गया था, लेकिन मुझे खेद है कि वह मामला नहीं निपट पाया। जो झगड़ा आरम्भ हुआ, इससे हुआ कि जैसा स्टेटमेंट में है, कोई प्रेम कुमार उर्फ नीलम नामक व्यक्ति है जिनको पत्रकार बताया जाता है, उनको लेकर हुआ। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि एनेक्सी के अन्दर जो लोग भी जाते हैं या कौंसिल हाउस के अन्दर जाते हैं, एक अधिकृत पास द्वारा जाते हैं, आपने अपने वक्तव्य में यह जिम्मेदारी भी नहीं ली कि वह पत्रकार है या नहीं ? आपने केवल यह कहा है जिनको पत्रकार बताया गया है। तो आप यह बताएं कि किस अधिकार से यह व्यक्ति सचिवालय में आया था, जिसके ऊपर झगड़ा शुरू हुआ।

श्री मोहन सिंह--

इनकी कम्पनी का आदमी है।

श्री अम्मार रिजवी--

कम्पनी के मेरे मोहन सिंह जी भी हैं। जहां तक सचिवालय में प्रवेश का सम्बन्ध है, केवल पत्रकार ही नहीं जाते हैं, अन्य लोग भी जाते हैं, पत्रकार भी जाते हैं।

श्री रियासत हुसैन--

वह पत्रकार आपके रिकार्ड में है या नहीं, उसके पास प्रवेश-पत्र है या नहीं ? (कोई उत्तर नहीं दिलाया गया।)

*श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सचिवालय में जो पुलिस प्रवेश हुआ था, वह किसके निर्देश पर हुआ था और गृह सचिव के कमरे में जो तोड़-फोड़ हुआ, क्या उसकी रिपोर्ट कहीं पर दर्ज करायी गयी है या नहीं ? इसके अलावा मंत्री जी ने वक्तव्य में प्रतिसार निरीक्षक की भी बात कही है कि उसके चोटें आईं, तो उसकी इस समय क्या स्थिति है ? मुझे मालूम हुआ है कि 4-5 महीने से उसको वेतन ही नहीं मिला है। जिन लोगों को निकाला गया, 17 लोग कुल मिलाकर हैं। मैजीस्ट्रियल जांच हो रही है और अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा भी जांच हो रही है। तो क्या इन लोगों को निकालने के लिए अपराध अनुसन्धान शाखा या मैजिस्ट्रेट की ओर से कोई सिफारिश की गई है ? दोहरी जांच शासन की नीति के अनुसार नहीं चलना चाहिए, जब मैजीस्ट्रियल जांच होती है तो दूसरी जांचें ठप हो जाती हैं। मैजिस्टीरियल जांच की कोई भी अन्तरिम रिपोर्ट इस तरह की नहीं आई कि इन कर्मचारियों के ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं, इनको निलंबित कर दिया जाय, तो फिर उनको निलम्बित करने और उनकी सेवा समाप्त करने का क्या कारण रहा है ? मान्यवर, दो कर्मचारी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, श्री तपेश्वर मिश्र और श्री जयदत्त पंत अनशन पर बैठे थे और माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया था, कल मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव यहां पर था....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप भाषण न दें, आप कृपया प्रश्न करें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, 7 फरवरी को जिन उन कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था, उसके संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी से एक कर्मचारी की भेंट होती है, माननीय मुख्य मंत्री जी उस कर्मचारी से यह कहते हैं कि बहाल तो हम करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि विधान सभा की बैठक चल रही है, इसलिए हम बहाल नहीं कर पा रहे हैं । तो मान्यवर, कर्मचारियों को न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि चूंकि विधान सभा की बैठक चल रही है ?

श्री अध्यक्ष--

आप इतनी लम्बी-चौड़ी बात न करें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो दो-तीन बातें मैंने उठाई हैं, उसका माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण दिलवा दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, एक बात इन्होंने कही जहां तक मैं समझ पाया कि दो जांच क्यों चल रही हैं, एक सी0 आई0 डी0 की और दूसरी मैजिस्टेरियल जांच क्यों चल रही है ? दूसरी बात इन्होंने शायद यह पूछा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से किसी से वार्ता हुई थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा और क्या वार्ता हुई, माननीय सदस्य स्वयं वहां उपस्थित नहीं थे, लिहाजा उनका यह कट करना उचित नहीं है । जहां तक दो जांचों की बात है, वह अलग-अलग हैं । मैजिस्टेरियल इन्क्वायरी इसलिए है कि सारी घटना किस परिपेक्ष में हुई और क्यों हुई, किस कारण हुई ? सी0 आई0 डी0 की जांच इसलिए है कि जो केसेज रजिस्टर्ड हुए, उसके बारे में कुछ लोगों ने कहा कि सिविल पुलिस द्वारा उनको न कराया जाय, सी0 आई0 डी0 द्वारा कराया जाय । तो इसलिए सी0 आई0 डी0 द्वारा उसकी जांच कराई जा रही है । इसलिए दो अलग-अलग चीजें मान्यवर हैं ।

(श्री भीखा लाल के नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मान्यवर, हमें संरक्षण दें ।

*श्री भीखा लाल--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अभी एक बात कही कि जो सचिवालय में अनुशासनहीनता पैदा हुई थी, इसका असर दूसरे जिलों में न पड़े, इसको रोकने की कोशिश की । लेकिन जो एक असंतोष चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों और गार्डों में बढ़ रहा है, इसका असर दूसरे जिलों में न पड़े, इसको भी सोचना चाहिए । जिस बात को लेकर यह कांड खड़ा हुआ, यह कर्म-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भीखा लाल--]

चारियों की मनः स्थिति बनी है कि उस पत्रकार की पहुंच मंत्रियों तक थी, इसलिए बदले की भावना से उन कर्मचारियों को प्रताड़ना की कार्यवाही की जा रही है। एकबार ऐसा मालूम हुआ कि समझौता कराकर इस मामले को खत्म करा दिया जायगा, परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोई भी उपाय करें कि जो असंतोष गार्ड्स, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में पैदा हो रहा है, वह समाप्त हो' ताकि इसकी अभिव्यक्ति दूसरे जिलों में न फैलने पाये।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय भीखालाल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही जैसा कि वह हमेशा कहते हैं। जो बात उन्होंने कही कि असंतोष दूसरी जगह फैल रहा है तो जहां तक सचिवालय कर्मचारियों का संबन्ध है या गार्ड्स का संबन्ध है या अन्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है शासन को उनसे पूरी हमदर्दी है। किसी प्रकार की बदले की भावना या किसी प्रकार का जोर डालकर कोई चीज नहीं हो सकता। जैसे और कर्मचारी हैं वैसे यह कर्मचारी हैं। पूरी हिस्ट्री माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं। लेकिन जब एक घटना घटित हो गयी। कोई मुलजिम ही सही, आये दिन यहां पर बहस आती है कि इंकाउन्टर क्यों कर दिया गया, चाहे कोई कितना बदमाश क्यों न रहा हो, अदालत के सामने खड़ा होना चाहिये। चाहे कोई शख्श कितना बदमाश क्यों न रहा हो, जो न्याय में प्रक्रिया बनायी गयी है उसके हिसाब से सारी कार्यवाही होनी चाहिए थी। एक शख्श ने गलती की है सजा मिलनी चाहिए लेकिन कुछ लोग जेल जाने से पहले उसको अपने कब्जे में कर लें तो यह बात कहां तक उचित है? यह सारी चीजें इसी के फलस्वरूप हुईं।

अब रहा कि किस प्रकार से जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण किया जाय, भीखालाल जी इस पर चिंतित हैं और मैं समझता हूं कि इस दल के और उस दल के सब माननीय सदस्यगण चिंतित हैं कि जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुयी है अगर वह दोषी नहीं हैं तो बहुत दिनों तक यह चीज नहीं चलती रहनी चाहिये। इसलिये चार्जशीट वगैरह सब दे दी गई हैं। कुछ लोगों ने जवाब दे दिया है कुछ लोगों ने नहीं दिया है, तो जो कानूनी प्रक्रिया है जवाब देते हैं, जवाब दे देंगे उसके बाद इस सारे मामले का निस्तारण कर दिया जायगा।

(कई सदस्य खड़े हो गये।)

श्री चेतराम गंगवार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसको देखें उसमें विरोधाभास है।

श्री अध्यक्ष--

इस पर इतने सवाल और इतने स्पष्टीकरण नहीं किए जा सकते। जितने माननीय सदस्य खड़े होते हैं, ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहिए।

*श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच चल रही है और तीन तृतीय श्रेणी के कर्मचारी और 12 सचिवालय सुरक्षा गार्ड निलंबित किए गए हैं तथा

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक की सेवायें समाप्त की गयीं हैं । तो बिना जांच पूरी हुये मंत्री जी किस तरह से इस नतीजे पर पहुंचे कि एक व्यक्ति की सेवायें समाप्त कर दी गयी और बीसियों व्यक्तियों को निलम्बित कर दिया । मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी क्या यह आदेश करेंगे कि जो ऐक्शन हुआ है उसको अविलंब समाप्त किया जाय और जब तक सी0 आई0 डी0 जांच की रिपोर्ट न आ जाय और तथ्य सामने न आ जायें तब तक किसी के खिलाफ ऐक्शन न हो ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय गंगवार जो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और मंत्री भी रह चुके हैं । मान्यवर, एक शब्द प्राइमाफसी है जिसको हिन्दी में प्रागदर्शन कहते हैं । तो बहुत सी घटनायें ऐसी होती हैं कि यदि प्राइमाफेसी किसी के खिलाफ अगर पायी जाती है तो जांच से पहले उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है । जहां तक दूसरी बात जो उन्होंने कही तो मैं पहले कह चुका हूं कि अभियोग पत्र का जवाब आ जाय अभी सबका जवाब नहीं आया है । अगर जांच अधिकारी उससे सन्तुष्ट होंगे कि गलती नहीं है तो उसको माफ कर दिया जायगा । मामले को खत्म कर दिया जायगा ।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, मैं बजट भर में पहली बार खड़ा हुआ हूं । आपने एक सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी है । यह तो हमारे साथ ज्यादती होगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैंने श्री थम्मन सिंह जी को बुला लिया है ।

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच चल रही है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह उचित नहीं होगा कि जब तक जांच चल रही है, जांच में महीनों लग सकते हैं, तो उस जांच के पूरे होने से पहले इन निलम्बित कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाय मैं यह भी कहता हूं कि यदि जांच में इनके विरुद्ध कोई बात पायी जाती है, तो उसके अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही अवश्य की जाय । जवाब भी सबके आ चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है ।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, यह मामला आपको मालूम है, सारे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम हो गया है । जिस प्रकार का जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है, मान्यवर वह उस प्रकार का मामला नहीं है । इस मामले का पूरा विवरण मय फोटो के इस प्रदेश की, इस देश की तमाम पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छापा गया है । मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि यह जो कथित नीलम पत्रकार हैं, यह सेक्स का एक अड्डा चलाते हैं और मान्यवर, इस सेक्स के अड्डे में इस उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल हैं, तो सेक्स स्कैंडल को लेकर इस घटना की शुरुवात होती है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आप सूचना न दें । स्पष्टीकरण करायें ।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण ही कर रहा हूं । मान्यवर, किसी घटना का कोई कारण और मोटिव होना चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो यह काण्ड सचिवालय के अन्तर्गत हुआ और जिसने इस सचिवालय में विद्रोह का रूप धारण किया, तो क्या इसके पीछे कोई सेक्स स्कैंडल भी था ? दूसरा, यह जो नीलम पत्रकार हैं क्या इनको मुख्य मंत्री द्वारा एक मकान का एलाटमेंट किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सवाल करते वक्त सदन की गरिमा का भी ध्यान रखें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने किसी अड्डे का पता बताया, मुझे खुशी है कि उन्हें उसका पता मालूम है । अगर माननीय सदस्य इसका पूरा हवाला दें, इन्क्वायरी करा ली जायेगी, हम लोगों को मान्यवर, इसकी कोई सूचना नहीं है । दूसरे, माननीय सदस्य ने मकान एलाटमेंट का जिक्र किया । उसमें ऐसा है कि पत्रकार लोग मकान एलाट किए जाने के लिए दरखास्त देते हैं और कितने ही लोगों को मकान एलाट किए जाते हैं, एलाटमेंट के बाद उसमें कोई चरस रख लें, तो इसमें जो भी स्थिति होगी, उससे आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भी सूचित कर दिया जायेगा, मेरे पास इसकी इस वक्त कोई जानकारी नहीं है । अड्डे के बारे शायद माननीय सदस्य को कोई प्रेक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो मैं पुलिस को इन्फार्म कर दूंगा, पुलिस के अधिकारी माननीय सदस्य से सम्पर्क कर लें, उसके बाद वे पूरी तरह से कार्यवाही करेंगे, मुझे उम्मीद है माननीय सदस्य उनका मार्गदर्शन करेंगे ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, जिस काण्ड के कारण जयदत्त को गुस्सा आया, उसके डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह स्वाभाविक ही बात थी । उसके बाद तुरन्त यह सब हो गया । मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके जो निलम्बित विधान भवन रक्षक हैं, वे बेचारे गरीब लोग हैं, वे आपके ही हैं, हम सबसे उनके ताल्लुक हैं, मैं मानता हूं कि कई बार इस विषय को लेकर समझौते की बात हुई, और यह भी कि हरदफा समझौते में नर्मी आयी होगी, आपने कहा कि उनके जवाब नहीं आये हैं, उस वक्त तक तीन व्यक्तियों के जवाब नहीं आये थे, लेकिन अब सबके जवाब यहां आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि किसी भी अधिकारी की इस विषय में प्रतिष्ठा की बात को न लेकर, इन सारी चीजों को देखते हुए आप कोई ऐसी घोषणा करें क्योंकि जवाब सबके आ चुके हैं, एक हफ्ते के अन्दर, जिस तरह से भी आप इंक्वायरी करना चाहें, इस विषय में अंतिम रूप से निर्णय ले लिया जाय ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन साहब ने एक बात कही कि यह बात स्वाभाविक थी जिससे उस गार्ड को गुस्सा आया । मान्यवर, यह दुर्भाग्य की बात थी । किसी

की भी उपस्थिति में होता तो गुस्सा अवश्य आ सकता था। जो बात यह कही गयी कि सारे जवाब आ गये हैं, अगर सारे जवाब आ गये हैं तो 15 दिन के अन्दर उस पर कार्यवाही कर ली जायेगी, जिनके खिलाफ ऐक्शन लेना होगा एक्शन लिया जायेगा, जिनके खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत नहीं होगी, उसे बहाल किया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में चार्ज तो कर्मचारियों और गार्ड्स पर लगा दिया, पर सारे ब्योरोक्रैट्स अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए कर्मचारियों को निलम्बित किये हुये हैं। यह इसलिए है कि जो मैजिस्टीरियल जांच चल रही है उसमें मैजिस्ट्रेट का ध्यान दूसरी तरफ खिंच जाये। यह क्या सही है कि जो प्रतिनिधि मंडल चीफ सेक्रेटरी से मिलने गया था उसके कुछ लोग निलम्बित कर दिये गए हैं ? दूसरे यह कि हवाई फायर किसके निदेश पर हुआ?

श्री अम्मार रिज़वी--

किसी पाप पर पर्दा डालने की बात जो कही गयी है वह गलत है। आखिर यह घटना घटी या नहीं घटी, सचिवालय के दरवाजे बन्द हुए या नहीं हुये, सामान टूटा या नहीं टूटा, यह सब चीजें जो हैं इन पर भी तो आप विचार करें। जब अनुशासन की बात कही जाती है और कार्यवाही की जाती है तो आपत्ति होती है और यदि न की जाये तब भी आपत्ति होती है। तो जो बात माननीय राम आसरे वर्मा जी ने हवाई फायर वाली पूछी है, वह सारी बात जांच के बाद ही सामने आयेगी, लेकिन पता यह चला है कि एक मिस्टर सिंह हैं, कान्सटेबिल, उनकी बन्दूक छीनने की कोशिश की जा रही थी। जो हवाई फायर हुआ उससे कोई जख्मी नहीं हुआ। प्रदर्शन में जिनके खिलाफ मामला बना उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी, यह बात नहीं है कि जो मिले उनके खिलाफ की गयी। जिसके पास चाभी थी, जो चला गया, उनके खिलाफ तो कार्यवाही होनी थी।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[1 बजकर 28 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री मोहन सिंह की है, दूसरी सर्वश्री कुंवर सिंह नेगी व नरेन्द्र सिंह भंडारी की है। तीसरी श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की, चौथी श्री सत्यपाल सिंह की, पांचवीं सर्वश्री रियासत हुसैन व अकबर हुसैन की है। छठी श्री सन्त बख्श रावत की है सातवीं श्री रेवती रमण सिंह की है, आठवीं श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की है, नवीं श्री जसवन्त सिंह विष्ट की, दसवीं श्री सरदार सिंह की, और ग्यारहवीं श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह की है। इन सब पर मैंने विचार किया और इनको देखा है। इनको मैंने अस्वीकृत किया है, पर सुनने के लिए मैंने एक तो श्री जनार्दन प्रसाद ओझा को स्वीकार किया है जो लखनऊ में प्राथमिक शिक्षकों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है। इसी विषय की सर्वश्री सत्यपाल सिंह, रियासत हुसैन, अकबर हुसैन, सन्त बख्स रावत की भी है। दूसरी सूचना माननीय

[श्री अध्यक्ष --]

फिरंगी प्रसाद जी की है, उसको सुनूंगा। तीसरी सूचना रेवती रमण जी की है, उसको भी मैं सुनूंगा। जहां तक कुंवर सिंह नेगी जी की सूचना का सम्बन्ध है, वह पहले ही नियम 301 में स्वीकार की जा चुकी है। इसके बाद में...

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, पुलिस ने बुला कर मार दिया है। उस पर तो विचार कर लें। फतेहपुर का एक नौजवान, जिसकी उम्र केवल 27 वर्ष थी, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी ....

श्री अध्यक्ष--

आपने ध्यान आकृष्ट कर दिया है, इसका निर्णय मैं बाद में लूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने आपस में बैठ कर यह निर्णय लिया था कि दो-तीन से ज्यादा सूचनायें स्वीकार नहीं होंगी सुनने के लिए और अगर चौथी स्वीकार करनी पड़े तो माननीय नेता लोग हैं, उस पर आपस में विचार किया जायेगा। मैंने ओझा जी को बुला लिया है, आप बैठें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैंने जो कामरोको सूचना दी है नियम 56 के अन्तर्गत, वह अपने आप में बड़ी ही गम्भीर है और इसके सम्बन्ध में ग्राह्यता पर आपके माध्यम से मैं आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा। कल इसी शहर में, लखनऊ जनपद के 15 सौ से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। उनकी मांग केवल यह थी कि, शांतिपूर्वक वह आ रहे थे, ग्रेच्युटी के मामले में, सर्विस नियमों के सम्बन्ध में, प्राविडेन्ड फन्ड के मामले में उनको कुछ परेशानियां थीं, तकलीफ थी, उन्होंने प्रयास किया 17 सूत्री जो मांग है, विभागीय अधिकारियों के पास बार-बार कोशिश की, कि वह उसका समाधान निकाले लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर यह सत्र काल के अन्तिम दिन हैं, परीक्षायें चल रही हैं, प्राथमिक शिक्षा से लेकर हर स्तर तक और अगर इस सम्बन्ध में अध्यापक आन्दोलित होंगे, तो इसका प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ेगा। इससे हम आप निश्चित रूप से मुत्तफिक हैं। तात्कालिक प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि यदि पूरे प्रदेश के शिक्षक हड़ताल पर चले गये तो क्या होगा? इस लिए मैं मांग करता हूं कि शासन जो काम कर रहा है, एक दम अदूरदर्शितापूर्वक कर रहा है। वे शान्तिपूर्वक ढंग से आ रहे थे, दफा 144 लगाने का कोई औचित्य नहीं था और जनप्रिय यह सरकार जो अपने को जनप्रिय सरकार कहती है कि हम जो सरकार के लोग हैं, उनकी मुसीबतों के सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे, आज 15 सौ से ज्यादा लोगों को कारागार में डाल दिया है। यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है, अविलम्बनीय है, प्रदेश के शिक्षा जगत से सम्बन्धित है। मेरी सूचना के अनुसार इसकी प्रतिक्रिया अध्यापकों के दूसरे वर्गों में हो रही है। हायर सेकेन्डरी से लेकर यूनिवर्सिटी, डिग्री कालेज के जो टीचर्स हैं, अगर इसको रोकने की चेष्टा नहीं की गयी तो सारे प्रदेश में यह फैल जायेगा। परीक्षाओं के दिन हैं, सत्र के अन्तिम दिन चल रहे हैं, परीक्षायें सम्भव नहीं हो सकेंगी और इससे छात्र, शिक्षक, अभिभावक, सभी समान रूप से आन्दोलित हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि शासन को निर्देश दें और शासन से वक्तव्य दिलवायें तथा सारा काम रोक कर आज इस आदरणीय सदन में इस पर विचार करें और आदेश पारित करें।

(किसी सदस्य के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक माननीय सदस्यों की सूचना का सम्बन्ध है, एक साथ दी है, तो पहले से ही आपस में यह निर्णय करना चाहिये कि किसको प्रस्तुत करना है ? एक माननीय सदस्य को बुलवा दिया । अगर सभी को बुलवाने की प्रथा डाल दी गयी तो यह गलत होगा ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैंने भी सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष--

एक व्यक्ति बोल चुके हैं ।

*श्री सत्यपाल सिंह--

एक मिनट का समय दे दें ।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी की अध्यापकों से सात दिन पहले बात चीत हुई थी । उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह निर्णय करेंगे । ऐसी कोई मांग नहीं है जिसमें शासन को मानने में मजबूरी हो । भ्रष्ट अधिकारी हैं जो सारे अध्यापकों को मजबूर कर रहे हैं हड़ताल के लिये । शिक्षा जगत का कार्य ठप है, विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है । अभी 1500 गिरफ्तार हुये, यह स्थिति आने वाली है कि सारे शिक्षक गिरफ्तारी कराने के लिए मजबूर होंगे । इसलिए सदन का कार्य रोक कर इस पर चर्चा कराई जाये ।

एक सदस्य--

माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं ।

(श्री रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय रेवती रमण जी, आप बैठें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्बार रिजवी)--

मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । यह मामला अध्यापकों से सम्बन्धित है । इसकी छानबीन करायेंगे । किसी अधिकारी का नाम लिया गया है, सारे मामले को दिखवाकर कार्यवाही की जायेगी ।

एक सदस्य--

आश्वासन दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी बात को सुन लिया है, इनकी भी बात को सुन लिया है, इस पर बाद में निर्णय दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आपका ध्यान इलाहाबाद जनपद में करछना तहसील में डेढ़ महीने से नहरों में पानी न आने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां लिफ्ट कैनाल है। बिजली से कैनाल चलती है। डेढ़ महीने से एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। नहर को केवल 4-5 घंटे बिजली मिलती है। सारी फसल सूख रही है। वहां के किसान पहले से ही भुखमरी की कगार पर हैं। तीन सालों से सूखा, बाढ़, ओला पड़ रहा है। इस साल फसल सूखी जा रही है किसान भुखमरी की स्थिति में होता जा रहा है। आपके माध्यम से चाहूंगा कि सब कार्य रोक कर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करने की अनुमति दें। यदि किसानों के साथ अन्याय होगा तो उनमें असन्तोष फैलेगा और वे गिरफ्तारी देंगे तथा जेल जायेंगे।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

सर्वप्रथम यह निवेदन कर दूं कि जो सूचना मैंने दी है उसमें गल्ती से 20-1-83 टाइप हो गया है, 20-2-83 की घटना है। मान्यवर, 20-2-83 को महराजगंज धर्मशाला, में रहता हूं, बगल में पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महामंत्री, समर्थक रहते हैं। 20 फरवरी को पुलिस आती है। श्याम लाल हरिजन, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के सहायक लिपिक हैं। इनके कमरे में दो सब-इन्सपेक्टर और दो पुलिस वाले घुस जाते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, राम बहाल, राम लाल अनेकों को पकड़ कर ले जाते हैं। उनकी जेबों की तलाशी लेते हैं। थाने में ले जाते हैं। वहां ले जाकर सभी कार्यकर्ताओं, संभ्रान्त नागरिकों की पिटाई होती है। पीटने के बाद एस0 ओ0 मुर्गा बनाता है। यह घटना कैसे होती है ?

श्री अध्यक्ष--

ग्राह्यता के बारे में बोलें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

वही बता रहा हूं मान्यवर, 16, 17, 18 फरवरी को इसी दरोगा के विरुद्ध नेपाल-बिहार की तस्करी कराने का मामला उठाया था। इसलिये वह नाराज हुआ। नाराज होने के बाद लोक दल कार्यकर्ताओं समर्थकों व संभ्रान्त नागरिकों को क्वार्टर के बगल से 20 फरवरी, 1983 को पकड़वाकर पिटाई किया और मुर्गा बनाकर जलील किया। वहां कांग्रेस (आई) के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा ब्लाक प्रमुख श्री राज कुमार सिंह ने ऐसे कार्य का विरोध किया।

श्री अध्यक्ष--

जल्दी समाप्त करें क्योंकि काम ज्यादा है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

श्री राज कुमार सिंह जाते हैं और कहते हैं कि मैं फलां दल का आदमी हूं लेकिन उनका कहना भी नहीं माना गया। मान्यवर, यह आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन में जनता का काम कैसे किया जाय, उनकी बातों को सरकार तक कैसे पहुंचाया जाय ? इसकी सूचना एस0 पी0 को दी गयी, उसने भी नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुना। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आज इस सदन का कार्य रोक करके, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में काम करने से सम्बन्धित प्रश्न है, इस पर चर्चा करा दी जाय।

*श्री मोहन सिंह--

अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि 18 जनवरी को, श्री कल्लू सिंह जिसकी उम्र 27 वर्ष की थी, आकर्षित किया था। फतेहपुर शहर के एक रेडियो दुकान से आबूनगर का पुलिस थानाध्यक्ष, श्री पी0 पी0 सिंह ने उसे पकड़ लिया और मल्लावां का थानाध्यक्ष श्री सोनकर और आबूनगर के थानाध्यक्ष ने 18 जनवरी को उसे पीटा एक जुर्म कबूल करवाने के लिये और उसके तीन साथियों को और गिरफ्तार किया गया। 19 तारीख को जब उसने जुर्म कबूल नहीं किया तो थाने के अन्तर्गत मिट्टी का तेल छिड़ककर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। उसी दिन उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया।

फतेहपुर चिकित्सालय के डाक्टरों ने कहा कि इसकी हम सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो तब थानाध्यक्ष ने उसे ले जाकर मेडिकल कालेज कानपुर में भर्ती करा दिया और 21 तारीख को वह नौजवान मर गया। इससे वहां की जनता में असंतोष व्याप्त है। वहां से जिलाधिकारी के निर्देश पर धारा 304 के तहत भारतीय दंड विधान में एक मुकदमा कायम किया गया तब जाकर वहां की जनता में व्याप्त रोष समाप्त हुआ। जिलाधिकार ने आश्वासन दिया कि इस मामले में मैजिस्ट्रेल जांच करायेंगे और इससे सम्बद्ध पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण करायेंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो पिछले वर्ष निर्दोष लोगों को फर्जी मुठभेड़ दिखा दिया करती थी, इस वर्ष उसने एक नया हथकन्डा शुरू किया है कि थाने में जुर्म कबूल न करने पर मिट्टी का तेल छिड़क कर मारा जा रहा है इस प्रकार की कई हत्यायें उत्तर प्रदेश में हो गई हैं। जब वहां के जिलाधिकारी ने मैजिस्ट्रियल इन्क्वायरी और सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण की संस्तुति की तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 फरवरी को स्थानान्तरण अनुरोध अस्वीकार कर दिया और मैजिस्ट्रेल इन्क्वायरी को विड्रा करने के निर्देश उनको दिये। तब सभी थानाध्यक्षों ने उनके तमाम साथियों का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है। अतएव मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज ही शासन से वक्तव्य दिलवायें। जिस तरह से पुलिस हत्या कर रही है पूरे प्रदेश की जनता में आज आक्रोश व्याप्त हो रहा है। शासन का इसमें क्या दृष्टिकोण है, इनक्वायरी विथड्रा क्यों की गयी, स्थानान्तरण निरस्त क्यों कराये गये, इस कार्य में तफतीश क्यों नहीं की जा रही है, मंत्री जी आज उत्तर देने को तैयार हैं? इस मामले में पटाक्षेप हो जाय और जनता में व्याप्त आक्रोष समाप्त हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है लेकिन जो तथ्य माननीय श्री मोहन सिंह जी ने इसमें दिये हैं वे काफी गम्भीर हैं, जो नवयुवक की हत्या के सम्बन्ध में हैं अगर वक्तव्य से मोहन सिंह जी संतुष्ट होते हैं, क्योंकि इससे सारे तथ्य सामने आ जाते हैं, आप इसे स्वीकार कर लें।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप लोग बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं छात्रों का जीवन खराब हो रहा है वहां पर अध्यापकों की नियुक्ति की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

श्री विष्ट जी मैंने आपकी बातें सुन ली हैं ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये, तमाम लोग नौकरियों की तलाश में घूम रहे हैं, वे एम0 ए0, बी0 एड0 पास हैं...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । नियम यह है कि जब अध्यक्ष खड़े हों तो आपको बैठ जाना चाहिये ।

नियम 56 के अन्तर्गत आज 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । मैं नियम 56 के अन्तगत किसी को भी स्वीकार नहीं करता हूं, सब अस्वीकार हैं । जहां तक माननीय मोहन सिंह जी की सूचना है उसके विषय को वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया गया है । जहां तक श्री कुंवर सिंह नेगी व श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की सूचना का सम्बन्ध है, यह नियम 301 में स्वीकार हो चुकी है । श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री सत्यपाल सिंह श्री रियासत हुसैन व श्री अकबर हुसैन तथा श्री सन्त बख्स रावत की सूचनाओं पर मैं विचार कर रहा हूं क्योंकि नियम 51 में भी इसी प्रकार की सूचना आयी है, शाम को इस पर निर्णय दूंगा । श्री रेवती रमण सिंह को सुनने के बाद मैंने उनकी सूचना को उचित कार्यवाही हेतु शासन को भेज दिया है । माननीय श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री जसवन्त सिंह विष्ट की सूचना को मैं शासन को उचित कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं । इसके अतिरिक्त श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह की सूचना को भी उचित कार्यवाही हेतु शासन के पास भेज रहा हूं ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, वक्तव्य नहीं दिलवायेंगे तो पता क्या चलेगा कि क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई कार्यवाही न हो तो आप पुनः लिखकर दे दें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री विशेष रूप से इस बात को देखें कि श्री रेवती रमण सिंह जी की सूचना पर कार्यवाही की जाय ।

अध्यापकों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा जानकारी

[1 बज कर 48 मिनट]

(मद संख्या--10 के लिए माननीय आबकारी मन्त्री को पुकारे जाने पर।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपके माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं। अभी एक माननीय सदस्य ने 1,500 अध्यापकों की गिरफ्तारी का मामला उठाया था। मैं यह बताना चाहता हूं कि कोई भी अध्यापक गिरफ्तार नहीं है, न जेल में है न थाने में है, सब जा चुके हैं।

[1 बज कर 49 मिनट]

1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 1--आबकारी विभाग

आबकारी मन्त्री (श्री विद्या भूषण)--

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि....

(व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, कोरम पूरा नहीं है, मन्त्री जी खड़े हो गये हैं।

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अरे सवा लाख के बराबर होता है एक शर।

(हंसी)

(माननीय आबकारी मन्त्री के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी आप बैठिए, कोरम नहीं है। वैसे परम्परा यह रही है कि दोपहर 1 से 2 तक कोरम की बात नहीं उठायी जाती है, परन्तु जब उठा ही दिया गया है तो उसे पूरा भी हो जाना चाहिए।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुयी।)

श्री विद्या भूषण—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,89,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष जो वैसे आबकारी विभाग के बारे में आमतौर पर यही धारणा होती है कि विभाग सिर्फ शराब का ही विभाग है और इसमें सिर्फ शराब से सम्बन्धित ही कार्य होता है, ऐसा नहीं है आबकारी विभाग एक ऐसा विभाग है

(इस समय 1 बज कर 53 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए ।)

जो किसानों के गन्ने के मूल्य को पूरा-पूरा दिलवाने में सहायक होता है । हमारे इस प्रदेश में 91 शुगर मिलें हैं और इन मिलों में जो शीरा बनता है गन्ने से उस पर इस विभाग का नियंत्रण होता है और शीरा वेस्ट न हो, इसके बचाव का पूरा-पूरा प्रयास यह विभाग करता है । पूरे प्रदेश में पिछले वर्ष नवम्बर से लेकर 31 अक्तूबर, 1982 तक शीरे का उत्पादन व खपत है, इसका ब्योरा इस प्रकार है पिछले वर्ष का शेष शीरा 50 लाख टन और उत्पादन 104 लाख टन कुल मिला कर 104·5 लाख टन हुआ ।

डिस्टिलरियों द्वारा खपत 67 लाख कुन्टल तथा अन्य उपयोगों में 7 लाख कुन्टल और कुल खपत 74 लाख कुन्टल, जिसमें शेष 30·5 लाख कुन्टल बचा तथा इसके लिये भारत सरकार द्वारा देश से बाहर भेजने के प्रयास में स्वीकृति मांगी गयी जो हमें दो दिन पहले 28 लाख क्विन्टल की शीरे के निर्यात की स्वीकृति मिल गयी । इस शीरे का स्टोरेज 37·26 लाख है और डिस्टिलरीज के लिए 22·50 लाख कुन्टल तथा कुल संचय क्षमता 59·76 लाख कुन्टल । इस लिये मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विभाग का सम्बन्ध केवल शराब से ही नहीं है, अपितु इसमें किसानों का हित भी सम्मिलित है । हमारे इस प्रदेश में गन्ने से जहां-जहां शीरा बनता है, उनकी खपत के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आबकारी विभाग ही प्रयास करता है और यह भी प्रयास करता है कि किसान को सही दाम मिल जाएं ताकि किसान के सामने उसके गन्ने की कीमत का प्रश्न न आए । अब प्रश्न आता है शीरे से हम क्या चीज बनाते हैं ? हमारे प्रदेश में अल्कोहल बनाने की यूनिट लगी हुई हैं तो उससे हम अल्कोहल बनाते हैं । इस प्रदेश में जितना अल्कोहल शीरे से उत्पादित होता है वह 1500 या 1600 होता है उसमें से 7 परसेन्ट शराब में इस्तेमाल होता है बाकी सब इन्डस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है और उसके अलावा बाहर के देशों में निर्यात किया जाता है जिससे प्रदेश को बहुत अच्छी आय होती है । 1979-80 में इससे राजस्व की प्राप्ति आबकारी विभाग को जो हुई वह इस प्रकार है कि:

1979-80 में 94·29 करोड़ रुपया, 1980-81 में 122·31 करोड़ रुपये, 1981-82 में 172 31 करोड़ रुपये तथा 1982-83 में 182·42 करोड़ रुपये की हुई है । यह ऐसी उपलब्धि है जो सिर्फ शराब पर आधारित नहीं है । यह इन्डस्ट्रीज पर भी आधारित है । यह किसान के लिए भी लाभप्रद है कि उसे इससे गन्ने का मूल्य मिलता है ।

इस वर्ष पूरे प्रदेश में शराब के जो लोग अवैध धन्धे करते थे, उस पर छापा डाल कर उसमे से 1 करोड़ रुपया से ऊपर की शराब बरामद की गयी। जितने लोग अवैध शराब बनाने का धन्धा करने वाले पकड़े गये उन सबके लाइसेन्स निरस्त कर दिये गये।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं।

श्री विद्या भूषण---

इसके अलावा जो अधिकारी उसमें दोषी पाये गये उनमें से कुछ को निलम्बित कर दिया गया और कुछ के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, इस विभाग का हम इस वर्ष आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। इसमें ऐसी व्यवस्था है जैसे कि आबकारी विभाग के अधिकारियों के पास मकान नहीं है और न उनके पास दौड़ने के लिये साधन हैं। किस तरह से वे अवैध धन्धा करने वाले लोगों को तथा तस्करों को पकड़े? इसके लिये अब हम चार सबल दस्ते बनाने जा रहे हैं, जो जगह-जगह जा कर छापा मारेंगे और जो तस्कर और अवैध धन्धा करने वाले लोग हैं उनको वे पकड़ेंगे।

मेरा एक निवेदन और है कि बहुत से तस्कर जो तस्करी करते हैं जो पकड़ने से रह जाते हैं, उनके पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और इसके लिये हम पूरा प्रयास करने जा रहे हैं और जो लोग इसमें पकड़े जायेंगे, उनको माफ नहीं किया जायेगा चाहे वो तस्करी हो या वे स्वयं तस्कर हों या फिर व्यापारी हों। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में जो अपने अमूल्य सुझाव देना चाहें, वह दें।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1---आबकारी विभाग-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्रीमन्, मैं मन्त्री जी का भाषण सुन रहा था उस पर मैं आऊं उसके पहले मेरा ध्यान आपके पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है, उस पर जाता है श्रीमन्, जब गांधी जी देश की लड़ाई लड़ रहे थे तो कहा करते थे कि मुझे हिन्दुस्तान का एक दिन के लिए अगर हमे बादशाह बना दिया जाय, तो हिन्दुस्तान के अन्दर मद्य निषेध की नीति लागू कर दूं। यह तो गांधी जी कहा करते थे और हमारे देश और प्रदेश की सरकार जो चल रही है वह गांधी जी की विरासत की बातें करती है।

मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में लिखा है कि--

"राज्य अपने लोगों के आहार पुष्टि तल और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।"

[श्री गौरी शंकर भैय्या--]

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि संविधान में मद्य निषेध की बात कही गयी है। दारू बनाने की बात नहीं कही गयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान मद्य निषेध के पक्ष में है, दारू बेचने की बात नहीं करता है। यह संविधान के विरुद्ध है और उसके प्राविधानों के विरुद्ध है। पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी व श्रीपति मिश्र ने संविधान की धारा 47 का अध्ययन नहीं किया है। और आज तक कोई इस बारे में प्रयास नहीं किया गया है। अब मान्यवर, आप कांग्रेस का पूरा इतिहास देखिये, सभी जगह पर शराब बांटी जा रही है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

यह सब आपको ताकत पहुंचाने के लिए किया जाता है।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और अपराध बढ़ रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं पिछली बार सरकार ने यह फैसला लिया था कि देश के अन्दर बिकने वाली विदेशी शराब का व्यापार अपने हाथ में लेंगे और कयाल टाउन्स में सरकार खुद शराब बेचने का काम अपने हाथ में लेना चाहती है। यह सरकार की नीति है। यह सारी चीजें महात्मा गांधी के ऊपर वैचारिक बलात्कार हैं। मान्यवर, एक बोतल शराब बनाने में 10 रुपये की लागत आती है और उत्तर प्रदेश में उसकी कीमत 34 रुपया है। यह सरकार इतना मुनाफा ले रही है, अगर कोई और व्यक्ति इतना लाभ लेकर व्यवसाय करता तो ये उस पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। मान्यवर, शराब किस चीज से बनती है, यह अलकोहल से बनती है और अलकोहल कहां से आता है यह शीरे से आता है।

(सत्ता पक्ष की ओर से आवाजें आने पर)

उसको हम चाटते हैं और आप उसको पीते हैं। हमारे और आपके बीच में केवल यही अन्तर है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

चाटू बड़ा खराब होता है, पीने वाला दरिया दिल होता है।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, शीरे का उत्पादन चीनी मिलें तथा खांडसारी के जरिये होता है। चीनी मिलों द्वारा बनाया गया शीरा सरकार के नियंत्रण में है परन्तु खांडसारी द्वारा उत्पन्न शीरे पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ये भी चीनी मिलों के बराबर ही शीरे का उत्पादन करती हैं सरकार को चाहिए कि इस पर भी नियंत्रण लगाये। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये आपको कोई तरीका निकालना चाहिए खांडसारी के शीरे से अलकोहल निकाल कर उसकी व्यवस्था करनी चाहिये। आज लोग उसे अवैध शराब बनाने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि सन् 1980-81 के नवम्बर से लेकर आपने 54 लाख 68 हजार क्विंटल शीरे का उत्पादन किया और इतना ही खांडसारी वालों ने भी किया होगा। अच्छी बात है, प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन मैं एक बात मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आपकी चीनी मिलें हैं उनके

यहां शीरा रखने के लिये कोई समुचित व्यवस्था है ? मिलों में शीरा पड़ा रहता है। मैं नाम बता सकता हूं कि जहां शीरे की व्यवस्था चीनी मिलों के पास नहीं है। उनके यहां शीरा रखने के लिये एक टंकी बना दी जाती है। जब वह टंकी फुल हो जाती है तो उसके बाद शीरा रखने की उनके पास जगह नहीं होती है और उनको शीरे को नालियों में बहा देना पड़ता है।

जिनको शीरा एलाट किया जाता है वे शीरा नहीं उठाते हैं लिहाजा उनको नालियों में शीरा बहा देना पड़ता है। वे कहते हैं कि हम मजबूर हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष आप कितने शीरे का रख-रखाव कर पाये और कितना शीरा नालियों में बहा देना पड़ा। लाइसेंस वालों को शीरा मिला या नहीं मिला लेकिन आपके कागजातों में है कि उनको वह शीरा बहाने का मौका मिल गया क्योंकि उसके रखने के लिये उनके पास जगह नहीं थी। आपने कहा 1980-81 में 1 लाख 80 हजार क्विंटल शीरा बहाया गया।

मान्यवर, इस शीरे को बहाने के बजाय अगर आप स्कूलों में ही उसे बच्चों को दे देते जैसे कि स्कूलों में बालाहार योजना चलाई गई है उसमें आप उन्हें सब्जी नहीं देते उनको आप उसके स्थान पर शीरा ही दे देते तो कुछ तो पौष्टिक चीज उनको मिल सकती थी। यह सब आपने नहीं किया।

अब मैं आबकारी मैनुअल की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसके 314/4 के अधीन सार्वजनिक स्थान पर, दारू की दुकानें, भांग की दुकानें नहीं होना चाहिये, मंदिर-मस्जिद की जगह पर नहीं होनी चाहिए साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी यह दुकानें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मान्यवर, मंत्री जी भी जानते हैं और भी जानते हैं यहीं लखनऊ में उदयगंज के चौराहे पर जो शराब की दुकान है वहां पर मंदिर भी है और मस्जिद भी है, मदरसा भी है और मयखाना भी है। एक ही बिल्डिंग में ये सारी चीजें हैं। इस तरह से आबकारी मैनुअल का खुला उपहास हो रहा है। आपको समय-समय पर इसकी जांच भी करनी चाहिए कि यदि ऐसे स्थानों पर इस तरह की दुकानें हैं तो उनके लाइसेन्स को आपको निरस्त कर देना चाहिए। जब आपके अधिकारी इस तरह से जांच करने के लिये उन दुकानों में जाते हैं तो पैसा लेकर वापस आ जाते हैं और अच्छी खासी रकम पैदा करते हैं। अभी माननीय मंत्री जी रामपुर में एक दारू की दुकान का उद्घाटन करने के लिए गये जो कि मस्जिद के सामने खोली गई। कौन गये थे, यह मुझे मालूम नहीं ?

(व्यवधान)

इस तरह से आप नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आबकारी मैनुअल में इस बात का प्रोविजन भी है कि रेलवे स्टेशन के पास कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, बलिया जिले में जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर आप निकलते हैं तो वहां पर शराब की दुकान है जहां कि एक तरफ लोग टिकट लेते हैं और दूसरी तरफ शराब बिकती होती है। वहां पर दारू कोका-कोला की जगह पर ठंडे पेय के रूप में बिक रही है और छोटे-छोटे रेलवे स्टेशनों पर शराब सप्लाई हो रही है। इस ओर मंत्री जी ध्यान दें।

[श्री गौरी शंकर भैय्या--]

चौथी बात में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो आबकारी के बन्दी दिवस थे वे 150 दिन थे जिसमें मंगलवार, शुक्रवार, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्तूबर, होली, दिवाली के अवसर शामिल थे। तथा माह का वेतन दिवस भी इसमें शामिल थे परन्तु इसे घटा कर आप 30 दिन कर रहे हैं। एक तरफ आप मद्य निषेध की बात करते हैं दूसरी तरफ आबकारी दूकानों की बन्दी दिवस 150 से घटकर 30 दिन कर रहे हैं। इस प्रकार आप प्रदेश में 120 दिन अधिक मादक पेयों के लिए छूट दे रहे हैं। इतने दिन लोगों को और पीने को मिलेगा तो इससे किसका फायदा आप कर रहे हैं। केवल ठेकेदार का फायदा कर रहे हैं। इसमें चर्चा है कि ठेकेदारों का गिरोह बना हुआ है उन्होंने एक बहुत बड़ी धनराशि शासन को भिजवा दी है और इस प्रकार के आदेश करवा लिए। कितना किसके पास आया है यह मंत्री जी टटोल कर दिखवा ले? इससे कितनी आय हुई आखिर क्यों 120 दिन और खोलने की बात की? आप एक तरफ कहते हैं कि शराब बन्द करेंगे दूसरी तरफ दारू पीने के दिन बढ़ा रहे हैं आपको इसको नीचे की तरफ लाना चाहिए था। आप इस बन्दी दिवसों के बारे में पुनर्निरीक्षण करें। आपको तो 150 बन्दी दिनों की जगह 160 दिन करना चाहिए तब अच्छा रहता।

अब मैं प्रशासन की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले वर्ष भी इस पर कटौती का प्रस्ताव रखने का मुझे ही अवसर मिला था माननीय मोहन सिंह जी ने इस बार भी मुझे ही यह काम दे दिया। तो आपके यहां नौ आबकारी आयुक्तों के पद खाली हैं। 8 आबकारी आयुक्त 21 सहायक आबकारी आयुक्त तथा 31 आबकारी अधीक्षक के पदों पर वरिष्ठ लोगों की पदोन्नति न करके जिनकी चरित्र-पंजिका संदिग्ध है। उनको चार्ज दे दिया गया है यही नहीं दो दो चार-चार जगहों का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक जगह का कोई इंचार्ज होता है तो वह लाखों रुपया कमाता है और जब चार जिले दे दिये जायेंगे तो कितना फायदा उनको होगा इसका हिसाब आप लगा सकते हैं।

यह रुपया नीचे से ऊपर तक पहुंच रहा है। जो लोग इसमें सफल होते हैं उनको चार-चार जिलों का काम सौंप दिया जाता है। इस समय आपके यहां 90 राजपत्रित अधिकारियों में से 50 राजपत्रित अधिकारियों के पद रिक्त हैं अर्थात् 40 से पूरे प्रदेश का काम चला रहे हैं। ठीक है आप बचत कर रहे हैं लेकिन इसमें आफसियेट करवा रहे हैं और जो शासन की नीति है उनको प्रमोट नहीं किया जाता है। प्रमोशन की एक नयी नीति बना दी है कि जो ज्यादा दिन आफिसियेट कर लेगा उसको प्रमोशन के चांस दिये जायेंगे। इससे विभाग में बड़ा असंतोष है। इस प्रकार की जो प्रथा निकाली है इसको रोकिये जो प्रमोशन का सही तरीका है उसको इस्तेमाल किया जाय।

अब बकाया की तरफ आता हूं। इसमें आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जितना रुपया विभाग का बकाया है अगर वह रुपया वसूल लिया जाय तो विधान सभा के हर विधायक की मेज सोने से मढ़ सकती है बेकार आप थोड़ा सा रुपया यहां से अनुदान के रूप में मांग रहे हैं। ये जो तीन बड़े लोग हैं उनके नाम लूंगा कि कितना उन पर बकाया है। सोमैया आर्गेनिक पर 2 करोड़ रुपया, मोहन मेकिन पर एक करोड़ 4 लाख रुपया और बरेली की रबर सन्थैटिक कम्पनी पर 32 करोड़ 15 लाख का टैक्स बकाया है। और फिर 1981-82 में इस

कम्पनी को 365 लाख लीटर कम मूल्य पर एलाट कर दिया वह भी पता नहीं देगा या नहीं। जो छोटे फुटकर हैं उनकी बात मैं नहीं करता हूं। न्यायालयों के हस्तक्षेप के कारण लगभग एक अरब 9 करोड़ 59 लाख रुपया सरकार का स्टे के कारण पड़ा हुआ है। आपके बड़े अधिकारी ठेकेदारों से मिले हैं और न्यायालय में पैसा देकर स्टे लिये हुये हैं, इसलिये आप अच्छा वकील लेकर इसमें पैरवी करायें वरना अरबों रुपया बेकार में पड़ा रहेगा। इसलिये इस पर मंत्री जी ध्यान दें।

मान्यवर, 31 मार्च, 1980 तक 6 करोड़ 96 लाख रुपया फुटकर बिक्री की शराब और भांग की दुकानों के नीलाम के सम्बन्ध में जो था वह अभी तक वसूला नहीं जा सका है। उदाहरण के लिये 1979 में मडुवा डीह और इम्लिशिया की तीन दुकानें 25 लाख 10 हजार रु0 में नीलाम हुई थीं जबकि वास्तविक वसूली 5 लाख 45 हजार की हुई। यह बात लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में है। इसलिये शासन से अनुरोध है कि आप सख्ती से वसूली करें।

मान्यवर, राज्य आबकारी कार्यालय द्वारा जो अनियमितताएं की गयी हैं उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1978-79 के दौरान :

1--लाइसेंस फीस का संग्रह न करना और कम संग्रह करना इसमें 14 लाख 75 हजार रु0 कम लगाया है। इसलिये सरकार को नुकसान हुआ है।

2--स्प्रिट की चीजों पर शुल्क न लगाना जिससे 11 लाख 48 हजार का नुकसान हुआ है।

3--देशी स्प्रिट और भांग की आपूर्ति में ठेकेदारों की असफलता के कारण आबकारी शुल्क की हानि 3 लाख 45 हजार हुई।

4--शुल्क और निर्यात पास फीस कम लगाना, इससे 2 लाख 79 हजार का नुकसान हुआ है।

5--अन्य मदों में 5 लाख 56 हजार का नुकसान हुआ है।

इस तरह विभाग की लापरवाही से कुल 38 लाख रुपये का सरकार को नुकसान हुआ है।

मान्यवर, छठी बात वर्ष 1977-78 और 1978-79 में सरकार को 12 लाख 28 हजार रुपये की राजस्व हानि, भांग से आबकारी शुल्क और लाइसेंस फीस के रूप में हुई।

सातवीं बात शुल्क और फीस कम लगाने और न लगने से 1979-80 में 56 लाख 40 हजार रुपये का नुकसान विभाग को हुआ है। यह बातें पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के प्रतिवेदन में हैं। इसकी जिम्मेदारी आप की देखने की है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, 3.30 बजे तक आबकारी पर चर्चा होना है, इसी समय में मतदान भी होना है, समय ढाई बज रहा है इसलिये अधिष्ठाता महोदय, आपसे निवेदन है कि चूंकि इस पर और भी बोलने वाले माननीय सदस्य हैं जबकि कटौती का प्रस्ताव मूव करने वाले भी माननीय सदस्य ने काफी समय ले लिया है, इसलिये इसमें इनको समय निर्धारित कर दें।

श्री अधिष्ठाता--

कटौती के प्रस्ताव को रखने वाले को समय की सीमा नहीं रहती है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

शराब पीकर इधर नहीं बैठे हैं बल्कि उधर बैठे हैं लेकिन अब उतर गयी है ।

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि अक्सर देखते हैं कि श्री श्यामलाल बाजपेयी का माइक खुला रहता है और वह बैठे-बैठे बोलते रहते हैं, इसलिये व्यवस्था दें कि जब अध्यक्ष पीठ से अनुमति इनको मिले तभी इनका माइक खोला जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बैठ जायं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

बड़ी पीड़ा है । वह नहीं जानते कि बोलना मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार है और बोलते ही रहेंगे और आप चिल्लाते रहेंगे ।

श्री गौरी शंकर भैय्या---

मान्यवर, आपकी वाणी बोले तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जानवरों की बोली अच्छी नहीं लगेगी । ताड़ी से नीरा बनाने और गुड़ बनाने का काम इस प्रदेश में हम आसानी से कर सकते हैं । खद्दर भंडारों को यह कार्य दिया गया था । सबसे बड़ी आपत्ति की बात यह है इसमें इस समय क्लोरी हाइड्रेट नामक एक जहर मिल देते हैं, उससे ताड़ी का नशा तो बढ़ जाता है, लेकिन मरने और बीमार पड़ने वाले आदमियों की संख्या बढ़ जाती है । पूरे प्रदेश में मिलावट होती है, आप उसको देखें और उसे रोकने का प्रयास करें ।

आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार की बात न हो तो लगता है कि कोई बड़ी चीज छूट गई है । यहां भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक है । मंत्री जी की कुर्सी लोहे की होगी तो वहां तक उनके पास तक भ्रष्टाचार का करेन्ट अवश्य पहुंचता होगा, काठ की होगी तो बात दूसरी है । इस भ्रष्टाचार के बारे में सबको मालूम है कि यह कितना व्यापक और कितना अधिक है ? कुछ ऐसे हैं, जिनके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । डिस्टिलरी के अन्दर जितना उत्पादन होता है, दिखाया नहीं जाता है और उसे दो नम्बर के गेट से यह बाहर कर देते हैं ।

उत्पादन को चेक करने के लिए वहां पर इनके इंस्पेक्टर तैनात होते हैं, लेकिन वह उनके आदमी होकर रह जाते हैं । उसको आप ज्यादा से ज्यादा पांच सौ रुपया देते होंगे और डिस्टिलरी मालिक उसको 2000 रुपया दे देता है । तो वह किसका हित देखेंगे ? जो मालिक कहता है, उसे वह लिखता है और शेष सारी दूसरे गेट से बाहर निकल जाती है । जितना उत्पादन होता है, उतना सरकार के रिकार्ड में दिखाया नहीं जाता है । सरकार को इसको देखना चाहिए कि ऐसा हो रहा है या नहीं ? दुकानें छापे में पकड़ी जाती हैं । जब मंत्री जी

बोल रहे थे तो कानपुर की एक महिला विधायक मेज पीट रहीं थीं.... दूकानें छापे में कहने को पकड़ी जाती हैं, लेकिन उनका कुछ होता नहीं है। बहुत से बहुत यह होता है कि वह दुकानें उनके नाम के स्थान पर उनके रिश्तेदारों को बुलाकर उससे कम मूल्य पर दे दी जाती हैं।

इस सम्बन्ध में एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, अगस्त 81, में मेरठ, रानीखेत, वाराणसी, आगरा, बरेली तथा अन्य कई जगहों पर 25 लाख रुपये का तस्करी की अंग्रेजी शराब पकड़ी गई थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। यह भी सही है कि कई जगह पर आपके अधिकारी ठेकेदार को फाइनेन्स करते हैं और उनके धन्धे में भागीदार बने हुए हैं। यह भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। एक दूसरा उदाहरण यह है कि वर्ष 76-77 में देहरादून में थोक व फुटकर अंग्रेजी शराब की दुकानों को 6 महीने के लिए 29 लाख रुपये में नीलाम किया गया था, लेकिन निकासी की केवल 19 पेटी शराब साल भर में दर्ज हुई है। तो 19 पेटी में दुकानदारों ने 29 लाख रुपया कैसे दिया होगा? स्पष्ट है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार और मिलावट किया गया है। असली शराब के स्थान पर वहां पर नम्बर-दो की शराब सारी बेची गई है। यह काम करने का तरीका आपके विभाग का है। आप ऐसे मामलों को देखें....

श्री अधिष्ठाता--

अभी कितना समय आप और लेंगे?

श्री गौरी शंकर भैय्या--

5, 7 मिनट लूंगा, मान्यवर।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

अभी माननीय गौरी भैय्या जी ने, सम्भव है आपने भी सुना होगा, कहा है कि कानपुर की एक विधायिका पीती हैं तो क्या वह उनके साथ पीती हैं या अलग पीती हैं और उनका नाम क्या है, यह वह बता दें?

श्री गौरी शंकर भैय्या--

देवरिया जनपद में डिस्टिलरी की एक फैक्ट्री है, उसके सन्दर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके ऊपर एक्साइज टैक्स का लाखों रुपया बाकी है। पता नहीं वह एक्साइज कमिश्नर यहां पर बैठे हैं या नहीं, उन्होंने उस एक्साइज टैक्स को उस पर से यह कहकर माफ कर दिया कि उस दौरान वह डिस्टिलरी चली ही नहीं है। इस तरह से उन्होंने उस पर से इतना सारा रुपया माफ कर दिया और उसी के दौरान उस फैक्टरी को हजारों क्विंटल सीरा कंसेशनल रेट पर आपके विभाग ने उसे जारी कर दिया है। अब यह बात है कि श्रीमन्, इस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। अब विदेशी शराब की तस्करी रोकने के नाम पर माननीय मन्त्री जो आप खुद जो हैं विदेशी शराब की तस्करी रोकने के नाम पर बार-बार बयान देते हैं कि हम टैक्स कम कुछ करने वाले हैं। आप देखें कि करोड़ों रुपया तस्करी में जाने वाला है। इससे आपकी आमदनी घटेगी। अब श्रीमन्, मोहन मीकिन की एक बात छूट गई, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, मोहन मीकिन बियर बनाता है, शराब नहीं बनाता है, लेकिन बोतलों में आपने शराब भरने का लाइसेंस उन्हें दे रखा है, जबकि जो इसको बनाते हैं, उनको ही बोतल में भरने का लाइसेंस दिया जाता है। यह

[श्री गौरी शंकर भैय्या--]

भ्रष्टाचार का मान्यवर, उदाहरण है, जो शासन से लेकर कर्मचारियों तक गंदा कर रहा है और बदनाम कर रहा है । मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी आपके द्वारा इस पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिये । आपने जगह-जगह पर केवल भांग का ठेका दिया है, लेकिन वहां पर गांजा बिक रहा है । हमारे जिले में कोई भी एक भांग की दुकान नहीं है, जहां गांजा न बिकता हो । सिकन्दरपुर थाने के पास, फफना, सुखपुरा थाने के पास में गांजा बिकता है अब श्रीमन्, मैं कहना यह चाहता हूं कि पूरे देश के अन्दर दो अरब, 8 करोड़ के मादक वस्तुओं का प्रयोग हमारी जनता करती है और सरकार करती है और अवैध सप्लाई होती है, वह भी लगभग इतना ही है । श्रीमन्, रिक्शा वाला पीता है, तो अपराध करता है, मजदूर पीता है, तो अपराध करता है, विधायक हैं, मंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, इनको आपने इजाजत दे रखी है, क्योंकि क्लब में वे जाकर पीते हैं । तो उनके लिए कोई परवाह नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें क्योंकि साढ़े तीन बजे इसे पास होना है और अभी बहुत से माननीय सदस्यों को इस पर बोलना है ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

अब श्रीमन्, सुझाव की बात यह है कि यह जो आपकी देशी शराब की दूकानें खुली हुई हैं, उसी में बैठकर पीने की इजाजत आपने दी है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी को भी दूकान में बैठ कर पीने की इजाजत नहीं होनी चाहिये, क्लब वगैरह में पियें, वह तो कोई बात नहीं है । हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि स्पेशल स्क्वाड बाहर जाने वाली शराब के लिए नियुक्त कीजिये । इसमें आपका खर्च एक परसेंट आयेगा और करोड़ों आमदनी आयेगी । साल्वेंसी सर्टिफिकेट जो बनता है, पहले तहसीलदार की फीस 50 रुपये थी । सर्टिफिकेट देना हुआ, तो डेढ़ सौ रुपया परगनाअधिकारी का है । यदि 50 हजार रुपये के ऊपर जो नीलामी हों तो उसके लिए बैंक गारंटी मांगिये । जितने भी ठेके होते हैं उनका 1/5 आप तत्काल जमा करवा लीजिए तथा साल्वेंसी सर्टिफिकेट की जगह पर आप बैंक गारंटी लीजिये । तब जाकर जो यह गलत साल्वेंसी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं इनकी रोकथाम हो सकती है । दूसरा सुझाव में यह देना चाहता हूं कि आपको एक उड़न दस्ता बनाना चाहिये । अभी लखनऊ में 10 तारीख को 10 लाख रुपये की अवैध शराब बरामद हुई है । इसी तरह गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ पश्चिम से लेकर पूर्व तक हर जगह नम्बर दो की शराब बिक रही है । लेबिल छाप कर लगा दिया जाता है । और नकली शराब बिकती है । आज जो ठेकेदार ठेका लेता है कुछ समय बाद वह करोड़पति हो जाता है । मैं आपके माध्यम से यह भी मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक सचल दस्ता बनायें जो घूम-घूमकर छापा मारने का काम करे ।

सैंपिल भरने का काम भी इसी सचल दस्ते को दे दें तथा ज्यादा से ज्यादा सैंपिल भरवायें । अन्तिम सुझाव में यह देना चाहता हूं कि आपने एक दिन सभी ठेकों को नीलाम करने से लिए रखा है इससे एक दिक्कत पैदा होती है । मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी को पत्र भी लिखा था कि बलिया जिले में नीलामी करवानी है तो अलग-अलग दुकानों की नीलामी अलग-अलग करायें । मन्त्री महोदय ने आदेश कर दिया, आबकारी सेक्रेटरी से मैं मिला, वह सामने दिखाई दे रहे हैं । उनसे भी मैंने कहा कि अलग-अलग नीलामी कराइये ।

लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर सभी दूकानों की नीलामी एक दिन एक साथ हुई। बड़े-बड़े आदमी इस तरह से ठेका ले लेते हैं और बाद में वह फुटकर दूकानों को बेचने का काम करते हैं इस तरह से दोहरी नीलामी होती है। अगर आप इसमें कम्पटीशन करेंगे तो छोटे-छोटे दूकानदार ज्यादा बोली देंगे। एक साथ 40 लाख रुपये का ठेका छोटे दूकानदार नहीं ले पाते हैं। अंतिम बात में यह कहना चाहता हूं कि जो आप नीलामी करवाते हैं तो बड़े ठेकेदारों के एजेंट बलिया से लेकर गाजियाबाद तक फैले हुये हैं। एक दिन नीलामी होने से सारे एजेंट चले जाते हैं और सारी जगहों में ठेका ले लेते हैं। तो आपको सर्किल वाइज नीलामी करनी चाहिये। जब आप प्रतियोगिता करेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी।

(श्री देवेन्द्र पान्डेय को पुकारे जाने पर।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

मैं बोलने वाले सदस्यों से निवेदन करूंगा कि साढ़े 3 बजे इस पर चर्चा समाप्त हो जायगी। इसलिए 5-5 मिनट से ज्यादा समय न लें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जो शराब पीते हैं और उसका अच्छा अनुभव है उन्हीं को ज्यादा बोलने का समय दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

पहले आप बोल लीजिये।

*श्री देवेन्द्र पाण्डेय--

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, गौरी भैया के बड़े अच्छे सुझाव आये हैं और इन सुझावों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि उनके मन में यह होगा, कटौती का प्रस्ताव रखकर वह इस बजट का समर्थन करना चाहते हैं। जो उन्होंने कहा है उससे साफ जाहिर है कि उन्हें बड़ी रुचि है इस विभाग में। जैसा कि माननीय मंत्री जी की बातों से आज जानकारी मिली कि जो वित्तीय संसाधन एकत्र करने का माध्यम है, उसमें आबकारी विभाग का अपना एक स्थान है, बल्कि यह विभाग दूसरा स्थान रखता है। मैं माननीय विद्याभूषण जी को बधाई भी दूंगा कि लगभग 100 करोड़ रुपये का राजस्व प्रदेश की जनता के हित के लिये उन्होंने एकत्र किया है। ऐसा विभाग जो इतना राजस्व एकत्र करता है हमारे प्रदेश की जनता के लिये तो मैं एक सुझाव रखना चाहूंगा कि इस विभाग में लगे हुये कर्मचारियों के लिये, जैसी मेरी जानकारी है कि इस विभाग की जो आय है उसका 2-3 प्रतिशत केवल एक विभाग पर खर्च किया जा रहा है। जबकि विभाग इतना महत्वपूर्ण है, जिसकी आय से हमारे संसाधन एकत्र हो रहे हैं, प्रदेश के सारे विकास के कार्य हो रहे हैं, तो क्यों न उस विभाग के कर्मचारियों पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाय, उनकी सुविधायें बढ़ायी जायें, ताकि उनके माध्यम से प्रदेश के लिये और अधिक राजस्व एकत्रित किया जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्र पाण्डेय--]

मान्यवर, इस विभाग के लिये सुझावों में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे पुलिस लाइन्स हैं, वैसे ही आबकारी लाइन्स जिलों में बनाई जायें और वहां पर हमारे विभाग से सम्बन्धित जो अधिकारी हों, निरीक्षक हों, उन्हें वाहन उपलब्ध कराया जाय, उन्हें वायरलेस दिये जायें और उन्हें अस्त्र दिये जायें, ताकि उनके माध्यम से, जो हमारी आय में लीकेज हैं, जो हमारा पैसा इधर-उधर चला जा रहा है, दूसरे लोगों की जेबों में जा रहा है, उनको हम बचा सकें और अपना राजस्व बढ़ा सकें। मान्यवर, क्योंकि राजस्व एकत्र करने में हमारे जो अधिकारी, कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, उनको जान तक का खतरा रहता है, तो मान्यवर, जरूरत इस चीज की है कि इस तरह की व्यवस्था की जाय।

दूसरी चीज जो हमारे मंत्री जी ने कही कि उन्हें प्रदेश के शीरे को निर्यात किये जाने का भी लाइसेंस मिला है, तो उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, इस तरह से लगभग 28 क्विन्टल शीरे का एक्सपोर्ट हमारे प्रदेश से हो सकेगा। बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि इस विभाग का सीधा सम्पर्क हमारे किसानों से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, जब गौरी भैय्या ने कटौती का प्रस्ताव रखा, तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसानों के रहनुमा बनने वाले यह लोग किस तरह से इस विभाग को दुर्दशा की तरफ ले जाने की बात सोचते हैं, जिस विभाग से इस प्रदेश को इतनी आय होती है।

अन्त में, जहाँ मन्त्री जी ने यह स्वीकारा है कि इस विभाग से प्रदेश को सौ करोड़ रुपये की आय हो रही है, और अगली बार यह बढ़कर दो सौ करोड़ तक पहुंच जायेगी, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जिन कर्मचारियों, अधिकारियों के परिश्रम से उनके विभाग में इतनी आय हो रही है, उन अधिकारियों, कर्मचारियों पर आय का ज्यादा प्रतिशत खर्च करने की उनकी सुविधायें बढ़ाने की कृपा करें।

इस शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं श्रीमन्, माननीय गौरी शंकर भैय्या द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, आज हमारे प्रदेश और देश में यह जो शराब की दुकानें खोली गई हैं, ठेके लगे हुए हैं, उसमें माननीय मन्त्री जी ने दावा किया है कि इनसे राजस्व ज्यादा प्राप्त होता है, बगैर इस राजस्व से काम नहीं चल पा रहा था। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहकर, दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा, मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मान्यवर, महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं शराब की आमदनी को वेश्यावृत्ति की आमदनी से ज्यादा खराब समझता हूं इसलिए शराब के ठेके समाप्त होने चाहिये। जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि भारत में नशाबन्दी लागू होनी चाहिए। वर्तमान प्रधान मन्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी 12 सूत्रीय राष्ट्रीय नशाबन्दी कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि नशाबन्दी होनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे आपके माध्यम से अनुरोध करना है कि जब आपके दल के, जो दल में ही नहीं, सारी दुनिया में माने जाते हैं, उनका जब कथन यह है कि राजस्व प्राप्ति के लिए यह शराब खोल दी गई, ठेके खोल दिये गए, शराब फ्री कर दी गई, केवल राजस्व प्राप्ति के लिए, लेकिन आप जैसे मन्त्री के लिए यह चीज मुनासिब नहीं है। आपका, मन्त्री जी मैं व्यक्तिगत रूप से आदर करता हूं। मुझे कोई भी ऐसी आक्षेप पूर्ण बात नहीं कहनी है। मान्यवर, मैंने यह देखा है कि इस समय जो ठेके दिये जा रहे हैं शराब के, एक-एक ठेकेदार केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मान्यवर, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी छाये हुए हैं। मान्यवर, एक बनारस के ठेकेदार हैं, जिसने हमारे शाहजहांपुर जनपद में ठेका ले रखा है, उसने केवल शाहजहांपुर में ही नहीं, बल्कि अन्य जगहों और अन्य प्रदेशों में भी ठेके ले रखे हैं कुछ अपने सम्बधियों के नाम से भी, तो एक ठेकेदार को इतने ठेके दिये गए, यह दूसरे ठेकेदार को भी तो मिल सकते थे? मान्यवर, इस विभाग में तो पानी का पैसा है। जरा सा मुनाफा बढ़ा देने से कितनी आय हो सकती है? मान्यवर, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि 16 रुपये और 18 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से शराब बिकती है, लेकिन हमारे जिले शाहजहाँपुर में 20 रुपए और 25 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से शराब बिक रही है। इसलिए अगर आपने यह बुरा काम शुरू ही कर दिया है तो उस बुरे काम को कल आप ही न लें, बड़े-बड़े ठेकेदार ही न उठा पायें, इस प्रदेश के जो छोटे-छोटे दूकानदार हैं, छोटे ठेके वाले हैं, उनको भी मिले, ऐसी व्यवस्था आप करें। इसके लिए छोटी-छोटी दूकानों के ठेके आप अलग-अलग करवायें, अलग-अलग बोली बुलवायें।

आपने लखनऊ और बरेली में अवैध शराब बनाने वालों को पकड़ा। यह अच्छा काम है। इसके पकड़े जाने से यह होगा कि जो लोग ऐसी शराब पी कर मर जाते हैं, वे मर नहीं पायेंगे। मैं यह चाहता हूं कि जो कार्यवाही आपने ऐसे लोगों के खिलाफ लखनऊ में की है, वह बरेली में भी करें।

मैं अपने जिले के एक दूकानदार और छोटे दूकानदार की बात आपको बताना चाहता हूं जो उसने मुझे बतायी है। यह उस वक्त हुआ जब उसकी एक बड़े दूकानदार से कुछ झगड़ा हो गया। उसने बताया कि हमारे ऊपर इतना खर्चा लदा रहता है जो हमें हर माह करना पड़ता है और वह इस प्रकार बताया, इक्साइज सुपरिन्टेंडेंट को साढ़े 4 हजार रुपये, पुलिस अधीक्षक को एक हजार, जिलाधिकारी को एक हजार, इक्साइज इन्सपेक्टर को ढाई हजार, थाना अध्यक्ष को 600 रुपये, सी0 ओ0 को एक हजार रुपये तथा अन्य खर्च 3,500 रुपये। इस प्रकार आपके विभाग के अधिकारी ही सारा का सारा पैसा ले लेते हैं जिसके कारण जो आय आपको होनी चाहिये वह नहीं हो रही है और आपकी योजना सफल नहीं हो पा रही है।

*डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। श्रीमन्, दवा और दारू का चोली दामन का सम्बन्ध है और सौभाग्य से इस समय दोनों ही मन्त्री यहां पर मौजूद हैं सदन में।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लोकपति--

और सौभाग्य से आप बोल रहे हैं ।

(हंसी)

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

हमारे माननीय विधायक जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा और माननीय विधायक, शाहजहांपुर दोनों ने महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू की युक्तियों को प्रस्तुत किया । मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि क्या महात्मा गांधी जी ने और नेहरू जी ने शिवाम्बू पीने की सलाह दी थी ? इस वक्त उधर के विधायक जब इस तरफ (सत्ता पक्ष) बैठते थे तो उन्होंने प्रदेश के अन्दर नशाबन्दी बन्द कर दी थी

(व्यवधान)

उस समय श्रीमन्, पहाड़ों पर, मसूरी नैनीताल में, मैंने देखा कि पेशाबघरों पर लिखा था "मोराजीबार" । उस समय मृत्यु संजीवनीसुरा के नाम पर लाखों बोतल रोजाना बिकती थी और उसके पीने के कारण जाने कितने लोगों का शरीर और स्वास्थ्य जर्जर हो गया । मैं यह भी कहूंगा कि आज तक इस दारू का उन्होंने भी किसी न किसी रूप में सेवन अवश्य किया होगा । अब हमने यह किया कि जो शुद्ध मदिरा है उसको नशाबन्दी खत्म करके बिकने की इजाजत दे दी । जिसको पीना है वह तो हर सूरत में पियेगा ही, नं० दो का पाया गया । एक बात को जरूर बधाई दूंगा कि उन्होंने घर-घर में कुटीर उद्योग चालू कर दिये थे । लोग पीते थे, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गये, कितनों के जिगर खराब हो गये, गुर्दे खराब हो गये, क्षय रोग हो गया । मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने कार्य काल में बेमिसाल काम किया कि एक करोड़ की अवैध शराब पकड़ी । मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जाने का मुझे मौका प्राप्त हुआ, जिस तरह से रेड डलवाई, दूकानों पर अवैध शराब के श्रोतों पर, इससे न केवल राजस्व बढ़ाया बल्कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व बिक्री कर के बाद इसमें है, आबकारी विभाग का नाम आता है। लायक साथी ने सही कहा कि जितना व्यय होना चाहिये उतना नहीं हुआ है । नतीजा क्या हुआ जितनी मुस्तैदी और चुस्ती के साथ अवैध निर्माण करते हैं शराब का, उसमें रोक लगनी चाहिये । यह नहीं हो पा रहा है । आज दवा बेचने वाले टिंचर-जिंजर के नाम पर जो छोटे मजदूर हैं, जिनका आय कम है, वह उसका सेवन करते हैं ।

मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक्साइज इण्टेलीजेन्स को जरा सुदृढ़ करें और जो छापे डालते हैं उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है । जो आज बकाया है और उसमें जो सबसे बड़ा कारण है, करोड़ों रुपये का है, साल्वेंसी सार्टिफिकेट का है । जो जिले से साल्वेंसी सार्टिफिकेट दिए जाते हैं उनका ही सबसे बड़ा कारण है कि आज उनसे वसूली नहीं हो पाती है । हमारे सामने नियन्त्रक महालेखा परीक्षक, 1981-82 की रिपोर्ट है, बनारस की चर्चा है, 1978-79 का मामला है, केवल साल्वेंसी सार्टिफिकेट न लेने के कारण बिना सार्टिफिकेट देखे ही दो ही शहरों में 36 दूकाने आवंटित कर दी गयीं, लाइसेंस दे दिये गये, आज तक वसूलयाबी नहीं हो सकी । अगर राजस्व बढ़ाना है तो साल्वेंसी सार्टिफिकेट बहुत सख्ती के साथ, देखरेख के साथ दिये जायें । बिना साल्वेंसी सार्टिफिकेट के किसी को बोली बोलने का हक नहीं होना, ऐसा होना चाहिये । आज भी बड़े-बड़े

सिन्डीकेट बन गये हैं, जो मिल कर, आर्थिक दबाव से, जो ठेके हैं, कई जिलों में एक साथ लेने में सक्षम हो जाते हैं और राजस्व पूरा नहीं मिल पाता है ।

आगरा राजस्थान से लगा हुआ है । राजस्थान से नित शराब उत्तर प्रदेश में आ रही है । कुछ छापे डाले गये हैं और पकड़ी गया है । इसलिए जो बार्डर है, वहां जो ठेकेदार है, वहीं राजस्थान में और उसी की उत्तर प्रदेश में दूकाने हैं । 3 चौथाई लोगों के ऐसे ठेके हैं । इससे राजस्व की हानि होती है । इन शब्दों के साथ में पुनः आप को धन्यवाद देना चाहूंगा और मुझे आशा है कि आने वाले समय में इस विभाग की और प्रगति होगी, इस विभाग को और राजस्व प्राप्ति होगी ।

[2 बजकर 50 मिनट]

*श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, आपने आबकारी के बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत कृतज्ञ हूं । जो कटौती का प्रस्ताव गौरी भैय्या ने रखा है, उसके समर्थन में अपने विचार मुझे रखना हैं । हमारी आबकारी विभाग दो तरह का शराब की बिक्री कराता है, एक देशी शराब दूसरी अंग्रेजी शराब के नाम से बिकती है । उसके ठेके दो तरह के दलालों के माध्यम से उठाये जाते हैं । बड़े दलाल जो पूरे क्षत्र, काफी बड़े क्षेत्र का ठेका लेते हैं और उसके बाद छोटे-छोटे दुकानदारों को ठेका उठाते है । इस तरह से आबकारी विभाग को आबकारी का नुकसान उठाना पड़ता है और बीच के दलाल का जो पैसा सार्वजनिक क्षेत्र को मिलना चाहिए, पूंजीपतियों की जेब में चला जाता है।

जहरीली टाइप की जो स्पिरिट होती है उसमें पानी या दूसरे रंग मिलाकर शराब के नाम पर बेंचा जाता है जिससे जन-स्वास्थ्य की बड़ी हानि हो रही है । आबकारी मन्त्री को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । एक तो गलत काम हो रहा है दूसरे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ हो रहा है । लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो इसके लिये जरूरी है कि जल्दी-जल्दी ठेकों पर सेम्पुल भरे जायें और उसकी जांच होनी चाहिये । अंग्रेजी शराब जो बिक रही है, मैं मानता हूं कि वह महंगी है, उसे और भी महंगी होनी चाहिये ।

मुझसे लोगों ने कहा कि चीनी को जलाकर अगर देशी शराब में मिला दिया जाये तो अंग्रेजी शराब का रंग बन जाता है । इस एडल्ट्रेशन की ओर आबकारी मन्त्री जी को विशेष ध्यान रखना चाहिये । जैसा कि गौरी भया ने कहा और लोगों ने भी कहा मन्दिर के सामने, मस्जिद के सामन, स्कूल के स्मारक के सामने ठेका है, इस पर कड़ा प्रतिबन्ध होना चाहिये । बुलन्दशहर की बात कर रहा हूं । कालाम में मस्जिद के सामने ठेका हैं । दो ठेके हैं, देशी शराब का और अंग्रजी शराब का कलेक्टर को शिकायत की गयी । ठेका वहीं है । कह नहीं सकता कि सरकार का प्रभाव ज्यादा है कि शराब के ठेकेदार का मेरे क्षेत्र में खानपुर कस्बा है । शहीद स्मारक के ठीक सामने देशी शराब का ठेका खुल रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि आबकारी मन्त्री जी ठेका उठाते समय यह निदेश कर दें कि ऐसे स्थानों के सामने जो ठेकेदार दुकानें स्थापित करेंगे उनके ठेके रद्द कर दिये जायेंगे । तीसरी बात जो सामने आई वह यह कि पिछले दिनों आपके विभाग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री छत्तर सिंह--]

के संयुक्त सचिव ने अपने स्तर से आदेश निकाल दिया और प्रति लीटर दो रुपये दाम बढ़ा दिया। माननीय मन्त्री जी को जानकारी है या नहीं, मैं नहीं जानता परन्तु दो रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ाकर डिस्टिलरी से मिलती है। उनको फायदा हो रहा है। (लाल बत्ती जलने पर) दो मिनट और मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता--

केवल पांच मिनट का समय है।

श्री छत्तर सिंह--

पांच ही मिनट बोलूंगा।

कह नहीं सकता संयुक्त सचिव ने जो दो रुपये प्रति लीटर का दाम बढ़ाया है, उसमें अपनी जेब में कितना रखा होगा? यह आबकारी मन्त्री अभी देखेंगे। अफीम आपके विभाग के अन्तर्गत आती है, आपका कंट्रोल है। बाराबंकी, बरेली में होती है। पैदा करने वाले किसानों को इसका उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। किसानों की गाढ़ी मेहनत की कीमत नहीं दी जाती। परिणामस्वरूप किसान अफीम बचाकर रखने के लिये मजबूर हो जाता है और ब्लैक में बेचता है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, मेरी बात पूरी नहीं हो पायी।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप बैठें। साढ़े तीन बजे चर्चा समाप्त हो जानी है। बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। आपके 7 मिनट हो चुके हैं।

श्री माधव प्रसाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आबकारी विभाग पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो आबकारी बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। श्रीमन्, यह आबकारी विभाग राजस्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विभाग है उत्तर प्रदेश का। लेकिन इस विभाग के कर्मचारियों की हालत यह है कि उनके पास न साधन है, न आने-जाने की सुविधा है और न इसके पास आवासीय व्यवस्था है। इसके बावजूद भी इस विभाग में 1981-82 में कुल मुकमात जनता के विरुद्ध 16 हजार 891 और 1982-83 में 17 हजार 205, मुकतामे के विरुद्ध 9 हजार 971 अनुयायियों के विरुद्ध और 1982-83 में 12 हजार 138, तो इस प्रकार श्रीमन्, 1981-82 में माननीय मन्त्री जी के नेतृत्व में 172.15 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई और 1982-83 में 182.41 करोड़ रुपए का अनुमानित राजस्व प्राप्त हुआ। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस विभाग के बारे में विचार करें। अपने कर्मचारियों को सुविधायें दें। टेलीफोन्स, आर्म्स और गाड़ियों की सुविधायें उनको प्रदान करें।

मान्यवर, मेरा सुझाव माननीय मन्त्री जी से यह भी है कि आपके जो माल-खाने हैं, वे निजी नहीं हैं, पुलिस विभाग के हैं। पुलिस विभाग के माल-खाने होने के कारण जगह भी नहीं रहती है। जो शराब पकड़ी जाती है पुलिस वाले उसे बेच देते हैं। जैसा कि मान्यवर, कानपुर में 1,178 पेटी शराब की पकड़ी गयी थीं, पुलिस मालखाने में उनके लिये स्थान नहीं था और न अन्य जगह या सुपुर्दगार को दे दिया वह आधा बेच लेते हैं और आधा पुनः उसी दुकान-दार को देते हैं। और उसे बेच दिया। मान्यवर, मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि वह स्वयं अपने विभाग के मालखाने बनवाएं।

मान्यवर, दूसरा निवेदन मेरा यह है कि नीलामी की प्रणाली में परिवर्तन किया जाय। एकाधिकार जो है पूरा का पूरा जिला एक ही व्यक्ति के हाथ में चला जाता है जिससे राजस्व की हानि होती है। उसे खत्म किया जाय। मान्यवर, लखनऊ में ही अगर छापा मारें तो सभी दुकानों को आप कैन्सिल नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि कई लाइसेन्स देकर प्रतिस्पर्धा की भावना उनमें लायी जाये और राजस्व को बढ़ाया जाय।

मान्यवर, तीसरा रैक्टीफाइट स्प्रिट के बारे में है। रैक्टीफाइट स्प्रिट का निर्माण किया जाता है, इसका निर्यात भी निगमों के जरिये से किया जाय। जिससे तस्करी को रोका जा सके। आज लाखों बोतल तस्करी होती है इसलिये मैं चाहूंगा कि इसे निगम ही बनायें। आयात-निर्यात के लिए रास्ते में चुंगियां होती हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा जो शराब या स्प्रिट ट्रकों से जाती है, चुंगियों पर उनको अंकित नहीं किया जाता है, चुंगियों में इनका अंकन होना चाहिये। शराब के ठेके जो सड़कों पर हैं, स्कूलों के पास हैं और मन्दिरों के पास हैं, वहां न खोले जायं।

मान्यवर, आज 50 हजार के करीब गरीब लोग ताड़ी निकालते हैं तो मैं चाहूंगा जो ताड़ी निकालते हैं। उन्हीं को लाइसेंस दिया जाय, बड़े लोग लाइसेन्स ले लेते हैं और गरीब आदमी वंचित रह जाता है। पुलिस विभाग का हस्तक्षेप से उसे रोका जाय। आप अपने अधिकारियों को यह आदेश दें कि ये इतना राजस्व हम को देंगे। और यदि वह इतना राजस्व नहीं देते हैं तो उसके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जाय। शराब के दुकानों के नीलाम हेतु प्रदेश स्तर पर आबकारी विभाग की एक कमेटी बनाई जाय जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत होती है, वह समाप्त हो जायेगी। आकाशवाणी व अन्य एजेन्सियों से इसके गुण-दोषों का प्रचार-प्रसार किया जाय। तो निश्चित है कि शराब की नशाबन्दी हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री माधव प्रसाद--

जो आबकारी आयुक्त का कार्यालय, इलाहाबाद में है मेरा निवेदन है कि वह सचिवालय में होना चाहिये जिससे कि ठेकेदारों और लोगों से जो मिलीभगत होती है, वह समाप्त की जा सके। आबकारी निरीक्षकों के लिये गाड़ी की व्यवस्था की जाय जिससे वे दौरा कर सकें और अपना कार्य कर सकें। फर्जी बेचने वालों को पकड़ सकें।

[श्री माधव प्रसाद--]

लखनऊ में जो शराब की भराई का विधान बना हुआ है 6 बजे से 6 बजे तक, वही रखा जाय । यहां रात में 12 बजे और 2 बजे तक भराई बोतलों की जाती है, इसे बन्द करें, जिससे तस्करी रोकी जा सके । अन्त में बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री फखरे आलम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय । मैं....

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मैं अपने बुजुर्गवार से कहूंगा कि इतनी बड़ी शख्सियत और शराब पर बोलेंगे ।

(हंसी)

श्री फखरे आलम—

मैं माननीय आबकारी मन्त्री के बजट को देख रहा था और मैं यह कोशिश कर रहा था कि उसे समझ सकूं, लेकिन यह ऐसी चीज है कि मेरा और आबकारी का दूर-दूर का वास्ता नहीं है, जब कि माननीय मन्त्री जी का करीब का रिश्ता है । इस पर मुझे एक शेर याद आता है--

साकी गरो जो करते थे, कल बज्मे नाज में,

ओहदा मिला है आज उन्हें एहतिसाब का ।

उन्हीं को आज यह ओहदा मिला है, जो उन्होंने इस्तेमाल किया है ।

म इस विषय पर कुछ सुझाव सामने रखना चाहता हूं इस सम्बन्ध में, पहली बात यह कहना चाहता हूं कि देशी शराब के ठेकों की मानोपाली बन गयी है, उसको खत्म कर दीजिये । वह इस तरीके की बन गयी है कि बहुत बड़ा स्कैन्डिल हो रहा है । बरेली मन्डल के बारे में मैं जानता हूं कि वहां पर 3 पार्टीज हैं जो मिल गयी हैं और बरेली मन्डल के रुहेलखंड मन्डल के देशी शराब की दुकानों के ठेके ले लेते हैं और फिर दुकानों की सब-लैटिंग करते हैं और मनमाने दाम वसूल करते हैं । इस बात का इन्तजाम करें कि देशी शराब के जो ठेके बने हुए हैं उन पर बेची जाने वाली शराब में मिलावट न हो । 90 प्रतिशत दुकानों में शराब में 50 प्रतिशत से ज्यादा मिलावट होती है । माननीय मन्त्री जी इस बात का प्रयास करें और जब छापे डलवायेंगे तो मेरी बात सच साबित हो जायेगी ।

तीसरी सुझाव है कि आपके महकमें में जो भ्रष्टाचार है उस बारे में मैं कुछ नहीं कहता । जिस वक्त दुकानों का ठेका होता है उस वक्त नगद दाम नहीं लिया जाता और उधार पर ठेके ले लिये जाते हैं । कम्पीटीशन नहीं होता है बल्कि जो लोग अधिकारियों को खुश कर देते हैं उनको ठेके दे दिये जाते हैं । मैं नहीं कह सकता कि हिस्सा अगर बहुत दूर तक पहुंचता हो तो । इस पर वे निगाह रखें ।

जैसा मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि मस्जिद और मन्दिर के पास दुकानें हैं तो आपका यह ख्याल है कि--

मस्जिद के जेरे साया, खराबात चाहिये ।

जहां पर मन्दिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, वहां पर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिये ।

मैं अपने जिले बदायूं शहर में देखता हूं कि जहां पर दो और तीन-2 मंदिर और मस्जिदें हैं, वहां पर शराब की दुकानें हैं और खूब वहां पर बिक रही है शराब और वहां कोई रोक नहीं है न ही कोई किसी प्रकार का नियंत्रण है । अब मान्यवर, मैं इस मुहकमें के कर्मचारियों में जो गड़बड़ी और भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके बारे में कहना चाहता हूं । बहुत से कर्मचारी इसमें ऐसे भी हैं जिनकी तनख्वाह तो है सिर्फ एक हजार रुपया लेकिन उनका स्टैन्डर्ड हजारों रुपया का है, माननीय मन्त्री जी का भी वह स्टैंडर्ड नहीं होगा जो इसमें लगे हुए कर्मचारियों का है, तो यह सब कहां से आता है ?

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इस समय 4 पोस्टें तो डिप्टी इक्साइज कमिश्नर की खाली हैं और 18 पद इक्साईज इंसपेक्टर के हैं इन्हें जल्द से जल्द भरवाने की मेहरबानी करें । इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं ।

*श्री सुन्दर सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज आबकारी विभाग पर हो रही चर्चा के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग में पहले से जो प्रगति आज हुयी है, वह किसी से छुपा नहीं है और हमारे माननीय मन्त्री जी जो साहस का परिचय दिया है, वह भी किसी से छिपा नहीं है 31 दिसम्बर, 1982 के रात और जनवरी, 1983 शुरू होने वाले वर्ष में जब लोग रंग-रेलियों में मस्त थे, उस समय शराब की दुकानों पर छापे मारे और जिससे करोड़ों रुपया का राजस्व प्राप्त हुआ । इसके माननीय मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं ।

मान्यवर, इस विभाग में कहने की जो बहुत सी बातें हैं और जैसा कि इससे पहले हमारे बहुत से साथियों ने भी कही हैं । आबकारी विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी राशि संचित होता है, सेल्स टैक्स के बाद इसका ही नम्बर आता है राजस्व की प्राप्ति में और मान्यवर, यह माननीय मन्त्री जी का ही व्यक्तित्व है जो वर्ष 1983-84 में 85 करोड़ रु0 की प्राप्ति हुई । लेकिन मान्यवर, इसके विपरीत हमेशा यह बात आती है कि नशाबंदी बन्द होनी चाहिए, इस पर विवाद तो बहुत बड़ा और लम्बा है । कुछ का कहना है कि यह देवताओं का पेय है, कुछ का कहना है कि यह राक्षसों का ड्रिंक लेकिन इसके अलावा भी एक ड्रिंक श्री मोरार जी देसाई के समय में निकला था, वह तो कहिए उनके जाते ही वह ड्रिंक भी चला गया वरना देश की तमाम जनता के बीच एक परेशानी खड़ी हो जाती ।

(व्यवधान)

साथ ही मान्यवर, मैं एक सुझाव इक्साईज डिपार्टमेंट के बारे में और देना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुन्दर सिंह--]

मान्यवर, यह बात छिपी नहीं है कि शराब का अवैध धन्धा करने वाले कालाबाजारी और कुबेरपति होते हैं और उसी शराब के जरिये से वह राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं और उसका बड़ा विषम प्रभाव पूरे प्रदेश में हुआ है। एक्साईज ड्यूटी जैसी कि हरियाणा और मध्य प्रदेश में लगायी गयी है उसी के समान यहां भी उसका परिणति होनी चाहिये तो शराब का मूल्य अपने आप ही कम हो जायेगा। शासन की ओर से ऐसे सुझाव दिये गये हैं जिससे कि शराब अपने आप ही कम हो जायेगी और मिलावटी शराब बनने वालों की संख्या नहीं बढ़ेगी। मान्यवर, अवैध रूप से जो शराब का एक ट्रक पकड़ा जाता है और जो पकड़ा गया है उससे शासन को एक करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तो एक्साईज ड्यूटी की परिणति इस तरह से कर दी जाय और यह आदेश दे दिये जायं कि शराब सस्ते मूल्य पर दी जाय। अमेरिका का एक राष्ट्रपति हुआ है लार्ड जफरशा तो उसने देखा कि उनके देश में लोग शराब महंगी होने के कारण परेशान हैं तो उस राष्ट्रपति ने अपने यहां शराब को एकदम सस्ता कर दिया और उसने कहा कि नो नेचर इज ड्रंक व्हेन दि वाईन बिल बी चीप।

आज हमारे प्रदेश में बहुत से लोग महंगी शराब पीते हैं और इसको फैशन समझते हैं, महंगी शराब को पीना। परन्तु यदि शराब सस्ती है तो कोई हंसी की बात नहीं है कि कोई सस्ती शराब ही पीता है क्योंकि बात दोनों में ही समान है। इसके साथ ही मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं गौरी शंकर भैंइया द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह एक नीति और सिद्धान्त की बात है बुराई क्या है। यदि बाप अपने बेटे को कोई काम करने से रोकता है तो क्या वह बुराई है? मुझे शर्म आती है कि उधर बैठने के बाद क्या ईमान दिखाते हैं, कुछ भी कहने की छूट हो जाती है कि किस तरह से शराब पीने की बात को ये कहते हैं? डाक्टर कौशल जब शराब पीने पर जोर दे रहे थे तो मैं ताज्जुब कर रहा था कि वे तो डाक्टर हैं, मैं उनकी बातों को सुन रहा था तो मेरा सिर शर्म से झुक गया कि कितनी बेशर्मी से शराब पीने के लिये दाद दी जा रही है। जब प्रदेश के लोग सुनेंगे कि शासन के लोग शराब पीने की हिमायत कर रहे हैं तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

मान्यवर, इसके लिये कोई सन्देह नहीं कि मंत्री जी की पकड़ अपने इस विभाग पर है, नजदीकी का रिश्ता है, जान पहचान है कि एक करोड़ रुपया जाते-जाते उन्होंने बचा लिया। एक बात की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं जैसा कि कई और साथियों ने भी कहा है कि जब तक कि कंट्रेक्टरों का एकाधिकार नहीं तोड़ा जायेगा तब तक कोई शुभ काम की बात नहीं सोची जा सकती है। आज आबकारी विभाग माफिया का अड्डा हो गया है। जितने असामाजिक तत्व हैं, बुरे कामों में लिप्त लोग हैं वह सब इसमें सिंडीकेट में शामिल हैं। मैंने एक बार मंत्री जी से कहा भी था कि एक बार साहस करके आप इसको तोड़ दीजिये। यदि आप साहस करके सिंडीकेट को तोड़ दें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह पूरा आदरणीय सदन आपके साथ होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह मैं कहता हूं कि अभी बाराबंकी के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि कप्तानगंज से बाराबंकी में शराब आती है। एक्साइज ड्यूटी के नाम पर वह एक पैसा नहीं देते हैं। मैंने कम से कम 100 पत्र इस बारे में लिखे कि एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स की चोरी के सम्बन्ध में आज जितनी मजबूत यह सिंडीकेट ताकत है, शायद यह सचिवालय माननीय मंत्री जी, वह उनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल में या 3 साल में या 2 साल में यह वर्क आउट कराये कि विभिन्न प्रकार के अलकोहल वहां से कितना निकला है और उस पर कितना एक्साइज ड्यूटी दी गयी है। नैपाल के बार्डर से मैं आता हूं। देवरिया से लेकर गोंडा तक जितने भी जिले और तहसीलें हैं, चाहे कोई बाजार हो, चाहे कोई चौराहा हो, ऐसा नहीं है जहां पर खुले आम गांजा न बिकता हो। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो इनके विभाग के एक्साइज इन्सपेक्टर हैं वह अपने पैसे से गांजा खरीदते हैं और ट्रकों में उस को लदवा कर बेचते हैं। मान्यवर, बांस गांव में ताड़ी उतारने का धंधा होता है। वहां पर सभी इन्सपेक्टर ताड़ी निकलवा रहे हैं। वहां के एक पासी ने इसका विरोध किया तो उसको पकड़ कर उसकी पिटाई की गयी।

मान्यवर, जो बजट पेश हुआ है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आश्वासन दें कि जितना भी पैसा आयेगा वह रिश्वत में नहीं जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट पेश हो रहा है, इसको आप सुनिश्चित करें कि एक्साइज से जो पैसा आ रहा है, निश्चित रूप से एक्साइज आप उसकी बढ़ोत्तरी या कर्मचारी जो हैं, उनके वेतन मान बढ़ाने में खर्च किया जाये तो अच्छा रहेगा। मान्यवर, आपके विभाग में जो पुलिस का इन्टरवेंशन है वह ठीक नहीं है, पहले वह 200 रुपये लेती थी, अब एक हजार रुपया ले रही है। आप पुलिस को अपने विभाग से दूर रखिए। आप अपने विभाग में स्क्वायड बनाये या दस्ता बनाये तो अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ में इस बजट का विरोध करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, उनकी तरफ से सुझाव आया है कि शराब बन्द होनी चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक लाख जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उस पर क्या असर पड़ेगी? हमारा तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग पीने वाले हैं उन पर क्या असर होगा बिना पिए हुए खुद ही लड़खड़ा जायेंगे। मैं तो कहता हूं कि ये बिना पिए रह ही नहीं सकते हैं।

श्री शंकर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि हम लोग बिना पिए रह ही नहीं सकते हैं। मैं इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक कहावत है देहात में, जिसकी शादी बड़े होने पर होती है, तो लोग कहते हैं कि इसके चूतड़ में हल्दी लगा दी गयी है। आपके चूतड़ में भी हल्दी लगी थी और सन् 1977 से 1980 तक आपको सौभाग्य मिला था। आपने कुछ किया था ?

(व्यवधान)

श्री कुबेर भन्डारी--

माननीय सदस्य ने जो शब्द इस्तेमाल किये हैं क्या वह संसदीय हैं ?

(श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी के बोलते रहने पर।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, वे सुनेंगे नहीं। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

मैं दो मिनट चाहूंगा। मैंने जिनका नाम लिया है...

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठ जायं, वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

मैं ओझा जी से हार मान गया हूं, थोड़ा सा बोलूंगा और बैठ जाऊंगा। जो मोरार जी ने टिचर ईजाद की थी और आपको मौका मिल गया था तो क्या आपने दो साल के अन्दर शराब बन्द करवा दी थी ? मैं यह पूछना चाहता हूं। आपको शर्म आनी चाहिए। हम तो खुद कहते हैं हम शराब बेचते हैं, हो सकता है शराब से हमारा सम्बन्ध भी हो लेकिन आपका तो 0001 भी सम्बन्ध नहीं हो सकता। आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, यह बता दें। इन शब्दों के साथ यदि कोई कटुता हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, अभी उस सदन के आदरणीय वयोवृद्ध सदस्य माननीय चतुर्वेदी जी ने जो कि दुर्भाग्य से मेरे ही जनपद से आते हैं उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है मैं उसको दुहराना उचित नहीं समझता हूं किन्तु आपसे कहना चाहता हूं कि क्या वे शब्द संसदीय हैं ? यदि वे संसदीय नहीं हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अधिष्ठाता--

इसको देख लिया जायेगा प्रोसीडिंग्स में। यदि कोई अनुचित बात होगी तो उसे निकाल दिया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरी शंकर भैय्या---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में श्री देवेन्द्र पांडे, श्री सत्यपाल, डाक्टर कौशल, छतर सिंह, माधव प्रसाद, माननीय फखरे आलम, श्री सुन्दर सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी ने इस बहस में हिस्सा लिया और लगभग सबने मेरी बात का समर्थन किया, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं माननीय भृगुनाथ चतुर्वेदी जी को बतलाना चाहता हूं वे एक आदरणीय वयोवृद्ध सदस्य सदन के हैं, जब हमारी सरकार थी तो प्रदेश के 41 जिलों में मद्य निषेध यहां पर था और नशाबन्दी हमारे प्रदेश में रही। जिस टिचर को आप बात कर रहे हैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे हिन्दू धर्म में पंचगव्य जो गौ मूत्र होता है वह बहुत पवित्र माना जाता है और लोग उसका इस्तेमाल पौराणिक समय से करते आये हैं और अगर आप स्वमूत्र का प्रयोग करें तो उसमें क्या बात हो गई...

(व्यवधान)

अभी डाक्टर कौशल बोल रहे थे, वे हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने एक बात कही कि हम तो बचपन से अंग्रेजी दवाओं में आपको शराब पिलाते हैं। मान्यवर,

क्या हुआ बरपा, थोड़ी सी अभी पी है।
डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है॥

जहां तक शराब पीने और शराब बन्दी का मामला है उसके सम्बन्ध में आपके ही द्वारा एक पुस्तक जारी की गई है। बेबीलोन की हम्मूराबी संहिता (1770 ई0 पू0) में मद्यपान की रोकथाम के लिये विभिन्न विनियम विहित किये गये थे। न्यायमूर्ति टेकचन्द समिति मद्य-निषेध के विषय में इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि मदिरा के उपभोग को नियंत्रित करने और उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये हर प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए। इस तरह से दुनिया के कई देशों में मद्य-निषेध नीति को अपनाया गया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

श्री गौरी शंकर भैय्या---

मान्यवर, माननीय सदस्य की बात सही है क्योंकि वह चाणक्य तक ही जानते हैं। मैं एनशियेंट हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं इसलिए उनकी समझ में नहीं आयेगा। पहले अंग्रेजों ने राजस्व के लिए इस कर का आरोपण इस सिद्धान्त पर किया कि न्यूनतम खपत के साथ अधिकतम राजस्व अर्जित किया जा सके।

(लाल बत्ती होने पर)

मैं एक बात मद्य निषेध पर थोड़ा कह कर खतम कर रहा हूं। इससे पीने वालों की मौत होती है, यह आप जानते हैं। आज हमारे यहां एक आम फैशन हो गया है कि सड़कों का नाम इंदिरा गांधी के नाम से रखा जाता है, होटलों

[श्री गौरी शंकर भैय्या--]

का नाम इंदिरा गांधी के नाम से रखा जाता है तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो आप देशी शराब और अंग्रेजी शराब की दुकानें लिखते हैं, इसके स्थान पर भी इंदिरा गांधी के नाम और रख दें तो इससे आपके नेता का नाम भी हो जायेगा ज्यादा लोग भी जान सकेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

साढ़े तीन हो रहे हैं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मैं एक मिनट में खतम करता हूं । श्रीमन्, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें रत्नों के साथ दो चीजें और निकली । एक तो थीं श्री लक्ष्मी और दूसरी चीज थी "सुरा" तो श्री के पति तो हो गये हमारे माननीय मुख्य मंत्री और जो बाद में निकली सुरा वह इनकी साली हो गयी । तो मुख्य मंत्री जी साली के मधुर रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं । इसलिए जरूरी है कि हमने जो मांग की है कि इस विभाग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । मैं अपने इस प्रस्ताव पर जोर देता हूं और सारे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनको धन्यवाद देता हूं ।

श्री विद्या भूषण--

माननीय अधिष्ठाता जी, जो हमारे माननीय साथियों के सुझाव आये हैं उन पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा । जहां तक एक बात आई धार्मिक स्थानों पर शराब की दुकानों की तो जहां-जहां के बारे में मेरे पास रिपोर्ट आयेगी धार्मिक स्थानों पर अवैध रूप से दुकानें चलाई जा रही हैं, उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा । आप लोग लिख कर दीजिये मैं तुरन्त ऐक्शन लूंगा चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या--

उदयगंज चौराहे में क्या है उसको भी बता दें, क्या बन्द करेंगे ?

श्री विद्या भूषण--

सरकार की एक नीति बन रही है कि जितना भी अलकोहल का माल प्रदेश से बाहर जायेगा उसके साथ इस्कोर्ट जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय भण्डारी जी, मन्त्री जी बैठे नहीं रहे हैं । इसलिए आप बैठें ।

श्री विद्या भूषण--

मान्यवर, हमारे साथी माननीय गौरी भैय्या जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे आबकारी विभाग का खर्चा एक परसेन्ट से भी कम है तो इसके लिए सराहना करनी चाहिये इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता--

क्या आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री गौरी शंकर भैय्या--

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1--आबकारी विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1--आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,89,30,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982

*श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उ0 प्र0 नगरमहापलिका (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 का अननुमोदन करता है ।

श्रीमन्, यह जो अध्यादेश लाया गया है एक तरह से यह सदन का अपमान किया गया है । यह अध्यादेश शुरू में 13-4-82 को जारी हुआ था पिछली बार और उसके बाद विधान सभा की बैठक भी हुई, सरकार ने उसको विधान सभा में पेश नहीं किया और यह अध्यादेश लैप्स हो गया और पुनः जब विधान सभा सत्र में नहीं था गवर्नर द्वारा फिर से अध्यादेश लागू कर दिया गया और फिर अब इसको विधान सभा में लाया गया है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसको वापस ले और इसका अनुमोदन करने के लिये फिर से इसको जनता में भेजा जाये और तब इसका अनुमोदन हो ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम गोविन्द—]

श्रीमन्, इसके माध्यम से प्रशासक, उप प्रशासक में अधिक शक्ति देने का काम यह कर रहे हैं। चुनाव को टालने की दिशा में यह एक कदम है। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है और प्रजातंत्र का यह हनन करना चाहते हैं। यह चुनाव से डर गये हैं, यह जानते हैं कि इनकी नीतियों से देश और प्रदेश की जनता ऊब गयी है और जिससे चुनाव में सफल नहीं होंगे, इसलिये अध्यादेश द्वारा यह सब काम करना चाहते हैं और इसको पास करना चाहते हैं।

मान्यवर, नगरपालिका और नगर महापालिकाओं में हो रहा है कि चुनी हुई प्रतिनिधियों की कमेटी नहीं है जिससे प्रशासक और उप प्रशासक करों को बढ़ा रहे हैं और करों का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है, करों से वह अपनी व्यक्तिगत पूंजी को बढ़ा रहे हैं। मान्यवर, हर नगर महापालिकाओं में आप देखें तो कूड़े के ढेर बढ़ रहे हैं, नालियां टूटी हैं, सड़कों और गलियों की मरम्मत नहीं हो रही है और वहां दुर्गन्ध फैल रही है जिससे बीमारियां फैल रही हैं।

नगरपालिकाओं और नगर महापालिकाओं में कोई काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं तो कहना चाहता हूं कि सरकार नहीं चाहती है कि नगरपालिकायें और नगरमहापालिकायें प्रतिनिधियों के हाथों में जायं जिससे कि वहां अच्छा काम हो, जनता के हितों की रक्षा हो सके और जनता के पैसे को जनता की भलाई के कामों में लगाया जा सके, इसलिये सरकार प्रशासकों और उप-प्रशासकों की नियुक्तियां एवं उनकी शक्तियां बढ़ाती चली जा रही है और जनता का शोषण इन लोगों द्वारा बढ़ता जा रहा है। इसलिये मान्यवर, सरकार का उद्देश्य रह गया है जनता का शोषण करना। इसलिये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से आदरणीय सदन और मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अनुमोदन हेतु जनता में इसको भिजवाने का काम करें।

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, जैसा आपने कहा, अध्यादेश पर आपने आपत्ति की है। यह बात विधान परिषद् में जब वहां पर चर्चा की गई थी, वहां पर यह मेरे सामने आई थी। वहां पर यह मांग नहीं की गई थी जब मैंने वहां पर हवाला यह दिया कि हमारे सदन में बार-बार यह मांग की गई है और जब मैं बजट पास करा रहा था उसके पारण के लिए इसकी माननीय सदन से मांग की थी, तो उन्होंने यह कहा था—एक शब्द यह कह दिया था कि आप मेरठ, गोरखपुर और बरेली में नगरमहापालिका की स्थापना कर दो। तो उस पर मैंने यह कहा था कि इस वक्त यह विचार मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं इस पर पूरी तरह विचार करूंगा और मैं आपके दृष्टिकोण और भावना से सहमत हूं। जैसे ही मौका मिला, फौरन ही उस काम को हमने कर दिया और अब सदन की भावना और सम्मान को दृष्टि में रखते हुए अब उसमें जो कठिनाइयां आई हैं, उनको दूर करना आवश्यक है।

आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो परिस्थितियोंवश चूंकि तमाम रुकावटें आती गईं, बहुत ही इच्छा होते हुए हम उन्हें नहीं करा सके हैं। जो बातें आप कहते हैं, जो व्यवहारिक परिस्थिति थी, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं, उसमें कोई विवाद नहीं है और जो बातें आपने कहीं, उसमें भी कोई विवाद नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ जो वातावरण है, जो परिस्थितियां हैं, वह परिस्थितियां चाहे आपकी नजर में खराब न हों, उनको किस तरह बेहतर किया जाए और उनको किस तरह से आपस में मिलकर दूर किया जाए और जो समाज के अहित में समस्याएं हैं, नागरिकों को मूल अधिकार देने में बाधक हैं, उन चीजों को मुहैय्या करके, हासिल करके हमने पहुंचाने की कोशिश की है।

इसमें दिक्कत आई हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो-जो दिक्कतें आती रहें, उनको दूर करने में आप हमारे साथ सहयोग करें और यह जो बातें हैं, उनके बारे में जब तक हम सरकार में हैं, आप हमें झकझोर कर कह सकते हैं कि यह-यह खराबियां हैं जिन्हें आप दूर करें। तो मैं सब साथियों के सहयोग से उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। इस दृष्टिकोण से आप इसको देखें और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आज यह बात नहीं हो पाई है, तो जब हो रही है, तो उसे चलने दीजिये, जो नहीं हुआ है उसकी आलोचना करते रहिये। लेकिन जब होने जा रहा है, तो उस समय उसमें आप रुकावट न डालिए।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी ने इस सदन से एक अपील की और जिसका बड़ी मेजें थपथपाकर उधर से सदस्यों ने स्वागत किया कि जो हमने किया, अब आगे तो ठीक करने दीजिये। तो जब तक किसी की गलती का परिहार नहीं किया जायेगा, आगे उसके कदम सही रास्ते पर चलेंगे, इसकी क्या सम्भावना है? अभी मेरे पहले एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, कह रहे थे मान्यवर, आज यह विधेयक लाना, यह प्रशासनिक अदूरदर्शिता का परिचय है और मान्यवर, जो आपका दल है, उसकी संसदीय प्रणाली में आस्था नहीं है। 23 अप्रैल को आर्डिनेंस जारी किया, उसके पहले आपके दिमाग में अच्छी बातें थीं कि जहां आबादी का विस्तार हो रहा है, वहां पर नगरपालिकायें बनायेंगे। तो जो लेकुना रह गया था, उसकी तरफ आपके सचिवों ने आपका ध्यान नहीं दिलाया। मान्यवर, विधान परिषद् ने इसको पास कर दिया था, जहां तक जानकारी है 24-8 को, और उसके बाद फिर विधान सभा का सत्र सितम्बर में हुआ था, तो आखिर कौन सा कारण था कि आपने सितम्बर, में, अपनी इस संख्या का फायदा उठाकर क्यों नहीं पारित करा लिया, तब वह अधिनियम के रूप में पास हो गया होता। यह मान्यवर, आपकी सरकार की अदूरदर्शिता और आपके मंत्रि परिषद् की बुद्धि-हीनता का परिणाम है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

आज संयोग से मैं विधान परिषद् का एजेंडा देख रहा था, देखते-देखते आगे का भी कार्यक्रम आया, 4 मार्च को उसमें फिर लिखा हुआ है कि यह विधेयक पास होना है जैसा कि विधान सभा में पारित हुआ। तब मैंने सोचा कि आखिर क्या विधान सभा में कोई गलती हो गई है ? तो जब मैं चिन्तन करने लगा, तब समझ में आया कि वह गलती यह है कि आपने एक शासकीय संशोधन इसमें दे दिया। जिनको आपने सौंपा था, वह तो अधिष्ठाता बन कर बैठे हुए हैं। इस बीच में जो-जो आपने गलतियां की होंगी, उन गलतियों को गलत किया हुआ नहीं माना जायगा। यह काम पास करेंगे और पास तो होना ही है।

मान्यवर, हमारे हल्ला मचाने के बावजूद भ, हम थोड़े हैं, हमारी आवाज दब जायगी, आप पास करने वाले हैं और पास करा लेंगे। इस अवधि में जो-जो भी गलतियां हुई होंगी, उन पर आप पर्दा डालने वाले हैं। मान्यवर, आपको साफ-साफ, आपके सचिव ने परामर्श नहीं दिया। तो इस तरह से आप उनकी गलतियों को माफ कर इसको पास करना चाहते हैं। आप इस विधेयक को देखने की कृपा करें। तीन नगरों को इस विधेयक के जरिये आपने चुना। 11 महीने भी हो रहे हैं। आपने उद्देश्य और कारण में यह कहा है कि चुनाव कराने के लिए हमको परिसीमन करना होगा, वार्ड बनाने होंगे, उसकी निर्वाचन नियमावली ठीक करनी होगी। हम सहमत हैं इससे, आपने चुनाव क्यों नहीं करा दिया ? अब आपको चुनाव तो कराना है नहीं, अगर आपने इसके पहले जो हमारी पंच नगर महापालिकायें थीं,. . .

(व्यवधान)

उनका चुनाव आपने नहीं कराया। अगर ऐसा आपने किया होता, तो मुझ जैसे सदस्य को खड़े होने की आवश्यकता न होती। आप देखें, चुनाव न कराने से हानि क्या हो रही है ? हमारे भारतीय संविधान में पीपुल्स पार्टिसिपेशन का सिद्धान्त हमने स्वीकार किया है। हमने इसलिए इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है क्योंकि हमने अपने को जनतंत्र के प्रति समर्पित किया है। अंग्रेजों के समय में भी लोकल बाडीज की व्यवस्था की गई थी। सन् 1965 से जबसे नगर महापालिकायें बनी हैं तब से कितने समय तक वह जनप्रतिनिधियों के हाथ में रही हैं। यह आप बतायें ? उनका चुनाव न कराना गलत है। विकास प्राधिकरण अपने बनाये हैं। नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि विकास प्राधिकरण में जाते थे, उससे वह वंचित हो गये हैं।

विकास प्राधिकरणों की क्या हालत है ? विकास प्राधिकारी एक बहुत बड़े थैलीशाह कालोनाइजर्स से ज्यादा भ्रष्ट हो गये हैं। आप 4 हजार रुपये बीघे में जो जमीन खरीदते हैं उसको डेवलपमेंट कास्ट के नाम पर कितने रुपये लेकर बेचते हैं, यह सबको पता है। सब जानते हैं कि आज 35 से लेकर 40 फीसदी तक कमीशन ठेकेदारों से लिया जाता है और ठेकेदारों के माध्यम से वह ऊपर तक चला जाता है। मकान जो बनाये जाते हैं उनमें मैटीरियल बहुत खराब और घटिया किस्म का लगाया जाता है। आप और हम सब लोग इसको कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए आप कौन सा सुझाव दे रहे हैं ? पी0 डब्लू0 डी0 की एक व्यवस्था है, वहां टेक्निकल सेल बनी हुई है जिसके द्वारा देखा जाता है कि काम मानक के अनुसार हुआ या नहीं।

मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं करता भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया है कि वह टेक्निकल सेल में भी हो सकता है । लेकिन विकास प्राधिकरणों के काम की जांच कराने के लिए आपके पास कौन सी सेल है ? आपका राजनीतिक कैरियर लोकल बाडीज से प्रारम्भ हुआ है । मैं पूछना चाहूंगा कि आपने विकास प्राधिकरणों में, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं उसकी क्वालिटी की जांच करने के लिए आपने कोई सेल बनाई है ? अगर कोई सेल नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी एजेंसी जिसके द्वारा आप इसकी गुणवत्ता की जांच करवायेंगे ? दूसरी बात यह है कि नगरों का विस्तार हो रहा है । जन प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं लेकिन कर्मचारी शासन के प्रति जिम्मेदार होते हैं । जनता के प्रति हृदय की भावना उनके मन में नहीं है । आपने इतने बड़े नगरों का मास्टर प्लान बनाया है । पड़ोस से 8, 10 किलोमीटर की जमीन आपने नगर में कर दी है । मास्टर प्लान में कर दी है । इसका परिणाम यह हुआ है कि गांव के गरीब काश्तकार गांव की सुविधा से वंचित हो गये हैं साथ ही साथ नगर की सुविधा से भी वंचित हो गये हैं । आप उनकी जमीन का मुआवजा भी समय से नहीं दे रहे हैं और उसको खेती से भी वंचित कर रहे हैं ।

लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, सभी जगहों पर झगड़े शुरू हो रहे हैं आपने सस्ती दर पर जमीन ले ली है लेकिन जब आप उस जमीन को देंगे, चाहे अस्पताल बनाने के लिए या आबादी के लिए, प्लाट आप बनायें तो उनकी बहुत ज्यादा कीमत आप लेंगे । तो बीच का लाभ जो है वह काश्तकार को क्यों न मिले । किसान भूखों मरे अपनी रोजी रोटी-रोटी से वंचित हो जाय तो उसको बीच का लाभ क्यों न मिले कभी इसके बारे में सोचा है ।

[3 बजकर 50 मिनट]

मान्यवर, आप डेवलपमेंट कास्ट के नाम पर बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं जितनी जमीन मिली है, अगर मान लीजिए सौ फीसदी जमीन मिली है, तो उसमें से 40 फीसदी जमीन आप निकाल देते हैं सड़क के लिए, सार्वजनिक काम के लिए जो 60 फीसदी जमीन है यदि उसे काश्तकार को वापस कर दें, और काश्तकार उस जमीन को बेचे, चाहे वह किसी प्लानर के हाथ बेचे, तो उससे जो उसको कीमत मिलेगी, उसमें उसको लाभ हो सकता है अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो समय पर किसान को उचित दर पर मुआवजा दिया जाय । विकास प्राधिकरणों का यह कार्य सिर्फ पैसा पैदा करने से लिए है , जनता को इससे कोई राहत नही मिलेगी । जिस समय आप नगरों का विस्तार करते हैं तो जो ट्रांजेक्शन पीरियड होता है, वह खतरनाक पीरियड होता है । जिस समय आप गांव की जमीन नगरों में लेते हैं, तो क्या उनके रिकार्ड्स देखे जाते हैं । उदाहरण के लिए जो तीन नगर आप विस्तार में ले रहे हैं क्या उनके रिकार्ड्स देखे गए हैं ? क्या उन रिकार्ड्स को ठीक करने की कोशिश की गयी है ।

निश्चित रूप से इसमें झगड़े उत्पन्न होंगे । यह जो आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं, प्रशासक हैं इनमें जनता के आह को समझने का हृदय नहीं होता है । इसलिए इन स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं के चुनाव करा लिए जायेंगे, निश्चित समय के अन्दर साहस के साथ आप इस बात को कहें । मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय इस सम्बन्ध में विधेयक आया था माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि दोबारा इस आदरणीय सदन

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात को भूल गए अगर आप चाहते तो चाहे जितनी बाधायें आती, आपने चुनाव करा दिया होता, कोई भी ताकत आपको चुनाव कराने से रोक नहीं सकती थी ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि मान्यवर, इस विधेयक को सदन में प्रस्ताव पारित करके, प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय ।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

बहुत अच्छा बोले । यही बात पहले बोले होते ?

श्री राजन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इन्होंने कहा कि अच्छा बोले, इसको पहले बोले होते । अगर मैं पहले बोला होता तो गल्ती करता, आप तो दोबारा गल्ती न कीजिए ।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, गुप्ता जी ने जो बात जिस दृष्टिकोण से कही, जिस बात को ध्यान में रखते हुए कही, आपके चुने हुए नुमाइंदों की, जन प्रतिनिधियों की और आप में शक्ति होनी चाहिए, और उसके जरिए वह इस्तेमाल होनी चाहिए, तो इसमें कोई मतभेद नहीं है । आपने कहा कि पहले कहा था कि अगली बार आयेंगे, तो अवधि बढ़ाने के लिए नहीं कहेंगे । तो श्रीमन्, उस वक्त हमारा इरादा यही था, और स्थितियां हुईं, जैसे आपसे कर्जा लिया इस उम्मीद से कि अगली फसल हो जायेगी, तो चुका देंगे । लेकिन पाला पड़ गया, माल नहीं आया, नुकसान हो गया । अब साहब मैं बेइमान था, धोखा दिया, उस नजरिए से आपने सोचा और हमने इस नजरिए से सोचा कि अगली फसल में हासिल करके कर्जे को पाटूंगा ।

जन प्रतिनिधियों के हाथों में शीघ्र से शीघ्र शक्ति दी जाय, मैं मानता हूं, काफी विलम्ब हुआ है जो नहीं होना चाहिए था । साथ ही साथ, गुप्त जी आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जितनी बातें इस वक्त तक हुई हैं, इन प्रशासकों के जरिए, वह जनहित में हुई हैं । इसकी आवश्यकता हो गयी, तो ऐसा हो गया । कुछ अच्छाइयां भी हुई हैं, कुछ गल्तियां भी हुई हैं, ये दोनों चीजें साथ-साथ चलती रहती हैं ।

गल्तियों को हम सब मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं और अच्छाइयों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं । तो, यह प्रक्रिया है, जो-जो गल्तियां बतायी हैं, मैं समझता हूं बिल्कुल सही कहा है, हम सभी जिम्मेदार हैं आपके प्रति और जनता के प्रति । जो कुछ चीजें शासन के जरिए होनी हैं, जिसके लिए इस जनता ने, कांग्रेस सरकार को श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनकर भेजा है और उन्हें इस बात का पूरा अधिकार है कि वह हर समय चुनी हुई सरकारों से, उनकी गल्तियों के बारे में, चाहे वे सरकारी कर्मचारियों के जरिए हुई हों या किसी के जरिये, सफाई मांगे । इसमें कोई विवाद की बात नहीं है ।

विकास प्राधिकरण की भी बात आपने कही । जो बात सच्ची होती है वह आदमी को खटकती है । जब समाज बदलता है, तो कुछ दिक्कतें आती हैं । जब महापालिकाओं और नगरपालिकाओं की सीमा को बढ़ाया तो उसमें कुछ गांव आ

गये और उस कारण कुछ कानून भी सामने आये। कुछ लोगों को तकलीफें हुईं। मगर जो बात आपके मन में है हम उसे भी ध्यान में रख कर चलेंगे और उसी की कोशिश करेंगे जो आप चाहते हैं।

चुनाव कराने के बारे में भी जो भावना आपने व्यक्त की मैं भी उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। यहां चाहे रामसिंह खन्ना बैठें या और कोई बैठें पर कांग्रेस की सरकार बदलने वाली नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

हम तो चाहते हैं आप सलामत रहें।

श्री रामसिंह खन्ना—

हम सलामत रहें या न रहें, मगर हम चाहते यह हैं कि जन प्रतिनिधि चुन जायें और इस काम में अगर हम सैक्रीफाइस भी हो जायें तो हम यह पसन्द करेंगे।

जहां तक खराबियों की बात कही गयी, मैं यह नहीं कहता कि कहीं खराबी नहीं है, जहां कोई गल्ती आपको मिले आप हमारे नोटिस में उसे लायें, हम उसे ठीक करेंगे, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, उसमें आप किसी प्रकार का संकोच न करें। लेकिन एक दम से यह कह देना कि सभी लोग बेईमान हैं यह ठीक नहीं है। सारी उंगली बराबर नहीं है। बहुत से अच्छे लोग भी काम करने वाले हैं।

आपने कहा कि कोई काम नहीं हुआ। आपने यह महसूस नहीं किया कि हालत क्या थी? एक तरफ मोहर्रम का जुलूस निकल रहा था, तो दूसरी ओर राजगद्दी निकल रही थी। ऐसे समय में जो अच्छे काम हुए कम से कम उनकी तारीफ भी आपको करना चाहिये। अच्छे काम के लिए अधिकारियों को शाबाशी भी देना चाहिए। शासन का काम है काम करना और आपका काम है गल्तियों के लिए शासन को जगाते रहना। आपकी भावनाओं को हमने समझ लिया है। इन शब्दों के साथ में प्रार्थना करूंगा कि आप इस विधेयक को पारित होने दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव था इस पर मैं पुनर्विचार कर लेता। मैंने बहुत लम्बा भाषण सुना आपका मंत्री जी, जो बेसिक मुद्दा उठाया था, क्या आप क्वालिटी कंट्रोल जांच के लिए टेक्निकल सेल की स्थापना करेंगे, उसमें न तो आपने हां कहा न नहीं कहा।

श्री राम सिंह खन्ना—

जो आपने बात कही, मैंने पूरे तौर से सुनी, आपने मुद्दा उठाया, मैंने कहा कि आपने जो बात कही, मुनासिब है और मैं इसकी पूरी छानबीन करके पूरे तौर से, आप का नगरपालिका का बजट आने वाला है चार दिन बाद, इसमें सारी बहस होगी, उसके बाद मुझे जवाब देने का मौका देंगे सारी बातों का तो मैं उत्तर दूंगा। इसमें महापालिकाओं का समय बढ़ा कर जो प्रशासक नियुक्त किये गये हैं, उनके प्रशासन का काल जो है, अध्यादेश को समाप्त करके...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्योंकि टेक्निकल सेल की मांग की थी, उस सम्बन्ध मे विचार नहीं किया है, इसलिए मैं समझता हूं कि यह सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर बल नहीं दे रही है, मैं इसको वापस नहीं लेता हूं ।

श्री भीखा लाल—

बिना कोरम के बहस हो रही है मान्यवर, इसलिए मैं समझता हूं कि निर्णय तो कम से कम गणपूर्ति में हो जाय ।

(गणपूर्ति के लिए घण्टी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुयी)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 2 सन् 1959 में धारा 8-कक का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में, धारा 8-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

महापालिका के गठन के लिए और नगर के रूप में अधिसूचित हुए भी, आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि—

"8-कक—(1) जहां किसी स्थानीय क्षेत्र का संगठन धारा 3 के अधीन नगर के रूप में किया गया है और राज्य सरकार की राय है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे क्षेत्र के लिए महापालिका का सम्यक् संगठन होने तक ऐसा करना समीचीन है, वहां राज्य सरकार, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते

क्षेत्र के प्रशासन के लिए अस्थायी उपबन्ध

(क) ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए संगठित नगरपालिका बोर्ड या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे दिनांक से जैसा उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, जिसे आगे इस धारा में

"विनिर्दिष्ट दिनांक" कहा गया है, यथास्थिति, विघटित हो जायगा या ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा;

(ख) महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति और धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की और मुख्य नगराधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्त्तव्य विनिर्दिष्ट दिनांक से, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, अनुपालन और निर्वहन किया जायेगा और प्रशासक को विधि की दृष्टि से महापालिका, नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति या अन्य समिति या मुख्य नगराधिकारी, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायगा;

(ग) प्रशासक को, ऐसे वेतन और भत्ते जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा इस निमित्त नियत किये जायें, महापालिका की निधि से दिए जायेंगे ।

(2) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, खंड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में--

(एक) उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित ऐसी समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा; या

(दो) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या उप खंड (एक) के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(3) इस धारा के उपबन्ध धारा 579 और 580 में दिए गए उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका अल्पीकरण करेंगे ।"

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि "खंड 2" इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 3

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 1982

3--(1) उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल

अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सोमांश प्रकाश जी, आप खंड 3 का संशोधन प्रस्तुत कीजिए ।

श्री सोमांश प्रकाश--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खंड-3 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्--

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 27, सन् 1982 — निरसन और अपवाद

"3--(1) उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश में यथा संशोधित धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत थे ।"

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी क्या आपको यह संशोधन स्वीकार है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड-3 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्--

निरसन और अपवाद — उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 27, सन् 1982

3--(1) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश में यथा संशोधित धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड–3 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम

(2) यह 23 अप्रैल, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

श्री अध्यक्ष—

सोमांस प्रकाश जी, खंड (एक) का संशोधन उपस्थित कीजिए ।

श्री सोमांश प्रकाश—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खंड 1 के उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय, अर्थात्—

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड 1 के उपखंड (1)के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय, अर्थात्--

संक्षिप्त नाम (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय 4 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983‡

[4 बजकर 10 मिनट]

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, बहुत ही मासूम संशोधन है और सभी माननीय सदस्यों की जानकारी है कि सन् 1980 से आज तक हमारी मण्डियों का जो इन्तजाम है वह जिलाधिकारी के सुपुर्द है । हमारा इरादा था कि इनका चुनाव करा दिया जाय लेकिन परिस्थितिवश हम ऐसा करने में असमर्थ रहे लेकिन हमारा यह इरादा है। बहरहाल इसको बहुत लम्बे अर्से तक ले जाना कुछ उचित नहीं होगा इसलिए मैंने एक वर्ष का समय न चाहते हुए केवल तीन महीने के लिए यह इच्छा व्यक्त की है उसका इन्तजाम जो पहले से चल रहा था तीन महीने के लिए उसी प्रकार चलता रहे ।

‡दिनांक 18 जनवरी, 83 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

मैं समझता हूं कि सम्मानित सदस्य इसके बारे में अपनी अनुमति देंगे। कोई विशेष बात इसमें नहीं है। इन मण्डी समितियों का यह दुर्भाग्य रहा है कि सन् 1972 से अब तक इसका चुनाव नहीं हुआ। सरकार चाहे इधर की रही हो या उधर की रही हो। वहां पर नामीनेशन किये गये थे। जिलाधिकारी से ले करके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिवस, चाहे वे नामांकित थे, उनके हाथ में इन्तजाम दे दिया गया। हम इलेक्शन (चुनाव) से नहीं घबराते हैं। जैसा कि अभी हमारे सम्मानित सदस्य नगर विकास बजट पर बोल रहे थे। हमको जानकारी है कि सन 1977 से 1980 के दरम्यान की। कांग्रेस सरकार आयी, यह सबको जानकारी है कि प्रधानों के चुनाव कराये गये उत्तर प्रदेश में। हमारा इरादा है कि हम मण्डी समितियों के लिए चुनाव करायेंगे। 3 महीने का समय इसमें लगेगा, कोई विशेष बात नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

यह प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, यह इस बात को जानते हुए भी प्रस्तुत किया गया है कि आप केवल तीन महीने का समय मांग रहे हैं। यह अवसर इसलिए लिया कि इस बात के लिए आगाह करना जरूरी है कि 3 महीने के बाद भी आप समय बढ़ाने का प्रस्ताव न करें। जब तक प्रधानों के चुनाव नहीं होते तब तक चुनाव कैसे होगा यह एक समस्या थी, लेकिन अब वह हर्डिल भी दूर हो गयी है। ऐसी स्थिति में 3 महीने का समय लेना भी आवश्यक नहीं था। क्योंकि प्रधानों के चुनाव हुए भी काफी समय हो चुका था। लेकिन कारण क्या है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जन प्रतिनिधियों के न होने के कारण उनका सम्यक् उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे अभी चन्द दिन पहले मामला आया था।

शंकर सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र कालपी में हड़ताल हो गयी। मामला आपके सामने आया था। आपने मंडियां दूसरी जगह शिफ्ट कर दी हैं, शहर से दूर चले गए हैं लेकिन जो नागरिक सुविधायें चाहिए, वह नहीं दी हैं। इसके पीछे आपका उद्देश्य यह था कि जो गांव के लोग वहां सामान बेचने के लिए जाते हैं तो बिचौलियों के द्वारा उनका शोषण न हो। वहां उनके रहने, ठहरने और खाने पीने का इंतजाम हो। इसके साथ-साथ शान्ति व्यवस्था की जो हालत आजकल चल रही है, उसके हिसाब से उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम होना चाहिए। लोग आन्दोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, आपने उनका दमन भी किया।

यहां पर मैं कुछ भ्रष्टाचार के मामले उठाना चाहता हूं। नगर विकास मंत्री के यहां एक सचिव हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। जब वे सचिव बनकर आये, तो मैंने इस सम्बन्ध में शिकायतें भी की हैं, फर्नीचर की खरीद का एक बड़ा पुराना बिल पड़ा था, पुराने सचिव ने उसका पेमेन्ट नहीं किया। नए सचिव ने एकाउन्टेन्ट से कहा कि बिल बनाकर दे दो। फर्नीचर सप्लायर से उनका क्या गठबन्धन हो गया था, पता नहीं। एकाउन्टेन्ट ने मना कर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

एकाउन्टेन्ट के न बनाने पर सचिव महोदय ने खुद बनाया और पेमेन्ट किया। इसकी शिकायत भी की गयी लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है।

भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण पेश करना चाहूंगा। बरेली में ट्रक नं0 2303 यू0 पी0 जी0 उस पर जो गेट पास कटा है, उसमें 343 बोरी का गेट पास काटा गया है। क्या किसी ट्रक के ऊपर 343 बोरी का लोड हो सकता है? ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है।

मंडी परिषद् में जो एक एपेक्स बाडी प्रदेश स्तर पर है, उसमें एक सरकारी वकील थे, उनको हटा दिया गया, दूसरा वकील रख लिया गया। यह सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। यह इसलिए है क्योंकि जन प्रतिनिधियों का प्रशासन नहीं है। जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में अच्छा काम किया कि मंडी समितियों के पास जो पैसा है उसका उपयोग काश्तकारों के हित में किया जाना चाहिए, उन्होंने पुल बनवाये, सड़कें बनवायीं। तब तक सरकार बदल गयी। रुपया आज भी मंडी समिति के पास है, लेकिन उसका उपयोग जीप खरीदने के लिए तो किया गया होगा लेकिन जो काश्तकार के हित की बात थी, उस पर आपने रोक लगा दी। आपका आज जो मंडी समिति का अधिनियम है, उसमें भी यही प्राविधान है कि जो पैसा मंडी समिति से आयेगा उसका प्रयोग भी मंडी के उत्थान के कार्यों में होना चाहिए, कुछ ऐसे कार्यक्रम वहां नियोजित किए जायें, जिससे उनके पैसे उपयोग हो सकें, लेकिन इन खर्चों पर वहां बिल्कुल रोक लगा दी है और मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आज जो मंडी समिति को केवल टैक्स का साधन बना दिया गया और इससे जो धन आता है, वह किन मदों में खर्च होता है, हम यह नहीं कहना चाहते। इसलिए चाहते यह हैं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये ताकि वहां से यह स्थिति स्पष्ट होकर आ जाए।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह एक ऐसा विधेयक है जिसे प्रवर समिति के सुपुर्द भेजने का प्रस्ताव म और राजेन्द्र कुमार गुप्त जी करते-करते थक गए, लेकिन यह लोग नहीं थके, क्योंकि यह हर साल अपना घोड़ा बदल देते हैं कभी कोई मंत्री और कभी कोई इसलिए यह लोग तो थकते नहीं, लेकिन हम अवश्य थक गये और मान्यवर, यह एक ऐसा बदनसीब विभाग है कि एक जेनरेशन तक बदल गयी लेकिन इसके चुनाव नहीं हो सके और इसके दूसरे पक्ष को देखिए कि इसके पास पैसे की कभी कमी नहीं रही और हर डिपार्टमेन्ट में इसकी कमी है, लेकिन यहां पर कोई कमी इसकी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह भी है इसके धन का उपयोग भी कभी सही नहीं हो सका।

दूसरे मान्यवर, प्रदेश में जितने भी मंडी स्थल बनने थे वह आज तक पूरे नहीं हुए और जहां कहीं निर्माण हुआ भी थोड़ा बहुत तो वहां के किसी जन-प्रतिनिधि की कोई राय नहीं ली गयी और थोड़े बहुत निर्माण के बाद काम ठप हो गया और इसकी प्रगति को देखते हुए यही मालूम होता है कि इन मंडी स्थलों का निर्माण कभी पूरा भी नहीं करा सकेंगे। लेकिन एक हमदर्दी हमें माननीय मंत्री जी से है कि पहले जितने भी मंत्री आए सब ने एक साल का समय लिया और वह समय उनका आखिरी समय होता था, लेकिन आपने 3 महीने की ही अनुमति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मांगी है तो क्या इससे यह समझा जाए कि आपका इतना ही अल्प समय है इस पद पर रहने का। 20 साल के अन्दर जो तजुर्बे हुए हैं इन मंडी समितियों के बारे में, वह मजबूर करते हैं कि किसी प्रवर समिति में बैठ कर इसकी परिधि पर विचार हो कि हमारे सामने क्या-क्या कठिनाइयां आयी हैं इसलिए यह प्रवर समिति में चला जाय। मंत्री जी, शायद आपका टाइम 5 मार्च को समाप्त हो रहा है और आप इसके लिए तीन महीना यानी कि 5 जून तक का समय ले रहे हैं। कोई सूरत नहीं है कि आप 5 जून तक इसका चुनाव करा लें। प्रधानों के चुनाव अभी हो हुए हैं, अभी ब्लाकों के चुनाव होंगे उसके बाद म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव होंगे और उसके बाद टाउन एरियाज के चुनाव होंगे यह सब होकर तब इलेक्टोरल कालेज बनाकर, उसकी आपत्तियों को आमंत्रित करके आप पूरी प्रक्रिया बनायेंगे। 3 महीने और 10 दिन के अन्दर कोई सूरत नहीं है कि वह सारी प्रक्रिया तय करके आप मंडी समितियों का चुनाव करा दें।

अगर आपने इसे 6 महीने कर लिया होता तो इसमें एक महीना प्रवर समिति में इसे विचार कर लेते कि कौन सी चीजें हैं जोकि तजुर्बे में आयी हैं शासन के और जनता के भी, तो इसमें उनका समावेश होता तो इस तरह से हम उनको भी दूर कर सकते थे और साथ ही साथ इलेक्टोरल कालेज को भी दूर कर लेते। इस साल के अन्दर यानी कि 1983 में ही आप मंडी समितियों का इस तरह से गठन करते। परन्तु ऐसा नहीं मालूम किसने आपको यह सुझाव दिया कि तीन महीने का समय ले लो और तीन महीने में चुनाव हो जायेंगे।

इसलिए मैं कह रहा हूं कि 21 साल हो गए एक पूरी जनरेशन गुजर गयी आने वाले लोग मिसाल देंगे कि बड़े-बड़े विद्वान लोग असेम्बली के श्री लाल प्रताप सिंह जैसे लोग असेम्बली के मेम्बर थे और उन्होंने सारी जनरेशन गुजार दी और ऐक्ट के मुताबिक वह समितियों का गठन नहीं कर सके। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर आप पुनर्विचार कर लें। अगर आप इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव नहीं पास कराते हैं तो इसे आप विदड्रा कर लें ताकि आप बैठकर प्रवर समिति के बारे में और इलेक्ट्रोरल कालेज के बारे में विचार कर लें। आज मंत्री जी कह देंगे कि जून तक या मई तक ब्लाकों के चुनाव होंगे, फिर म्यूनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया के चुनाव होंगे और इस तरह से आपका 5 जून तक का समय समाप्त हो जायेगा। कोई प्रैक्टिकल सूरत नहीं है। इसलिये आप इस पर पुनर्विचार कर लें और यदि इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसे विदड्रा कर लें और इसी बीच में इलेक्ट्रोरल कालेज से सम्बन्धित जो लोग हैं उनसे सम्पर्क स्थापित करके आपस में बातचीत कर लें, जैसा वह कहें उसी के मुताबिक फिर आप हमारे सामने इसे रखिये। आप प्रवर समिति में भी बैठ कर देखें कि इस पर विचार हो जायेगा और जो कमियां हैं वह आपकी मंडी समिति की दूर हो जायेंगी। इसी के साथ में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बहुत ही सिम्पल एमेन्डमेन्ट है और जैसा माननीय रियासत हुसैन भाई ने कहा और माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह बहुत ही मासूम तरमीम है 3 महीने की। माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीलाल प्रताप सिंह.—]

बहुत ही महत्पूर्ण बात कही । मंडियों की आमदनी का कुछ हिस्सा किसानों के विकास पर जाने की बात है और इसमें भी सन्देह नहीं कि उनसे आमदनी होती है, उस पैसे से किसानों की भलाई के काम जैसे सड़क, कल्चरल ऐक्टिविटीज के कार्यों में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन वह अभी तक कोई कार्य नहीं हो सका है । यह हमारा दुर्भाग्य है कि यह चुनाव 10 वर्ष तक नहीं हो सके हैं । फिर यह जो 3 महीने का समय लिया जा रहा है तो यह बहुत ही थोड़ा समय है । करीब 10 वर्ष बीत गये । समय बीतने में कोई देर नहीं लगती है । तो तीन महीने गुजारने में कोई दिक्कत नहीं है इसका इंतजार किया जा सकता है ।

माननीय मंत्री जी ने और हमारे शासन ने इसको कुछ सोच समझ कर ही रखा है नहीं तो कुछ और ही रखते । इससे जाहिर होता है कि यह हमारे शासन की सिन्सेयरटी है कि चुनाव अवश्य करा दिए जायें और अगर 3 महीने के बाद समय लेने की आवश्यकता होगी तो वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा । वह बहुत ही सारी फीगर होगी जब शासन और मंत्री की ओर से 3 महीने के बाद समय बढ़ाने की बाद आये कोशिश यह होनी चाहिए कि तीन महीने के अन्दर यह चुनाव हो जाये माननीय रियासत हुसेन जी ने कहा कि इसकी कुछ प्रक्रिया होती है, उससे ऐसा लगता है कि शायद यह न हो सकें । मुझे तो ऐसा भी लगता है कि शायद हो भी जाये । इसलिए इन्तजार करना मुनासिब है । मैं जानता हूं, मेरे भी जिले में दो एक मंडियां हैं । उनको ऐसे स्थान पर बना दिया गया है जिससे किसान और व्यापारी दोनों को असुविधा हो रही है । उनका कहना है ऐसे स्थान पर मंडी बना देने से क्या फायदा जहां पर उनका उपयोग ही न हो सके, जिस कार्य के लिए यह बनायी गयी है वह होता ही नहीं है, तो इसको भी देखना चाहिए । प्रस्ताव लाया गया कि इसको प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाये जो इसको देखकर अपनी संस्तुति करें, तो श्रीमन्, जब चुनाव ही नहीं हुए हैं तो तजुर्बा हो ही कैसे ? चुनाव हो जाये तो तजुर्बा हो जायेगा । यह तो साइकालोजिकल है । रियल क्या है, तो वह चुनाव होने के बाद ही देख सकते हैं । तीन महीने की अवधि बढ़ा दी गयी है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया । मैं थोड़े ही कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें शासन की कोई तिकड़म है क्योंकि 3 महीने में चुनाव हो ही नहीं सकते हैं और जिस समय चुनाव कराने की बात कही है उस समय सदन नहीं बैठेगा तो 6 महीने के लिए आर्डिनेंस लायेंगे । फिर उधर के माननीय सदस्यों को उसका समर्थन करना होगा । इस प्रकार यह साल भर चल जायेगा । तो इसमें इनकी सद्भावना नहीं प्रतीत होती है । दूसरी बात यह है कि मंडी समितियां जब से बनी हैं व्यापारी किसानों का शोषण कर रहे हैं, सरकार भी उसमें शामिल होकर उनका शोषण कर रही है । सारी व्यवस्था ऐक्ट में की गई थी और यही उसके उद्देश्य और कारणों में भी लिखा गया था । उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व था । जब से ऐक्ट बना तब से ठीक तरह से किसानों का भी प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमेशा वह सरकारी मशीनरी से चलता रहा । सरकारी मशीनरी आज भ्रष्ट हो गई है । किसानों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जिसको नामजद किया जाता उन्हें भी वे भ्रष्ट कर देते । इस तरह से सचमुच में जो किसानों का लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं हो पाया ।

आज भी किसानों की भलाई के लिये वह पैसा नहीं लगाया जा रहा है जो पैसा उसमें बचा हुआ है । गांवों में जो एप्रोच रोड्स हैं, वे इतनी खराब हैं कि बरसात के दिनों में पूरी 3/4 उत्तर की ये सड़कें ठप हो जाती हैं । इसके द्वारा सड़कों का विकास भी नहीं हो पाया । यह एक अच्छा साधन हो सकता था। सार्वजनिक निर्माण विभाग कहता है कि हमारे पास इन सड़कों के लिये पैसा नहीं है तो इन मंडी समितियों के द्वारा छोटी-छोटी और कच्ची सड़कों का निर्माण कराया जा सकता है लेकिन वह काम भी नहीं हुआ है ।

दूसरी बात यह है कि किसानों की कुछ और भी कठिनाइयां हैं । जैसे कुछ जगहों पर उनका सामान रखने के लिये जगह नहीं है । उनके सामान में घुन आदि लग जाता है । मंडी समितियां इसके लिये व्यवस्था कर सकती हैं और एक निश्चित पैसा लेकर उनका सामान रखा जा सकता है । उनका सामान सुरक्षित रहे, इसके लिये उनके पास स्थान की कमी होती है जैसे उनकी सब्जी है, आलू है इसमें ये मंडी समितियां उन्हें योगदान दे सकती हैं । लेकिन आज स्थिति यह है कि जो पैसा उनको दिया जाता है उसको सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है केवल सरकारी कर्मचारियों के टी0 ए0 और डी0 ए0 में ही वह सारा पैसा चला जाता है । एक भी पैसा किसानों के फायदे के लिये इन मंडी समितियां न किया हो तो मंत्री जी बता दें । मंत्री जी एक किसान होने के नाते में समझता हूं कि उनके दिल में उनके लिए रहम होनी चाहिए । आज तीन महीने का समय यह सरकार मांग रही है, मैं समझता हूं कि इसमें तिकड़म ही है और वह सरकारी तिकड़म है । (व्यवधान) इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को माननीय मंत्री जी प्रवर समिति में भेज दें और वहां पर वे सारी चीजें इसके बारे में देख लें। मंत्री जी वहां पर भी अपनी बात कह सकते हैं और जांच पड़ताल कर सकते हैं । इसलिये जो प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और सरकार से आशा करता हूं कि वह इसको स्वीकार कर लेगी ।

*श्री धरमपाल--

मान्यवर, मंडी समितियों के गठन के बारे में जो संशोधन माननीय मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है कि इसके लिये तीन माह का समय बढ़ा दिया जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, बहस में हिस्सा लेने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इन समितियों का गठन कैसे और क्यों हुआ, उसके बारे में कहना चाहूंगा । मान्यवर, गांधी जी के स्वप्न को पूरा करने के लिये और गरीबों को शोषण से बचाने के लिये इन समितियों का गठन किया गया था ।

मान्यवर, 10 वर्ष हो गये हैं, इस व्यवस्था को अभी तक ठोस रूप नहीं दिया गया है । अभी इन समितियों का कार्यकाल 5 मार्च तक था और जैसा कि माननीय रियासत साहब ने कहा 3 महीने का समय और मांगा गया है उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धरमपाल--]

पीछे औचित्य है, कुछ कारण हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहली चीज यह है कि किसानों की बहबूदी के लिये इसकी संरचना की गई थी और किसानों को उसका भागीदार बनाना चाहिए था। किसान के सामने सिंचाई की समस्या है, कटाई की समस्या है, दवाई की समस्या है, तीन महीने का समय तो ऐसे ही निकल जायेगा। मंडी समितियों के अपने लक्ष्य हैं अपने उद्देश्य हैं।

जहां तक किसानों की वेलफियर की बात है गांवों के विकास की बात है, लिंक रोड की बात है, उनमें कोई बाधा उसे नहीं पड़ती। मेरे जनपद में कुछ सड़कें मंडी समितियों से जोड़ी गई हैं। (व्यवधान)। इसमें कोई अड़चन नहीं है। तीन महीने का समय दिया जाना चाहिए। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, हमारे दल की तरफ से कोई नहीं बोला।

*श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जैसा कि अभी वर्मा जी ने कहा इसमें इस बात की झलक मिलती है कि आगे जा कर आर्डिनेंस जारी करेंगे, वह ठीक है क्योंकि अप्रैल में यह सदन उठ जायगा और जब तीन महीने बाद समय गुजर जायेगा तो मंत्री जी एक वर्ष के लिए आर्डिनेंस जारी करवा देंगे। यही मूल रूप में मंशा है। मंडी समिति ऐक्ट 1964 में बना था तब से लेकर आज तक इसके चुनाव नहीं हो पाये हैं। अब फिर से तीन महीने का समय बढ़ा कर समय बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

इससे तो केवल सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा मिलजुल कर भ्रष्टाचार करने का मौका मिलेगा। मेरे यहां एक चितबड़ा गांव है वहां पर मंडी समिति ने बैरियर लगा दिया है अगर कोई किसान अपना सामान मंडी समिति में ले जाता हो तब तो शुल्क देना ठीक है लेकिन वहां पर ऐसी जगह में बैरियर लगा दिया है जो गंगा जी का पुल है उस पर बैरियर लगा दिया है। अगर कोई किसान अपना सामान घर को ले जाता है तो भी उसे मंडी समिति को टैक्स देना पड़ेगा।

पिछली सरकार जब जनता पार्टी की आई थी तो उसने मंडी समितियों में जो पैसा इकट्ठा हुआ पाया था उससे सड़कें बनाने का काम किया था जिससे कि किसानों को लाभ पहुंचे तो इस सरकार ने वह काम भी बन्द कर दिया। क्योंकि यह सरकार व्यापारियों के पैसे से आई है उन्होंने कहा कि इसका फायदा हमें मिलना चाहिए। इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप जो व्यापारियों के हित में पैसा खर्च कर रहे हैं उसको बन्द कर किसानों के हित में खर्च करें जिसको कि सब चाहते हैं। पिछली सरकार ने जो मंडी समितियों के पैसे से किसानों के लिए सड़कें बनाने का काम किया था उसे फिर से चालू किया जाय और जो पुलों का काम रह गया था जिसके न बनने से सड़कों का उपयोग नहीं हो रहा है उसे पूरा किया जाय। अंत में मैं जो माननीय गुप्ता जी ने प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजने की बात की है उसका समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने जो मंडी समिति के विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की बात की है मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने यह बात बिलकुल स्थिति के अनुरूप की है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि 3 महीने का समय बढ़ा दिया जाय। पहले भी तीन साल का समय इन्होंने बढ़ाने का प्रस्ताव किया। मंडी समितियों के पास काफी धन इकट्ठा हो गया है उसका उपयोग किसानों के हित में नहीं हो रहा है।

आप हमारे यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मंडी समितियों को उठा कर देख लें वहां 20, 30 लाख रुपये से कम पैसा उनके पास नहीं होगा जो किसी काम में खर्च नहीं हो रहा है वह बिलकुल ब्लोक पड़ा हुआ है किसानों का उस पर कोई अधिकार नहीं है। अगर मंडी समितियां बनेंगी तो अच्छी बात होगी। मंडी समितियों का पैसा आज एस० डी० एम० वगैरह के भरोसे पर चल रहा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है वहां का सचिव उसको खर्च करता है। आपने एक नया प्राविधान किया है कि जो पूरे साल की आमदनी होगी उसका 20 प्रतिशत वहां का एस० डी० एम० अपनी इच्छा से खर्च कर सकता है। परन्तु उसका दुरुपयोग हो रहा है और कोई भी काम मंडियों में नहीं हो रहा है जिससे कि किसानों की भलाई हो। मान्यवर, हमारे यहां श्यारा मंडी अच्छी मंडी है लेकिन वहा पशुओं के पानी की व्यवस्था नहीं है, न खड़जा वहां लगाया गया है और न शौचालय का वहां कोई प्रबंध है, इसलिये वहां किसानों के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और उस पैसे को सचिव एवं एस० डी० एम० के हाथो में दे दिया गया है। मान्यवर, मंडी समितियों का काम नौकर शाही द्वारा चलाया जा रहा है जो जनता की भलाई के लिये कोई काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, मंत्री जी कहते हैं कि मंडी समितियों के चुनाव शीघ्र कराकर किसानों के प्रतिनिधियों को लाकर किसानों की भलाई का कार्य हम करेंगे, तो यह हो जाय तो अच्छा काम है लेकिन ऐसा शीघ्र होने की मैं आशा नहीं करता हूं। इसलिए जो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता का प्रस्ताव है, कि इस विधेयक को सदन के एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह में अपना प्रतिवेदन दे, उसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विधेयक को वापस ले लें।

*श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने कृषि उत्पादन मंडी समिति विधेयक के लिये 3 महीने का समय मांगा है तो यह 10वीं बार समय मांगा जा रहा है क्योंकि कृषि उत्पादन मंडी समिति का चुनाव न कराकर यह समय मांग रहे हैं। मान्यवर, यह मूल विधेयक 1964 में पास हुआ था, उसके कुछ समय बाद जब किसानों की जो लूट होती थी, चुंगीकर और अन्य करों से किसान को छुटकारा दिलाया जाय तो इसके लिये किसानों की एक समिति बना दी जाये और उसके सदस्य एवं अध्यक्ष आदि किसानों में से ही चुने जायं जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के कामों में फायदा पहुंचा सकें और किसानों को लूट से छुटकारा दिला सकें इसलिये समिति का गठन किया गया था।

लेकिन मैं आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं कि 1972 में अधिनियम 7 द्वारा, 1973 में अधिनियम सं० 20 द्वारा, 1974 में अधिनियम सं० 30 द्वारा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बदन सिंह--]

1975 में अधिनियम सं0 28 द्वारा, 1977 में अधिनियम सं0 6 द्वारा, 1978 में अधिनियम सं0 7 द्वारा, 1979 में अधिनियम सं0 11 द्वारा, 1980 में अधिनियम संख्या 7 द्वारा, 1981 में अधिनियम संख्या 4 द्वारा 1982 में अधिनियम संख्या 27 द्वारा यह बराबर एक वर्ष का समय बढ़ाते रहे लेकिन मंत्री जी को पता नहीं अपनी अवधि के बारे में इसलिए एक वर्ष का समय न मांगकर 3 महीने का समय मांग रहे हैं। मान्यवर, इसमें बराबर समय मांगने से सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि जनतंत्र के साथ में बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। चूंकि 1964 के बाद जब चुनाव नहीं करवाये तो इससे किसान प्रशिक्षित नहीं हो सके और 1972 से लेकर अब तक चुनाव नहीं करवाये जिससे 80 प्रतिशत किसान यह नहीं जानते कि उनके कल्याण के लिए कोई कृषि उत्पादन मंडी समिति भी है जिसके अध्यक्ष और मेम्बर वही हो सकते हैं।

इसलिए किसान के पैसे की लूट दो वर्ग कर रहे हैं--एक व्यापारी और दूसरी सरकारी कर्मचारी। इससे किसान को नुकसान हो रहा है और सरकार को आय की हानि हो रही है। व्यापारी और कर्मचारी दोनों मिलकर पूरी आय को कोष में जमा नहीं कर रहे हैं और यदि जमा कर रहे हैं तो वह 1/4 है और 3/4 धनराशि दोनों की जेबों में जा रही है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मंडी समिति को बनाने के दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो उत्पादन बढ़ाने का काम हो सकता था और दूसरा उसके पैसे से सड़कें बनवाई जातीं। रास्ता उनको सुगम करा दिया जाता, आसानी से उनकी गाड़ियां मंडी तक गल्ला ले आतीं, जिससे उनको अपने उत्पादन का अच्छा मूल्य मिल जाता। लेकिन उन्होंने जो सड़कें बनवाने का कार्य किया है, उससे यह किसानों को कोई सुविधा नहीं दे सके। जनता पार्टी के समय में इसके पैसे से सरकार ने कुछ किसान हित के काम करके उसका सदुपयोग करना चाहा था और कुछ सड़कें बनवाई थीं। लेकिन इनके समय में वह बनी हुई सड़कें नष्ट हो रही हैं। यह जो उन सडकों पर काम करवाया गया था, उसको ऐसा दे रहे हैं, किसी के ऊपर दो किलोमीटर गिट्टी डलवाई है, फिर उस क्षेत्र की एक किलोमीटर सड़क को ले लिया है। तो यह पहले ली हुई सड़क को यदि पूरा कर देते तो एक जगह के किसानों को तो लाभ मिल सकता था। अब न तो पहली सड़क पर चलने वालों को लाभ मिल रहा है, न दूसरी सड़क पर चलने वालों का लाभ मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप दो बातों पर विचार करें। समय पांच बजे तक का ही है और आप तो बहुत विस्तार में जा रहे हैं।

श्री बदन सिंह--

तो मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को सुशिक्षित करने के लिए चुनाव के द्वारा उत्पादन मंडी समितियों का गठन करवाना अत्यन्त आवश्यक है। अब मैं नहीं समझता हूं कि तीन महीने के समय में आप किसानों के साथ कहां तक न्याय करेंगे और यह भी करेंगे भी या नहीं। इसलिए प्रवर समिति में भेजने का राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का जो प्रस्ताव है, उसका मैं स्वागत करता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसका चुनाव तुरन्त करवा दें।

श्री अध्यक्ष--

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त से)

आप इसको वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं ।

श्री यशपाल सिंह--

शायद मेरी अपील पर वापस ले लें । मान्यवर, मैंने शुरू में ही सम्मानित सदस्यों के सामने अपने कुछ विचार रखे थे, तो यह मेरा बहुत मामूली, बहुत छोटा सा और बड़ा मासूम और बेगुनाह संशोधन है, इसमें केवल तीन महीने की मांग की गई है । लेकिन इसमें डिस्कशन चला गया बहुत दूर तक, उसमें बड़ा विषयान्तर हो गया, जिसका कि आने वाले बजट में समावेश हो सकता था । विद्वान सदस्य राजेन्द्र गुप्त जी ने प्रवर समिति को भेजने के अपने प्रस्ताव में अपना उद्देश्य भी बताया कि केवल ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । ध्यान आकर्षित करने का समय बजट के समय में उनको मिलेगा । अगर आप इसको प्रवर समिति को भेज देंगे, तो उसमें टर्म्स आफ रेफरेंस क्या होगा ? यही होगा न कि इसका समय बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, या पूरे एक्ट पर वह विचार करेगी और जो उसमें डिफेक्ट्स हैं, उन पर गौर करके प्रस्ताव करेगी । अब केवल प्रश्न यह है कि इसका कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया जाए । रियासत हुसैन साहब ने मौलिक प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि 3 महीने के अन्तर्गत तो चुनाव किसी प्रकार सम्भव ही नहीं हो सकता है । राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने यह कहा कि प्रधानों का चुनाव हो गया है, तो लिहाजा चुनाव हर समय सम्भव है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए कहा है ।

श्री यशपाल सिंह--

यह तो बेसिक चीज है, जब क्षेत्रीय समिति बन जायेंगी, तो उसके बाद ही उसके चुनाव सम्भव हो सकेंगे । तो रियासत साहब ने जो चिन्ता व्यक्त की, उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी शंका कोई आधार पर है, हम पांच जून तक चुनाव करा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है...

(व्यवधान)

चुनाव के बारे में मैंने पहले बात रखी थी, 1972 से लेकर अब तक इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि चुनाव हो ही नहीं सके, चाहे सरकार इधर की रही हो या उधर की रही हो । हां नामिनेशन के जरिये से उनका गठन हुआ आपके कार्यकाल में । किसानों के उत्थान के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए पैसा कोई खर्च नहीं किया जाता । मान्यवर, शायद सम्मानित सदस्य को जानकारी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार का कोई बन्धन नहीं है, केवल बन्धन हमारे सामने आया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से । सम्मानित सदस्य ने कहा कि इसमें कोई संशोधन लायें, बगैर विधिक राय के कैसे संशोधन आये, विधिक राय यही हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रहते हुए क्या हो सकता है, सोचा यह जा रहा है कि इसमें क्या रास्ता निकाला जाय ?

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, हर ऐक्ट जब ऐक्ट बनता है, तो उसमें पावर्स डेलीगेटेड होती हैं। उसके रूल्स बनाने की पावर्स डेलीगेट होती हैं। यह 64 से ऐक्ट जो बना और उसके बाद आज तक पावर डेलीगेट होने के बाद भी रूल्स क्यों नहीं बन सके ? जिससे कि पूर्व के डेवलपमेंट के कार्य रुके पड़े हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी आदरणीय सदन को गुमराह करने की चेष्टा कर रहे हैं। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह बात बिलकुल सही है कि आप पैसा किसी संस्था को बांटेंगे तो कोई आधार होना चाहिये। बिना रूल में संशोधन किए हुए यह अधिकार भी आपको कोई देने के लिए नहीं तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप रूल्स बनाइये। यह कब तक आपके विचाराधीन रहेगा ?

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, उसी के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए पेंडिंग है कि आपने नियम बनाया ही नहीं, तो नियम के अभाव में ही तो वह स्टे मिला हुआ है। विभाग में नियम बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य जरूरत से ज्यादा काबिलियत की बात कर रहे हैं। जहां पर हमको कुछ रास्ता तलाश करने की बात होगी, वह हम प्रदेश के कृषकों के लिए करेंगे। जो चिन्ता आपको है, आपसे कम चिन्ता इधर के बैठने वालों को भी नहीं है। मान्यवर, हमारे विद्वान सदस्य वर्मा जी ने कुछ अपनी चिन्ता व्यक्त की थी कि शायद हम दोबारा संशोधन लायेंगे। तो मान्यवर, हमारा इरादा चुनाव कराने का है। हम चुनाव कराना चाहते हैं। इसीलिए 3 महीने का अल्पकालिक समय हम बढ़वाना चाहते हैं। मान्यवर, इतना तो मैं आपका भरोसा दे सकता हूं कि जैसा कि पिछले सत्र में हमारे सम्मानित सदस्यों ने मांग की थी हम सरकारी अधिकारियों के हाथ में मन्डी समितियों के प्रशासन को नहीं रहने देंगे। मैं आशा करता हूं कि इस पर सम्मानित सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेकर हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री जी ने हर स्तर पर यही कहा है कि चुनाव करा सकते हैं, कहीं पर यह नहीं कहा कि हम चुनाव करा देंगे। आखिर में जो उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों से ले लेंगे उससे यह शंका हो गई कि उसमें क्या आप अपने दल के लोगों का नामिनेशन कर देंगे, इससे और शंका होती है इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूं। आपने शंका । कर दी है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के

सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड—2, खंड—1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्ययस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1982 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्ययस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था अधिनियम, 1982 की धारा 2 म, उपधारा (1) में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष और तीन मास" रख दिया जायेगा । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 6 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । पहली सूचना श्री राम असरे वर्मा, श्री मित्रसेन, श्री गोपीनाथ वर्मा को लखनऊ में शिक्षकों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है । दूसरी सूचना श्री मोहन सिंह की फतेहपुर जिले

[श्री अध्यक्ष--]

की कोतवाली और मसवा थाने की पुलिस द्वारा एक नवयुवक की हत्या करने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की मुरादाबाद में कई लोगों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री हरिवंश सहाय और श्री नंद किशोर सिंह की सूचना भी इसी सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री सत्यपाल सिंह की प्रदेश में मद्य निषेध लागू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री रियासत हुसैन एवं श्री अकबर हुसैन की लखनऊ शहर के बहादुर खेड़ा क्षेत्र में दो नवयुवकों की हत्या के सम्बन्ध में है। मैंने सब सूचनायें अस्वीकार की हैं केवल पहली सूचना जो श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन तथा श्री गोपी नाथ वर्मा की है इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है। दूसरी सूचना को शासन के ध्यान आकर्षित करने के लिए भेजा है। अन्त में श्री रियासत हुसैन तथा श्री अकबर हुसैन की जो सूचना है उसको भी शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेजा है।

श्री मोहन सिंह द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 14 के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

[5 बजे से]

उठने से पहले, आज प्रातःकाल मैंने निवेदन किया था, माननीय मोहन सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नों के बारे में उठाया था तो मैंने तमाम रिकार्ड, पत्रावली इत्यादि को देखा है। मेरा निर्णय इस प्रकार है। यह प्रश्न माननीय श्री प्रदीप कुमार यादव द्वारा दिनांक 14-7-82 को भेजा गया था। यह प्रश्न वर्ष 1982 के द्वितीय सत्र के तृतीय शुक्रवार के लिए निर्धारित था, किन्तु तीसरा शुक्रवार न आने के कारण सत्रावसान के फलस्वरूप उक्त प्रश्न व्यपगत हो गया। तदुपरान्त यह प्रश्न दिनांक 16-10-82 को माननीय प्रदीप कुमार यादव द्वारा प्राप्त हुआ। प्रश्न में वित्त मंत्री जी से पृच्छा की गयी थी। अतः इसे वित्त विभाग को भेज दिया गया।

पत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 1982 द्वारा वित्त विभाग ने सूचित किया कि चूंकि यह एक आई० ए० एस० अधिकारी से सम्बन्धित मामला है, अतः इसे नियुक्ति विभाग द्वारा उत्तर दिया जाना है। तदुपरान्त इसे नियुक्ति विभाग को भेज दिया गया और 34वें मंगलवार के लिए निर्धारित कर दिया गया।

इसका कारण यह है कि नियुक्ति विभाग के लिए मंगलवार का दिन निर्धारित है और आगामी मंगलवार से 33वें मंगलवार तक प्रतिदिन 20 तारांकित प्रश्न पहले से ही निर्धारित हैं। इनमें माननीय प्रदीप कुमार यादव जी के प्रश्न 5वें मंगलवार से 33वें मंगलवार तक प्रतिदिन पहले से ही लगे हैं।

इस प्रकार इस प्रश्न को 34वें मंगलवार को निर्धारित करने में सचिवालय स्तर पर कोई त्रुटि नहीं प्रतीत होती। माननीय सदस्य यदि चाहें तो इसे अल्पसूचित प्रश्न के रूप में दे सकते हैं।

अब हम उठते हैं और 28 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 6 मिनट पर सोमवार, 28 फरवरी, 1983 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
25 फरवरी, 1983

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1046 पर ।)

सूची "क"

ग्राम रामपुर हिरामन, तप्पा-नगवा, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया में सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु सुरक्षित भूमि का विवरण ।

क्रमांक	प्रयोजन	सुरक्षित भूमि		विशेष विवरण
		गाटा सं0	क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5
			एकड़	
1	हरिजन आबादी	459	.37	
		473	·81	
		474	.05	
		486	.11	
		4 गाटा	1.34	
2	सामान्य आबादी	17	.10	
		143	.43	
		295	.05	
		297	.04	
		310	.16	
		328	.10	
		409	.29	
		424	.10	
		8	1.27	
3	हड़वारी	494	.10	
4	शमशान	3	.14	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	6
			एकड़	
5	कब्रिस्तान	341	.10	चकबंदी के पूर्व गाटा संख्या 132 म 28 डि0 215 म 2-17 एवं 342 का .32 डि0 कुल 3 गाटा 2.77 ए0 भूमि कब्रिस्तान हेतु उपलब्ध थी ।
6	घोबीघाट	321	.20	
7	स्थान काली	278	.02	
8	स्कूल	411	.10	
9	नाली	1[illegible]9	.58	
		164	.70	
		356	.28	
		466	.19	
		4	1.22	
10	चक मार्ग	41	.07	
		49	.12	
		54	.30	
		164	.03	
		68	.20	
		82	.02	
		84	.02	
		88	.12	
		102	.08	
		105	.90	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
			एकड़	
10	चक मार्ग	134	.05	
		136	.13	
		156	.36	
		169	.10	
		175	.07	
		182	.12	
		216	16	
		227	.35	
		232	.04	
		255	.47	
		331	.32	
		339	.03	
		355	.37	
		378	.06	
		396	.28	
		410	.11	
		425	.09	
		427	.11	
		437	.12	
		465	.24	
		500	.13	
		509	.05	
		511	.03	
		524	.07	
		539	.23	
		35	5.95	

विजय पटेल युवा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1056 पर।)

संलग्नक 'क'

सदस्य, राजस्व परिषद् द्वारा लखनऊ में निस्तारित वादों का विवरण

1-4-79 से 31-3-80 तक

सदस्य का नाम		निस्तारित वादों की संख्या
1—श्री अश्वनी कुमार	..	5
2—श्री महेश चन्द्र शर्मा	..	745
3—श्री एस0 के0 सरकार	..	511
4—श्री के0 किशोर	..	349
योग	..	1,610

1-4-80 से 31-3-81 तक

1—श्री एम0 सी0 शर्मा	..	323
2—श्री एस0 के0 सरकार	..	501
3—श्री के0 किशोर	..	535
4—श्री महेश्वर प्रसाद	..	101
योग	..	1,460

1-4-81 से 31-3-82 तक

1—श्री के0 किशोर	..	176
2—श्री बी0 के0 मिश्रा	..	99
3—श्री महेश्वर प्रसाद	..	770
4—श्री एस0 के0 सहगल	..	39
योग	..	1,084

विधान सभा

संलग्नक 'ख'

सदस्य, राजस्व परिषद् द्वारा इलाहाबाद में निस्तारित वादों का विवरण

1-4-79 से 31-3-80 तक

सदस्य का नाम		निस्तारित वादों की संख्या
1--श्री एच0 एन0 अग्रवाल	..	1,780
2--श्री पी0 सी0 सक्सेना	..	1,917
3--श्री जे0 एस0 गुप्ता	..	1,132
4--श्री आई0 बी0 सिंह	..	2,479
5--श्री एम0 सईदउल्ला	..	964
योग	..	8,272

1-4-80 से 31-3-81 तक

1--श्री एच0 एन0 अग्रवाल	..	124
2--श्री पी0 सी0 सक्सेना	..	692
3--श्री आई0 बी0 सिंह	..	3,598
4--श्री एम0 सईदउल्ला	..	264
5--श्री एस0 सी0 गोयल	..	875
6--बी0 एन0 टंडन	..	3,059
7--श्री सुरेन्द्र मोहन	..	60
8--श्री एम0 सी0 जोशी	..	227
9--श्री आर0 एस0 वर्मा	..	944
10--श्री आर0 पी0 गुप्ता	..	875
11--श्री जागेश्वर प्रसाद	..	474
12--श्री डी0 एस0 मिश्रा	..	1,475
13--श्री के0 किशोर	..	875+21=896
14--श्री जी0 एस0 तिवारी	..	692
योग	..	14,255

1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1982

1—श्री आई0 बी0 सिंह	2,594
2—श्री आर0 एस0 वर्मा	1,408
3—श्री आर0 पी0 गुप्ता	1,774
4—श्री डी0 एस0 मिश्रा	101
5—श्री के0 किशोर	2,224
6—श्री जी0 एस0 तिवारी	1,455
7—श्री रोशन लाल	366
8—श्री दुबरी दुबे	412
9—श्री बी0 एस0 शर्मा	648 + 12 = 660
योग ..	10,994

संलग्नक 'ग'

साहूकारी अधिनियम के अन्तर्गत निस्तारित सदस्यवार एवं वर्षवार वादों का विवरण :—

सदस्य का नाम	कार्य की अवधि	निस्तरित वादों की संख्या
1—श्री एम0 सी0 शर्मा	1-4-79 से 30-4-79 तक	29
2—श्री एस0 के0 सरकार	1-5-79 से 31-12-80 तक	19
3—श्री के0 किशोर	1-1-81 से 30-6-81 तक	2
4—श्री बी0 के0 मिश्रा	1-8-81 से 30-9-81 तक	1
5—श्री एस0 के0 सहगल	1-2-82 के 31-3-82 तक	3
	योग ..	54

उक्त अधिनियम के अधीन वर्षवार निस्तारित वादों का विवरण :—

अवधि	निस्तारित वादों की संख्या
1-4-79 से 31-3-80 तक	36
1-4-80 से 31-3-81 तक	13
1-4-81 से 31-3-82 तक	5
योग ..	54

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 124 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1090 पर ।)

गन्ना विकास परिषद्, प्रतापपुर, जिला देवरिया के बजट से निर्मित सड़कों की सूचना

क्रमांक	अवधि	सड़क का नाम	लम्बाई कि0मी0	किस्म	वास्तविक लागत रु0
1	2	3	4	5	6
1	1-7-1977 से 31-12-1979	चकिया फार्म से बलुवन	0.30	कंकड़	14,653.89
2	1-4-1981 से 31-[illegible]-1982	रामपुर बाजार से चेक पोस्ट तक ईंटों का खड़ंजा	0.21	सोलिंग	22,146.56
3	1-4-1982 से 15-10-1982	रतसिया प्रा0 स्कूल से रतसिया ग्राम मरम्मत सड़क	0.21	कंकड़	12,671.34
		ठाकुरपुर खुरबसिया सड़क पर पुलिया निर्माण प्रथम	3' डाई मी0	पुलिया	18,241.51
		ठाकुरपुर खुरबसिया सड़क पर पुलिया निर्माण द्वितीय	3' डाई मी0	पुलिया	18,241.60

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रतापपुर, जिला देवरिया में निर्मित सड़कों की सूचना

क्रमांक	अवधि	सड़क का नाम	लम्बाई	किस्म	परिषद का अंश	राजकीय अंशदान खाद्यान्न	श्रमांश	मेटीरियल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			कि0 मी0		रु0	क्विंटल	रु0	रु0
1	1-4-1981 से 31-3-1982	अहरौली गजहड़वा	1.00	मिट्टी	2478.00	23.60	1,298.00	..
		ठाकुरपुर खुरबसिया	1.60	,,	3579.60	40.32	7,384.10	..
		बनकटा भड़सर	1.50	सोलिंग	6336.90	16.08	4,326.40	1,11,081.15
2	1-4-1982 से 15-10-1982	बनकटा भड़सर	0.50	,,	..	..	1,465.00	..
		भटवलिया रहीमपुर	1.00	मिट्टी	..	..	9,782.50	..
		बगरुआ जगदीशपुर	1.00	,,	..	..	12,830.50	..
		नन्दपुर कुकुरघाटी	1.00	,,	..	..	6,461.00	..
		ठाकुरपुर खुरबसिया	0.60	,,	.	..	1,040.00	..

पी0 एस0 यू0 पी0--43 वि0 सभा-110-10-83--813(पी0 डी0)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा